बुन्देलखण्ड में पंचायत राज संस्थाओं का क्रियान्वयन : एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

(हमीरपुर जनपद के विशेष संदर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय - झाँसी

के

समाज विज्ञान संकाय

में

राजनीति विज्ञान विषय के अन्तर्गत

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध



निर्देशक :
डॉ० देवेन्द्र नारायण सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हमीरपुर, (उ०प्र०)

गवेषिका :
कु० कल्पना अवस्थी

2002

अनुक्रमणिका

डा0 देवेन्द्र नारायण सिंह
प्रवक्ता–राजनीति विज्ञान
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हमीरपुर (उ0 प्र0)

दिनाँकः– 27-12-2002

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु0 कल्पना अवस्थी ने राजनीति विज्ञान विषय में पी–एच0 डी0 उपाधि हेतु मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पत्रांक बु0 वि0/एके0/शोध/2000–2001/11520–3 दिनाँक 27–01–2001 द्वारा पंजीकरण कराया था। इनके शोध का शीर्षक था, ''बुन्देलखण्ड में पंचायत राज संस्थाओं का क्रियान्वयन हमीरपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक आलोचनात्मक मूल्यांकन।''

कु0 कल्पना अवस्थी मेरें निर्देशन में आर्डिनेन्स द्वारा वांछित अवधि तक शोध केन्द्र में उपस्थित रहीं। इन्होंने शोध के सभी चरणों को अच्छी तरह से परिश्रम पूर्वक सम्पन्न किया है।

मै इस शोध प्रबन्ध को राजनीति विज्ञान विषय में पी–एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत करने कि संस्तुति करता हूँ।

(डा0 देवेन्द्र नारायण सिंह)
शोध निर्देशक

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान में पी–एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध ''बुन्देलखण्ड में पंचायतराज–संस्थाओं का क्रियान्वयन : हमीरपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक आलोचनात्मक मूल्याँकन'' मेंरा मौलिक कार्य है। मेरे अभिज्ञान से प्रस्तुत शोध का अल्पांश अथवा पूर्णांश किसी भी विश्व विद्यालय में पी–एच0 डी0 अथवा अन्य किसी भी उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

27.12.02

दिनाँक:–

कल्पना अवस्थी

(कल्पना अवस्थी)

प्राक्कथन

"स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे" लोकमान्य तिलक का यह जयघोष भारतीय स्वतन्त्रता का प्रेरक रहा है, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी भारत के आम आदमी का स्वराज की इस अवधारणा से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सका। देश का जन–जन राजनीतिक अभिजनों और नौकरशाही के कूट षड़यन्त्रों के बीच उलझा अपने इन नवस्वामियों की दासता के लिए विवश था। इस समस्या के सम्यक समाधान के लिए गाँधी जी ने एक मंत्र दिया था, "ग्राम स्वराज" अर्थात पंचायत राज द्वारा सत्ता का पूर्ण विकेन्द्रीकरण इस सन्दर्भ में उनका स्पष्ट निर्देश था कि "सबसे निर्धन और निर्बल के चेहरे को याद करो और अपने आप से पूछो जो कार्य आप करने जा रहे हैं उससे उसे क्या लाभ मिलेगा? क्या उससे उसे अपने जीवन और भाग्य पर नियन्त्रण प्राप्त होगा? क्या उससे भूखे और संतृप्त लोगों को स्वराज मिल पायेगा?"

गाँधी जी के इन निर्देशों का सम्मान करते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में "नीति–निर्देशक तत्वों" के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। साथ ही संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया। सविधान लागू होने के बाद बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977), डा० एल० एम० सिंघवी समिति (1986) के प्रतिवेदनों के आधार पर समय–समय पर "स्वराज" के इस यथार्थ स्वरूप को अभिसिंचित व परिमार्जित करने का प्रयत्न किया जाता रहा है।

73वाँ संविधान संशोधन इस दिशा में नये आयाम स्थापित कर पंचायती राज व्यवस्था को नवीन कलेवर प्रदान करता है इस नवीन व्यवस्था से नीति निर्माताओं को अपेक्षा है कि आगामी पंचायतों के माध्यम से गाँवों का सर्वांगीण विकास होगा, जन सहभागिता बढ़ेगी, प्रशासन को आम लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं से जोड़ने के प्रयत्नों को बढ़ावा मिलेगा, गाँवों की वास्तविक समस्याओं की सही पहचान हो सकेगी, उनके समाधान के लिए व्यावहारिक

हल खोजे जा सकेंगे, ग्रामीण कौशल तथा स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा, ग्रामस्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। इस संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधि अधिनियम, 1994 पारित किया गया जिसके आधार पर प्रदेश की समस्त ग्रामीण जनता को स्थानीय स्वशासन हेतु निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, संरचनात्मक एकरूपता, निश्चित कार्यकाल तथा सुपरिभाषित दायित्वों और अधिकारों वाली पंचायत संस्थायें प्राप्त हो सकीं।

उत्तर प्रदेश में ग्राम स्तरीय पंचायतों के गठन का पाँच वर्ष का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है और नई पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। ऐसे में इस बात की जाँच सर्वथा उपयुक्त होगी कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल हो सकी है। इस संस्था के क्रियान्वयन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ व समस्यायें उठ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ये संस्थायें ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारने में किस सीमा तक योगदान कर पा रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के एक अंत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र बुन्देलखण्ड के पिछड़े जिले हमीरपुर को चुना गया और उसके सन्दर्भ में विभिन्न तथ्यों का तथ्यात्मक व आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन को कुल सात अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय "प्रस्तावना" के रूप में परिचयात्मक अध्याय है– जिसके अन्तर्गत पंचायती राज के बारे में कुछ सामान्य चर्चाओं के साथ हमीरपुर जनपद का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। हमीरपुर जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अंचल में चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आता है जो 25 अंश उत्तरी अक्षांश और 79.5 से 89.5 अंश दक्षिणी देशान्तर के मध्य स्थित है। 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल आबादी 884512 है जिसमें 481001 पुरूष व 403511 स्त्रियाँ है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 210271 है। जनपद में साक्षरता दर 57.8 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 41.7 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 22.0 प्रतिशत है। जनपद में कुल तीन तहसीलें है– हमीरपुर, राठ और मौदहा और तीनों तहसीलों में कुल 7 क्षेत्र पंचायतें है। ग्राम–पंचायतों की कुल संख्या 330 है।

इसी अध्याय में ही प्रस्तुत अध्ययन में अपनायी गई शोध पद्धति का भी उल्लेख किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति एवं स्वरूप के अध्ययन के लिये ऐतिहासिक पद्धति और हमीरपुर जनपद में पंचायतों के कार्यान्वयन के अध्ययन के लिये मुख्य रूप से पर्यवेक्षणात्मक व साक्षात्कार अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया गया है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र पंचायत से दस–दस गाँवों का चयन किया गया और फिर इन 70 गाँवों के ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों का साक्षात्कार अनुसूची विधि से लिया गया। स्वयं गाँवों में जाकर पर्यवेक्षणात्मक विधि से पंचायतों के क्रियान्वयन के सन्दर्भो के अध्ययन का प्रयास किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं आँकड़ों के विश्लेषण एवं निष्कर्ष हेतु सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया गया।

भारत में अतीत काल से ही ग्रामीण प्रशासन की उन्नत परम्परा रही है किन्तु विदेशी आक्रान्ताओं के शासन में ग्राम प्रशासन के महत्व एवं भूमिका को स्वीकार नहीं किया गया परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ तक ही ग्राम, प्रशासन में अपनी भूमिका भूल चुके थे। केन्द्रीकरण के दुर्गुणों से परिचित ब्रिटिश शासकों ने पुनः स्थानीय शासन की अवधारणा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस सम्बन्ध में लार्ड मेयो प्रस्ताव 1870, लार्ड रिपन प्रस्ताव 1882, शाही विकेन्द्रीकरण आयोग के सुझाव 1909, 1915 का भारत सरकार का प्रस्ताव, माण्टेग्यू घोषणा 1917, भारतीय शासन अधिनियम 1919 व भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा महत्वपूर्ण व्यवस्थायें की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रमों व राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के माध्यम से इसे पुनर्जीवित व प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों (1957) के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना हुई। इसके बाद 1 नवम्बर 1959 को आन्ध्र प्रदेश में तथा कालान्तर में अन्य राज्यों द्वारा भी इस व्यवस्था को अपनाया गया। समय के साथ–साथ इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिये समीक्षा चलती रही। अशोक मेहता समिति (1977), जी0 वी0 के0 राव उपसमिति (1985), एल0एम0 सिंधवी समिति (1986) व पी0 के0 थुंगन उपसमिति के प्रतिवेदन व अनुशंसायें इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। इन तमाम विवेचनाओं और अध्ययनों के बाद 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया जो अप्रैल 1993 से प्रवृत्त हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायत संस्थाओं को न केवल संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ बल्कि

उनकी संरचना में महत्वपूर्ण फेर बदल करते हुए उन्हें व्यापक अधिकार देते हुए और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। इसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में पारित कर नयी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार दूसरे अध्याय में भारत में पंचायती राज के विकास क्रम को दर्शाया गया है।

तीसरे अध्याय में नयी पंचायत व्यवस्था के तीनों स्तरों– ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के रचना संगठन, कार्यों व अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन पंचायती संस्थाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके नियत कालिक चुनावों की गारण्टी सुनिश्चित की गई है तथा समाज के कमजोर वर्गों– अनूसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के लिये पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों व सदस्यों के पद उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित किये गये हैं। पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक नही हो सकता। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये उन्हें भी प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 10000 की आबादी पर ग्राम–पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ग्राम–पंचायत के सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जायेंगे। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। निर्वाचित सदस्य ही क्षेत्र पंचायत प्रमुख का निर्वाचन कर सकेंगे व उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ कर सकेंगे। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य भी प्रत्यक्ष रूप से चुन जायेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने अथवा अपदस्थ करने का अधिकार इन्ही को होगा। ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों और कार्मिकों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

चौथे अध्याय में पंचायतों से की गई अपेक्षाओं के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण और जन सहभागिता के तत्वों का मूल्यांकन व विश्लेषण किया गया है। सत्य यह है कि स्थानीय संसाधनों के प्रयोग द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान की जितनी क्षमता स्थानीय लोगों में होती है, उतनी दूरस्थ प्रशासनिक केन्द्रों में नहीं। इसीलिये अनेक स्थानीय महत्व के अनेक विषयों को पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया है। हमीरपुर जनपद के अध्ययन से इस दिशा में कुछ सकारात्मक परिणाम भी उभर कर सामने आये हैं

किन्तु कतिपय समस्याओं व अनियमितताओं के चलते अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त किये जा सके हैं।

पाँचवाँ अध्याय सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में ग्राम–पंचायतों व दूसरी पंचायत संस्थाओं की भूमिका पर विचार प्रस्तुत करता है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर के पदों पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों को उनके आबादी के अनुपात में व महिलाओं के लिये एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था कर समाजगत परिवर्तन में तीव्रता लाने का लक्ष्य रखा गया है। अपेक्षा यह है कि इससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से वंचितों को शासन व प्रशासन की प्रक्रिया में सहगामी बनाया जा सकेगा जिससे उनसे सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की पहल उन्ही के द्वारा होगी। इससे जन सहभागिता में वृद्धि तथा राजनीतिक जागरूकता के लक्ष्य की प्राप्ति सरल होगी जो सामाजिक समरसता का आधार बन सकता है। हमीरपुर जनपद में, इस सम्बन्ध में किये गये अध्ययन के अनुभवों से इतना तो स्पष्ट है कि इस दिशा में सामाजिक परिवर्तन का पहिया चल पड़ा है किन्तु अशिक्षा, नियमों व कानूनों की अनभिज्ञता, निर्धनता, विकास कार्यक्रमों के बारे में अनभिज्ञता, जातीय भेदभाव, जागरूकता की कमी, पारिवारिक दबाव, आत्म विश्वास की कमी व सामन्ती दबाव आदि कुछ ऐसे बाधक कारण हैं जो परिवर्तन की गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अतः इन बाधाओं का निराकरण किया जाना चाहिये।

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि बिना आर्थिक आजादी के राजनीतिक आजादी अधूरी रहती है, बिना आर्थिक समानता के सामाजिक समानता संभव नहीं है, इसलिये नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को पंचायत संस्थाओं को सौंप दिया गया है और निर्बल वर्ग के लिये आर्थिक संरक्षण हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, ग्रामीण पेयजल याजना, वृद्धावस्था पेन्शन योजना, पारिवारिक लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना, कृषि के सुधार हेतु दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित योजनायें उल्लेखनीय है। किन्तु विकास कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में ग्राम–पंचायत प्रधानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने और मनमाने तरीके से काम करने की प्रवृत्ति के चलते यह लक्ष्य दिशाहीन हो गया है। इस सम्बन्ध में कार्य की प्रक्रिया के अनुपालन व पारदर्शिता की व्यवस्था की गारन्टी सुनिश्चित करने की

आवश्यकता है। छठे अध्याय में विकास से जुड़े इन्ही तथ्यों के विवेचन का प्रयास किया गया है।

सातवाँ अध्याय समूचे अध्ययन के निष्कर्षों का निचोड़ है। हमीरपुर जनपद में ग्राम पंचायतों के पहले पाँच वर्षो के कार्यकाल का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि यद्यपि नई पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार हस्तान्तरित किये जाने व विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को अपनाये जाने से जन जागृति और सहभागिता बढ़ी है, सामाजिक समानता व परिवर्तन की ओर कदम बढ़े हैं और विकास, स्वावलम्बन व स्वराज का चक्र घूमना प्रारम्भ हुआ है। किन्तु इसे अपेक्षित गति और सफलता नहीं मिली हैं। इसके लिये पंचायतों के क्रियान्वयन के मार्ग आने वाली कतिपय बाधायें व समस्यायें उत्तरदायी हैं जिन्होने ग्राम–पंचायतों को निहित स्वार्थों की जंजीरों से जकड़ रखा है। जब तक इन जंजीरों की श्रंखला नही टूटती तब तक पंचायतों से की गई अपेक्षाओं के पूर्ण होने की आशा नही की जानी चाहिये। अस्तु इन समस्याओं का निराकरण कर पंचायतों को और अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में शिक्षा के उन्नयन के लिये धरातल स्तर पर प्रयास किये जाने, ग्राम–प्रधानों व पंचायत सदस्यों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, आर्थिक विषमता दूर करने के लिये भूमि सुधार कानूनों को कड़ाई से लागू किये जाने, जनसहभागिता वृद्धि हेतु जनजागरण चलाने, ग्राम सभा को वैधानिक आधार व अधिकार सौंपने व ग्राम–पंचायत अधिकारियों को उसके प्रति उत्तरदायी बनाने, ग्राम प्रधानों के निरंकुश आचरण को मर्यादित करने के सुझाव उल्लेखनीय हैं। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्राम–पंचायतों को और अधिक कार्यपालक अधिकार दिये जायें, पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि की जाये, उन्हें करारोपण के व्यापक अधिकार दिये जायें, ग्राम पंचायतें अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करें व सरकारी अधिकारी पंचायतों के लिये सहयोगी व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें।

अन्त में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रस्तुत सुझाव अन्तिम नहीं हैं। इस सम्बन्ध में शोध व विचार की सतत आवश्यकता है। पंचायतों पर सतर्क निगरानी की जरूरत है। वास्तव में चुनौतियाँ और कमियाँ हर जगह होती हैं। कोई भी नया कार्य प्रारम्भ किये जाने पर चुनौतियों व समस्याओं का उभरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नई पंचायत व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। अवश्यकता इस बात की है कि पंचायत व्यवस्था के समक्ष उपस्थित होने वाली चुनौतियों और समस्याओं की पहचान कर उनका समयोचित समाधान

प्रस्तुत किया जाय, जिससे पंचायते अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकें। निश्चित ही इस नयी व्यवस्था से परिवर्तन की लहर दिखायी देने लगी है और जैसे–जैसे यह व्यवस्था परिपक्व व संशोधित परिमार्जित होती जायेगी यह स्थानीय शासन की एक श्रेष्ठ प्रणाली सिद्ध होगी।

आभार प्रदर्शन की श्रंखला मैं कहाँ से प्रारम्भ करूँ इस सम्बन्ध में मेरे मन में किसी भी प्रकार के अनिश्चय की स्थिति नहीं थी। जिस समाज में "गुरू और गोविन्द" में से गुरू की प्रथम अभ्यर्थना, प्रार्थना की परम्परा रही हो वहाँ इस सम्बन्ध अनिश्चय की दुविधा हो भी नहीं सकती। मेरे इस गवेषणा को पूर्ण करवाने में जो मार्गदर्शन व प्रेरणा मुझे अपने शोध निर्देशक डॉ0 देवेन्द्र नारायण सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर से मिली उसके लिये मैं जीवन भर उनकी आभारी रहूँगी। यह डा0 सिंह की प्रेरणा, प्रोत्साहन व सहयोग का ही प्रतिफल है कि मैं यह शोध कार्य पूर्णकर सकी हूँ।

राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डा0 प्रमोद कुमार व रीडर डा0 भवानी दीन के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होने समय–समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझावों से मुझे लाभान्वित किया। डा0 स्वामी प्रसाद अध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होने इस सम्पूर्ण शोध कार्य के दौरान मुझे सतत् सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के जिन प्राध्यापकों ने मेरा मार्ग दर्शन किया उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस सम्बन्ध में सर्वश्री डा0 परमात्मा सिंह, अध्यक्ष, भूगोल विभाग व डा0 भारतेन्दु द्विवेदी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर के प्राचार्य डा0 रमेश चन्द्र जी ने इस शोध कार्य के सम्बन्ध में जो सहयोग व सुझाव दिये उसके लिये मैं उनकी आभारी हूँ।

इस शोध कार्य के सम्बन्ध में मैने विभिन्न स्थानों, पुस्तकालयों व कार्यालयों से सामग्री प्राप्त की अतः उन्हें याद रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। इस सम्बन्ध में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर के पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष श्री राम सिंगार यादव व उनके सहयोगियों श्री विजय विक्रम सिंह सैनी, श्रीमती सुधा पाठक, श्रीराम औतार व श्री भगवानदास के सहयोग को भुलाया नही जा सकता। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के केन्द्रीय

पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष समेत समस्त स्टाफ के प्रति आभारी हूँ जिन्होने पंचायती राज के सम्बन्ध में विभिन्न तथ्यों के संकलन में मेरी सहायता की। इसके अलावा कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, ग्राम्य विकास अभिकरण व जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होने समय–समय पर शोध से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी तथ्य व आँकड़े उपलब्ध कराने में मेरी महत्वपूर्ण मदद की। इस दिशा में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर के कार्यालयाध्यक्ष श्री बसन्त गुप्ता का सहयोग व उनके सुझाव मेरे लिये प्रभावी सिद्ध हुए, इसलिये मैं उनके प्रति भी आभार प्रदर्शित करती हूँ। शोध कार्य के सन्दर्भ में जिन ग्राम प्रधानों, पंचायत सदस्यों व ग्रामीणों ने मेरी अपेक्षित सहायता की उनके निश्छल सरल व्यवहार को भुलाना संभव नहीं है। उनके सहयोग के प्रति मैं नतमस्तक हूँ।

बचपन से रक्षा बन्धन पर भाई की कलाई पर राखी बाँध यही समझती आई थी कि यह प्रतिवर्ष आने वाला एक पर्व मात्र है। किन्तु इस शोध के दौरान मुझे राखी के सूत्रों की ताकत का अहसास हुआ है। वास्तव में महिला सशक्तीकरण के इस युग में भी एक महिला होने के कारण हमीरपुर जनपद के दूर–दराज गाँवों में जाकर सर्वेक्षण–पर्यवेक्षण कर पाने के सम्बन्ध में मेरी कुछ विवशतायें थी। मेरे अनुज विपिन अवस्थी ने मेरे इस पूरे कार्य के दौरान साये की तरह साथ रहकर मुझे जो सम्बल प्रदान किया है, उसके प्रति आभार प्रदर्शन का माध्यम शब्द तो नहीं हो सकते, भावनाओं को माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती। मेरे पिता श्री छोटे लाल अवस्थी व छोटी बहन रचना अवस्थी ने मेरे इस शोध कार्य में जो सहायता की, उसके लिये मैं उनकी आभारी रहूँगी।

इस शोध प्रबन्ध के टंकण के लिये जयगुरूदेव कम्प्यूटर सेन्टर, हमीरपुर की कु0 सुनीता और दिलीप दीक्षित को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिन्होने अथक परिश्रम से इस शोध प्रबन्ध को समय पर तैयार करने में मेरी अपेक्षित सहायता की। इस सम्बन्ध में गार्गी कम्प्यूटर सेन्टर के श्री राज किशोर खरे की भी आभारी हूँ जिन्होने इस दिशा में मुझे महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। मुखपृष्ठ के मुद्रण व सज्जा आदि के लिये अंशू प्रिन्टर्स, सुमेरपुर, हमीरपुर भी बधाई के पात्र है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जाने–अन्जाने लोग जिन्होने मेरे इस शोध प्रबन्ध को पूरा करने में मेरा हाथ बँटाया उन सभी सुधीजनों की हृदय से आभारी हूँ।

कल्पना अवस्थी

27-12-02

(कु0 कल्पना अवस्थी)
गवेषिका

दिनॉक :–

जनपद - हमीरपुर

C.M. 0 5



1	जनपद की सीमा
2	तहसील की सीमा
3	विकास खण्ड सीमा
4	प्रदेश की सीमा
5	जनपद मुख्यालय
6	तहसील मुख्यालय
7	विकास खण्ड मुख्यालय
8	रेलवे मार्ग
9	पक्की सड़क
10	नदी नाला
11	मानव चिकित्सालय
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
13	पशु चिकित्सालय
14	स्टॉक मैन सेन्टर
15	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
16	हाईस्कूल इन्टर डिग्री कालेज
17	नया विद्यालय

अध्याय-एक

प्रस्तावना

अध्यायः- एक

प्रस्तावना

यह सत्य है कि भारत गाँवों का देश है जिसका तात्पर्य यह है कि भारत की अधिसंख्य जनता गाँवों में रहती है। इसका यह भी निहितार्थ है कि भारत में गाँवों का अलग अस्तित्व है, इसमें निरन्तरता है तथा गाँवों की अपनी अलग विशेषतायें है। इन्हीं विशेषताओं में एक विशेषता है भारत में ग्रामीण प्रशासन कि अविरल व्यवस्था पंचायत प्रणाली। शताब्दियों से हमारा समाज पंचायती अनुभवों से गुजरा है। एक तरह से यह देश की सहज जीवन शैली है।[1] पंचायत की जीवन शैली को संवाद, सहमति और सहयोग जैसे मानकों से पहचानने की कोशिश करें, तो लगेगा कि हमारे ग्रामीण समाज में ये जीवन मूल्य गहराई तक उतरे हुए हैं।

पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द "पंचायत" से हुई है जिसका अर्थ होता है पाँच व्यक्तिों का समूह। गांधी जी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है। वस्तुतः पंचायती राज व्यवस्था को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। हमारे देश में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है और ग्राम से क्षेत्र, तहसील, जिला, मण्डल प्रान्त तथा देश का गठन होता है। इसी कारण पंचायतों का गठन लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है क्योंकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक समझता है। वस्तुतः पंचायतों में प्रत्येक व्यक्ति इससे स्वयं को प्रभावित व जुड़ा हुआ पाता है इस लिये वह इसकी प्रत्येक कार्यविधि में संलिप्त होने का प्रयास करता है। इसके विपरीत राष्ट्रीय या प्रान्तीय मुद्दे उसे इतना अधिक आकर्षित नहीं कर पाते और इन स्तरों पर उसकी राजनीतिक सहभागिता का स्तर नीचे ही रहता है। जबकि पंचायतों के माध्यम से जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है और वह स्वतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी हो जाता है।

---

1. *अजय कुमार, "पंचायत प्रणाली में गाँवों की आत्म निर्भरता" योजना, अप्रैल, 2000 पृ0 सं0 40*

इतना ही नहीं 'पंचायतों' के गठन का एक अन्य सूत्र लान है ''स्थानीय समस्यायें, स्थानीय, स्थानीय संसाधन, स्थानीय लोग और स्थानीय समाधान।'' यह एक ध्रुव सत्य है कि किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं से जितना अधिक साक्षात्कार स्थानीय स्तर के लोगों का होता है उतना शीर्ष प्रशासन सेकदापि नहीं। अपनी क्षमता व अपने संसाधनों का भी उन्हें ही सम्यक ज्ञान होता है। ऐसे में यदि उन्हें अपने स्तर पर ''निर्णय शक्ति'' अर्थात शासन का अधिकार दे दिया जाये तो संभवतः वे अपनी समस्याओं का अधिक अच्छा और स्थायी समाधान निकाल सकने में सक्षम होगें। इसके अतिरिक्त ''स्थानीय शासन'' का अधिकार मिलने से लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और मौलिक के वाहक बन सकेगें।

यही कारण है कि नये स्वतंत्र भारत के शासन की रूप रेखा का निर्धारण कर रहे संविधान सभा के नीति नियामकों ने प्राचीन भारत के ग्रामीण प्रशासन की धुरी ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। यद्यपि डा0 अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में पंचायतों के विषय में एक भी शब्द नही कहा गया था और न ही प्रारूप समिति में किसी भी स्तर पर इस विषय पर कोई बहस की गई,[1] फिर भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में ''पंचायत'' को स्थान मिला जिसमें कहा गया कि ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठायेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।'' इसी के साथ सातवीं अनूसूची की द्वितीय सूची अर्थात् राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। इस प्रकार पंचायतों को संवैधानिक महत्व तो मिल गया किन्तु संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया।[2]

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायतों को गठित करने व उन्हें कारगर बनाने के लिये बहुतेरे उपाय किये गये।[3] विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारें बनी। उन्होने पंचायतें स्थापित

---

1. *एन0 राजगोपाल राव, ''पंचायती राज'' ए स्टडी आफ रूरल लोकल गवर्नमेन्ट इन इन्डिया, नई दिल्ली (1992) प्र0 34*
2. *डा0 ए0 पी0 अवस्थी, ''भारतीय राज व्यवस्था'' आगरा, प्र0 190*
3. *स्वतंत्रता के पश्चात पंचायत संरचना के पुनर्गठन एवं सुधार हेतु जो भी उपाय किये गये उनका विस्तृत उल्लेख प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के दूसरे अध्याय ''भारत में ग्रामीण प्रशासन'' के अन्तर्गत किया गया है।*

करने एवं उन्हें सशक्त बनाने के प्रयास किये। पंचायतें गठित भी हुई किन्तु वास्तव में जमीनी तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। वे स्वायत्त शासन की संस्थाओं का सही प्रतिरूप नहीं बन सकीं। पंचायतों पर राज्य सरकारों कानियन्त्रण बना रहा और पंचायतें अपने अस्तित्व तथा शक्तियों के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहीं इसलिये उन्हें जो भी कार्य सौपें गये उन्हे वे पूर्ण नहीं कर सकीं और कुल मिलाकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कागजों तक सीमित होकर रह गई।

किन्तु इस दशा में भारत सरकार द्वारा 22 दिसम्बर 1992 को ऐतिहासिक 73 वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित करके[1] महत्वपूर्ण पहल की गई और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तथा जनता के हाथों में शासन की भागेदारी सौपनें का निर्णय लिया गया। इस संशोधन विधेयक में ही राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे इस दिशा में उचित कदम उठायेगें। कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहल की और कुछ राज्यों द्वारा संविधिक संशोधन किये गये। उ0 प्र0 सरकार ने भी 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में इसी सन्दर्भ में व्यापक संशोधन किया और पंचायत व्यवस्था को नया रूप देने का प्रयास किया गया और 1995 में इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत हुए पहले चुनावों के बाद से नयी पंचायत व्यवस्था लागू कर दी गई।

नई पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतें अपना 5 वर्ष का एक कार्यकाल पूरा कर चुकीं हैं और मई–जून 2000 में दूसरे कार्यकाल हेतु चुनाव सम्पन्न हो चुकें हैं। अतः अब यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायतों के पिछले कार्यकाल का मूल्यांकन व विश्लेषण का इसके गुण दोषों की विवेचने किया जाय और इसके कार्यकाल का समुचित मूल्यांकन कर इसे और अधिक कारगर बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जायें।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र बुन्देलखण्ड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हमीरपुर जनपद को अध्ययन हेतु चयनित किया गया है। अध्ययन हेतु हमीरपुर के चयन का कारण इसका दूरस्थ, रेलपथ से अलग और

---

1. *यह संशोधन अधिनियम 24–04–93 से प्रभावी हुआ।*

लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ होना है। विकास की गति धीमी है। आधुनीकरण की प्रकिया प्रारम्भ हुई है अथवा नही इसका भी सहज अनुमान लगा पाना कठिन है। ग्रामीण परिवेश में सामाजिक परिवर्तन शून्य से आगे तो बढ़ा है किन्तु उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य क्षेत्रों की भाँति गतिमान नही हो पाया है। आर्थिक संसाधन है किन्तु उनका समुचित दोहन, संयोजन और वितरण नही है। जिस कारण पिछड़े पन की स्थिति बनी हुई है।

ऐसे में ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र के समग्र विकास में क्या और किस प्रकार का योगदान कर सकती हैं, इसका अध्ययन समाज और देश को एक नई दिशा दे सकता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इसी उद्देश्य से प्रेरित एक प्रयास है। इस सम्बन्ध में परिकल्पना आदि अन्य तथ्यों की ओर बढ़ने से पूर्व हमीरपुर का परिचय प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

हमीरपुर : एक परिचय

हमीरपुर वीरों के शौर्य से सुगन्धित बुन्देलखण्ड की धरा पर अवस्थित चित्रकूट धाम मण्डल का एक जनपद है। देश के उत्तर और मध्य भाग को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और महानगर कानपुर से सुगमता पूर्वक मिलाने के कारण हमीरपुर को बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान डी0 एल0 ड्रेकब्रांकमैन के अनुसार हमीरपुर की स्थापना ग्यारहवीं शताब्दी में कलचुरी राजपूत शासक हमीरदेव द्वारा की गई थी।[1] किन्तु इसके विपरीत वासुदेव चौरसिया जैसे विद्वान यह स्वीकार करते है कि यह जनपद चन्देलकाल में अस्तित्व में आया । चौरसिया का मानना है कि चन्देल नरेश हम्मीर वर्मन देव (1289—1309) ने हमीरपुर को बसाया था।[2]

ब्रिटिशकाल में 1823 में हमीरपुर स्वतंत्र जिला बनाया गया। इसके प्रथम ब्रिटिश शासक मि0 एम0 एन्सले थे।[3] सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम केबाद 1858 में हमीरपुर जिले को

---

1. *ए0 एन0 अग्निहोत्री, 'हमीरपुर' महारानी लक्ष्मीबाई शिक्षा संस्थान, राठ, हमीरपुर 2000 प्र020*
2. *भवानी दीन व स्वामी प्रसाद, बैभव बहे बेतवा धार (सन्दर्भ नगर हम्मीर देव का), साहित्य रत्नालय कानपुर, 1998 प्र0. 4*
3. *ए0 एन0 अग्निहोत्री, पूर्वाक्त प्र0. 21*

इलाहाबाद मण्डल से हटाकर झाँसी मण्डल से सम्बद्ध कर दिया गया। पुनः 1863 ई0 में यह इलाहाबाद जनपद से सम्बद्ध हुआ। वर्ष 1911 ई0 में एक बार फिर हमीरपुर जिले को झाँसी मण्डल में जोड़ा गया। फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से तीन तहसीले पृथक कर महोबा जिले का सृजन किया गया। इसी प्रकार 30 सितम्बर 1997 को झाँसी मण्डल को विभाजित कर चित्रकूट धाम मण्डल नाम से एक नया मण्डल सृजित किया गया और हमीरपुर को इस नये मण्डल से सम्बद्ध कर दिया गया।

भौगोलिक स्थिति :–

जनपद हमीरपुर प्रदेश के दक्षिणी अंचल में 25 अंश उत्तरी अक्षांश और 79.5 से 89.5 अंश दक्षिणी देशान्तर के मध्य स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से जनपद के दो उपसंभाग है –

कः– उपसम्भागयी मैदानी भाग, जिसमें कि सममतल एवं उपजाऊ भूमि है। इसके अन्तर्गत विकास खण्ड कुरारा, राठ, गोहाण्ड एवं सरीला आते हैं।

खः– उपसम्भागीय मध्य भाग, जिसमें विकास खण्ड मुस्करा, कुरारा, मौदहा एवं सुमेरपुर आते है। यह उपसम्भाग कृषि उपज के लिये अच्छा है।

जनपद हमीरपुर का मुख्यालय यमुना व बेतवा नदी के मध्य में स्थित हमीरपुर नगर है जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 140 कि0मी0 दूर तथा महानगर कानपुर से 68 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर की जनसंख्या 8,84,512 है जिसमें पुरूषों की संख्या 4,81,001 तथा महिलाओं की संख्या 4,03,511 है। इसमें कुल 7,47,555 ग्रामीण व 1,36,957 शहरी जनसंख्या है। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 2,10,271 है जो कि कुल जनसंख्या का का 23.8 प्रतिशत है। जनपद में प्रति 1000 पुरूषों के पीछे महिलाओं की संख्या 839 है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 4094 वर्ग कि0मी0 है। जनसंख्या घनत्व 215 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0 मी0 है। कुल जनसंख्या का 92.07 प्रतिशत हिन्दू, 7.86 प्रतिशत मुसलमान, 0.4 प्रतिशत इसाई तथा 0.1 प्रतिशत सिक्ख व बौद्ध हैं। हमीरपुर की कुल साक्षरता 41.7 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की साक्षरता 57.66 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 22.07 प्रतिशत है । वर्तमान में जनपद में कुल 647 ग्राम हैं जिसमें 511 आबाद ग्राम तथा 136 गैर आबाद ग्राम है जिसमें कुल 330 ग्राम पंचायतें, 61 न्याय पंचायतें व एक जिला पंचायत है ।

जनपद में कुल तीन तहसीलें क्रमशः हमीरपुर, मौदहा, एवं राठ हैं जिनमें कुल सात विकास खण्ड है –

हमीरपुर तहसील	मौदहा तहसील	राठ तहसील
1. कुरारा 2. सुमेरपुर	1. मौदहा 2. मुस्करा	1. राठ 2. गोहाण्ड 3. सरीला

हमीरपुर तहसील :–

हमीरपुर तहसील जनपद हमीरपुर की सदर तहसील है जो यमुना व बेतवा नदी के मध्य स्थित मुख्यालय में है। इसका अक्षांशीय विस्तार 25 अंश 58 उत्तर तथा देशान्तर विस्तार 80 अंश पूर्व में है। तहसील का क्षेत्रफल 1039.01 वर्ग कि0मी0 है। जिसमें शहरी क्षेत्रफल 5.98 वर्ग कि0मी0 है। उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में मौदहा व राठ तहसील, पूर्व में बाँदा तथा पश्चिम में जालौन जनपद है। हमीरपुर तहसील में दो विकास खण्ड हैं –

1. कुरारा ।
2. सुमेरपुर ।

1.विकास खण्ड कुरारा:–

विकास खण्ड कुरारा की स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को हुई थी । हमीरपुर–कालपी मार्ग पर जनपद मुख्यालय से इसकी दूरी 17 कि0मी0 है। विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 440 वर्ग कि0मी00 तथा जनसंख्या घनत्व 172 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है, 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 75,883 है जिसमें 41,178 पुरूष तथा 34,705 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18209 है। कुल साक्षरता दर 34.24 प्रतिशत है। जिसमें 48.38 प्रतिशत पुरूष व 17.06 प्रतिशत महिला है। विकास खण्ड में 84 गाँव है जिनमें 62 आबाद तथा 22 गैर आबाद ग्राम हैं। 35 ग्राम पंचायतें, 6 न्याय पंचायतें है। विकास खण्ड कुरारा से अध्ययन हेतु चयनित गाँवों का संक्षिप्त विवरण निम्न है –

विकास खण्ड कुरारा

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम के नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या				ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम पंचायत आरक्षण वर्ग कोड	ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या
			अनु0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग			
1	डामर	डामर	672	979	225	1876	1435.88	SC	11
2	झलोखर	झलोखर	1126	1546	1083	3755	743.43	L	15
3	शेखूपुर	शेखूपुर	486	1200	293	1979	813.78	GEN	11
4	भौली	भौली, जमरेही ऊपर	418	1782	1605	3805	1440.85	L	15
5	भटपुरा	भटपुरा, जमरेहीतीर दरिया, जमरेहीतीर डांडा, भटपुरवा दरिया, अब्दुल्लापुर	101	1610	200	1911	951.08	BCL	11
6	कुसमरा	कुसमरा	949	1424	578	2951	1526.12	GEN	13
7	चंदूपुर	चंदूपुर	0	1161	0	1161	698.98	OBCL	11
8	कनौटा	कनौटा, बदनपुर	277	1228	295	1800	1175.95	OBC	11
9	मेरापुर	मेरापुर, भिलावा	331	1932	365	2628	2192.27	OBC	13
10	सिकरौढ़ी	सिकरौढी,	431	1399	694	2524	1600.58	L	13

2.विकास खण्ड सुमेरपुर :–

विकास खण्ड सुमेरपुर हमीरपुर तहसील का प्रमुख विकास खण्ड है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी। विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 593 वर्ग कि0मी0 तथा जनसंख्या घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1,27,867 है। जिसमें 69,413 पुरूष तथा 58,454 महिलायें हैं। कुल साक्षरता दर

41.25 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 57.39 प्रतिशत व स्त्री साक्षरता दर 21.70 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20.8 प्रतिशत है । कुल 108 गाँव हैं जिसमें 82 आबाद तथा 26 गैर आबाद हैं । इस विकास खण्ड में कुल 54 गाँव पंचायतें तथा 10 न्याय पंचायतें हैं। इस विकास खण्ड से अध्ययन हेतु चयनित गाँवों का विवरण निम्न है –

विकास खण्ड सुमेरपुर

क0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम के नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या				ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम पंचायत आरक्षण वर्ग कोड	ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या
			अनु0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग			
1	कैथी	कैथी	486	2121	496	3103	1682	OBC	15
2	टिकरौली	टिकरौली	340	1506	378	2224	357.86	OBC	13
3	चन्दौखी	चनदोखी	356	556	229	1141	595.91	SCL	11
4	बरदहा–सहजना	बरदहा–सहजना, कीरतपुर	165	1083	284	1532	501.67	OBC	11
5	हेलापुर	हेलापुर डांडा, हेलापुर दरिया	302	848	43	1193	278.1	OBC	11
6	कलौलीतीर	कलौलीतीर	367	681	441	1489	514.55	GEN	11
7	उजनेड़ी	उजनेड़ी, सिकरी	489	950	534	1973	1209.02	GEN	11
8	कुम्हऊपुर	कुम्हऊपुर, बहरौली डांडा,बहरौलीदरिया	542	1243	188	1973	1168.77	SC	11
9	कलौलीजार	कलौलीजार ललपुरा	640	1258	390	2288	1145.77	SC	13
10	कल्ला	कल्ला	396	513	115	1024	617.98	SCL	11

मौदहा तहसील :–

मौदहा तहसील जनपद मुख्यालय से 32 कि0मी0 दूर दक्षिण पूर्व दिशा में 25^0 46′ उत्तरी अक्षांश तथा 80^0 7′ पूर्वी देशान्तर में स्थित है। इसके उत्तर में हमीरपुर तहसील,

दक्षिण में महोबा जनपद, पूर्व में बाँदा जनपद तथा पश्चिम में राठ तहसील है। इसका क्षेत्रफल 1440.86 वर्ग कि0मी0 है जिसमें शहरी क्षेत्र 6.34 वर्ग कि0मी0 है। मौदहा तहसील में कुल दो विकास खण्ड हैं –

1. मौदहा
2. मुस्करा

1.विकास खण्ड मौदहा :–

मौदहा विकास खण्ड की स्थापना 26 जनवरी 1954 को हुई थी । इसका कुल क्षेत्रफल 924.4 वर्ग कि0मी0 है । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ कि कुल आबादी 1,71,628 है, जिसमें 93,389 पुरूष व 78,239 महिलायें हैं । अनुसूचित जातियों की संख्या 22.5 प्रतिशत, पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 44 प्रतिशत है। साक्षरता दर 38.90 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 55.28 प्रतिशत व स्त्री साक्षरता 18.95 प्रतिशत है । इस विकास खण्ड में कुल 124 गाँव हैं जिनमें 109 आबाद तथा 15 गैर आबाद हैं। यहाँ 76 ग्राम पंचायतें तथा 12 न्याय पंचायतें हैं। मौदहा विकास खण्ड से अध्ययन हेतु लिये गये गाँवों का संक्षिप्त विवरण निम्न है –

विकास खण्ड मौदहा

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम के नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या				ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम पंचायत आरक्षण वर्ग कोड	ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या
			अनु0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग			
1	पिपरौंदा	पिपरौंदा	391	421	600	1412	746	GEN	11
2	सायर	सायर	1335	1364	1720	4419	1614	SC	15
3	पारा	पारा	386	771	52	1209	770	SC	11
4	गुढ़ा	गुढ़ा	315	956	117	1388	828	OBCL	11
5	उरदना	उरदना, घटकना	328	1235	372	1935	949	OBC	11
6	अरतरा	अरतरा	1757	2457	1440	5654	3429	SC	15

7	मकरांव	मकरांव, तिंदुछी किशोरीलाल	478	1384	611	2473	1294	OBC	13
8	रागौल	रागौल, सिचौली	206	669	1513	2388	1060	L	13
9	भैसमरी	भैसमरी	501	661	991	2073	707	GEN	13
10	गहरौली	गहरौलीखुर्द पासुन	418	732	336	1486	840	GEN	11

विकास खण्ड मुस्करा :–

विकास खण्ड मुस्करा मौदहा तहसील के अन्तर्गत हमीरपुर–राठ मार्ग पर जिला मुख्यालय से 54 कि0मी0 दूरी पर स्थित है । इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1959 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 510.1 वर्ग कि0मी0 है । 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1,04,647 है जिसमें 57,141 पुरूष व 47,506 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति की संख्या कुल आबादी का 21.3 प्रतिशत है । कुल साक्षरता 39.52 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता 55.84 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 19.34 प्रतिशत है। कुल 73 ग्रामों में से 57 आबाद व 16 गैर आबाद हैं। यहाँ 34 ग्राम पंचायतें तथा 7 न्याय पंचायते हैं। मुस्करा ब्लाक से अध्ययन हेतु चुने गये गाँव निम्नवत है –

विकास खण्ड मुस्करा

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम के नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या				ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम पंचायत आरक्षण वर्ग. कोड	ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या
			अनु0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग			
1	बसवारी	बसवारी, दामुपुरवा	1082	3540	204	4826	1462	OBCL	15
2	मसगॉव	मसगॉव	736	911	660	2307	1138	SC	13
3	चिल्ली	चिल्ली, पुराजहान	445	645	396	1486	878	SC	11
4	विवार	विवार, जल्ला,डीहा, वरेठी	2002	2068	3807	7877	2695	L	15

5.	निवादा	निवादा	871	1336	1367	3574	1355	L	15
6.	भरखरी	भरखरी	428	532	425	1385	812	SC	11
7.	छानी	छानी	446	700	520	1666	774	GEN	11
8.	रूरीपारा	रूरीपारा, गलियामऊ	506	1508	1110	3124	1759	GEN	15
9.	बान्धुर खुर्द फारूक	बान्धुरखुद महादेव बान्धुर खुर्द फारूक	556	610	922	2088	988	GEN	13
10.	बान्धुरवुजुर्ग	लोधामऊ, भटरा बान्धुरवुजुर्ग	336	1507	802	2675	2026	GEN	13

राठ तहसील :–

राठ तहसील जनपद हमीरपुर मुख्यालय से 82 कि0मी0 दक्षिण पश्चिम में 25^0 36 उत्तरी अक्षांश तथा 79^0 34 पूर्व देशान्तर में स्थित है। इसके पूर्व में मौदहा तहसील, दक्षिण में महोबा जनपद, उत्तर में जालौन के अलावा पश्चिम दिशा में झाँसी तथा जालौन का क्षेत्र है। झाँसी जनपद से धसान नदी तथा जालौन जनपद से बेतवा नदी इस तहसील की सीमा को पृथक करती है। यह जनपद की सबसे बड़ी तहसील है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1642.05 वर्ग कि0मी0 है । इस तहसील में कुल तीन विकास खण्ड हैं –

1. राठ
2. गोहाण्ड
3. सरीला

1. विकास खण्ड राठ :–

विकास खण्ड राठ की स्थापना 2 अक्टूबर 1960 को हुई। इसका कुल क्षेत्रफल 451.5 वर्ग कि0मी0 है। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 82,325 है जिसमें 44,767 पुरूष व 37,558 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति की संख्या कुल जनसंख्या का 31.1 प्रतिशत है। इस विकास खण्ड में कुल 86 गाँव हैं जिसमें 63 आबाद व 23 गैर आबाद हैं। यहाँ

पर 41 गाँव पंचायते तथा 8 न्याय पंचायतें है। अध्ययन हेतु चयनित गाँवों का विवरण निम्न है –

विकास खण्ड– राठ

क0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम के नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या				ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम पंचायत आरक्षण वर्ग कोड	ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या
			अनु0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग			
1	नोहाई	नोहाई	594	1314	56	1964	994	GEN	11
2	मवई	मवई	512	1806	110	2428	883	OBCL	13
3	गल्हिया	सुकलहरी, गोविन्दपुरा, गल्हिया	542	1090	91	1723	587	GEN	11
4	गोहानी पनवाड़ी	गोहानी पनवाड़ी	448	1187	25	1660	911	OBC	11
5	गोहानी राठ	पशनोड़ी, गोहानी राठ	707	981	262	1950	1492	GEN	11
6	कैथी	बदनपुरा, महजौली,कैथी	680	1114	48	1842	976	SC	11
7	मल्हेटा	कुछेछा मल्हेटा	538	400	1359	2297	2607	L	13
8	मझगवाँ	रामगढ., मझगवाँ	527	514	1836	2877	2546	L	13
9	टोलारावत	टोलारावत	1004	2189	513	3706	981	L	15
10	धमना	धमना, कुल्हरिया, छपकी, खदरी, अकौनी,रिकौरा	815	2142	147	3104	1247	OBC	15

2.विकास खण्ड गोहाण्ड :–

विकास खण्ड गोहाण्ड राठ तहसील के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय से 95 कि0मी0 दूरी पर राठ–उरई मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 532 वर्ग कि0मी0 है। 1991 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 95052 है जिसमें 51339 पुरूष व 43659 महिलायें हैं । अनुसूचित जाति की संख्या कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत है। कुल साक्षरता दर 40.48 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 59.95 प्रतिशत व महिला साक्षरता 17.13 प्रतिशत है। कुल 88 गाँवों में 73 आबाद व 15 गैर आबाद हैं। यहाँ 48 ग्राम पंचायतें व 9 न्याय पंचायतें हैं। इस विकास खण्ड से अध्यन हेतु जिन गाँवों का चयन किया गया वे निम्न हैं।

विकास खण्ड गोहाण्ड

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम के नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या				ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम पंचायत आरक्षण वर्ग कोड	ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या
			अनु0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग			
1	उमरिया	उमरिया	645	1306	870	2821	388	OBCL	13
2	सरसई	सरसई	669	1011	577	2257	1410	GEN	13
3	नंनदा	नंनदा	280	863	64	1207	434	OBC	11
4	धनौरी	धनौरी, धनौरा	921	2226	109	3256	1426	OBC	15
5	अकौना	अकौना	852	1927	1008	3787	1185	OBCL	15
6	चिल्ली	चिल्ली, नवेना, खरेहटा	966	2784	918	4668	2011	OBCL	15
7	मगरौठ	मगरौठ	586	641	50	1277	2100	SCL	11
8	चिकासी	चिकासी	437	977	58	1472	1593	OBC	11
9	वीरा	वीरा	720	1881	169	2770	931	OBC	13
10	पवई	पवई	740	1430	243	2413	881	OBC	13

3. विकास खण्ड सरीला :–

यह विकास खण्ड जिला मुख्यालय से 116 कि0मी0 दूर राठ तहसील मे स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1959 को हुई थी। इसका क्षेत्र फल 651.2 वर्ग कि0मी0 है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 90,153 है जिसमें 49,215 पुरूष व 40,.938 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति कि आबादी कुल जनसंख्या का 25.3 प्रतिशत है। 50.03 प्रतिशत पुरूष व 11.78 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं। कुल 84 गाँवों में 65 आबाद व 19 गैर आबाद हैं। यहाँ कुल 42 ग्राम–पंचायतें व 9 न्याय पंचायतें हैं। सरीला विकास खण्ड से अध्ययन हेतु लिये गये गाँवों का विवरण निम्न है –

विकास खण्ड– सरीला

क0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम के नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या				ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ग्राम पंचायत आरक्षण वर्ग कोड	ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या
			अनु0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग			
1	करियारी	करियारी	752	962	367	2081	1249	SC	11
2	मगरोल	मगरौल, रिगवारा कला	369	889	285	1543	255	GEN	11
3	बिलगॉव	बिलगॉव	856	2109	584	3549	2782	L	15
4	जलालपुर	जलालपुर, घरऊपुर	512	771	500	1783	1101	GEN	11
5	भेडी डाडा	भेडी डाडा	962	1437	2080	4479	2724	GEN	15
6	चन्डौत	चन्डौत	684	2897	939	4520	2517	OBC	15
7	घगवा	घगवा	690	1600	271	2561	897	OBC	13
8	जरिया	जरिया	661	525	730	1916	829	SC	11
9	पुरैनी	पुरैनी	1049	3277	503	4829	1194	OBC	15
10	ममना	ममना,गुहली	1593	1284	897	3774	1807	SCL	15

जनपद कि प्रमुख समस्यायें :-

किसी भी जनपद के विकास में अनेक कारकों का योगदान होता है जैसे – भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा का स्तर, भूमि कि बनावट आदि। इन प्रत्येक कारकों के सन्दर्भ में जनपद कि स्थिति पिछड़ी हुई है जिसके चलते इसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर जनपद की प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित हैं–

1. बाढ़ की समस्या :– जनपद कि प्रमुख नदियों यमुना, बेतवा, केन, धसान, वर्मा, चन्द्रावल तथा उर्मिल में वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ़ से भारी तबाही होती है। नदियों की गहराई अधिक होने से इनके जल को आसानी से सिंचाई कार्यों हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। सिंचाई कार्यों के लिये केवल पम्प कैनाल ही उपयोगी हो सकते हैं। किन्तु धनाभाव के कारण पम्प कैनालों का निर्माण सम्भव नहीं हो पाता है ।

2. सिंचाई कि समस्या :– हमीरपुर के कुरारा विकास खण्ड का कुछ क्षेत्र तथा राठ, मुस्करा एवं गोहाण्ड का कुछ भाग नहरों द्वारा सिंचित है। शेष भाग में नहरें न होने के कारण सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती जिससे किसानों को कृषि हेतु वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है।

जनपद के विकास खण्ड राठ, मौदहा तथा मुस्करा के कुछ क्षेत्रों में नलकूप सफल नहीं है क्योकि जमीन के अन्दर पत्थर है तथा पर्याप्त मात्रा में भूगभीर्य जल भी उपलब्ध नही है। जनपद के विकास खण्ड सुमेरपुर, कुरारा एवं मौदहा में बेतवा, यमुना एवं केन नदियों पर लिफ्ट कैनाल बनाई गयी है। किन्तु पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति न होने के कारण लिफ्ट कैनाल भी पूरी क्षमता से नहीं चल पाते।

3. उद्यमिता का अभाव :– जनपद में उद्यमिता का अभाव है जिस कारण यहाँ की 82 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर रहती है। जनपद में कोई भी वृहद उद्योग स्थापित नही है। जो भी मध्यम उद्योग शासकीय ऋण य सहायता पर

स्थापित किये गये वे अधिकांशतया छूट कि धनराशि प्राप्त करने के बाद बीमार घोषित कर दिये गये।[1] उद्योग मालिकों का मुख्य उद्देश्य ऋण प्राप्त कर छूट की धनराशि प्राप्त करना होता है न कि उद्योग चलाना। अतः यह योजना जनपद में प्रभावी नही सिद्ध हो रही है।[2]

4. पेय जल संकट :— जनपद में भूगर्भीय जल स्तर बहुत नीचे होने के कारण पेय जल का संकट है । मार्च से जुलाई के बीच कुऐं और हैण्ड पम्प खुल जाते है।

5. निरक्षरता :— निरक्षरता हमीरपुर जनपद की एक बहुत बड़ी समस्या है यद्यपि शासन की नीतियों के अनुरूप हर दो कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं तथापि अशिक्षा के कारण बालकों की शिक्षा पर कम ही ध्यान दिया जाता है।

6. अन्न प्रथा :— हमीरपुर के किसान प्रमुख रूप से जमीन से रबी और खरीफ दो फसल ही ले पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि मार्च–अप्रैल में रबी की फसल करने के बाद जानवर खेतों मे चरने के लिये छुट्टा छोड़ दिये जाते हैं। अतः फसलो की रखवाली करना मुश्किल हो जाता है। अतः किसान जायद की फसल नहीं ले पाते।

शोध परिकल्पना :—

प्रशासन के सिद्धान्त का एक सर्वमान्य तथ्य यह है कि यदि शक्तियों और कार्यों का केन्द्रीय करण किया जाय तो शिराओं में रक्ताल्पता, कार्य में अक्षमता और शासन में निरंकुशता की प्रवृत्तियों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। किन्तु इसके विपरीत यदि

---

1. *सामाजार्थिक समीक्षा, जनपद हमीरपुर, वर्ष 2000–2001 अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्र0. 4*
2. *वही ।*

शक्तियों एवं कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जाय तो इसके विपरीत परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चुंकि भारत मे गाँव व ग्राम पंचायते प्रशासन कि सबसे छोटी आधारभूत इकाइयाँ हैं, अतः यदि इन्हे शासन में सक्रिय साझीदार बनाया जाय तो इससे कुछ सहज सकारात्मक परिणाम प्राप्त प्राप्त किये जा सकते हैं।भारत में 73 वे संविधान संशोधन के बाद विभिन्न राज्यों ने इसके अनुरूप अपने पंचायत अधिनियमों के माध्यम से इसी प्रकार के स्थानीय शासन की इकाइयाँ "पंचायत राज" व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित करने का प्रयास किया है। इस व्यवस्था की सफलता से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में निम्नलिखित परिवर्तन अथवा उपलब्धियाँ अपेक्षित हैं –

1. किसी क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का जितना अच्छा ज्ञान स्थानीय लोगो को होता है, उतना शीर्ष नेतृत्व को नहीं होता। निर्णय का पर्याप्त अधिकार मिलने पर वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई एवं प्रदूषण आदि अनेक समस्याओं का अपने स्तर पर अधिक अच्छी तरह निराकरण कर सकते हैं।

2. स्थानीय शासन का एक लाभ यह होता है कि स्थानीय शासन के मुद्दे स्थानीय स्तर के होते हैं जिसमें लगभग क्षेत्र के हर नागरिक की अभिरूचि होती है। स्थानीय राजनीति एवं निर्वाचन में जन सहभागिता राज्य अथवा केन्द्र स्तरीय मुद्दों व निर्वाचन की तुलना में अधिक होती है। परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायतों नागरिकों के राजनीतिक प्रशिक्षण की बेहतर पाठशाला साबित हो सकती है। यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां व्यक्ति के राजनीतिक सामाजीकरण को बढ़ावा देते हुये राजनीतिक सहभागिता व राजनीतिक चेतना में वृद्धि कर सकती है।

3. भारत में सामाजिक व जातीय स्तरीकरण के कारण जात–पात की बुराई एक बड़ी समस्या रही है । 73 वें संविधान संशोधन द्वारा दलितों एवं पिछड़ों को ग्राम पंचायतों में दिये गये आरक्षण से इस बुराई के साथ–साथ गाँवों में सामन्ती दबदबे वाली मानसिकता का शमन कर सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।

4. दलितों और पिछड़ों की ही भाँति भारत की आधी आबादी महिलाओं को भी पंचायतों में

आरक्षण दिया गया है। इसकी अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं की दशा में अपेक्षित सुधार आयेगा शासन में उनकी भागेदारी व स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी जिससे उन पर होने बाली उत्पीड़क कार्यवाहियाँ कम हो सकेंगी।

5. केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक स्तर पर विकास की अनेक योजनायें संचालित। की जाती हैं। इन योजनाओं में से कुछ छोटी व मंझोली योजनाओं को ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित कर गाँवों के विकास की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। इन येाजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिये भी कारगर उपाय किये जा सकते हैं।

चूँकि नई पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पंचायतें अपना एक कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं व मई जून 2000 में दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचन हो चुका है अतः अब यह अनिवार्य हो गया है कि पंचायतों के पहले कार्यकाल का मूल्यांकन कर उपर्युक्त कदमों में इनके कार्यकाल की उचित समीक्षा की जाय। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इसी उद्देश्य से हमीरपुर जनपद में ग्राम–पंचायतों के प्रथम कार्यकाल का विश्लेषण कर सन्दर्भित प्रश्नों की समीक्षा का प्रयास किया गया है। इस सन्दर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयत्न किया गया है, जैसे –

1. उपर्युक्त लक्ष्यों के सन्दर्भ में ग्राम पंचायतों की भूमिका कितनी सफल रही है कितनी असफल।
2. पंचायतों के कार्य करण में किस प्रकार की समस्यायें आयीं है।
3. क्या पंचायतों को और अधिक अधिकारों की अपेक्षा है।
4. पंचायतों को प्राप्त वित्तीय संसाधन पर्याप्त है अथवा नहीं।
5. वर्तमान पंचायत प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिये इसमें किन संशोधनों, सुधारों की आवश्यकता है।

इन सन्दर्भ प्रश्नों की विवेचना पंचायत व्यवस्था को और अधिक सक्षम तथा कारगर बनाने हेतु सुझाव देना इस शोध प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य है।

शोध पद्धति :-

प्रस्तुत अध्ययन में हमीरपुर जनपद की तीन तहसीलों क्रमशः हमीरपुर,, मौदहा एवं राठ के सात विकास खण्डों में स्थित 394 ग्राम सभाओं में से प्रत्येक विकास खण्ड से 10–10 ग्राम सभाओं को अध्ययन हेतु नमूने के रूप में चयनित किया गया है। इन गाँवों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से किया गया। तत्पश्चात इन गाँवों के केवल ग्राम प्रधानों तथा पंचायत सदस्यों का साक्षात्कार,, साक्षात्कार अनुसूची विधि से किया गया। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु पर्यवेक्षणात्मक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। विभिन्न तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक श्रोतों का प्रयोग किया है। आँकड़ों के विश्लेषण एवं उनसे निष्कर्ष निर्धारण हेतु सांख्यिकी पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विषय को दर्शाने हेतु ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

अध्याय-दो

भारत में ग्रामीण प्रशासन

अध्यायः- दो

भारत में ग्रामीण प्रशासन

भारत में ग्राम और ग्रामीण प्रशासन का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। गाँव हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई रहे हैं। ये प्राचीन काल से ही प्राकृतिक रूप से प्रशासन की प्रारम्भिक क्षेत्रीय इकाइयों का निर्धारण करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही ग्राम प्रशासन की सशक्त एवं उन्नत परम्परा रही है, अतः भारत में ग्रामीण प्रशासन के विकास का उल्लेख करने के लिये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित कर सकते है –

1. स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण प्रशासन
2. स्वातंत्रेतर भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास

1. स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण प्रशासन :–

स्वतंत्रता पूर्व भारत के ग्रामीण प्रशासन के विकास के सन्दर्भ में वैदिक काल की स्थिति से लेकर ब्रिटिश भारत काल तक (15 अगस्त 1947 से पूर्व तक) इसके विकास क्रम का लेखा–जोखा सम्मिलित किया जाता है –

प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन :–

सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में ग्राम[1]शब्द का उल्लेख मिलता है,जहॉ ग्रामोंके समृद्धि के लिये प्रार्थना की गई है।[2] वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन के लिये उत्तरदायी प्रमुख

---

1. *ऋग्वेद 1/114/7 तथा 5/54/8 (मण्डल सूक्त मंत्र) भाष्यकार वेंकट माधव, विश्वेश्वरानान्द वैदिक शोध–संस्थान, होशियार पुर 1964*
2. *वही, 1/44/70 , 0/62/11 , 10/107/51*

अधिकारी "ग्रामणी" कहलाता था।[1] ग्रामणी का जिस रूप में परिचय प्राप्त होता है वहमहत्वपूर्ण है। वह प्रमुख रत्नियों में होता था। गाँव की चोर, डाकुओं एवं राज्य कर्मचारियों से पित्तृवत रक्षा करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। वह गाँव के लोगों पर अर्थदण्ड लगा सकता था। वहीं ग्राम सभा की बैठकें आहूत करता था और प्रत्येक सभा अपना विधान स्वयं बनाती थी। ग्राम सभायें स्वनिर्मित विधान में संशोधन भी कर सकती थी। डा0 जायसवाल के अनुसार वह गाँव का नेता होता था और राज्याभिषेक समारोह में गाँव के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता था।[2] सामान्य रूप से ग्रामणी राजा द्वारा नामित व्यक्ति होता था किन्तु प्रौ0 मैकडोनल्ड का कहना है कि "ग्रामणी" का पद कभी वंशानुगत , कभी नामित तो कुछ समय निर्वाचित रहा होगा। वास्तव में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रमाण नही है।[3] इस सम्बन्ध में डा0 बनर्जी का मानना है कि वैदिक काल में मौलिक रूप से गाँव स्वायत्त–शासी संस्थायें थे और वे केन्द्रीय नियन्त्रण से मुक्त थे। "ग्रामणी" और दूसरे ग्राम पदाधिकारी ग्राम समुदाय द्वारा नियुक्त किये जाते थे और वे उन्ही के प्रति उत्तरदायी भी होते थे।[4] उत्तर वैदिक काल में, प्राचीन भारत के लगभग हर काल में, स्थानीय शासन की स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में गाँवों का उल्लेख मिलता है।

मध्य काल :–

पं0 जवाहर लाल नेहरू का मानना है कि मध्य काल में भारत विदेशी आक्रमणों से युद्व और विनाश, विद्रोह और उनके क्रूर दमन का माहौल बना और नये विदेशी शासक मुख्य रूप से सैन्य शक्तियों पर निर्भर करते थे किन्तु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की निरन्तरता बनी रही।[5] किन्तु कुछ लोगों का यह मानना है कि इस काल की शासन व्यवस्था में नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया और पंचायतों की शक्तियाँ क्षीण हुई।[6] मुगल काल में जमीन्दार व

---

1. *तैंत्तिरीय संहिता (2/5/4/4) (काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक, मंत्र) सायण भाष्य, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली पूना तृतीय संस्करण 1966*
2. *डा0 के0 पी0 जायसवाल, "हिन्दू पोलिटि", तृतीय एडीशन प्र0 15*
3. *प्रो0 मैकडानल्ड, "वैदिक इन्डेम", I , प्र0 247*
4. *प्रमथ नाथ बनर्जी, "पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एनिसिएन्ट इन्डिया", प्र0 289*
5. *प0 जवाहर लाल नेहरू, "डिस्कवरी आफ इन्डिया" IV संस्करण, प्र0 262–263*
6. *पी0 सरन, "प्रोविन्सियल गवर्नमेन्ट आफ द मुगल्स" इलाहाबाद 1941, प्र0. 19*

जागीरदारी प्रथा के विकास से ग्राम पंचायतों का पतन हुआ। इस व्यवस्था में समृद्ध किसान या तो स्वयं कर लेकर या अपने ऐजेन्टो से कर वसूल कर ग्रामीणों पर नियन्त्रण करता था। व्यवहारतः इन्ही जमीन्दारों या जागीरदारों द्वारा पंचायतों के क्रियान्वयन के क्रियाकलाप सम्पन्न किये जाते थे।

किन्तु इस काल में हिन्दू राजाओं के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन विकसित बना रहा।[1] शिवाजी के शासन काल में शासन व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ। अष्ट प्रधान योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था।[2] इस काल में पाटिल ग्राम प्रधान के रूप में ही कार्य करता था। कुलकरणी उनका लिपिक होता था जो सामान्यता ब्राम्हण होता था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश शासन काल में पंचायती राज :–

भारत में ब्रिटिश जाति के आगमन और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की स्थापना के बाद से भारत के प्राचीन ग्रामीण स्वायत्तता के युग का अन्त हो जाता है। ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही भारत के लोकप्रिय संस्थाओं में निहित समस्त शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल व अन्तिम रूप से ब्रिटिश संसद में केन्द्रित कर दी जाती है। चुँकि अंग्रेज भारतियों को अशिक्षित एवं स्वशासन के लिये अयोग्य मानते थे इसलिये शासन के किसी भी स्तर पर शासन में उन्हे भागीदारी नहीं दी गई।[3] किन्तु कालान्तर में केन्द्र पर शासन के बढ़ते हुए कार्यभार को देखते हुये स्थानीय शासन के स्थापना की आवश्यकता हुई तो सर्वप्रथम 1793

---

1. *अवध नारायण दुबे, "नयी पंचायत व्यवस्था", मिश्रा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, वाराणसी, 2002, प्र0. 6.*
2. *ए0 के0 मजूमदार और भंवर सिंह, (सम्पा) "हिस्टोरिश्ल एण्ड कल्चरल डे वलपमेंन्ट ऑफ पंचायती राज", राधा प्रकाशन, नई दिल्ली 1997 प्र0. 47*
3. *ए0 के0 मजूमदार एवं भंवर सिंह, पूर्वोक्त, प्र0 50*

के चार्टर अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में निगम प्रशासन की स्थापना की गई।[1] किन्तु ये संस्थायें न्यूनाधिक सरकारी संस्थायें ही थी।[2] इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को इन तीन महानगरों के लिये शान्ति दण्डाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया जो कि सफाई, सड़को की मरम्मत व पुलिस पर आने वाले खर्चों के लिये क्षेत्र के मकानों और भूमि पर कर आरोपित कर सकते थे।[3] बाद में गैर प्रेसीडेन्सी नगरों में निगम प्रशासन प्रारम्भ करने के लिये इसी प्रकार के कदम उठाये गये। पहला निगम अधिनियम 1842 में बंगाल के लिये पारित किया गया। इसी प्रकार दूसरा अधिनियम 1850 में इस प्रावधान के साथ पारित किया गया कि इसे किसी भी नगर पर केवल स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम को बम्बई, बंगाल, मद्रास और यू0पी0 प्रान्तों के अनेक नगरों पर लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष करारोपण का प्रावधान किया गया था।

ब्रिटिश काल में आधुनिक अर्थो में गाँवों का वास्तविक विकास 1863 में शाही सैनिक सफाई आयोग के प्रतिवेदन के आने के बाद प्रारम्भ हुआ। इस प्रतिवेदन में गाँवों की गन्दी स्थिति का उल्लेख करते हुए वहॉ सफाई पर ध्यान देने की ओर संकेत किया गया था । इसके बाद ही अनेक प्रान्तों में ग्रामीण सफाई अधिनियम पारित किये गये।[4]

लार्ड मेयो का प्रस्ताव 1870 :-

लार्ड मेयो के प्रस्ताव पर आधारित आर्थिक विकेन्द्रीकरण की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास का पहला महत्वपपूर्ण प्रयास था। इस प्रस्ताव के

---

1. *वही।*
2. *वही।*
3. *वही।*
4. *क्वार्टरली जर्नल ऑफ लोकल सेल्फ–गवर्नमेन्ट इंन्स्टीट्यूट, वाल्यूम xxxII इस्यू नं0 125 पृ0 449–50 पर उद्धृत।*

द्वारा भारत सरकार ने प्रशासन के कुछ विषय प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित किये जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों का विशेष उल्लेख था। प्रान्तीय सरकारों को जितनी आवश्यकता थी उससे कम अनुदान की व्यवस्था की गई तथा यह उल्लेख किया गया कि शेष खर्चे के लिये वे स्थानीय करों पर निर्भर करेगें। इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में 1871 में बम्बई, बंगाल, पंजाब और यू0पी0 प्रान्तों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्थानीय स्वायत्त–शासन हेतु अधिनियम पारित किये गये। संक्षेप में इन अधिनियमों के प्रमुख उपबन्ध निम्नलिखित थे –[1]

1. विद्यमान समाप्त प्राय व्यवस्थाओं का विधायन कर दिया गया था और इन्हे इन विषयों पर आने वाले व्यय का वहन करने हेतु बढ़ा दिया गया था।
2. एक जिले के लिये समितियों का गठन किया जाना था।
3. सभी सरकारी और गैर सरकारी पदाधिकारियों के मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी।
4. सभापति सरकारी व्यक्ति होना था।

लार्ड रिपन प्रस्ताव 1882 :–

ब्रिटिश भारत में ग्रामीण स्वायत्त शासन के विकास के सन्दर्भ में अगला मील का पत्थर था लार्ड रिपन 18 मई 1882 का प्रस्ताव। लार्ड रिपन ने स्थानीय शासन के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव में जो सुझाव दिये वे निम्नांकित थे –[2]

1. ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को महत्व दिया जाये। अधिक से अधिक तालुका अथवा तहसील का क्षेत्र एक स्थानीय मण्डल अथवा बोर्ड के अधीन रखा जाय और प्रत्येक स्थानीय बोर्ड अपने जिले के नियन्त्रण में रहेंगे।
2. प्रस्ताव में गैर–सरकारी बहुमत का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और सभी नामित सदस्यों की संख्या एक तिहाई से अधिक नही हो सकती थी। यह भी स्वीकार किया गया था कि जहाँ तक सम्भव हो निर्वाचन का सिद्धान्त कियान्वित किया जाये और निर्वाचन की प्रत्येक सम्भव प्रणाली का प्रयोग किया जाये।

---

1. *ए0 के0 मजुमदार एवं भंवर सिंह, पूर्वोक्त, पृ0 52 पर उद्धृत।*
2. *श्री राम माहेश्वरी, "भारत में स्थानी शासन, ओरियन्ट लॉगमैन", बम्बई, 1974, प्र0 23*

3. स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष यथासम्भव निर्वाचित और गैर सरकारी व्यक्ति हो क्योकि इसके बिना गैर सरकारी सदस्यों को अपने मताधिकार तथा उत्तरदायित्व वास्तविक नही प्रतीत होगें।
4. स्थानीय संस्थाओं पर सरकार का नियन्त्रण भीतर से न होकर बाहर से हो और साधारणतया इस नियन्त्रण का स्वरूप मैत्रीपूर्ण परामर्श तक ही सीमित रहे। सरकार स्थानीय संस्थाओं पर नजर रखे किन्तु उन्हें आदेश न दे। सरकारी हस्तक्षेप तभी हो जब कोई संस्था अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे।
5. स्थानीय सेवायें स्थानीय संस्थाओं के अधीन हो और उनमें काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने आपको संस्था का सेवक समझें, स्वामी नहीं।
6. स्थानीय संस्थाओं के अपने यथेष्ट तथा विकासशील आर्थिक साधन हो और अपना बजट बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो।
7. स्थानीय संस्थाओं में योग्य व्यक्तियों को लाने के लिये इन संस्थाओं के सदस्यों को रायबहादुर, राय साहब आदि उपाधियों से विभूषित किया जाये।

यद्यपि रिपन के ये प्रस्ताव उदारवादी थे किन्तु इनके कियान्वयन में उदारता का परिचय नही दिया गया। नौकरशाही इसके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बनी रही। फिर भी इस प्रस्ताव के आधार पर स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। इन निकायों में दो तिहाई सदस्य गैर–सरकारी होते थे जिन्हे अपने नामांकन के लिये जिला मजिस्ट्रेट पर निर्भर करना पड़ता था। संयुक्त प्रान्त और पंजाब के ग्रामीण बोर्डों को छोड़कर जिला मजिस्ट्रेट सभी ग्रामीण बोर्डों का चेयरमैन होता था।

इस प्रस्ताव के आधार पर द्विस्तरीय जिला बोर्ड स्थापित किये गये। सबडिवीजन या तहसील स्तर पर उप जिला बोर्ड का गठन किया गया। सब डिवीजन तालुका या तहसील का बड़ा से बड़ा क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के आधीन रखा गया तथा जिला बोर्ड को ही समन्वय कर्ता माना गया।[1] असम, मध्य भारत तथा मद्रास को छोड़कर सभी प्रान्तो के जिला बोर्डो को सीमित अर्थ सम्बन्धी तथा स्थानीय सरकार के सभी कार्य सौपें गये।

---

1. हरिश्चन्द्र शर्मा, "भारत में स्थानीय प्रसाशन", कालेज बुक डिपो, जयपुर 1968, प्र0 83

विकेन्द्रीकरण आयोग (1909) :–

1901 से 1910 तक भारत सचिव के पद पर रहे विस्कॉउन्ट मोरले भारत में केन्द्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर चिन्तित थे और उन्होने इस मामले को गम्भीरता से लिया। अतः उन्होने इस सम्बन्ध में विचार हेतु चार्ल्स हॉबहाउस की अध्यक्षता में 1907 में शाही विकेन्द्रीकरण आयोग का गठन किया। इस आयोग को प्राचीन भारतीय ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्‌देश्य से जनता के विचार भी जानना था। इस आयोग ने स्थानीय शासन के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये –[1]

1. गाँवों को स्थानीय शासन की आधारभूत इकाई माना जाय और प्रत्येक गाँव में पंचायत हो। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका का निर्माण किया जाये।
2. स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों का पर्याप्त बहुमत हो।
3. नगरपालिका अपना अध्यक्ष चुने किन्तु जिलाधीश को स्थानीय जिला बोर्ड का अध्यक्ष बना रहना चाहिये।
4. नगरपालिका को आवश्यक सत्ता प्रदान की जानी चाहिये जिससे वे कर निर्धारण कर सके और न्यनूतम धनराशि को संरक्षित कोष में जमा करके अपना बजट बना सकें।
5. बड़े नगरों को एक पूर्णकालिक नामित अधिकारी की सेवायें उपलब्ध कराई जाँय। स्थानीय निकायों का अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये, केवल नौकरी की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पूर्वापाय किये जा सकते हैं।
6. स्थानीय निकायों पर बाहरी नियन्त्रण, परामर्श सुझाव और लेखा–परीक्षण तक सीमित होना चाहिये।
7. नगर पालिकाओं की ऋण लेने की शक्ति पर सरकार का नियन्त्रण बना रहना चाहिये और नगर पालिका की सम्पत्ति को पट्‌टे पर देने अथवा बेंचने के लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिये।
8. प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं पर होना चाहिये, यदि वह चाहे अथवा उसके पास साधन हो तो वह कुछ धन माध्यमिक विद्यालयों पर भी खर्च करे।

---

1. *श्रीराम महेश्वरी, पूर्वोक्त, प्र0 24*

9. जिला तथा उपजिला बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हों और नगर पालिका के सदस्य करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हों।
10. आयोग इस पक्ष में था कि पंचायतों को कुछ न्यायिक कार्य भी सौपें जाँय जिससे कि नियमित न्यायालयों का भार कुछ हल्का हो सके।[1]

आयोग ने पंचायतों की आय के निम्न स्रोतों का भी अनुमोदन किया –

1. गाँवों में स्थानीय बोर्डो के उद्देश्य के लिये भूमिकर का एक भाग दिया जाना।
2. कलेक्टर अथवा जिला बोर्ड द्वारा विशिष्ट स्थानीय विषयों में सुधार के उद्देश्य से विशेष अनुदान दिया जाना।
3. गाँवों को जिन बाजारों एवं तालाबों आदि का प्रबन्धन सौपा गया है उनसे प्राप्त आय।
4. पंचायत के समक्ष लाये जाने वाले दीवानी मामलों पर मामूली शुल्क लगाकर।[2]

इस आयोग की सिफारिशें दूरगामी थी और गाँवों के हित संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रेरित थी इस आयोग के रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ही वास्तविक रूप से भारत में गाँवों के महत्व को पहचाना गया।

भारत सरकार प्रस्ताव 1915 :–

1915 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि प्रान्तीय सरकारों के काम का जो बोझ अधिकारों के केन्द्रीकरण के कारण बढ़ गया है, वे सरलतापूर्वक स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित करके कम किया जा सकता है। बंगाल की चौकीदारी पंचायतों को, मद्रास, बम्बई की स्वास्थ्य समितियों को, मध्य प्रान्त और संयुक्त प्रान्त की ग्राम पंचायतों को तथा पंजाब एवं स्थानीय फण्ड संगठनों को कुछ अधिकार तथा साधन

---

1. *रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन आन डिसेन्ट्रलाइजेशन (1907) प्र0 241*
2. *वही, प्र0 244*

दिये जायें जिससे वे बराबर अपना संगठन कर सकें। प्रस्ताव में आगे सिफारिश की गयी थी कि किसी भी स्थान में जहाँ कोई भी योजना लोगों के सहयोग से कार्यरूप में परिणीत हो सके, उसका पूरा–पूरा प्रयोग प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति के आधार पर किया जाय। इस योजना की सफलता के लिये इस प्रस्ताव में निम्न सुझाव दिये गये थे –[1]

1. योजना का प्रयोग चुने हुए गाँवों में हो जहाँ लोग इससे सहमत हों।
2. पंचायतों को प्रशासकीय और न्यायिक कार्य करने चाहिये।
3. जहाँ आवश्यक हो वहाँ विधायन की आज्ञा दी जाय।
4. जहाँ स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति आदि प्रशासकीय समितियाँ हो उन्हें उन ग्राम पंचायतों मे सम्मिलित कर दिया जाये, जहाँ वे स्थित हों।
5. पंचायतों को प्रान्तीय नियन्त्रण वाले कर उठाने का अधिकार दिया जाये।
6. पंचायतों और दूसरी प्रशासनिक संस्थाओं के सम्बन्ध की पूर्ण व्याख्या करनी चाहिये।

   यह प्रस्ताव भी क्रियान्वित नहीं हो सका और पूरी योजना कागजी शेर बनकर रह गई।

ब्रिटिश सरकार की 1917 की घोषणा :–

20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री ई0 एस0 माण्टेग्यू ने ब्रिटिश कामन सभा में सरकार की ओर से भारतीय नीति सम्बन्धी यह घोषणा की कि सम्राट के सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है, यह है कि शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े और स्वायत्तशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास हो, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न अंगो के रूप में भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। किन्तु राष्ट्रहित की दृष्टि से यह घोषणा सन्तोषजनक नही थी। देश के उदारवादी नेता भी इससे पूर्ण सन्तुष्ट नहीं थे। इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थायें भी थीं जो आत्म–निर्णय और उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल थी जैसे शासन प्रणाली का स्वरूप, परिषद में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था, निषेधाधिकार, अध्यादेश जारी करने आदि का अधिकार।[2]

---

1. *ए0 के0 मजूमदार एवं भवर सिंह, पूर्वोक्त, उद्धत प्र0 60–61*
2. *अवध नारायण दुबे, पूर्वोक्त, प्र0 15–16*

भारत सरकार का प्रस्ताव 1918 :–

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की प्रगति को तीव्र करने के उद्देश्य से व्यवस्थापन की आवश्यकता पर बल देने के लिये मई 1918 में भारत सरकार द्वारा एक अन्य प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायत व्यवस्था का विकास निगम और ग्रामीण बोर्डों के अधिनियमों से अलग व्यवस्थापन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये।[1] इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को कानून बनाने के निर्देश दिये गये थे जो कि विस्तृत एवं सरल हों।[2] इसी बीच ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया जिसके द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन को लोकप्रिय मंत्रिमण्डल के नियंन्त्रण में एक हस्तान्तरित प्रान्तीय विषय बना दिया गया था। इसके इच्छित परिणाम हुए और ब्रिटिश भारत के आठ प्रान्तों में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिये अधिनियम पारित किये गये –

1. बंगाल स्वायत्त शासन अधिनियम, 1919
2. बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम, 1920
3. बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1920
4. मध्य प्रान्त और बेरार पंचायत अधिनियम, 1920
5. मद्रास पंचायत अधिनियम, 1920
6. यू0पी0 ग्राम पंचायत अधिनियम, 1920
7. पंजाब पंचायत अधिनियम, 1922
8. आसाम स्वायत्त शासन अधिनियम, 1925

1. इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत से बाहर 600 के लगभग देशी रियासतें थी। इनमें से कई राज्यों में जन आन्दोलनों के बाद राज्य पंचायत अधिनियम पारित किये गये। श्री रामायन प्रसाद ने अपने अध्ययन में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित अधिनियमों का उल्लेख किया है,[3] जो कि निम्न है –

1. कोचीन पंचायत रेगूलेशन एक्ट, 1919
2. होल्कर राज्य पंचायत अधिनियम, 1920

---

1. *गवर्नमेंन्ट आफ इंन्डिया रिजोल्यूशन, 16 मई 1918, पैरा 23*
2. *वही, पैरा 24*
3. *क्वार्टरली जर्नल आफ द लोकल सेल्फ गर्वनमेन्ट इन्स्टीट्यूट, इस्यू न0 128 प्र0 452–53*

3. ट्रावन्कोर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1925
4. कोंल्हापुर पंचायत अधिनियम, 1926
5. बड़ौदा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1926
6. मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1926
7. बीकानेर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1928
8. करौली ग्राम पंचायत अधिनियम, 1939
9. हैदराबाद ग्राम पंचायत अधिनियम, 1940
10. मेवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम, 1940
11. जसंदन ग्राम पंचायत अधिनियम, 1940
12. भावनगर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1943
13. पोरबन्दर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1943
14. भरतपुर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1944
15. मारवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम, 1945
16. वाड़िया राज्य ग्राम पंचायत अधिनियम, 1945
17. धनगधा राज्य ग्राम पंचायत अधिनियम, 1946
18. मोरवीं राज्य ग्राम पंचायत अधिनियम, 1946
19. सिरोही ग्राम पंचायत अधिनियम, 1947
20. जयपुर ग्राम पंचायत अधिनियम, 1948

भारतीय शासन अधिनियम 1935 :–

भारतीय शासन अधिनियम, 1935 में स्थानीय सरकारों को प्रान्तीय सूची में रखा गया था। जब 1937 में प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारें बनी, उन्हाने स्थानीय सरकारों को सही अर्थो में प्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिये कानून बनाये। किन्तु सितम्बर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ होने के साथ ही ये सारे प्रयास व प्रयोग निरर्थक साबित हो गये।

यह सत्य है कि भारत में स्थानीय शासन प्राचीन काल से चला आ रहा है किन्तु उसे नवीन स्वरूप प्रदान करने का कार्य ब्रिटिश शासन काल में हुआ। वस्तुतः प्राचीन ग्रामीण समाज की यह विशेषता रही है वह प्रायः वंशानुगत विशेषाधिकारों अथवा जातीयता को आधार

मानकर अपना संगठन करता था किन्तु नवीन ब्रिटिश प्रणाली ने उसे लोकतान्त्रिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। निर्वाचन का समय–समय पर होना, निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होना, प्रशासन तथा करारोपण के अधिकारों को स्थानीय स्तर पर प्रदान करना एवं प्रजातंत्र के विकास के लिये कुशल नेतृत्व तैयार करना आदि ब्रिटिश देन रही है। फिर भी भारत में ब्रिटिश स्थानीय शासन का उद्देश्य ब्रिटिश हितो की पूर्ति से अधिक प्रेरित था, भारतीय स्थानीय संस्थाओं के विकास की ओर कम। इन संस्थाओं पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार होता था, जिस कारण अधिकांश भारतीय इसमें भाग ही नही ले पाते थे।

II

स्वातंत्रेत्तर भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास

15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और भारतीयों को अपने भावी राजनीतिक प्रणाली की रूपरेखा निर्धारित करने का अधिकार मिला। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के 296 स्थानों के लिये निर्वाचन सम्पन्न हुए जिसने 9 दिसम्बर 1946 को अपनी पहली बैठक के साथ संविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। यह संविधान सभा इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में थी कि संविधान में पंचायतों का गाँधी मॉडल सम्मिलित किया जाय अथवा नही। बाद में संविधान सभा ने दो समितियों का गठन किया– एक संविधान प्रारूप समिति और दूसरी प्रान्तीय समिति किन्तु इन दोनों ही समितियों के विचार विमर्श में कहीं भी पंचायतों का उल्लेख नहीं हुआ। डा0 अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नही कहा गया था। वैसे भी डा0 अम्बेडकर ग्राम पंचायतों के घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि गाँव स्थानीयता, उपेक्षा, जातिवाद और संकीर्णता के गढ़ हैं।[1]

इस सम्बन्ध में जब संविधान सभा में चर्चा प्रारम्भ हुई तो गाँधीवादी सदस्य अपनी बात मनवाने के लिये विशेष प्रभाव नही डाल सके। किन्तु अत्यधिक केन्द्रीकृत व्यवस्था और ग्रामीण प्रशासन के उपेक्षा की घोर आलोचना हुई। इस विरोध के कारण संविधान सभा ने ग्राम पंचायतों को कुछ संवैधानिक दर्जा देना स्वीकार किया और इस प्रकार संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनु0 40 में ग्राम पंचायतों को स्थान मिला। संविधान में स्थानीय सरकार का विषय सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची (राज्य सूची) में रखा गया अनुच्छेद 40 के कियान्वयन के सन्दर्भ में अनु0 246(3) में देश की प्रत्येक राज्य विधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे स्थानीय शासन से सम्बद्ध व्यवस्थाओं के लिये कानून बनावें।

---

1. *एन0 राज गोपाल राव "पंचायती राज" ए स्टडी ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंन्ट इन इन्डिया", उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1992, पृ0 34 पर उद्धत।*

संविधान लागू होने के बाद पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ से हुई। यह कार्यक्रम जानबूझकर गाँधी जयन्ती को प्रारम्भ किया गया था जिसके दो प्रमुख लक्षण थे –

(अ) सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण विकास, व

(ब) जनता की सहभागिता

इसी प्रकार 1953 में पूरे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारम्भ की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित था। प्रारम्भ में कार्यक्रम के संचालन का दायित्व योजना आयोग में स्थापित नवीन इकाई सामुदायिक परियोजना प्रशासन को सौंपा गया था शीघ्र ही आगे चलकर 1956 में इस इकाई को एक स्वतंत्र मन्त्रालय – सामुदायिक विकास मन्त्रालय– का दर्जा दिया गया। 1966 में इस मन्त्रालय का खाद्य और कृषि मन्त्रालय में विलय कर दिया गया। मन्त्रालय का नाम "खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास और सहयोग" कर दिया गया। यह स्थिति 1974 तक बनी रही। आगे चलकर 'सहयोग' को कृषि मन्त्रालय से हटाकर नवगठित मन्त्रालय – औद्योगिकी और सहयोग का हिस्सा बना दिया गया।

सामुदायिक विकास विभाग का प्रमुख कार्य कार्यक्रम सम्बन्धी नीतियों और खण्ड स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना है। केन्द्रीय सरकार को सामुदायिक विकास और पंचायती राज के विषय में परामर्श देने के लिये 1971 में एक संयुक्त सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इस कार्यक्रम को लागू करने का उत्तर दायित्व राज्य सरकारों पर है। प्रत्येक राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये एक विकास आयुक्त होता है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में एकीकृत कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास विभाग कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राज्य विकास समिति नामक संस्था की स्थापना की मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष, विकास विभाग का मंत्री सदस्य और विकास आयुक्त सचिव होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद समन्वय और कार्यक्रम के कियान्वयन के लिये उत्तरदायी है। खण्ड स्तर पर पंचायत समिति उत्तरदायी है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतो का नियन्त्रण होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन समस्त उपायों ने स्वायत्तशासी इकाई के रूप में पंचायतों को पनपने का अवसर नहीं दिया। इन योजनाओं से स्थानीय शासन के सन्दर्भ में भी नौकरशाही का दबदबा रहा और पंचायतों को ग्रामीण विकास में भागीदारी का अवसर नहीं मिला।

बलवन्त राय मेहता समिति :–

सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा पर काफी व्यय किये जाने और इसकी सफलता के लम्बे चौड़े दावों के बाद, इसकी जाँच के लिये एक अध्ययन दल 1957 में नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष बलवन्त राय मेहता थे और जिसका पूरा नाम था "सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन दल।" इस अध्ययन दल को सौंपे गये कार्यों में एक कार्य, कार्य सम्पादन में अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम के संगठनात्मक ढ़ाँचे तथा कार्य करने के तरीकों की उपयुक्तता का आँकलन करना था।

मेहता समिति ने देश भर के चुने हुए ब्लाकों, स्थानीय जनता, स्थानीय अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, प्रतिनिध्यात्मक संगठनों के प्रतिनिधियों, विभागों के अध्यक्षों, विकास विभाग के सरकारी सचिवों से बात की। समिति ने इस बात पर भी विचार किया कि तत्कालीन स्थानीय संस्थायें कार्य कर सकती है या नहीं। यदि नहीं तो कौन सी नवीन संस्थायें स्थापित की जायें। समिति न 24 नवम्बर 1957 को अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

1. बलवन्त राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायत संरचना की योजना प्रस्तुत की गई। यह स्तरों वाली योजना लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक प्रयास था। इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण योजना के पाँच सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये।[1] वे सिद्धान्त निम्न थे –

1. जिला स्तर से ग्राम स्तर तक स्थानीय स्वायत्त शासन का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिये। ये सभी परस्पर समबद्ध होने चाहिये।

---

1. *बी0 एस0 भार्गव, "ग्रास रूट्स लीडर शिप", नई दिल्ली 1979 प्र0 73*

2. इन संस्थाओं को अपने कार्यों एवं उत्तर दायित्वों का निर्वाह करने के योग्य बनाने के लिये शक्ति एवं उत्तर दायित्व का यथार्थ हस्तान्तरण होना चाहिये।
3. इन निकायों को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के योग्य बनाने के लिये पर्याप्त संसाधनों का हस्तान्तरण होना चाहिये।
4. तीनों स्तरों पर सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों को केवल इन निकायों के माध्यम से ही पहुँचना चाहिये।
5. ग्रामीण स्थानीय शासन की जो व्यवस्था विकसित की जाये वह ऐसी हो कि भविष्य में इससे भी अधिक शक्ति और उत्तर दायित्वों का अन्तरण सरलता से किया जा सके।

समिति ने जिस त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया वह निम्नप्रकार से था –

ग्राम स्तर	–	ग्राम पंचायत
खण्ड स्तर	–	पंचायत समिति
जनपद स्तर	–	जिला परिषद

ग्राम पंचायत प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित संस्था थी जिसमें दो महिला सदस्यों तथा एक–एक अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों को शामिल किये जाने का सुझाव था।[1] पंचायतों के अनिवार्य कार्य पारिवारिक उपयोग के लिये जल आपूर्ति की व्यवस्था, सफाई, सार्वजनिक मार्गों, नालियों, तालाबो, आदि की व्यवस्था, गलियों, पुलों एवं नालियों का रख–रखाव प्राथमिक पाठशालाओं की निगरानी पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि निर्धारित किये गये थे।[2] इसके साथ ही किसी अन्य योजना या कार्यक्रम को लागू करने में पंचायतों को पंचायत समिति के अभिकरण के रूप में कार्य करना था।[3] पंचायतों के आय के साधन के रूप में सम्पत्ति अथवा गृहकर, बाजार हाट आदि पर कर, गाड़ी रिक्शा, नाव पशु आदि पर चुंगी

---

1. *वही प्र0 98*
2. *वही प्र0 18*
3. वही प्र0 18

मवेशीखाने से आय, क्षेत्र के अन्तर्गत बेचे जाने वाले पशुओं पर शुल्क और पंचायत समित से मिलने वाले अनुदान को शामिल किया गया था।[1]

पंचायत व्यवस्था के दूसरे स्तर विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति के स्थापना का सुझाव दिया गया।[2] समिति के अनुसार पंचायत समितियाँ खण्ड सलाहकार समितियों का स्थान लेगीं। क्षेत्र के विकास का दायित्व इन पंचायत समितियों पर होगा । पंचायत समिति के संगठन के सम्बन्ध में बलवन्त राय मेहता समिति का सुझाव था कि पंचायत समिति का संगठन ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। खण्ड के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के समूह को इकाई मानकर उनके सभी पंचों द्वारा निर्धारित संख्या में पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा। निर्वाचित सदस्यों द्वारा दो महिला सदस्यों का अनुमेलन किया जायेगा। यदि खण्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 5 प्रतिशत से अधिक है तो उनमें से एक–एक सदस्य का निर्वाचन न होने की दशा में अनुमेलन किया जायेगा। प्रशासन, सार्वजनिक जीवन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभवी दो स्थानीय व्यक्तियों को भी पंचायत समिति अनुमेलित कर सकती है। पंचायत समिति में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का दस प्रतिशत भाग खण्ड में कार्यरत सहकारी संगठनों के निवदकों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन या अनुमेलन से भरा जायेगा। खण्ड से संलग्न नगर पालिकाओं को भी पंचायत समिति में एक–एक प्रतिनिधि भेजनें का अधिकार होगा।[5] पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।[3] और इसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होगा।[4]

मेहता समिति ने पंचायत समिति के कार्यों में कृषि विकास, बीजों का चुनाव, संरक्षण एवं वितरण, सहकारी बैंकों एवं शासकीय सहायता के साथ स्थानीय कृषि वित्त की व्यवस्था, लघु सिंचाई का विकास, स्थानीय उद्योगों का विकास, पेय जल आपूर्ति, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य, औषधीय सहायता, स्थानीय तीर्थ स्थलों एवं उत्सवों के सम्बन्ध में व्यवस्था,

---

1. *वही प्र0 09*
2. *वही प्र0 10*
3. *वही प्र0 11*
4. *वही प्र0 15*

प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था और प्रशासकीय नियंत्रण, पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण, मजदूरी का निर्धारण, ग्राम पंचायतों की सड़कों को छोड़कर स्थानीय महत्व की सड़कों की मरम्मत और निर्माण तथा आँकड़ों का संगृह एवं रख–रखाव आदि कार्यों को शामिल किया था। समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई थी कि पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के किया कलापों में इनका मार्ग निर्देशन करेगी।

मेहता समिति के प्रतिवेदन में कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विकास का दायित्व पंचायत समिति का होगा। इसीलिये इसके आय के प्रचुर साधनों की व्यवस्था की गई थी। पंचायत समितियों को आय के निम्न स्रोत सौपें गये थे –

1. खण्ड के अन्तर्गत संग्रहित भू–राजस्व का विधि के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशत में यदि पंचायत समितियों की राय में अधिक अन्तर होने की सम्भावना हो तो राज्य स्तर पर संगठित भू–राजस्व का एक भाग राज्य की सभी पंचायत समितियों में समान रूप से वितरित किया जा सकता है। दोनों परिस्थितियों में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को दी जाने वाली राशि कुल भूमि राजस्व का 40 प्रतिशत से कम नही होना चाहिये।
2. भू–राजस्व लघु सिंचाई के लिये पानी की दर आदि पर कर।
3. व्यवसायों व व्यापार पर कर।
4. अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर।
5. सम्पत्ति से मिलने वाला लाभ और किराया।
6. टोल पट्टी से प्राप्त आय।
7. तीर्थ स्थानों पर कर।
8. मनोरंजन कर।
9. प्राथमिक शिक्षा पर कर।
10. मेलों, बाजारों व हाटों से प्राप्त आय।
11. मोटर गाड़ी कर का हिस्सा।
12. स्वैच्छिक दान।
13. शासन द्वारा दिया गया अनुदान।

बलवन्त राय मेहता समिति ने पंचायतों के तीसरे स्तर,, जनपद स्तर,, पर जिला परिषदों के गठन की संस्तुति की। मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद जनपद की पंचायत समितियों के मध्य समन्वयात्मक कड़ी के रूप में कार्य करेगी। समिति ने जिला परिषदों को पंचायत समितियों से सम्बद्ध करते हुये यह सुझाव दिया कि इसमें जिले कि पंचायत समितियों के अध्यक्ष, जनपद के समस्त विधायक तथा सांसद, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, अभियन्त्रण, शिक्षा, पिछड़े वर्ग का कल्याण, सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होने चाहिये। कार्य को शीघ्रता के साथ निपटाने के लिये जिला परिषद में स्थायी समितियों का भी निर्माण किया जाना चाहिये। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार जिला परिषद का कार्य प्रशासकीय नही होना चाहिये क्योकि इससे ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों के कार्य स्वतंत्रता का हनन होगा। जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट की जॉच करेगी और उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी।

पं0 जवाहर लाल नेहरू के सुझाव पर इस त्रिस्तरीय प्रशासन की प्रकिया का नाम पंचायती राज रखा गया। इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य ने 2 अक्टूबर 1959 को पूरे प्रदेश को जनवादी विकेन्द्रीकरण के अधीन लाने की पहल की। पूरे राज्य को 232 सामुदायिक विकास खण्डों में बाँट दिया गया और राज्य के विकास की जिम्मेदारी जनता और पंचायतों से प्रारम्भ कर ऊपर तक प्रतिनिधियों को सौंप दी। 1 नवम्बर 1959 को आन्ध्र राज्य ने सभी सक्रिय सामुदायिक विकास खण्डों और सारे जिले के जिला परिषदों में लोकप्रिय विकेन्द्रीकरण की यह योजना लागू कर दी।[1] इसके बाद दूसरे राज्यों ने भी इस ढाँचें को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू कर दिया।

पंचायत राज वित्त का अध्ययन दल 1962 :-

तीसरी पंचवर्षीय योजना की विशेष पृष्ठभूमि में पंचायती राज के संसाधनों को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया था। इस उद्देश्य से सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मन्त्रालय ने के0सन्थानम की अध्यक्षता में 1962 में पंचायत राज संस्थाओं के वित्त एवं संसाधनों

---

1. *एस0 के0 डे0 ,''पंचायती राज '(हिन्दी), राजकमल प्रकाश, दिल्ली, 1962, पृ0 74*

के अध्ययन हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया।[1] तीसरी पंचवर्षीय योजना के व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस अध्ययन दल को पंचायत राज संस्थाओं के संसाधनों एवं वित्त की समीक्षा करना और उपयुक्त अनुमोदन प्रस्तुत करना था।

1962 तक इस अध्ययन दल ने यह देखा कि लगभग सभी राज्यों ने पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की है अथवा इसके लिये मात्र कानून पारित किये हैं। यह आन्ध्रप्रदेश, आसाम, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर,, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में काम कर रहीं थीं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में अधिनियम पारित किये गये थे। केरल और पश्चमी बंगाल में 1960 से पहले ही अधिनियम पारित कर लिये गये थे। आधारभूत ढ़ाँचा सभी राज्यों में लगभग समान था, जिलापरिषदों को छोड़ कर। पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकरण का गहन अध्ययन करने के उपरान्त अध्ययन दल ने पंचायतों के संसाधनों के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये।[2]

1. गृह कर, व्यवसायकर और मोटर वाहनकर पंचायतों के अनिवार्य कर होने चाहिये।
2. अनिवार्य करों की अधिकतम और न्यूनतम दरें निर्धारित होनी चाहिये।
3. गृह कर मकान के पूंजीगत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
4. गृह कर में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये।
5. मकानों के मूल्यांकन के लिये एक स्वतंत्र अभिकरण स्थापित किया जाना चाहिये।
6. व्यवसाय कर की दरें आन्ध्र प्रदेश में इन्ही दरों के समान होनी चाहिये।
7. पंचायत समिति द्वारा साइकिल टैक्स निश्चित किया जाना चाहिये, मोटर के अतिरिक्त वाहनों पर वाहन कर लगाया जाना चाहिये।
8. समिति द्वारा तीर्थ कर लगाया जाना चाहिये।
9. प्रकाश एवं जल पर कर वैकल्पिक होना चाहये।
10. न्याय पंचायतों पर आने वाला व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये।
11. सार्वजनिक भूमि पंचायतों की होनी चाहिये।

---

1. *एन0 राजगोपाल राव, पूर्वोक्त, प्र0 47*
2. *एन0 राजगोपाल राव, प्र0 48–49*

12. मादक पदार्थों पर लिया जाने वाला शुल्क पंचायतों में बाँटना चाहिये।

पंचायतो के व्यय के सम्बन्ध में अध्ययन दल ने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये–[1]

1. प्रशासकीय व्यय पंचायत की सम्पूर्ण आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक पंचायत में एक वैतनिक सचिव और सफाई कर्मी हाना चाहिये।
3. जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाय।
4. विद्युतीकरण को गति प्रदान की जाय।

पंचायत समितियों के सम्बन्ध में जो सुझाव थे वे निम्न थे–

1. केन्द्र और राज्य से प्रति व्यक्ति एक रूपये का अनुदान,
2. वार्षिक अनुदान का पहले से निर्धारण,
3. प्राथमिक शिक्षा का पूरे अनुदान के साथ, जिला परिषदों को हस्तान्तरण,
4. सड़को के रख रखाव के लिये धन दिया जाना चाहिये।

पंचायती राज संस्थाओं के नाम 1964[2]

राज्य	पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
आन्ध्र प्रदेश	पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
आसाम	गाँव पंचायत	आंचलिक पंचायत	मोहकमा परिषद
बिहार	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
गुजरात	गाँव पंचायत	तालुका पंचायत	जिला पंचायत
जम्मू–कश्मीर	पंचायत	तालुका पंचायत	जिला पंचायत
जिला परिषद केरल	पंचायत	तालुका पंचायत	जिला पंचायत
मध्य प्रदेश	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत

1. *वही*
2. *वही, प्र0 49–50*

मद्रास	पंचायत	पंचायत यूनियन कानसिल	डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट काउन्सिल
महाराष्ट्र	पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
मैसूर	पंचायत	तालुका बोर्ड	डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट काउन्सिल
उड़ीसा	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
पंजाब	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
राजस्थान	पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
उत्तर प्रदेश	ग्राम पंचायत	क्षेत्र समिति	जिला परिषद
पं0 बंगाल	ग्राम पंचायत	आंचलिक परिषद	जिला परिषद

1963–64 तक पंचायती राज संस्थाये पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी. और प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र पूरी लगन एवं आशावादी दृष्ट्रिकोण के साथ नयी व्यवस्थाओं के साथ प्रयोग में संलग्न थी। किन्तु 1965 के बाद से पंचायत व्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है और 1977 तक आते–आते यह पूर्ण पराभव का शिकार हो जाती है। 1977 में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद स्व0 मोरार जी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी । इस सरकार ने पंचायत व्यवस्था को लोकतांत्रिक और आधुनिकीकृत सन्दर्भो में पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 में एक समिति का गठन किया।

अशोक मेहता समिति :–

जनता पार्टी सरकार ने दिसम्बर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की जिसका पूरा नाम था "कमेटी ऑन पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन" इस समिति के निम्न लिखित उद्देश्य थे [1]

---

1. *"रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन", नई दिल्ली, अगस्त 1978, प्र0 6*

1. राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का और जिला स्तर से ग्राम स्तर तक पंचायत राज संस्थाओं की प्रणाली का पुनिरीक्षण ताकि 'त्रुटियों व कमियों' का पता लगाया जा सके।
2. चुनाव प्रणाली सहित, पंचायत राज संस्थाओं के गठन पद्धति की जाँच करना तथा पंचायती राज व्यवस्था के कार्य निष्पादन पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन।
3. भविष्य में समेंकित ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका आदि के सम्बन्ध में सुझाव देना।
4. पंचायती राज संस्थाओं को अपनी भावी भूमिका निभाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से उनका पुनर्गठन एवं कमियों और त्रुटियों को दूर करने के उपाय सुझाना।
5. पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी प्रशासन तंत्र तथा ग्रामीण विकास में संलग्न सहकारी तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के बीच सहयोग पूर्ण सम्बन्धनों के विषय में सिफारिशें देना।
6. पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिये पर्याप्त धन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वित्त सम्बन्धी मामलों सहित, अन्य सिफारिशें देना।

इस समिति ने अगस्त 1978 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 132 सिफारिशें की गई थी। अशोक मेहता समिति का प्रधान मनतव्य यह था कि प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के लिये कार्य मुलकता आवश्यक है । जहाँ करोड़ो व्यक्तियों का सम्बन्ध है और जहाँ निर्धन लोगो की स्थिति सुधारने के लिये बहुत बड़ी संख्या में सूक्ष्म परियोजनायें बनाई ज़ा रही है, वहाँ प्रशासन का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। साथ ही जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिये लोकतांत्रिक पर्येवेक्षण की भी आवश्यकता होती है। अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के समबन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव निम्न है –

1. समिति का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति के स्थान पर द्विस्तरीय पद्धति का निर्माण किया जाय– जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा निचले स्तर पर मण्डल पंचायत समिति।[1]

---

1. *'रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन''*, *नई दिल्ली, अगस्त 1978 पृ0 58*

2. जिले को विकेन्द्रीकरण की धुरी माना जाय तथा जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केन्द्र बिन्दु बनाया जाय। जिला परिषद ही जिले के आर्थिक नियोजन का कार्य करेगीं समस्त विकास कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करेगी और निचले स्तर का मार्गदर्शन करेंगी।
3. अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर के नीचे ब्लाक को विकेन्द्रीकरण का स्तर नहीं माना और गाँव तथा ब्लाक के मध्य कई गावों के समूह को मण्डल के स्तर पर गठन करने पर बल दिया। ये मण्डल 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जायेगी।[1]
4. पंचायती राज संस्थायें समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यो का सम्पादन करेगीं।
5. जिलाधीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी अन्ततः जिला परिषद के अधीन रखे जायेंगे।
6. न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों के साथ नहीं लिया जाना चाहिये। यदि न्याय पंचायत की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश करें और निर्वाचित न्याय पंचायत को उनके साथ सम्बद्ध कर दिया जाय तो बेहतर होगा।
1. समिति ने पंचायत राज संस्थाओं के आवश्यक कर लगाने का अधिकार दिये जाने की सिफारिश की थी। समिति ने व्यवसाय कर,, मनोरंजन कर, भवन कर और भूमि कर लगाने की अनुशंसा की थी।
7. समिति का विचार था कि राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दलीय भेदभाव के आधार पर भंग नहीं किया जाना चाहिये, यदि अभिक्मण आवश्यक हो तो उसे भंग किये जाने के 6 माह के भीतर नया निर्वाचन हो। निर्वाचन की तिथि को राज्य सरकारें आगे के लिये न टाले।[2]

8. जिला परिषद में छः प्रकार के सदस्य होने चाहिये–

(क) विभाजित निर्वाचन खण्डों से निर्वाचित सदस्य,

(ख) पंचायत समितियों के अध्यक्ष,

(ग) पदेन सदस्य,

---

1. *वही प्र0 37, 38, 48, 177, 178*
2. *वही प्र0 180–181*

(घ) दो महिला सदस्य,

(च) नगर पालिकाओं के निर्दिष्ट व्यक्ति

(छ) दो अनुमेलित सदस्य जिनमें एक ग्रामीण विकास में रूचि रखता हो व एक विश्वविद्यालय अथवा महा विद्यालय में अध्यापक हो,

9. समिति की सिफारिश के अनुसार मण्डल पंचायतों में तीन प्रकार के सदस्य होने चाहिये–

(क) ग्राम और जनसंख्या के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचित 15 सदस्य,

(ख) कृषक सेवा समितियों के प्रतिनिधि,

(ग) दो अनुमेलित महिला सदस्य अथवा दो महिला सदस्य जिन्हें मण्डल पंचायत के निर्वाचन में सर्वाधिक मत मिला हो।

10. पंचायत राज संस्थाओं का निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जाना चाहिये।

11. पंचायती राज के लिये जन समर्थन प्राप्त करने हेतु समिति ने ऐच्छिक इकाइयों की भूमिका के महत्व को स्वीकार किया।

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु अशोक मेहता समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने के लिये 19दिसम्बर 1978 को अखिल भारतीय पंचायत परिषद के नवम् सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अत्यन्त आवश्यक बताते हुए कहा कि इसके लिये हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में व्यवस्था कर रखी है।[1]

अशोक मेहता समिति की इस रिपोर्ट पर अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी असहमति प्रकट की। 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश ने तत्कालीन त्रिस्तरीय पद्धति को जारी रखने के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किये। इसी प्रकार अन्य राज्यों ने भी

---

1. *जनवार्ता, वाराणसी, 20 दिसम्बर 1978, पृ0 6*

अपने–अपने सुझाव प्रस्तुत किये। प्रधान मंत्री ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की धोषणा की गई जो कि पंचायती राज संस्थाओं का स्तर ऊँचा उठाने और उन्हें कुशलता पूर्वक और लाभकर ढंग से कार्य करने के लिये एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाने के लिये राज्यों के मार्ग निर्देशन के लिये विधेयक तैयार करने का कार्य करेंगी सम्मेलन में अधिकांश राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अशोक मेहता समिति के सुझावों के प्रति असहमति व्यक्त की। सम्मेलन में तत्कालीन त्रिस्तरीय पद्धति के प्रति आम राय प्रकट की गई और अशोक मेहता के द्विस्तरीय मॉडल के प्रति असहमति व्यक्त की गई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी त्रिस्तरीय पद्धति पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुये इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करने का सुझाव दिया। कर्तव्य और वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्मेलन का निर्णय था कि इन संस्थाओं को विकास का बुनियादी साधन बनाने के लिए उसे और वित्तीय तथा अन्य अधिकार प्रदान किये जाये ताकि वे उचित ढंग से कार्य कर सकें।[1] अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नही की गई।

अस्सी के दशक के मध्य बदलती हुई परिस्थितियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज की भूमिका और महत्व को स्वीकार किया गया साथ ही इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हुए। योजना आयोग ने भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस बात पर विशेष बल दिया कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अपार वृद्धि के कारण इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये पंचायती राज के माध्यम से जनता की सहभागिता प्राप्त की जानी चाहिये। इस दिशा में 1984 में केन्द्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराये जाँय और उनकी कार्य शैली में सुधार किया जाय। इस दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिये सुझाव देने हेतु दो समितियों का गठन किया जाना– 1985 में जी0 के0 राव समिति व 1986 में एल0 एम0 सिंधवी समिति।

---

1. *दी टाइम्स ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली, 21 मई 1979, प्र0 1*

जी0 के0 राव समिति की रिपोर्ट :–

ग्रामीण विकास के लिये वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा के उद्देश्य से योजना आयोग द्वारा 1985 में जी0 के0 राव समिति का गठन किया गया। राव समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर राज्य की शक्तियों को हस्तान्तरित करने की आवश्कता पर बल देते हुए पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई जिसमें राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम सभा होगी। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राव समिति ने निम्न सुझाव दिये –

1. प्रत्येक गाँव के लिये एक ग्राम सभा होनी चाहिये जिसमें उस गाँव के सभी सदस्य मतदाता हों। ग्राम सभा की बैठक 6 माह में एक बार अवश्य हो।
2. ग्रामीण गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के पात्र व्यक्तियों आदि का चुनाव ग्राम सभा की बैठकों में किया जाना चाहिये।
3. विकास खण्ड के स्तर पर समेकित विकास की प्राचीन अवधारणा का पुनः प्रारम्भ किया जाना चाहिये।
4. खण्ड स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निर्मित पंचायत समिति जैसी संस्था भी होनी चाहिये जो जिला परिषद के मार्ग–निर्देशन में विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कियान्वयन के लिये उत्तरदायी हो।
5. मण्डल पंचायत अवथा पंचायत समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित होना चाहिये।
6. विकास खण्ड स्तर पर जो लाइन डिपार्टमेन्ट का कार्य करते हैं उन्हें पंचायत समिति के अधीन होना चाहिये।
7. पंचायत समितियाँ विकास खण्डों के लिये योजनायें तैयार करवायेंगी और जिला परिषद का अनुमोदन प्राप्त करेगीं। योजनाओं के कियान्वयन में पंचायत समितियों का कार्यकारी उत्तरदायित्व भी होगा।
8. वर्तमान ग्राम पंचायतों के स्थान पर कुल 15000 से 20,000 तक की जनसंख्या के गाँव समूह के लिये मण्डल पंचायत का गठन किया जाना चाहिये। यदि पंचायत

समिति का गठन नही किया जाता है तो मण्डल पंचायत कार्यकारी संस्था होगी जिसका कार्य अपने स्तर पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा जो इसे सौपें जायेगें।

9. राज्य सरकार ब्लाक स्तर पर सलाहकारी व समन्वयकारी संस्था के रूप में एक पंचायत समिति–मण्डल पंचायतों, ज़िला परिषदों, सहकारी संस्थाओं आदि से प्रतिनिधियों का चुनाव करके गठित कर सकती है। उनका कार्य भी विकास खण्डों के लिये योजनायें तैयार करना होगा।

10. पंचायत समिति और ग्राम/मण्डल समिति की एक उपसमिति होनी चाहिये। जिसमें मुख्यतः महिला सदस्य होनी चाहिये। इस उपसमिति का काम प्रौढ़ शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कार्यकमों पर विचार करना तथा उनको कियान्वित करना होगा।

11. जिला स्तर पर विशेष रूप से विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र में जिला स्तर पर जिला परिषद जैसी संस्था होनी चाहिये। इन संस्थाओं में 30,000 से 40,000 तक की जनसंख्या पर एक निर्वाचित सदस्य होना चाहिये। जिला सहकारी बैंक, शहरी, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विधान सभाओं, संसद के सदस्यों, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं तथा निर्धन वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधि इन संस्थाओं में होने चाहिये। जिला परिषद का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होना चाहिये। इन संस्थाओं की कार्यावधि विशेष परिस्थिति में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ायी जानी चाहिये और इस अवधि में चुनाव अवश्य करा लिये जाने चाहिये अध्यक्ष पद के लिये जिला परिषद के सदस्यों में से चुनाव किया जा सकता है। राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में विकल्प के तौर पर महापौर प्रणाली भी अपनायी जा सकती है। इन दोनों ही स्थितियों में अध्यक्ष और यदि आवश्यक हो तो उपाध्यक्ष के लिये चुनाव अन्तरणीय एकल प्रणाली से किया जा सकता है।

12. जिला स्तर पर सभी विकास विभाग उसके अधीनस्थ कार्यालय स्पष्ट रूप से जिला परिषद के अधीन होना चाहिये। इन विभागों के योजनागत व योजना स्तर बजट और जिला स्तर और इससे नीचे के स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न

विशेष योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि जिला बजट का अंग होना चाहिये।

13. राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद गठित की जानी चाहिये। राज्य सरकार के सभी मंत्री व जिला परिषदों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य और विकास आयुक्त इसके अधीन सचिव होगें।

यद्यपि राव समिति की रिपोर्ट में प्रजातंत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक प्रभावी योजना प्रस्तुत की गई थी, किन्तु ये सिफारिशें भी लागू नहीं की जा सकीं।

एल0 एम0 सिंधवी समिति की रिपोर्ट 1986 :-

16 जून 1986 को पंचायती राज सम्बन्धी संकल्पना प्रपत्र तैयार करने के लिये ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार ने सिंधवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 नवम्बर 1986 को प्रस्तुत की। इस समिति ने पंचायतों का अवलोकन व मूल्यांकन करने के उपरान्त पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की –

1. संगत मापदण्ड के आधार पर गॉवों को पुनर्गठित किया जाये और सक्षम ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिये सामूहिक रूप से उन्हें समूहित तथा बड़ा किया जाये।
2. पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन प्रणाली का अंग माना जाये तथा पंचायतों के अधीन विकास कार्यो में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाये।
3. पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में संशोधन कर संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया जाय।
4. प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज न्यायिक अभिकरण की स्थापना के लिये प्रावधान किया जाय, जो चुनावों निलम्बनों अधिक्रमणों विघटनों तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्य तथा निर्वाचित कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित अन्य मामलों में विवाद का निर्णय करे।
5. पंचायती निकायों के लिये नियमित चुनाव सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक प्रावधान किया जाय और यह कार्य आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था के

माध्यम से भारत के निर्वाचित आयोग को सौंप दिया जाना चाहिये।

6. पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये आर्थिक संसाधनों की खोज की जाये।

7. कर और शुल्क लगाने की शक्तियाँ पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाये जिनमें ऐसा प्रावधान किया जाये कि एक निर्धारित अवधि तक राज्य सरकारें पंचायती राज की ओर से कर वसूल करेंगीं तथा प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनमें वितरित करेंगी।

8. संविधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गये वित्त आयोग तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिये पर्याप्त प्रावधान किया जाय।

9. विभिन्न ग्रामीण विकास तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिये आवंटित किये गये संसाधनों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय जिससे उन्हें शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त हो सके।

10. स्वशासन तथा विधि शासन की सामाजिक आदतों के विकास के लिये न्याय पंचायतों का योगदान बहुमूल्य है। न्याय पंचायतों को अधिनिर्णय के साथ–साथ मध्यस्थता तथा समझौते आदि का कार्य भी सौंपा जाये।

11. उच्च चरित्र वाले व पंचायती राज संस्थाओं से सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों को पंचायती राज अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए रखा जाय। कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के महत्व की जानकारी दी जाय तथा उनके प्रति इन्हें उत्तदायी बनाया जाये।

12. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय स्वशासन संस्थाओं के जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाये तथा उन्हें पंचायती राज तथा शहरी संस्थाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान की जिम्मेदारी सौंपी जाये।

सरकारिया आयोग 1988 :–

सरकारिया आयोग ने भी केन्द्र राज्य सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह अनुभव किया कि अधिकांश स्वायत्तशासी निकायों द्वारा इस समय प्रभावी रूप से कार्य नही किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इनके चुनाव नियमित रूप से नहीं कराये जाते हैं और इन

निकायों का अधिक्रमण सारहीन आधारों पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकारिया आयोग ने कार्यवाही के जिन विकल्पों का सुझाव दिया वे निम्न हैं–

1. सभी राज्य विधान मण्डलों को राज्यों की आम राय प्राप्त करने के बाद बनाये जाने वाले मॉडल बिल के आधार पर कानून बनाना चाहिये।
2. संसद को राज्य विधान मण्डलों की सहमति से कानून बनाना चाहिये।
3. स्थानीय शासन के विषय को संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया जाय और तत्पश्चात संसद द्वारा उपयुक्त कानून पारित किया जाना चाहिये।
4. सरकारिया आयोग की एक समिति ने यह सुझाव दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिये और जिले के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढ़ाँचे का आधार ग्राम पंचायतों को बनाया जाना चाहिये।

पी० के० थुंगन उप समिति :–

सन 1988 में ही पी० के० थुंगन की अध्यक्षता में कार्मिक लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति का गठन किया गया और इस उपसमिति को यह विचार करने का दायित्व सौंपा गया कि जिला स्तर की आयोजना के लिये जिले में किस प्रकार की राजनीति एवं प्रसाशनिक संरचना स्थापित की जानी चाहिये। समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिये और इनके नियमित तथा समयानुसार निर्वाचन की संवैधानिक व्यवस्था की जानी चाहिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिये। साथ ही समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि जिला परिषद को केवल आयोजना और विकास से ही सम्बन्धित होना चाहिये।

चौसठवाँ संविधान संशोधन विधेयक 1989:–

पंचायती राज के माध्यम से विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन की स्थापना के लिये दशकों की विचार–विमर्श, क्रिया–प्रतिक्रिया, समितियों व आयोगों के प्रतिवेदनों के उपरान्त केन्द्र सरकार नें निर्णायिक कदम उठाने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप 15 मई 1989 को लोक सभा में 64 वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को प्रजातांत्रिक

विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे–

1. प्रत्येक राज्य के लिये यह अनिवार्य किया जाना कि वे ग्राम, मध्य स्तर व जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना करें। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम हो वे मध्य स्तर पर पंचायत की स्थापना के लिये बाध्य नहीं होंगे।
2. सभी स्तर की सभी सीटें सीधे निर्वाचन से भरी जायेंगी।
3. अनुसूचित जाति, जन जाति व महिलाओं के समुचित प्रतिधित्व हेतु उनके लिये स्थान के आरक्षण का प्रावधान था।
4. पंचायतों के लिये 5 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करना। यदि वे समय से पहले भंग की जाती है तो छः माह के भीतर शेष बचे हुये काल के लिये पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था हो।
5. विधेयक द्वारा राज्य द्वारा विधायी शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को, योजना बनाने तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में, ग्राम पंचायतो को हस्तान्तरित करने का प्रावधान था।
6. पंचायतों के लिये सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था करना और राज्य के संचित निधि से अनुदान देने की व्यवस्था को निश्चित करना।
7. प्रत्येक राज्य के लिये हर पाँच वर्ष पर वित्त आयोगों के गठन एवं राज्य विधानमण्डल को अनुशंशा के सम्बन्ध में प्रावधान करना।
8. पंचायतों के तीनों स्तरों के चुनाव का दायित्व निर्वाचन आयोग को सौंपने का प्रावधान।
9. भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक को यह शक्ति प्रदान करना कि वे पंचायतों के लेखा की जाँच की समुचित व्यवस्था कर सके।
10. कुछ राज्यों और क्षेत्रों को विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस विधेयक को लागू करने से मुक्त रखना।
11. पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 विषयों को सम्मिलित करते हुए संविधान में एक और अनुसूची (ग्यारहवीं) अनुसूची जोड़े जाने का प्रावधान।

यद्यपि संविधान का 64 वाँ संविधान संशोधन विधेयक ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को और अधिक गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था किन्तु दुर्भाग्यवश यह संशोधन विधेयक पारित नही हो सका क्योकि राज्य सभा द्वारा इसका अनुमोदन नही किया गया।

तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन 1992 :–

समितियों वर्कशॉप और सम्मेलनों में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया। ऐसा करना पंचायती राज के प्रति उपेक्षा और राज्य सरकारों के स्वेच्छाचारी निर्णयों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये आवश्यक समझा गया। परिणाम स्वरूप संसद ने 22 दिसम्बर 1992 को ऐतिहासिक 73 वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित कर पंचायती राज को नयी दिशा देने का प्रयास किया। 17 राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के उपरान्त 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात 24 अप्रैल 1993 को यह 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद तथा 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं –

1. 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होगी।
2. पंचायती राज संस्थाओं के सभी अंगों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। समय से पूर्व भंग होने की दशा में शेष अवधि के लिये छः माह के भीतर चुनाव का प्रावधान है।
3. पंचायत के लिये मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव प्रक्रिया की देख–रेख, निर्देश एवं नियन्त्रण के लिये स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को दायित्व सौंपा जायेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों, जनसंख्या के अनुपात में व महिलाओं के लिये एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था होगी।
5. पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की देख–रेख के लिये प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है।
6. पंचायती राज संस्थायें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये नियोजन बना सकती हैं।
7. पंचायती राज के अंकेक्षण के लेखा–जोखा का दायित्व राज्य सरकार को दिया गया है।
8. पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। पंचायतें पथकर और शुल्क आदि से अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं।

इस संशोधन अधिनियम में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि अब वे इस संशोधन के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के विकास की दिशा में उचित कदम

उठायेंगी इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था का पुनर्गठन किया। कुछ राज्यों ने इस दिशा में संविधिक संशोधन किये जैसे– आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, प0 बंगाल और केरल आदि।

उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से प्रारम्भ होती है। 73 वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ जिसमें संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य को तीनों स्तर की पंचायत संस्थाओं में एकरूपता लाने, पंचायतों का संगठन, संरचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिये आरक्षण, पंचायतों के निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कार्य, शक्तियों एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में व्यापक व्यवस्था की गई है। इस नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पंचायत संस्थाओं के पहले चुनाव अप्रैल–मई 1995 में सम्पन्न हुए। 5 वर्ष का एक कार्यकाल पूरा कर लेने के उपरान्त दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचन मई–जून 2000 में समयानुसार सम्पन्न हो चुके हैं।

अध्याय-तीन

नयी पंचायती राज व्यवस्था का संगठन एवं स्वरूप

अध्याय :- तीन

नयी पंचायती राज व्यवस्था का संगठन एवं स्वरूप

73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था की संरचना के लिये उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधक) अधिनियम 1994 पारित किया जिसके द्वारा प्रदेश में पंचायत व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना को नया स्वरूप प्रदान किया गया। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था के निम्न तीन स्तर है –

1. ग्राम स्तर – ग्राम पंचायत
2. ब्लाक स्तर – क्षेत्र पंचायत
3. जनपद स्तर – जिला पंचायत

I

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर की इकाई है। राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम के या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम पंचायत घोषित करेंगी। ग्राम पंचायत पहले ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति थी किन्तु अब यह ग्राम स्तर पर स्वशासी निगमित निकाय है जबकि ग्राम सभा अब ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर उस ग्राम सम्बन्धित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय मात्र है। पहले ग्राम सभा का प्रधान होता था जो पदेन ग्राम पंचायत का भी प्रधान होता था किन्तु अब प्रधान ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा और वह ग्राम सभा का पदेन प्रधान होगा।

पहले ग्राम सभा 250 की आबादी पर गठित हो जाती थी किन्तु अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि सरकार जहॉ तक सम्भव हो एक हजार की आबादी पर किसी ग्राम

या ग्राम समूह को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।[1]

पंचायतो के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निम्न लिखित निर्देश भी जारी किये गये हैं–

1. किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र का पुनर्गठन करते समय किसी राजस्व ग्राम या इसके मजरे को तोड़ा नहीं जायेगा।[2]
2. किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में केवल ऐसे ग्राम या मजरों को सम्मिलित किया जायेगा जो भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से निकटस्थ हों तथा समान दूरी होने पर कम जनसंख्या वाली ग्राम सभा में संविलयन किया जाय।
3. ऐसे मजरे या ग्रामों को किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित करने मे यह ध्यान रखा जाय कि इसके मध्य किसी दूसरी ग्राम पंचायत का कोई प्रादेशिक क्षेत्र न पड़ता हो।
4. ऐसे मजरों या राजस्व ग्रामों के बीच में कोई प्राकृतिक नदी या नाला, पहाड़ या अन्य कोई अवरोध उनके आवागमन में बाधक न हो।
5. ऐसे पंचायत क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम या मजरे के नाम से ही उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र को जाना जायेगा।

सदस्य :–

प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या एक हजार तक हो, 9 सदस्य होगें, एक हजार से अधिक किन्तु दो हजार से अनधिक हो, ग्यारह सदस्य होगें, दो हजार से अधिक किन्तु तीन हजार से अनधिक हो, 13 सदस्य होंगे या तीन हजार से अधिक जनसंख्या होने पर 15 सदस्य होंगे।[3] ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो।[4] ग्राम

---

1. *पंचायती राज अधिनियम 1947 संशोधित द्वारा उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 की धारा 11 (च)*
2. *वही*
3. *वही, धारा 12 (1) ग*
4. *वही, धारा 12 (1) घ*

पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।[1]

ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सदस्यों के लिये अनर्हता :-

कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिये अनर्ह होगा, यदि[2] –

1. वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो किन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
2. वह ग्राम पंचायत या किसी न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो।
3. वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम के अधीन लाभ का पद धारण करता हो।
4. वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो।
5. उस पर ऐसी अवधि के लिये जैसी नियत की जाय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क जो कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने कि अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो।
6. वह अनुन्योचित दिवालिया हो।
7. वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
8. उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लघंन किये जाने के कारण 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।

---

1. *वही, धारा 12 (1) ङ.*
2. *वही, धारा 5 (क)*

9. उसे ऐसेन्शियल सप्लाइज (टेम्पोरेटी पावर्स) एक्ट, 1946 या यू0पी0 कन्ट्रोल ऑफ सप्लाई (टेम्पोरेटी पावर्स) एक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लघंन करने के कारण 6 मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो।
10. उसे उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।
11. उसे स्वास्थ्य औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
12. उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
13. उसे उत्तर प्रदेश सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

किन्तु उक्त 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, व 13 के अधीन अनर्हता कि अवधि ऐसे दिनाँक से जिसे नियत किया जाये, 5 वर्ष होगी प्रतिबन्ध यह है कि जैसी भी स्थिति हो, बकाये का भुगतान कर दिये जाने पर या अभिलेख या सम्पत्ति दिये जाने पर उक्त भाग 5 के अधीन अनर्हता नहीं रह जायेगी।

निर्वाचन :–

ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सदस्यों का निर्वाचन नियत रीति से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कराया जायेगा। पंचायतो के निर्वाचन के लिये एक प्रथक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, अधीक्षण द्वारा तथा नियन्त्रण में ही पंचायत चुनाव होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को जो कि राज्य पाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा हटाने के लिये उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है।

निर्वाचन नामावली:–

ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली,

राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तैयार की जायेगी।[1] निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित हो जाने के बाद उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी, नामावली तैयार करने के वर्ष में जिसने पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकरण का हकदार होगा। किन्तु निम्न अनर्हतायें होने पर ऐसा नहीं हो सकेगा –

1. वह भारत का नागरिक न हो,
2. विकृतचित्त हो (सक्षम न्यायालय की घोषणा के आधार पर),
3. निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया गया हो।

आरक्षण :–

नयी पंचायत व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ग्राम पंचायत के प्रधान पद तथा पंचायत सदस्यों के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या के यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का अनुपात राज्य की जनसंख्या से है।[2] किन्तु साथ ही यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 21.25 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 0.21 प्रतिशत, पिछड़ी जाति लगभग 45 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछडे. वर्ग के आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद यथास्थिति इन्ही वर्गों की महिलाओं के लिये

---

1. *वही धारा 9*
2. *वही धारा 11 (क) उपधारा 2.*

आरक्षित होंगे।[1] इसी प्रकार प्रधानो के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद जिसमें अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या भी शामिल है, महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।[2] आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों मे चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम मे जैसा नियत हो, अवधि किये जायेंगे।[3] यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और महिलाओं के अनारक्षित पदों पर निर्वाचन हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सदस्यों हेतु अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान इस प्रकार आरक्षित किये जाने हैं कि आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात ग्राम पंचायतों में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जंनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवण्टित किये जायेंगे, जैसा कि नियत किया जाय।[4] इन स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित पद भी इन्ही वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।[5] साथ ही ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित पद भी सम्मिलित होंगे।[6] ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाय। ग्राम पंचायत में आरक्षित स्थान

---

1. *वही, धारा 11 (क) उपधारा 3*
2. *वही, धारा 11 (क) उपधारा 4*
3. *वही, धारा 11 (क) उपधारा 5*
4. *वही, धारा 12 उपधारा 5 (क)*
5. *वही, धारा 12 उपधारा 5 (ख)*
6. *वही, धारा 12 उपधारा 5 (ग)*

उस ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित क्रम में आवण्टित किये जायेंगे।[1]

(क) अनुसूचित जनजातियों की महिलायें

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ

(ग) अनुसूचित जातियों कि महिलायें

(घ) अनुसूचित जातियाँ

(ड.) पिछड़े वर्गों की महिलायें

(च) पिछड़े वर्ग के लोग

(छ) महिलायें

ग्राम पंचायत का कार्यकाल :-

संविधान के अनुच्छेद 243(ड़) तथा 243(6) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और ग्राम पंचायत के संघटन से पूर्व निर्वाचन करवाना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक ही सीमित रहेगा। राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत संयुक्त समिति अथवा न्याय पंचायत को विघटित कर सकती है यदि उस संस्था ने अपनी हैसियत का दुरूपयोग किया हो या अपने कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की हो या उसका बना रहना जनहित में न हो। किन्तु उसके विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि से पूर्व निर्वाचन करा लिया जाना चाहियें किन्तु जहाँ विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि 6 माह से कम हो वहाँ निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति न होने पर ग्राम पंचायत बनी रहती।[2]

ग्राम प्रधान को अपदस्थ करने के लिये अविश्वास प्रस्ताव :-

ग्राम प्रधान को उसके पद से अपदस्थ करने के लिये ग्राम सभा के आधे सदस्यों

---

1. *उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवण्टन) नियमावली 1994, धारा 4*
2. *उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947, उ0प्र0 पंचायती राज विधि (संशोधन अधिनियम, धारा 12, उप धारा 3 (क) (ख) (ग)*

के हस्ताक्षर से एक लिखित नोटिस जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जायेगी। इस नोटिस में उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिसके कारण प्रधान को हटाया जाना आवश्यक है। नोटिस पर हस्ताक्षर करने वालों में कम से कम 3 सदस्य स्वयं उपस्थित होकर इसे जिला पंचायत राज अधिकारी को देंगे। नोटिस मिलने के 30 दिन के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुलायेगा और बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी। ग्राम सभा अपनी बैठक में दो तिहाई बहुमत से ग्राम प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर अपदस्थ कर सकती है। प्रधान को हटाने के लिये कोई बैठक उसके निर्वाचन के दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी। यदि अविश्वास की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो पाती है या प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता तो उसी प्रधान को हटाने के लिये दोबारा बैठक दो वर्ष तक नहीं बुलायी जा सकती।[1]

प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति का भरा जाना :-

ग्राम प्रधान की मृत्यु होने या उसे पद से हटाये जाने या त्याग पत्र देने अथवा अन्य किसी कारण से प्रधान का पद रिक्त होने की दशा में छः माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व शेष कार्यकाल के लिये निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य है।[2]

उप प्रधान :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उपप्रधान होगा जिसे ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से निर्वाचित किया जायेगा जो नियत की जाय।[3] प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उनके अधीन नियत समय के भीतर उप प्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे, तो विहित प्राधिकारी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को उप प्रधान नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक रूप से निर्वाचित समझा जायेगा। उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिये उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा, जिस प्रक्रिया का अनुसरण प्रधान को अपदस्थ करने के लिये किया जाता है।

---

1. *वही, अनुच्छेद 14, उपधारा 1, 2 व 3*
2. *वही, धारा 12 (ज)*
3. *वही, धारा 11 (ग)*

बैठक :–

कार्य सम्पादन के लिये ग्राम पंचायत की बैठकें समान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नही होगा।[1] साधारणतया बैठक उस गॉव में बुलाई जायेगी जहाँ ग्राम सभा का कार्यालय स्थित हो। यह बैठक ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जायेगी। ग्राम पंचायत के बैठक की सूचना बैठक से कम से कम पाँच दिन पूर्व चौकीदार या चपरासी के माध्यम से प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी और ग्राम पंचायत की अधिकारिकता के अन्तर्गत सहजदृश्य स्थान पर नोटिस की प्रतिलिपि चिपकाकर प्रकाशित की जायेगी।[2] ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति रहने पर उप प्रधान आहूत कर सकता है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहे तो प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अन्दर बैठक बुलानी होगी[3] यदि प्रधान बैठक नहीं बुलाता है तो निर्धारित अधिकारी बैठक बुला सकता है।[4]

कोरम :–

ग्राम पंचायत की बैठक के लिये प्रधान व उप प्रधान को शामिल करते हुए पंचायत सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति बैठक का कोरम मानी जायेगी। यदि कोरम के पूरा न होने पर बैठक नहीं होती है तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें कोरम की आवश्यकता नही होगी।[5]

अध्यक्षता :–

सामान्य रूप से ग्राम पंचायत के बैठकों की अध्यक्षता प्रधान करेगा उसके

---

1. *वही, धारा 12 (ख)*
2. *उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947, नियम 37*
3. *वही, नियम 33*
4. *वही, नियम 33 (क)*
5. *वही, नियम 35*

उपस्थित न होने पर उप प्रधान व इन दोनो के मौजूद न रहने पर प्रधान द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान ने इस सम्बन्ध में किसी को मनोनीत नहीं किया है तो यह कार्य विहित अधिकारी करेगा। यदि ग्राम प्रधान व विहित अधिकारी दोनो ही किसी सदस्य को मनोनीत न कर पाये हो तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिये ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को चुन सकते हैं।[1]

ग्राम प्रधान के कर्तव्य :–

ग्राम पंचायत के निम्न कर्तव्य होंगे[2] –

1. क. ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की सभी बैठकों को आयोजित करना तथा अध्यक्षता करना।

   ख. बैठकों में कारबार के संव्यवहार को नियत्रिंत करना तथा व्यवस्था बनाये रखना।
2. ग्राम पंचायत के वित्त की निगरानी करना, प्रशासन का अधीक्षण करना और उसमें किसी व्यतिक्रम को ध्यान में लाना,
3. ग्राम पंचायत द्वारा पोषित संस्थापन का अधीक्षण करना तथा उस पर नियंत्रण रखना,
4. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना,
5. नियमावली के अधीन उपबन्धित विभिन्न रजिस्टरों को बनाये रखने के लिये व्यवस्था करना तथा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की ओर से पत्राचार करना,
6. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिये और ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित करें, शुल्को तथा फीस के निर्धारण तथा वसूली के लिये व्यवस्था करना,
7. ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की ओर से सिविल वाद दाखिल करना और अभियोजना प्रारम्भ करना,
8. ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वाहन करना जो अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा या से अधीन अपेक्षित हों या उस पर अधिरोपित हों।

---

1. *वही, नियम 46*
2. *वही, नियम 47*

ग्राम सभा :–

राज्य सरकार किसी ग्राम के लिये या ग्रामों के समूह के लिये एक ग्राम सभा की स्थापना सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा करेगी किन्तु यदि ग्राम सभा की स्थापना ग्रामों के समूहों को मिलाकर की जायेगी तो ग्रामों के समूहों में से जिस ग्राम की जनसंख्या सबसे अधिक होगी उसी के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जायेगा।[1] ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज सभी लोग सदस्य होते हैं।

बैठक :–

प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष दो सामान्य बैठकें होंगी। एक बैठक खरीफ की फसल के तुरन्त बाद होगी जो खरीफ की बैठक कही जायेगी। इसी प्रकार दूसरी बैठक रबी की फसल काटने के तुरन्त बाद हेागी जो रबी की बैठक कही जायेगी। इन बैठकों की अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान करेगा।[2] इसके अलावा प्रधान, विहित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से माँग किये जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की माँग पर, ऐसी माँग के दिनाँक के तीस दिन के अन्दर किसी भी समय एक असाधारण सामान्य बैठक बुला सकता है।[3] ग्राम सभा की समस्त बैठकों का समय एवं स्थान निर्धारित रीति से प्रकाशित किया जायेगा। बैठक की गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 1/5 भाग का उपस्थित होना अनिवार्य है।[4]

कार्य :–

ग्राम सभा निम्न मामलों पर विचार कर ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है।[5]

---

1. *उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947, संशोधित द्वारा उ0प्र0 पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 धारा 3*
2. *वही, धारा 11 (1)*
3. *वही*
4. *वही, धारा 11 (2)*
5. *वही, धारा 11 (3)*

क– ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिये उत्तर, यदि कोई हो,

ख–पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विशेष कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिये जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट,

ग–ग्राम में सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि,

घ–ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम,

च–ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किया जाये,

इस सम्बन्ध में प्रावधान यह है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों पर सम्यक विचार करेगी।[1] साथ ही ग्राम सभा निम्न कार्यों का भी सम्पादन करेगी[2] –

1. सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना,
2. ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये लाभार्थी की पहचान,
3. ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुँचाना।

<u>ग्राम पंचायत के कार्य</u> :–

उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 संशोधित द्वारा उ0प्र0 पंचायती राज्य विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के धारा 15 में ग्राम पंचायतों के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी –

<u>1.कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है</u> :–

क–कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति।

ख–बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास और उसके अनधिकृत संकमण और प्रयोग की रोकथाम करना।

---

1. *1वही, धारा 11 (4)*
2. *वही, धारा 11 (5)*

2.भूमि विकास, भूमिसुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण :–

क– भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेन्सियों की सहायता करना।

ख– भूमि चकबन्दी में सहायता करना।

3.लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास :–

क–लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना।

ख–लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जलपूर्ति का विनियमन।

4.पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन :–

क–पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों में सुधार करना।

ख–दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति।

5.मत्स्य पालन :–

∵ गाँवों मे मत्स्य पालन का विकास करना:–

6.सामाजिक और कृषि वानिकी :–

क–सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षा रोपण और परिरक्षण।

ख–सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।

7.लघु वन उत्पाद :–

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।

8.लघु उद्योग :–

क–लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना ।

ख–स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति।

9.कुटीर और ग्राम उद्योग :–

क– कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना।

ख– कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति।

10. ग्रामीण आवास :–

क– ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

ख– आवास–स्थलों का विवरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

11.पेय जल :–

पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण के लिये सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण के श्रोतों का विनियमन।

12.ईंधन और चारा भूमि :–

क– ईंधन और चारा भूमि से सम्बन्धित घास और पौधों का विकास।

ख– चारा भूमि के अनियमित अन्तरण पर नियंत्रण।

13.सड़कें, पुलियों, पुलों, नौका घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :–

क– ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौका घाटों का निर्माण और अनुरक्षण।

ख– जल मार्गों का अनुरक्षण।

ग– सार्वजनिक स्थानों पर से अधिक्रमण का हटाना।

14.ग्रामीण विद्युतीकरण :–

सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना।

15.गैर पारम्परिक उर्जा श्रोत :–

ग्राम में गैर परम्परागत उर्जा श्रोतों के कार्यक्रमों का विकास, प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण।

16. गरीबी उपशमन कार्यक्रम :–

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कियान्वयन।

17. शिक्षा :–

शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना।

18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :–

ग्रामीण कला एवं शिल्पकारों की प्रोन्नति।

19. प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा :–

प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति।

20. पुस्तकालय :–

पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और अनुरक्षण।

21:–खेल कूद और सांस्कृतिक कार्य :–

क–सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया–कलापों की प्रोन्नति।

ख–विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन।

ग–खेलकूद के लिये ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण।

22.बाजार और मेले :–

पंचायत क्षेत्र में मेलों बाजारों और हाटों का विनियमन।

23.चिकित्सा और स्वच्छता :–

क–ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति।

ख–महामारियों के विरूद्ध रोकथाम।

ग–मनुष्य और पशु टीकारण के कार्यक्रम।

घ–छुट्टा पशु और पशुधन के विरूद्ध निवारक कार्यवाही।

ड.–जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण।

24.परिवार कल्याण :–

परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन।

25.आर्थिक विकास के लिये योजना :–

ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना।

26.प्रसूति और बाल विकास :–

क–ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

ख–बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

27.समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगो और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याणभी है :–

क–वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना।

ख–विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना।

28.कमजोर वर्गों और विशष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का कल्याण :–

क–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

ख–सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन।

29.सार्वजनिक वितरण प्रणाली :–

क–अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति।

ख–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण।

30.सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण :–

उक्त कार्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्न में से किसी या सभी कार्यों को ग्राम पंचायत को सौंप सकती है (धारा 16)–

1.पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण।

2.पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थिति सरकार की बंजर भूमि, चरागाह, ऊसर भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था ।

3.किसी कर या भूराजस्व का संग्रह और संम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

ग्राम पंचायत की समितियाँ :–

ग्राम पंचायत अपने कार्यों में सहायताके लिये 6 समितियों का गठन करेगी। इन समितियों को ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार अपने सभी कार्यों या किन्ही कार्यो को करने के लिये सौंप सकती है। ऐसी प्रत्येक समिति में एक सभापति तथा 6 अन्य सदस्य होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से नियत नीति से निर्धारित किये जायेंगे। किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि प्रधान या उप प्रधान या ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा।[1] ये 6 समितियाँ निम्न लिखित हैं–

1. नियोजन एवं विकास समितिः– इस समिति का कार्य ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना, कृषि, पशुपालन तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का संचालन करना है।
2. शिक्षा समितिः– शिक्षा समिति का कार्य है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्य करना।
3. निर्माण कार्य समितिः–गाँव में सभी प्रकार के निर्माण कार्य करवाना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना इस समिति का दायित्व है।
4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समितिः– इस समिति का दायित्व है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण के लिये कार्य करना है।
5. प्रशासनिक समितिः– इस समिति के अधीन जो विषय हैं, वे हैं– कर्मियों सम्बन्धी समस्त विषय तथा राशन की दुकान सम्बन्धी कार्य।
6. जल प्रबन्धन समितिः– जल प्रबन्धन समिति द्वारा राजकीय नलकूपों का संचालन तथा पेय जल सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगें।

---

1. *उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 की धारा (3) द्वारा प्रतिस्थापित (दि0 29–7–99 से प्रभाव) उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 29*

ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर्मी :–

विकेन्द्रीकरण की नई व्यवस्था में ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं की गाँव में उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बहुउंद्देश्यीय कर्मी तैनात किया गया है, जिसे "ग्राम पंचायत विकास अधिकारी" का नाम दिया गया है। निम्नलिखित आठ विभागों के कर्मचारी, पंचायतों के अधीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (बहुउददेश्यीय कर्मी) बनाये गये हैं–

विभाग कानाम	**कर्मी का पद नाम**
1. ग्राम्य विकास विभाग	ग्राम विकास अधिकारी
2. पंचायती राज विभाग	ग्राम पंचायत अधिकारी
3. कृषि विभाग	किसान सहायक
4. चिकित्सा विभाग	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकत्ता
5. सिंचाई विभाग–	क–नलकूप चालक ख–सींचपाल (नलकूप) ग–सींचपाल (नहर)
6. समाज कल्याण विभाग	ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
7. गन्ना विभाग	गन्ना पर्यवेक्षक
8. भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग	सभादेश प्रक्षेत्र विकास अभिकरण के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, निरीक्षक एवं सींचपाल पर्यवेक्षक

इनके अतिरिक्त निम्न चार विभागों के कर्मी पंचायतों के अधीन किये गये हैं किन्तु वे बहुउददेश्यीय कर्मी नहीं हैं–

1. बेसिक शिक्षा विभाग	–	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत कार्यरत प्रधानाध्यापक / शिक्षक

		तथा अनुदेशक
2. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	ए0 एन0 एम व दाई
3. महिला कल्याण विभाग	–	आगन बाड़ी कार्यकत्री व सहायिका
4. पशुधन विभाग	–	पशुधन प्रसार अधिकारी

यदि ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात है तो वह ग्राम पंचायत का सचिव होगा। यदि एक से अधिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात हैं तो उनमे से एक को ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य ग्राम–पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके प्रदत्त किया जायेगा।

ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था :–

किसी भी प्रकार की सरकार का संचालन चाहे वह केन्द्रीय हो, प्रान्तीय हो या स्थानीय हो बिना सम्यक वित्तीय संसाधनों के सम्भव नहीं है। केवल राजनीतिक शक्तियों के हस्तान्तरण मात्र से विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिये आर्थिक वित्तीय शक्तियों का हस्तान्तरण भी अपरिहार्य है। अस्तु नवीन पंचायती राज व्यवस्था में भी, उसके कार्यों के समुचित सम्पादन के सन्दर्भ मे वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रमुख प्रावधान निम्न है –

1. कर और फीस का आरोपण :–

ग्राम पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले करों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि गाम पंचायत एतद्पश्चात् दिये गये खण्ड (क) और (ख) में वर्णित कर लगायेगी और खण्ड (ग), (घ), (ड.), (छ), (ज), (झ), (ब) और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है।[1]–

---

1. *उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, धारा 37*

(क) उन क्षेत्रों में जहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, जौनसार बावर जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956, अथवा कुमाऊँ तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1960 के अधीन मध्य वर्तियों के अधिकार आगम और स्व्त्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझी जाने वाली भूराजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है यदि भूमि पर उस व्यक्ति से, जिसके द्वारा उसके लिये भूराजस्व देय हो अथवा देय समझा जाय भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो वास्तव में उस पर खेती करता हो।

(ख) खण्ड (क) में अनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों मे भौतिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो, देय भूराजस्व की धन राशि पर प्रति रूप्या कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है। यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भूराजस्व का देनदार हो, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो –

(ग) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के आमोद परकर जो पाँच रूपया प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा, लगा सकती है।

(घ) ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर रखे गये और किराये पर चलाये जाने वाले पशुओं और यन्त्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों पर उनके स्वामियों द्वारा निम्न लिखित दर से देय कर लगा सकती है।

1.जानवरों की दशा में, प्रति जानवर तीन रूपया,

2.गाड़ियों कि दशा में प्रतिवाहन 6 रूपया प्रतिवर्ष से अधिक न होगा।

(ड.) उन व्यक्तियों पर कर लगा सकती है जो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन पर खण्ड (ग) के अधीन कर निर्धारित किया जाता हो और ऐसे बाजारों हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामानो को अभिदर्शित करे जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के हों अथवा उसके नियंत्रण में हों।

(च) ऐसे पशुओं के पंजीकरण पर फीस लगा करती है जिनकी बिक्री किसी ऐसे बाजार अथवा स्थान पर की जाती हो, जो ग्राम पंचायत के हों अथवा उसके नियंत्रण में हों।

(छ) वद्यशालाओं और पड़ावों की भूमि के प्रयोग के लिये फीस लगा सकती है।

(ज) जल शुल्क जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा घरेलू उपयोग के लिये जल सम्भारित किया जाता हो।

(झ) निजी शौचालयों या नालियों कि सफाई के लिये कर जो उन ग्रहों के, जिनसे निजी शौचालय की नाली संलग्न हो, स्वामियों या अध्यासियों द्वारा देय होगा, उस दशा में ऐसी सफाई ग्राम पंचायत के अभिकरण के माध्यम से की जाय।

(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रौशनी व स्वच्छता कर।

(ट) सिंचाई शुल्क, जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा अपने द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी लघु सिंचाई प्रयोजन से सिंचाई के लिये जल सम्भारित किया जाता हो।

(ठ) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुए हो और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

2.भूमि अर्जित करने की शक्ति :–

यदि कोई ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतें इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये किसी भूमि की अपेक्षा करे तो वह ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतें पहले तो आपसी बातचीत द्वारा भूमि गृहण करने का प्रयत्न करेंगी और यदि सम्बन्धित पक्ष करार करने में चूक जाये तो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतें भूमि अर्जित करने के लिये कलेक्टर को नियत आवेदन प्रपत्र में आवेदन पत्र दे सकती है और कलेक्टर ऐसी भूमि को ऐसी ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के लिये अर्जित कर सकता है।[1]

3.ग्राम पंचायत में निहित सम्पत्ति :–

राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर स्थित समस्त सार्वजनिक सम्पत्ति ग्राम पंचायत में निहित होगी और ऐसी समस्त अन्य सम्पत्ति सहित जो ग्राम पंचायत में निहित हो जाये, उसके निर्देश,

---

1. *वही धारा 33*

प्रबन्ध तथा नियंत्रण में होंगी।[1] ऐसे समस्त बाजार तथा मेले अथवा उनके ऐसे अंश, जो सार्वजनिक भूमि पर लगते हों, प्रबन्ध और विनिश्चय ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा और ग्राम पंचायत, गाँव निधि के खातों में ऐसे समस्त देयों को प्रापत करेगी जो उसके सम्बन्ध में उद्ग्रहित या आरोपित किये गये हों।[2]

4.दावों का निस्तारण :–

यदि उपर्युक्त निहित किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत और किसी व्यक्ति के बीच विवाद उत्पन्न हो तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देगी और तब यह निर्णय करेगी की उक्त सम्पत्ति को ग्राम पंचायत की सम्पत्ति समझी जाय अथवा नहीं।[3]

5.उधार लेने की शक्ति :–

कोई ग्राम पंचायत राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन कहते हुए जो नियत की जाय, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी समुचित बैंक या उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या किसी ग्राम पंचायत से इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये धनराशि उधार ले सकती है।[4]

6.गाँव निधि :–

प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक ग्राम कोष होगा जिसमें से ग्राम पंचायत के सालाना आय व व्यय के अनुमान की सीमा के अन्दर ग्राम सभा व ग्राम पंचायत या उसकी

---

1. *वही, धारा 34 (1)*
2. *वही, धारा 34 (2)*
3. *वही धारा 35*
4. *वही धारा 36*

किसी समिति के कर्तव्यों के पालन करने के लिये धन खर्च किया जायेगा।[1] ग्राम निधि मे निम्न प्रकार के धन को जमा करने की व्यवस्था है।[2]

क– ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर से होने वाली आय,

ख– राज्य सरकार ग्राम पंचायत को दी गई समस्त धनराशि,

ग– ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन पहले से मौजूद ग्राम पंचायत के नाम जमा अवशेष, यदि कोई हो,

घ– ऐसी सभी धनराशि जिन्हें गाँव निधि के खाते में जमा करने के लिये किसी न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया हो अथवा किसी विधि के अधीन अपेक्षा की गई हो,

ड.– ग्राम पंचायत के नियमों के विरूद्ध किये गये अपराधों के शमन के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली धनराशि,

च– ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा एकत्र समस्त धूल, गन्दगी, गोबर या कूड़ा–करकट जिसमें पशुओं के शव भी शामिल है, की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय,

छ– नजूल की सम्पत्ति के लगान अथवा उससे प्राप्त होने वाली अन्य आय का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार गाँव निधि के खाते में जमा किये जाने का निर्देश दे,

ज– जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गाँव निधि में अंशदान के रूप में दी गई धनराशियाँ,

झ– ऋण अथवा दान स्वरूप प्राप्त समस्त धनराशि,

(ञ)– ऐसी अन्य धन राशि जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा गाँव निधी को अभ्यर्थित की जाये,

(ट)– राज्य कि संचित निधि से सहायता के अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियाँ।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम 179 के अनुसार गाँव निधि का नकद अतिशेष राज्य कोषागार में विहित प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद निकटतम डाकघर के बचत बैंक लेखा में या निकट के सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में रखा जायेगा किन्तु यदि ग्राम सभा के मुख्यालय के निकट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और

---

1. *वही, धारा 32 (1)*
2. *वही, धारा 32 (2)*

राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई शाखा हो, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रमुखता दी जायेगी। गाँव निधि से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।[1]

7. ग्राम पंचायत का बजट :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी नियत की जाय, आगामी पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये ग्राम पंचायत के अनुमानित आय और व्यय का विवरण तैयार करेगी जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जायेगा और ऐसी बैठक के लिये गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।[2]

8. लेखा परीक्षा :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखे का परीक्षण प्रत्येक वर्ष ऐसी रीति से और ऐसी फीस का भुगतान करने पर की जायेगी जो नियत की जाय।[3]

73 वें संविधान संशोधन के बाद से ग्राम पंचायत की नयी संशोधित व्यवस्था काफी परिवर्द्धित एवं व्यापक है, न केवल इसे संगठित, नियमित किया गया है बल्कि इसे विभिन्न वर्गों के आरक्षण के माध्यम से अत्यधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाने का भी प्रयास किया गया है। दी गई राजनीतिक और वित्तीय शक्तियाँ निश्चय ही नयी विकेंद्रित व्यवस्था का आभास कराती है जो एक नये युग का सूत्रपात करने में सक्षम हो।

---

1. *वही, धारा, 32 (1)*
2. *वही, धारा, 41*
3. *वही, धारा, 38*

II

क्षेत्र पंचायत

पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर ब्लाक स्तर पर स्थापित किया जाने वाला क्षेत्र पंचायत है। क्षेत्र पंचायत का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है। इस सम्बन्ध में प्रावधान है कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक खण्ड के लिये एक क्षेत्र पंचायत स्थापित करेगी जिसका नाम विकास खण्ड के नाम पर होगा, तथा पंचायत निगमित निकाय होगी।

रचना :–

क्षेत्र पंचायत की रचना के सम्बन्ध में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख होगा, जो इसका पीठासीन होगा। क्षेत्र पंचायत की रचना निम्न लिखित के मिलने से होगी –

(क) क्षेत्र पंचायत में स्थित ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान

(ख) निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेगें, क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक सदस्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यथा शाक्य 2000 की जनसंख्या पर आधारित होगा किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में 1 कि0 मी0 अर्द्धव्यास के क्षेत्र को सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जायेगा।

(ग) लोक सभा, विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या अंश भाग समाविष्ट है, राज्य सभा के सदस्य एवं राज्य की विधान परिषद के सदस्य जो क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं, पदेन सदस्य होंगे। लोक सभा, विधान सभा, राज्य सभा व विधान परिषद के सदस्य तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान क्षेत्र पंचायत की समस्त कार्यवाही में भाग ले सकेंगे व बैठकों में मतदान कर सकेंगे किन्तु उन्हें क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन अथवा उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

आरक्षण :–

क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों–अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था निम्न प्रकार होगी –

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात क्षेत्र पंचायत के स्थानों की कुल संख्या में वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में होगा। किन्तु पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों की संख्या का अधिकतम 27 प्रतिशत होगा। उक्त प्रकार से आरक्षित कुल स्थानों में से कम से कम 1/3 पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लियें आरक्षित रहेंगे।

अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है इन वर्गों के व्यक्तियों के लिये सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ख) क्षेत्र पंचायतों में प्रमुखों के पद अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या में यथा साध्य वही होगा जो राज्य के अनुसूचित जनजातियों की या राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवण्टित किये जायेंगे। प्रमुख पदों की आरक्षित संख्या उक्त प्रावधान के अनुसार इस प्रकार नियत की जायेगी कि यदि शेष भाजक आधे से कम न हो तो भागफल मे एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जति और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख के पदों की संख्या निर्धारित हो जायगी। महिलाओं के लिये आरक्षित प्रमुख के पदों की संख्या निर्धारित करने के लिये उपरोक्त नियम का पालन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि महिलाओं के लिये आरक्षित

पदों की संख्या, कुल संख्या के 1/3 से अन्यून होगी। पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण प्रमुख पदों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) इस प्रकार निकाली गई प्रमुखों के पदों की संख्या क्षेत्र पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिये जिले को आधार माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि क्षेत्र पंचायतों के लिये अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात उपरोक्तानुसार निकाले गये प्रमुख पदों की संख्या में यथासाध्य वही होगा जो जिला पंचायत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या या जिला पंचायत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या या जिला पंचायत में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या या राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या या राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या में अनुपात हो।

(घ) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये प्रमुखों के पदों की संख्या उस जिले में भिन्न–भिन्न क्षेत्र पंचायतों में उनकी जनसंख्या का पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या को अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में आवण्टित की जायेगी, अर्थात जिले क्षेत्र पंचायतों में से वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवण्टित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उसको आवण्टित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवण्टन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार की पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों को आवण्टित क्षेत्र पंचायत, यथा सम्भव अनुसूचित जनजाति को आवण्टित नही की जायेगी और अनुसूचित जाति को आवण्टित क्षेत्र पंचायत यथासम्भव अनुसूचित जाति को आवण्टित नहीं की जायगी, और पिछड़े वर्गों को आवण्टित क्षेत्र पंचायत यथासम्भव पिछड़े वर्गों को आवण्टित नहीं की जायेगी। किन्तु अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवण्टित क्षेत्र पंचायतों की एक तिहाई से अन्यून क्षेत्र पंचायतें यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित की जायेगी। आवंटन के पश्चात् अवशेष क्षेत्र पंचायतों के एक तिहाई के अन्यून क्षेत्र पंचायतों के पदों को महिलाओं को आवंटित किया

जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जिन क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या हो जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नही है, उनको आवण्टित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवण्टन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार की पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवण्टित क्षेत्र पंचायतें यथासम्भव महिलाओं को आवण्टित नही की जायेगी।

क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी। यह निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली से मिलकर बनेगी जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट हैं।

मताधिकार एवं निर्वाचन का अधिकार :-

इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मत देने के लिये निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है सदस्यता या निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और क्षेत्र पंचायत की सदस्यता या किसी पद पर निर्वाचन के लिये अर्ह होगा। कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिये अनर्ह नही होगा।

क्षेत्र पंचातय के प्रमुख और उपप्रमुख :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही ही एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उपप्रमुख और एक कनिष्ठ उपप्रमुख चुना जायेगा। इनका चुनाव क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होते हुए भी किया जा सकता है।

प्रमुख के कार्य :–

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का दायित्व होगा कि वह क्षेत्र पंचायत तथा उनकी समितियों की सभी बैठकों को बुलाये तथा उनकी अध्यक्षता करे व कार्य सम्पादन हेतु बनाये गये तदर्थ नियमों के अनुसार बैठकों को नियमित करे।

इसी प्रकार ज्येष्ठ उपप्रमुख का कर्तव्य होगा कि वह प्रमुख की अनुपस्थिति में क्षेत्र पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करें तथा बैठक की अध्यक्षता करते समय प्रमुख के समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन करेगा व प्रमुख का पद रिक्त होने पर अथवा प्रमुख के अस्थायी अनुपस्थिति की दशा में प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा। प्रमुख द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों या कर्तव्यों का सम्पादन भी ज्येष्ठ उपप्रमुख द्वारा किया जायेगा।

कनिष्ठ उपप्रमुख किसी भी समय प्रमुख द्वारा उसकी प्रतिनिहित किसी कर्तव्य का पालन या अवसर पड़ने पर अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा ज्येष्ठ उपप्रमुख की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर ज्येष्ठ उपप्रमुख के सभी कर्तव्यों का पालन एवं अधिकारों का प्रयोग करेगा।

क्षेत्र पंचायत की बैठकें :–

अपने कार्य सम्पादन के लिये क्षेत्र पंचायत की बैठकें प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिये। प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या अन्य किसी सुविधाजनक स्थान पर हो सकती है।

मानदेय भत्ता :–

क्षेत्र पंचायत में पहले केवल प्रमुखों को ही मानदेय की व्यवस्था थी किन्तु अब क्षेत्र पंचायत के उपप्रमुख को भी मानदेय और भत्ता जैसा राज्य सरकार नियत करेगी प्राप्त होगा। साथ ही क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी वह भत्ता प्राप्त कर सकेगें, जैसा कि निर्धारित किया जाये।

कार्यकाल :–

1. क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल समान्यतः अपनी प्रथम बैठक के लिये निश्चित तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक होगा यदि उसे पहले विघटित न कर दिया जाये।
2. क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति तक होगा।
3. किसी क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिये निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व और उसके विघटन के दिनाँक से छः मास की अवधि समाप्त होने के पूर्व किया जायेगा, किन्तु जहाँ विघटित क्षेत्र पंचायत की शेष अवधि जिसके लिये वह बनी रहती है, छः मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिये क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिये कोई निर्वाचन कराना आवश्यक न होगा।
4. क्षेत्र पंचायत के प्रमुख या उपप्रमुख का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ हो जायेगा और क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा।

प्रमुख, उपप्रमुख अथवा सदस्य का पदत्याग :–

क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, उपप्रमुख अथवा क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है जो प्रमुख की दशा में सम्बन्धित जिला पंचायत अध्यक्ष को और अन्य दशाओं में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, त्यागपत्र उस दिनाँक से प्रभावी होगा जब त्याग पत्र को अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाये और उप प्रमुख या सदस्य का त्याग पत्र उस दिनॉक से प्रभावी होगा जब क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में उसका नोटिस प्राप्त हो जाये और यह समझा जायेगा कि ऐसे उपप्रमुख या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।

प्रमुख या उपप्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव :–

नये अधिनियम के तहत क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों को ही अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार होगा। शेष प्रक्रिया पहले के अधिनियम मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रमुख या उपप्रमुख को हटाया जाना :–

यदि राज्य सरकार की राय में किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या उपप्रमुख अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का जानबूझकर पालन नही करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्य पालन में अनाचार का दोषी पाया जाता है या मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो गया है, तो राज्य सरकार, यथास्थिति प्रमुख या उपप्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के उपरान्त और इस मामलें में अध्यक्ष का परामर्श माँगनें और यदि उसकी राय ऐसे परामर्श माँगनें के पत्र भेजे जाने के दिनाँक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाये तो इस राय पर विचार लेने के बाद यथास्थिति प्रमुख या उपप्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है और ऐसा आदेश अन्तिम होगा और इस पर किसी विधि न्यायालय में अपील नही की जा सकेगी।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति :–

यदि किसी प्रमुख, उपप्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का स्थान मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाये तो उस स्थिति में रिक्ति की पूर्ति उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये जैसी स्थिति हो उपबंधित रीति से की जायेगी। किन्तु ऐसी रिक्ति होने के दिनाँक को क्षेत्र पंचायत का शेष कार्यकाल छः मास से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।

समितियाँ :–

नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत का कार्य क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है, अतः कार्य के अनुसार ही इनकी समितियों में भी परिवर्तन किया गया हैं। अब क्षेत्र पंचायत की निम्न समितियाँ होंगी –

(क) कार्य समिति।

(ख) वित्त एवं विकास समिति।

(ग) शिक्षा समिति।

(घ) समता समिति।

एतद् नियत किन्ही शर्तों के अधीन रहते हुए क्षेत्र पंचायत समस्त अथवा उसके किसी भाग में किन्ही निर्दिष्ट कर्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये अन्य समितियाँ स्थापित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा जैसी अपेक्षा की जाये तो उसे वह अवश्य स्थापित करेगी, ऐसी किसी स्थित समिति को अपने ऐसे समस्त अथवा कोई अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है जो उक्त सहायता के प्रयोजन के लिये आवश्यक है। उक्त समितियों के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत समय–समय पर किसी ऐसे विषय की जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अवथा इसके अधीन क्षेत्र पंचायत का निर्णय अपेक्षित हो, जाँच करने अथवा उस पर प्रतिवेदन देने के प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियाँ नियुक्त कर सकती है।

संघटन :–

क्षेत्र पंचायत की समितियों का संघटन निम्न रीति से होगा –

1. अधिनियम में निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन उक्त समितियों में खण्ड के भीतर प्रत्येक सर्किल (न्याय पंचायत) से एक सदस्य होगा जिसे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा।
2. प्रमुख तथा दोनों उपप्रमुख कार्यसमिति के पदेन सदस्य होगें और उन्हे क्रमशः सभापति तथा ज्येष्ठ उपसभापति तथा कनिष्ठ उप सभापति कहेंगे।
3. ज्येष्ठ उप प्रमुख वित्त एवं विकास समिति का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और खण्ड में स्थित कृषि विद्यालय का प्रधानाचार्य समिति का अपर सदस्य होगा।
4. कनिष्ठ उप प्रमुख शिक्षा समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा और खण्ड में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाईस्कूलों, के प्रधानाचार्यों तथा प्रधानाध्यापकों में से एक को क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित किया जायेगा।
5. अपने संघटन के पश्चात, यथाशीघ्र वित्त एवं विकास समिति, समता समिति एवं शिक्षा समिति अपने में से एक को समिति का उपसभापति निर्वाचित करेगी।
6. निर्दिष्ट समितियों का संघटन उस रीति से होगा जैसा कि नियत किया जाय।
7. किसी सदस्य के स्थान या सभापति या उपसभापति के पद की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में यथा स्थिति जो सदस्य सभापति या उपसभापति निर्वाचित किया

जाये, वह समिति के शेष कार्यकाल के लिये यथासम्भव उसी रीति से निर्वाचित किया जायेगा जिस रीति से उसका पूर्वाधिकारी निर्वाचित किया गया था।

उक्त समितियाँ अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य या कार्य के वर्ग निर्वाचन में अपनी सहायता के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक उप समितियाँ संघटित कर सकती हैं। प्रत्येक समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक के दिनाँक से एक वर्ष का होगा किन्तु वह किसी भी दशा में क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के आगे नहीं बढ़ेगा।

क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा सेवक :–

खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा क्षेत्र पंचायत और उसकी समितियों के संकल्पों के कियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा। शेष कर्मचारियों तथा सेवकों के विषय में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू होगें। खण्ड विकास अधिकारी के अधिकार तथा दायित्व निम्न हैं –

1. क्षेत्र निधि को देय धनराशि लेना, वसूलना तथा क्षेत्रनिधि में जमा करना।
2. क्षेत्र पंचायत की निधियों में से धनराशि निकालना तथा उसका वितरण करना।
3. कोई विवरण, लेखे प्रतिवेदन, लेखों की प्रतियाँ क्षेत्र पंचायत या उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियाँ, अपेक्षित प्रस्ताव तथा आपत्तियाँ नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत करना।
4. ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य में सहायता देना तथा पर्यवेक्षण करना।
5. क्षेत्र पंचायत में नियोजित समस्त अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा, अवकाश, वेतन भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्ही नियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपें गये अन्य सभी कार्य।
6. क्षेत्र पंचायत की ओर से समस्त कार्यों तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का उत्तर दायित्व भी खण्ड विकास अधिकारी का होगा।

क्षेत्र पंचायत की योजना :–

क्षेत्र पंचायत खण्ड की ग्राम पंचायतों की योजनाओं को समायोजित करते हुए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी और उक्त विकास योजना नियत प्रक्रिया से क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात खण्ड विकास अधिकारी उसे जिला पंचायत को नियत तिथि से पूर्व प्रस्तुत करेंगी।

क्षेत्र पंचायत का बजट :–

क्षेत्र पंचायत कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति के परामर्श से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित वास्तविक आय व्यय का लेखा तथा 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिये आय–व्यय का बजट नियत दिनाँक के पूर्व तैयार करेगी। प्रमुख उक्त रीति से तैयार किये गये लेखे तथा बजट को तैयार किये जाने के दिनाँक से पाँच दिन के भीतर जिला पंचायत को प्रेषित करेगा और जिला पंचायत लेखे तथा बजट को नियोजन समिति के समक्ष पुनः निरीक्षण के लिये और ऐसी सिफारिशें करने के लिये रखेगी जिन्हे करना नियोजन समिति उचित समझे। नियोजन समिति के परिनिरीक्षण का परिणाम और उसकी सिफारिशें क्षेत्र पंचायत को निश्चित दिनांक के पूर्व सूचित कर दी जायेंगी फिर उक्त रीति से तैयार किये गये बजट को तथा नियोजन समिति के परिणामों और सिफारिशों को विचार विमर्श के लिये प्रत्येक वर्ष नियत तिथि से पूर्व क्षेत्र पंचायत की बैठक में रखा जायेगा, जिसे क्षेत्र पंचायत जिस रूप में चाहे अर्थात उसके परिष्कार या बिना परिष्कार के संकल्प द्वारा बजट पारित करेंगी।

क्षेत्र निधि :–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिये क्षेत्र निधि के नाम से एक निधि की स्थापना की जायेगी जिसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गयी धनराशियों (राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान) या लिये गये समस्त ऋण जमा किये जायेंगे।

क्षेत्र पंचायत की करारोपण शक्ति :–

नये संशोधित अधिनियम द्वारा क्षेत्र पंचायत को कर आरोपित करने की विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गई है। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित करारोपण ऐसी रीति से कर सकती है, जैसी नियत की जाय –

1. जलकर जहाँ वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिये, सिंचाई के लिये या किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिये पानी की व्यवस्था करने के लिये किसी योजना का निर्माण या अनुरक्षण करती है।
2. विद्युत कर जहां वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है।
3. कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमण्डल को संविधान के अधीन हो तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो,

क्षेत्र पंचायत के अधिकार और कार्य :–

नये अधिनियम में क्षेत्र पंचायतों को निम्न अधिकार और कार्य सौंपे गये है –

1. कृषि :–

कृषि प्रसार, बागवानी की प्रोन्नति और विकास, सब्जियों, फलों और फूलों की खेती और विपणन की प्रोन्नति।

2. भूमि विकास :–

भूमि सुधार क्रियान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण, सरकार के भूमि सुधार, भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना।

3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जलाच्छान विकास :–

(क) लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना

(ख) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्य

4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन :–

(क) पशु सेवाओं का अनुरक्षण,

(ख) पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार,

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति,

5. मत्स्य पालन :–

मत्स्य पालन के विकास की प्रोन्नति

6. सामाजिक और फार्म वानिकी :–

(क) सड़को और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षा रोपण और परिरक्षण,

(ख) सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति,

7. लघु वन उत्पाद :–

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।

8. लघु उद्योग :–

(क) ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना,

(ख) कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन,

9. कुटीर और ग्राम उद्योग :–

कुटीर उद्योगों के उत्पादन का विपणन।

10. ग्रामीण आवास :–

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन।

11. पेय जल :–

(क) पेय जल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना,

(ख) दूषित जल को पीने से बचाना,

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना।

12. ईधन और चारा भूमि :–

(क) ईधन और चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति,

(ख) पंचायत क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपड़,

13. सड़क, पुलिया, पुलों, नौका घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :–

(क) गाँवों के बाहर सड़कों, पुलियों का निर्माण और उनका अनुरक्षण,

(ख) पुलों का अनुरक्षण,

(ग) नौका घाटों और जल मार्गों के प्रबन्ध में सहायता,

14. ग्रामीण विद्युतीकरण :–

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रोन्नति।

15. गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतो के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसकी प्रोन्नति।

16. गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

17. शिक्षा :–

जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है–

(क) प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास,

(ख) प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति,

18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :–

ग्रामीण शिल्पकारों और व्यावसायिक शिक्षा की प्रोन्नति।

19. प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा :–

प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो का पर्यवेक्षण

20. पुस्तकालय :–

ग्रामीण पुस्तकालयों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण।

21. खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य :–

(क) सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण,

(ख) क्षेत्रीय लोकगीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेल कूद की प्रोन्नति

22. बाजार और मेले :–

ग्राम पंचायतो के बाहर मेलों और बाजारों (जिनमें पशु मेला भी सम्मिलित है) की प्रोन्नति पर्यवेक्षण और प्रबन्ध।

23. चिकित्सा और स्वच्छता :–

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधियों की स्थापना और अनुरक्षण,

(ख) महामारियों का नियंत्रण,

(ग) ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

24. परिवार कल्याण :–

परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

25. प्रसूति और बाल विकास :–

(क) महिलाओं और बाल स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनो की सहभागिता के लिये कार्यक्रमों की प्रोन्नति,

(ख) महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से समबन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति,

26. समाज कल्याण :–

(क) समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगो और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना,

(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण,

27. कमजोर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जातियो और जनजातियो का कल्याण :–

(क) अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति,

(ख) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली :–

आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण :–

सामुदायिक आस्तियों के परिक्षण और अनुरक्षण का अनुश्रवण और मार्ग दर्शन करना।

30. नियोजन और आंकड़े :–

(क) आर्थिक विकास के लिये योजनायें तैयार करना,

(ख) ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण,

(ग) खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना,

(घ) सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियत कालिक समीक्षा,

(ड.) खण्ड योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्रित करना तथा आँकड़े रखना।

31. ग्राम पंचायतो पर पर्यवेक्षण :-

(क) नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का वितरण,

(ख) ग्राम पंचायतों के क्रिया कलाप के उपर नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण

32. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना

III

जिला पंचायत

नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला परिषद को जिला पंचायत के नाम से नवीन कलेवर देते हुए स्थापित किया गया है । यह पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तर जिले स्तर का संगठन है। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जिले के लिये राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एक जिला पंचायत स्थापित करेगी, जिसका नाम जिले के नाम पर होगा। यह एक निगमित निकाय होगी।

रचना :–

जिला पंचायत का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा और निम्नलिखित उसके सदस्य होंगे –

1. जिले के समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख।
2. जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाच क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन इस रीति से किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथा साध्य 50,000 होगी तथा 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में 7 कि0 मी0 के अर्द्धव्यास क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र माना जायेगा।
3. लोक सभा व विधान सभाओं के सदस्य जो इन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है।
4. राज्य सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं।

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख लोकसभा व राज्य की विधान सभा के सदस्य, राज्य सभा व राज्य विधान परिषद के सदस्य को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर शेष कार्यवाही में मत देने का अधिकार होगा।

जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली :–

प्रत्येक जिला प्रंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी जो कि क्षेत्र पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समाविष्ट हैं।

मतदान तथा निर्वाचित होने का अधिकार :–

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और जिला पंचायत की सदस्यता तथा किसी पद के निर्वाचन के लिये अर्ह होगा। कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी करली हो वह जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार रखता है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष :–

प्रत्येक जिला पंचायत के लिये एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा जिसका निर्वाचन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में सेकिया जायेगा। जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के पदों में से किसी पद के रिक्त होते हुए भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन हो सकेगा।

आरक्षण :–

प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनूसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये स्थान आरक्षित रहेगें और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में यथासाध्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनूसूचित जनजातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और किसी जिला पंचायत में भिन्न–भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से जनसंख्या के अवरोही क्रम में आवंटित किये जायेगें। किन्तु पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण

कुल स्थानों की संख्या में 27 प्रतिशत से अधिक नही होगा। उक्त रीति से आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगा। सभी प्रकार के आरक्षण का आवंटन चक्रानुक्रम से जनसंख्या के अवरोही क्रम से होगा। जिला पंचायत के सदस्य, जो कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगें, स्थानों के आरक्षण एवं उनके आवंटन की रीति एवं प्रणाली वही होगी जैसा कि ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य स्थानों के लिये अपनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 334 के नियत अवधि की समर्पित पर अनुसूचति जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण प्रभावी नहीं होगा। आरक्षित वर्ग के लोगों तथा महिलाओं के लिये अनारक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण :-

राज्य में जिला, पंचायत के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिये उसी रीति से आरक्षित रहेगें, जिस रीति से क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कुल अध्यक्ष पदों के 21 प्रतिशत अर्थात 14 स्थान अनुसूचित जातियों के लिये 27 प्रतिशत अर्थात 17 पद पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगें। इनमें इन्ही वर्ग की महिलाओं के लिये 1/3 पद, क्रमशः 5 और 6 पद आरक्षित रहेगें। प्रदेश के कुल अध्यक्ष पदों का 1/3 पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगा जिसमें उपर्युक्त आरक्षित वर्ग के महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित होगी। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुपात दशमलव दो प्रतिशत होने के कारण जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति का कोई आरक्षण नही बनता।

जिला पंचायत, उसके सदस्यों, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल :-

प्रत्येक जिला पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः अपनी प्रथम बैठक के लिये निर्धारित तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक होगा, यदि उसे समय से पहले विघटित न कर दिया जाय। जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जिला पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति तक होगा, यदि अधिनियम के तहत उसे समाप्त न कर दिया जाये। सामान्यतः अध्यक्ष एवं

उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचन होते ही प्रारम्भ हो जायेगा और जिलाा पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य का त्याग पत्र :-

जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद–त्याग कर सकता है, जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को दिया जायेगा। अध्यक्ष का त्याग–पत्र उस दिनाँक से प्रभावी होगा जब राज्य सरकार द्वारा त्याग पत्र की स्वीकृति जिला पंचायत के कार्यलय में प्राप्त हो जाय और उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र उस दिनाँक से प्रभावी होगा जब त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाय और यह समझा जायेगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।

आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति :-

यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का पद मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय तो उसके रिक्त पद की पूर्ति के उसके पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये नियत रीति से की जायेगी । किन्तु यदि जिला पंचायत की शेष अवधि छः मास से कम हो तो रिक्त स्थान की पूर्ति नही की जायेगी ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव :-

जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे समय से पूर्व अपदस्थ किया जा सकता है। इसके लिये व्यवस्था यह है कि किसी निश्चित समय में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव हस्ताक्षर करने वाले किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिले के जिलाधिकारी को दिया जायेगा तत्पश्चात् जिलाधिकारी उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये एक तिथि निर्धारित करेगा जो नोटिस दिये जाने के दिनाँक से तीस दिन से अधिक नहीं होगी और इस प्रकार से नियत तिथि को बैठक जिला पंचायत के कार्यालय में जिलाधिकारी द्वारा बुलाई जायेगी। निर्वचित सदस्यों को

ऐसी बैठक की कम से कम 15 दिन की नोटिस दी जायेगी। जिलाधिकारी जिले मे जिला न्यायाधीश से ऐसे बैठक की अध्यक्षता की व्यवस्था करेगा। यदि जिला न्यायाधीश चाहें तो स्वयं बैठक की अध्यक्षता न करके अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधीश को बैठक की अध्यक्षता करने का आदेश दे सकता है। बैठक की अध्यक्षता करने के लिये नियत अधिकारी यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घण्टे के भीतर उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनॉक और समय तक के लिये स्थगित हो जायेगी जिसे वह निश्चित करेगा और पुनः बैठक बुलाई जायेगी।

यदि सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ होता है, तो वह इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए बैठक स्थगित कर सकता है और अगली तारीख, जो निर्धारित दिनॉक से 25 दिन से अधिक न हो, निश्चित कर सकता है। बैठक स्थगन की सूचना जिलाधिकारी को अविलम्ब लिखित रूप से देनी होगी। तत्पश्चात जिलाधिकारी जिला पंचायत के सदस्यों को बैठक के अगली तारीख की सूचना निर्धारित तरीके से कम से कम दस दिन पहले देगा। इस प्रकार बुलाई गई बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी जिला पंचायत को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा, जिस पर विचार करने के लिये बैठक बुलाई गई है और यह घोषित कर सकता है कि उस प्रस्ताव पर वाद–विवाद किया जा सकता हैं। प्रस्ताव पर वाद–विवाद स्थगित नहीं किया जा सकता है। यदि यह वाद–विवाद बैठक प्रारम्भ होने के लिये निशचित समय के दो घण्टे बीतने के पहले ही समाप्त न हो जाय तो दो घण्टे बीतते ही स्वतः समाप्त हो जायेगा। वाद–विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घण्टे की समाप्ति पर जो भी पहले हो वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा जो गुप्त मतदान द्वारा नियत रीति से होगा।

बैठक की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी तुरन्त बैठक के लिये ऐजेन्डे की एक प्रतिलिपि तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा जिलाधिकारी को भेजेगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है तो उसका नोटिस जिला पंचायत में कार्यालय के बोर्ड पर तुरन्त चिपकवाकर तथा गजट में उसे विज्ञापित करायेगा प्रकाशित करवायेगा। ऐसा होने की स्थिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी स्थिति हो, उस दिनॉक से, जब उक्त नोटिस जिला पंचायत के

कार्यालय के बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर नहीं रहेगा और उसे रिक्त कर देगा। और यदि प्रस्ताव उक्त रीति से पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक न हो सकी तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनाँक से एक वर्ष व्यतीत न हो जाये तब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायेगा। अविश्वास प्रस्ताव की कोई भी नोटिस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण के एक वर्ष के भीतर नही लायी जा सकती।

राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपदस्थ किया जाना :-

यदि राज्य सरकार की दृष्टि में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब अपने पद पर कार्यरत हों, अधिनियम द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों या कार्यों का जानबूझकर पालन न करते हों या पालन करने से इन्कार करते हों या स्वयं में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करते हों या अपने कर्तव्य पालन में दोषी पाये जाये या कर्तव्यों के पालन में शारीरिक, मानसिक रूप से अक्षम हो जाये तो राज्य सरकार जैसी भी स्थिति बने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के उपरान्त उसको आदेश द्वारा अपदस्थ कर सकती है और ऐसा आदेश अन्तिम होगा तथा किसी विधि न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

जाँच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्यवाही :-

यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध जाँच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाये कि उसने वित्तीय या अन्य अनियमिततायें की हैं तो ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अन्तिम जाँच में आरोप मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और सम्पादन करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। तब तक इन शक्तियों और कार्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त जिला पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से हटाये जाने के दिनाँक से तीन वर्ष तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र नही रहेगा।

जिला पंचायत की बैठक :-

अपने कार्यों के सम्पादन के लिये जिला पंचायत की बैठक प्रति दो मास में कम से कम एक बार अवश्य होगी। प्रत्येक बैठक जिला पंचायत कार्यालय में अथवा किसी ऐसे अन्य सुविधा जनक स्थान पर विधिवत सूचना देने के बाद की जायेगी।

समितियाँ :-

जिला पंचायत अपने संघटन के बाद कार्य सम्पादन हेतु निम्न समितियों का संगठन करेगी –

1. कार्य समिति।
2. वित्त समिति।
3. शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य समिति।
4. कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति।
5. समता समिति।

जिला पंचायत की एक नियोजन समिति भी होगी जिसमें निम्न व्यक्ति होगें –

1. अध्यक्ष, जो कि सभापति होगा,
2. उपाध्यक्ष, जो उपसभापति होगा,
3. मुख्य अधिकारी जो समिति का मुख्य सचिव होगा,
4. जनपद स्तर के समस्त अधिकारी।

इनके अतिरिक्त जिला पंचायत विनियमों द्वारा समस्त जिले अथवा उसके किसी भाग में निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन करने में अपनी सहायता के लिये अन्य समितियों की स्थापना कर सकती है और यदि राज्य सरकार किसी समिति की स्थापना की अपेक्षा करे तो उन्हें अवश्य स्थापित करेगी। जिला पंचायत उक्त प्रकार से स्थपित किसी समिति को अपने ऐसे समस्त अथवा कोई अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है। उपर्युक्त समितियों के अतिरिक्त जिला पंचायत संकल्प द्वारा किसी ऐसे विषय को जिनके सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन जिला पंचायत का निर्णय अपेक्षित हो, जाँच करने तथा प्रतिवेदन देने के प्रयोजन से अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियाँ नियुक्त कर सकती हैं।

कार्य समिति के संगठन में जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समता समिति, वित्त समिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति, कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति के सभापति व जिला पंचायत की संख्या 40 तक हाने पर 3, और 40 से अधिक होने पर 6 व्यक्ति जो कि जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे, सम्मिलित होंगें। जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कार्य समिति के क्रमशः सभापति व उपसभापति होगें तथा मुख्य अधिकारी कार्य समिति का सचिव होगा।

इसके अतिरिक्त अन्य समितियाँ यदि बनायी जाती हैं तो जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या 40 होने पर 6 तथा 40 से अधिक होने पर 9 सदस्यों द्वारा संघटित होगी जिनका निर्वाचन जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जायेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष वित्त समिति और शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य समिति का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा।

प्रत्येक समिति का कार्यकाल जिला पंचायत के कार्यकाल तक होगा और समितियों के सदस्यों का निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा नियत रीति से होगा । किन्तु प्रत्येक समिति के निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष क्रम से निवृत्त होंगे और इस कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति व्यवस्थित रीति से होगी।

उपसमितियाँ :–

प्रत्येक समिति किसी विषय के सम्बन्ध में अथवा अपने किसी कार्य के सम्पादन के लिये एक अथवा एक से अधिक उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती है। उप समिति का संघटन और कार्यकाल समिति द्वारा निश्चित किया जायेगा। यदि समिति, उपसमिति के प्रतिवेदन या कार्य का अनुमोदन करे तो वह तत्सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायेगा।

जिला पंचायत का बजट :–

जिला पंचायत का बजट कार्य समिति द्वारा वित्त समिति के परामर्श पर तैयार किया जाता है। इसमें राज्य सरकार से आयोजना और विकास कार्यों के लिये प्राप्त अनुदानों को तथा उनके खर्च को अलग से प्रदर्शित किया जाता है। बजट जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। जिला पंचायत को यह अधिकार होता है कि चाहे तो वह बजट को

यथावत पारित कर दे, या उसमें कोई संशोधन करे या बजट को दोबारा तैयार करने का आदेश पारित करे। दोबारा तैयार करने की स्थिति में कार्य समिति उसे पुनः तैयार करेगी। तत्पश्चात् जिला पंचायत अपनी बैठक में उसे यथावत या किन्ही संशोधनों के साथ विचारोपरान्त पारित कर देगी। इसके बाद बजट को आयुक्त के पास भेजा जाता है। आयुक्त को केवल इतना अधिकार होता है कि बजट के जिस अंश का सम्बन्ध आयोजना तथा विकास कार्यो के निमित्त दिये गये अनुदानों से है उसमे यदि वह आवश्यक समझे तो कोई परिवर्तन कर सकता है तथा बजट के शेष भाग के बारे में कोई सिफारिश कर सकता है। आयुक्त के पास से लौटने पर यदि उन्होने बजट के शेष भाग के विषय में सिफारिश नही की है तो वह वैसा ही अन्तिम रूप से पारित समझा जायेगा। यदि उसने कोई सिफारिश की है तो जिला पंचायत उस पर निर्णय करेगी और वह भाग अन्ततः उस रूप से पारित समझा जायेगा जिसे जिला पंचायत स्वीकार करे। आयोजना तथा विकास कार्य सम्बन्धी अनुदानों वाले भाग पर आयुक्त द्वारा किये गये परिवर्तनों पर भी जिला पंचायत राज्य सरकार को आवेदन देकर पुनरीक्षण की माँग कर सकती है। तब यह राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित होगा और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परिस्कारों के अनुरूप अन्तिम समझा जायेगा। यहाँ जिला पंचायत समयानुसार अपना बजट ना बना पाई हो वहाँ आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यक सूचना प्राप्त कर जिला पंचायत के लिये बजट तैयार कर दे। इस प्रकार तैयार बजट भी विधिवत पारित बजट समझा जायेगा।

करारोपण की शक्ति :-

जिला पंचायत को अपनी आय के सन्दर्भ में निम्न कर लगाने का अधिकार है –

(क) विभव एवं सम्पत्ति कर।

(ख) कोई ऐसा अन्य कर जो विधिसम्मत हो और जिसे राज्य सरकार ने जिला पंचायत को आरोपित करने के लिये प्राधिकृत किया हो।

वर्तमान में प्रदेश की कुछ जिला पंचायतों द्वारा विभव एवं सम्पत्ति कर का आरोपण किया जा रहा है, किन्तु नये अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिला पंचायतों को विभव तथा सम्पत्ति कर लगाने का अधिकार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा –

1. किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता या व्यवसाय करता हो किन्तु यदि किसी व्यक्ति ने 6 महीने तक ग्रामीण क्षेत्र में रहकर व्यवसाय नहीं किया है तो उस पर उक्त कर नहीं लगेगा।
2. किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नही लगाया जायेगा जिसकी कुल कर योग्य आय बारह हजार वार्षिक से कम हो।
3. कर की दर कुल कर योग्य आय पर तीन नये पैसे प्रति रूपये से अधिक न होगी।
4. किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि उस अधिकतम धनराशि से अधिक नही होगी जो नियमों द्वारा निर्धारित की जाय।

यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त करारोपण के लिये कर योग्य आय से तात्पर्य अनुमानित आय से है किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की आय न होगी –

1. इण्डियन इन्कम टैक्स एक्ट 1992 में यथा परिभाषित एग्रीकल्चर इन्कम।
2. वह आय जिस पर यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 की धारा 128 के अधीन किसी नगर पालिका बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो।
3. वह आय जिस पर यू0 पी0 टाउन एरिया एक्ट 1914 की धारा 14 के अधीन पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो।
4. वह आय जिस पर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 की धारा 72 के अधीन किसी नगर महापालिका द्वारा पहले ही कर लगाया जा चुका हो।

   करारोपण सम्बन्धी अन्य बाते तथा शर्ते पुराने अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्थापित की जायेगी।

जिला पंचायत के अधिकारी तथा सेवक :–

जिला पंचायत को उसके कार्यो में निम्न अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है –

1. मुख्य अधिकारी
2. अपर मुख्य अधिकारी
3. वित्त अधिकारी
4. स्वास्थ्य अधिकारी
5. कार्य अधिकारी
6. अभियन्ता

7.	कर अधिकारी	8.	शिक्षा अधिकारी
9.	सिंचाई अधिकारी	10.	पंचायत राज अधिकारी
11.	पशुधन अधिकारी	12.	कृषि अधिकारी
13.	सहकारिता अधिकारी		

राज्य सरकार के यथास्थित अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) या जिला नियोजन अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, विद्यालय उपनिरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई), जिला पशुधन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला सहायक निबन्धक क्रमशः जिला पंचायत के अधीन मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी शिक्षा अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, सिंचाई अधिकारी पशुधन अधिकारी, कृषि अधिकारी और सहकारिता अधिकारी के पद धारण करेंगे।

मुख्य अधिकारी के अधिकार व दायित्व :–

मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और जिला पंचायत के समस्त अधिकारी उसके प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करेंगे तथा मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी रहते हुए निम्न अधिकारों का प्रयोग करेगा –

1. जिला पंचायत को देय या उसे दी गई कोई धनराशि वसूल करने तथा उसे जिला निधि में जमा करने का अधिकार।
2. अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकार तथा इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार।
3. जिला पंचायत की ओर से प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार तथा इन अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार।
4. अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए कोई लाईसेन्स स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने तथा निलम्बित करने या वापस लेने का अधिकार।
5. कोई अन्य अधिकार जो जिला पंचायत द्वारा मुख्य अधिकारी को प्रतिनिहित किया गया हो।
6. उन सेवको से भिन्न जिनके लिये नियुक्ति प्राधिकारी जिला पंचायत है, जिला पंचायत के समस्त सेवकों की सेवा, छुट्टी, वेतन भत्ता तथा अन्य विशेष अधिकार

के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का विनियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार।

7. जिला पंचायत की ओर से समस्त कार्यों तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का दायित्व मुख्य अधिकारी पर होगा।

8. मुख्य अधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अपर मुख्य अधिकारी को अपने अधिकारों, कार्यों तथा कर्तव्यों में से एक या अधिक अधिकार प्रतिनिहित कर सकता है किन्तु उन अधिकारों, कार्यों तथा कर्तव्यों को प्रतिनिहित नही करेगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा या जिला पंचायत द्वारा प्रतिनिहित किया गया है।

जिला पंचायत पर बाह्य नियन्त्रण :–

जिला पंचायत पर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में अधिकार निम्नवत हैं –

1. नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट जैसी भी स्थिति हो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली जिला पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त अथवा आधारित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उसे किसी के निर्देशाधीन किये जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है। किसी समिति, संयुक्त समिति या जिला पंचायत के कर्मचारियों या कर्तव्यों से सम्बन्धित विवरण या किसी प्रकार के लेख या प्रतिवेदन को माँग सकता है तथा उसकी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अपना कोई विचार जो वह उचित समझे, लेखबद्ध कर सकता है।

2. राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग अपने विभाग पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर कर सकता है और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिला पंचायत के प्रशासन का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य भी होंगे –

1. जिला मजिस्ट्रेट समय–समय पर समुचित नोटिस के पश्चात् जिला पंचायत के नियोजन तथा विवरण विषयक बजट अनुदान से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा करने के लिये एक बैठक बुला सकता है जिसमें वह स्वयं अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी होगा।
2. जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को कार्य की प्रगति का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजेगा।

आपात काल की दशा में जिलाधिकारी के निम्न अधिकार होगें –

1. आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे निर्माण कार्य निष्पादन का अथवा ऐसे कार्य के सम्पादन की व्यवस्था कर सकता है जिसके निष्पादन या सम्पादन का जिला पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति को अधिकार हो और उसका तुरन्त निष्पादन अथवा सम्पादन उसकी राय में जनसाधारण की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिये आवश्यक हो और वह यह निर्देश दे सकता है कि निर्माण कार्य को निष्पादित करने अथवा उस कार्य को सम्पादित करने के व्यय का भुगतान जिला पंचायत द्वारा तुरन्त किया जाये।
2. यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय, तो जिला मजिस्ट्रेट, जिला निधि से उक्त व्यय के भुगतान का आदेश दे सकता है और इस प्रकार भुगतान जिला पंचायत को करना पड़ेगा।
3. जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत या नियत प्राधिकारी को तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले का प्रतिवेदन भेजेगा।

जिला पंचायत का विघटन :–

यदि किसी भी समय राज्य सरकार को किसी भी माध्यम से यह पता चले या विश्वास हो जाय कि जिला पंचायत द्वारा अधिनियमों या राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने या अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने में शिथिलता बरती है या चूक की है अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरूपयोग किया है तो राज्य सरकार जिला पंचायत से स्पष्टीकरण माँगने पर उस पर विचार करने के पश्चात यदि स्पष्ट हो जाये कि जिला पंचायत को विघटित करना वांछनीय है तो जिला पंचायत को राज्य सरकार विघटित कर सकती हैं

जिला पंचायत के विघटन का आदेश होने के पश्चात आदेश के दिनाँक से अध्यक्ष सहित जिला पंचायत के समस्त सदस्य अपने पदों को रिक्त कर देगे, किन्तु विघटन के दिनाँक से 6 माह के भीतर निर्धारित रीति से निर्वाचन कराना आवश्यक होगा। जिला पंचायत के पुनः संघटित होने तक उसके समस्त कार्यो तथा दायित्वों का सम्पादन राज्य सरकार तदर्थ रूप से अधिकारियों को नियुक्त कर करायेंगी।

जिला पंचायत के अधिकार और कार्य :-

नये अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत को प्रभावी और सशक्त बनाने की दृष्टि से व्यापक अधिकार सौंपें गये हैं जिन्हें निम्न दो वर्गो में विभक्त किया गया है –

भाग – क

1. कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार भी है :-

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों की अभिवृद्धि।

(ख) गोदामों की स्थापना और उसका अनुरक्षण।

2. सरकार द्वारा सौपे गये भूमि सुधार, भूमि संरक्षण तथा चकबन्दी कार्यक्रमों की योजनाओं का क्रियान्वयन।

3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध तथा जल विकास :-

(क) लघु सिंचाई और अन्तर खण्ड जल परियोजनाओं का निर्माण और अनुरक्षण।

(ख) जल वितरण का प्रबन्ध रखना।

(ग) भूमिगत जल का विकास।

(घ) जलाच्छादन विकास।

4. पशु पालन दुग्ध उद्योग तथा कुक्कुट पालन :-

(क) पशु पालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और अनुरक्षण।

(ख) नस्लों का सुधार।

(ग) दुग्ध उद्योग कुक्कुट पालन तथा सुअर पालन की प्रोन्नति।

5. मत्स्य पालन :–

(क) सिंचाई कार्यों में मत्स्य पालन का विकास।

(ख) मछुआरा कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

6. सामाजिक और फार्म वानिकी :–

(क) सामाजिक और फार्म वानिकी, वृक्षारोपण और रेशम उत्पादन को प्रोन्नति।

(ख) बंजर भूमि का विकास।

7. लघु वन उत्पाद के कार्यक्रमों की प्रोन्नति और उनका कार्यान्वयन।

8. कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग :–

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योग में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना और अनुरक्षण।

(ख) जिला स्तर पर पंचायत उद्योगों की स्थापना।

9. ग्रामीण आवास :–

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की प्रोन्नति और विकास।

(ख) अनावासीय क्षेत्र में ग्रामीण आवास का कार्यान्वयन।

(ग) सामुदायिक केन्द्रों और विश्राम गृहों का निर्माण।

(घ) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये ग्रामीण आवास कार्य का अनुरक्षण।

10. पेय जल :–

(क) सार्वजनिक प्रयोग के लिये पीने के पानी का अनुरक्षण।

(ख) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण।

11. ईंधन और चारा भूमि :–

(क) ईधन और चारा कार्यक्रमों का अनुश्रवण और विकास।

(ख) ईधन और चारा क्षेत्र के लिये पौधों का अनुरक्षण और विकास।

(ग) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा विनियमित किये गये कार्यक्रमों का अनुश्रवण।

12. सड़क, पुलिया, पुल, नौका घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :–

(क) जिले की ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और जल मार्गों का विकास और अनुरक्षण।

(ख) नदी किनारों का अनुरक्षण।

(ग) सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने में मदद करना।

13. ग्रामीण विद्युतीकरण :–

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के वितरण में मदद करना।

14. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत :–

(क) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास।

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यक्रमों में सहायता करना।

15. गरीबी उपशमन कार्यक्रम :–

(क) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की योजना, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना।

(ख) अन्य विभागों के साथ कार्यक्रमों का समन्वय।

16. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है : –

(क) प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण।

(ख) जिले में सभी के लिये शिक्षा उपलब्ध कराना।

(ग) जिले में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण।

17. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना और उनका अनुश्रवण

18. प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन और कार्यान्वयन

19. पुस्तकालय :–

खण्ड स्तर और जिले में पुस्तकालयों और वाचनालयों का निर्माण और अनुरक्षण ।

20. खेल कूद और सांस्कृतिक कार्य :–

(क) सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति।

(ख) क्षेत्रीय सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण।

(ग) विशेष अवसरों पर लोक सांस्कृतिक क्रिया कलापों की व्यवस्था।

21. बाजार और मेलें :–

(क) ग्रामीण बाजार मेलों (जिसके अन्तर्गत पशु मेलें भी हैं) का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण।

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये बाजार और मेलों से सम्बन्धित कार्यो का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण।

22. चिकित्सा और स्वच्छता :–

(क) महामारियों की रोकथाम और नियंत्रण में क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना और उपयुक्त रूप से वित्त पोषण करना।

(ख) प्राथमिक स्थास्थ्य केन्द्रो और औषधालयों की स्थापना, अनुश्रवण और प्रबन्ध।

(ग) पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराना।

23. परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण :–

24. प्रसूति और बाल विकास :–

(क) प्रसूति और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(ख) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

25. समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति का कल्याण भी है :–

(क) समाज कल्याण कार्यक्रमों जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना।

(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेन्शन योजनाओं के समाज कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

26. कमजोर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :–

(क) अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जन जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति।

(ख) ऐसी जातियों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण।

(ग) छात्रावासों की स्थापना और प्रबन्ध।

(घ) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और उनका कार्यान्वयन।

27. ग्रामीण वस्तुओं के वितरण का नियोजन और अनुश्रवण :–

28. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण :–

(क) विकास योजनाओं का समन्वय और एकीकरण।

(ख) सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण।

29. नियोजन और आँकड़े :–

(क) आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना।

(ख) क्षेत्र पंचायत की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय और एकीकरण।

(ग) खण्ड और ग्राम स्तर पर योजनाओं के निस्पादन को सुनिश्चित करना।

(घ) सफलताओं और लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा।

(ड.) जिले के भीतर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समस्त विषयों पर सामग्री संग्रह करना और आँकड़ों का अनुरक्षण।

30. सहायता कार्य :–

(क) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सहायता कार्यों और सहायता गृहों की स्थापना और उनका अनुरक्षण।

(ख) निर्धन गृहों, अनाथालयों और विश्राम गृहों की स्थापना, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निरीक्षण।

भाग – ख

1. अनिर्मित क्षेत्र में नयी सार्वजनिक सड़कों का पूर्व निर्मित अथवा सड़कों से लगे हुए भवनों और उनके अहातों के निर्माणार्थ भूमि अर्जित करना।
2. अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का सुधार।
3. स्कूलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिणिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना।
4. जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिये पारितोषिक देना जिससे जन्म–मृत्यु के आँकड़ों की ठीक–ठीक प्रविष्टि हो सके।
5. ट्राम पथो, हवाई रज्जु पथो तथा यातायात के अन्य साधनो का निर्माण, उन्हें आर्थिक सहायता देना या उनके विषय में प्रत्याभूति देना।
6. अपने क्षेत्र में नदियों और जल संभरण के अन्य स्रोतों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति अथवा कलुषित होने से बचाना।
7. पर्यटन की उन्नति।

वस्तुतः पंचायती राज की यह नवीन व्यवस्था समाज में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और शासन में जनसहभागिता को प्रोत्साहित कर सहज ही सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास पर आधारित आर्थिक परिवर्तन कर देश और समाज को नई दिशा और दशा प्रदान कर सकती है। किन्तु इन सबमें ग्राम पंचायतों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। अस्तु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अगले अध्यायों में, उक्त सन्दर्भो में, केवल ग्राम पंचायतों के कार्यो के विश्लेषण और मूल्यांकन पर बल दिया गया है।

अध्याय-चार

पंचायती राज और जन सहभागिता-लोकतंत्र का आधार

अध्याय :- चार

विकेन्द्रीकरण और जन सहभागिता :-

लोकतंत्र के आधार

विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक राजनीतिक मूल्य हैं। लोकतंत्र आज का सर्वाधिक सशक्त और वांछित मूल्य है, जो अपनी सफलता के लिये अधिक से अधिक जनसहभागिता की माँग करता है और जन सहभागिता के लिये सत्ता शक्ति का विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य हो जाता है। किसी भी देश काल की स्थानीय शासन की इकाईयाँ इन मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं। भारत के सन्दर्भ में सशक्त पंचायत व्यवस्था इन आदर्शों के संस्थापन, संरक्षण और भूमि सिंचन का कार्य करेंगी, इसी उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन व इसके आधार पर उ0प्र0 पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम द्वारा न केवल इनके स्वरूप में परिवर्तन किया गया बल्कि इन्हें पहली बार व्यापक अधिकारों से लैस किया गया जिससे ये अपनी वास्तविक वांछित भूमिका के निर्वहन में सक्षम व सफल हो सकें। शोध प्रबन्ध के इस चतुर्थ अध्याय में हमीरपुर जनपद की ग्राम पंचायतों के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण और जनसहभागिता के तथ्यों के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है।

प्रत्येक काल में दो तरह की सत्ता सदैव विद्यमान रही है – एक राज्य की सत्ता तथा दूसरी लोक शक्ति की। राजसत्ता हमेशा केन्द्रीकरण के प्रवृत्ति की ओर उन्मुख रही है और लोक शक्ति विकेन्द्रीकरण की माँग दोहराती रही है। पंचायतें सदैव ही लोकशक्ति के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास का धरालत रही हैं।[1] वस्तुतः केन्द्रीकृत व्यवस्था में काम का बोझ अधिक हो जाने से केन्द्रीय सत्ता विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नही कर पाती साथ ही शासन में लोगों की भागीदारी के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। जिससे समूची व्यवस्था के रूग्ण और क्रियाहीन हो जाने का खतरा बढ जाता है।

---

1. *अजय कुमार, पंचायत प्रणाली में गाँवों की आत्म निर्भरता, योजना, 2000, पृ0 40*

इसलिये 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा व व्यापक अधिकार दिये जाने से एक नयी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की स्थापना हुई है जिससे जनता को अपनी समस्याओं के अपने स्तर पर समाधान का अवसर प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय कार्यों को स्थानीय स्तर पर सम्पादित करने से निम्नलिखित प्रमुख लाभ होगें :-

1. स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समझकर उनका निदान सरलता से हो सकेगा।
2. विकास कार्यों की प्राथमिकता स्थानीय स्तर पर निश्चित की जायेगी।
3. विकास कार्य ऊपर से नही थोपे जायेगें वरन् उनका निर्धारण आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।
4. विकास कार्य स्थानीय स्तर पर किये जाने से उनका प्रभावी पर्यवेक्षण हो सकेगा।
5. स्थानीय स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण होने के कारण कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
6. स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से कार्य तेजी से हो सकेगें। कार्यों के कियान्वयन में विलम्ब नही होगा।
7. विकास कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर स्थानीय पर्यवेक्षण में होगा, अतः भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
8. ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर पर, स्थानीय साधनों से स्वयं अपनी देख-रेख में कार्य करने से कार्य की लागत भी कम आयेगी।
9. विकास कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग होगा।
10. ग्राम पंचायतें अब छोटे-छोटे कार्यों जैसे- हैण्डपम्प की मरम्मत, राजकीय नलकूप की मरम्मत, विद्यालय भवन की मरम्मत आदि के लिये जिला मुख्यालय के अधिकारी या शासन पर निर्भर नहीं रहेंगी।
11. ग्रामीण विकास लाल फीताशाही और नौकरशाही के चंगुल से मुक्त होगा।
12. ग्राम पंचायतों के स्टाफ द्वारा स्थानीय पर्यवेक्षण में एक ही ग्राम-पंचायत के लिये कार्य करने से उनकी स्पष्ट जवाबदेही बनेगी।

विकेन्द्रीकरण: ग्राम पंचायतों को सौपें गये कार्य :-

नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में ग्राम पंचायतो को निम्न कार्य सौंपे गये हैं।[1]

1. **शिक्षा** :- ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन अब ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होंगे।

2. **राजकीय नलकूप** :- राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। राजकीय नलकूप अब ग्राम पंचायत के स्वामित्व में होंगे। राजकीय नलकूपों की मरम्मत और रख-रखाव की धनराशि ''रख-रखाव अनुबन्ध'' के अन्तर्गत सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है। राजकीय नलकूपों के विद्युत बिल का भुगतान शासन द्वारा सीधे राज्य विद्युत परिषद को किया जा रहा है।

3. **हैण्ड पम्प** :- सभी विद्यमान और नये हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होंगे । हैण्ड पम्पों के मरम्मत और रख-रखाव के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार धनराशि शासन द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जा रही है।

4. **युवा कल्याण** :- युवा कल्याण, अखाड.ा, व्यायामशाला, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल तथा खेल कूद सम्बन्धी कार्यों का संचालन ग्राम- पंचायतों द्वारा किया जायेगा ।

5. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य** :- ग्राम स्तर पर स्थित ''मातृ शिशु कल्याण केन्द्र'' ग्राम - पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) तथा दाई भी ग्राम-पंचायत के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगी। चिकित्सां, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य

---

1. *आज की आवाज पंचायती राज जनता को अधिकार, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रकाशित*

एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत आने वाले उप केन्द्रों के लिए जो ग्राम–पंचायत को हस्तान्तरित किये गये हैं, के रख–रखाव के लिये आवश्यक धनराशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. **महिला एवं बालकल्याण** :– महिला एवं बाल विकास के समस्त ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम–पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जायेंगें। आँगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

7. **पशु धन विभाग** :– पशुधन विभाग के "पशु सेवा केन्द्र" तथा द "श्रेणी के पशु चिकित्सालय एवं इनमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

8. **राशन की दुकान** :– ग्राम पंचायतें राशन की दुकान से वितरित होने वाले खाद्यान्न चीनी, मिट्टी का तेल एवं अन्य अनुसूचित वस्तुओं के वितरण पर निगरानी रखेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि इन वस्तुओं की कालाबाजारी न हो।

9. **कृषि कार्य** :– कृषि से सम्बन्धित समस्त ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम–पंचायतों द्वारा किये जायेगें।

10. **गृाम्य विकास** :– ग्राम्य विकास से सम्बन्धित समस्त ग्राम–स्तरीय कार्य अब ग्राम–पंचायतों द्वारा किये जायेंगे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की धनराशि विकास कार्यों हेतु शासन द्वारा सीधे ग्राम–पंचायतों को दी जा रही है ।

11. **पंचायती राज विभाग** :– पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित समस्त ग्राम–स्तरीय कार्य ग्राम–पंचायतों द्वारा किये जा रहे है और उसके लिये आवश्यक धनराशि शासन द्वारा सीधे ग्राम–पंचायतों को दी जा रही है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को अन्य महत्वपूर्ण दायित्व व अधिकार सौंपे गये है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं–

सभी प्रकार की पेन्शन स्वीकृत करने और वितरण का अधिकार :–

नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को वृद्धावस्था/किसान पेंन्शन, विधवा पेंन्शन तथा विकलांग पेंन्शन को स्वीकृत करने तथा इनके वितरण का अधिकार दे दिया गया है। इससे सम्बन्धित लोगों को व्यर्थ की भाग दौड़ व लालफीताशाही की उलझनों से राहत मिली है। उक्त तीनों श्रेणियों की पेंशन के पहले से ही स्वीकृत पुराने मामलों के लिये पेंशन लाभार्थियों की सूची और पेंशन चेक ग्राम–पंचायत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में पेंशन चेक वितरित किये जाते हैं और वितरण के समय यह जाँच भी कर ली जाती है कि पेंशन का लाभार्थी जीवित है।

पेंशन के नये मामलों के लिये ग्राम–पंचायतों द्वारा पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी। यह सूची शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्राथमिकता क्रम में तैयार की जायेगी। विभिन्न प्रकार की पेंशन के पात्र व्यक्तियों की सूची शासन द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार बनायी जायेगी और इसके लिये पात्र व्यक्तियों को कोई प्रमाण–पत्र देने की आवश्यकता नही होगी। केवल विकलांग पेंशन के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी।

सम्पूर्ण जिले को पेन्शन के लाभार्थियों का जो लक्ष्य प्राप्त होगा उसे जनसंख्या के आधार पर पहले विकास खण्डों को और विकास खण्ड में जनसंख्या के आधार पर ग्राम–पंचायत को विभाजित किया जायेगा। ग्राम–पंचायतों को जो लक्ष्य प्राप्त होगा, उसके अनुसार ग्राम–पंचायत अपनी बैठक में प्राथमिकता क्रम में पात्र व्यक्तियों की तैयार की गई सूची में से लाभार्थियों का उसी क्रम में चयन करके उन्हे पेन्शन स्वीकृत करेगी। यदि पेन्शन के लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे लाभार्थी सूची से निकालकर उसके स्थान पर नये लाभार्थी को उक्त विधि के अनुसार ग्राम–पंचायत द्वारा पेंन्शन स्वीकृत कर दी जायेगी।

सभी प्रकार की छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित करने का अधिकार :–

नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम–पंचायत में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्र वृत्तियों का वितरण ग्राम–पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो छात्र वृत्तियाँ दी जा रहीं हैं उनके सम्बन्ध में विद्यालयों की सूची और उन विद्यालयों में पंजीकृत छात्र/छात्राओं की सूची ग्राम–पंचायत को उपलब्ध करा दी जाती है। ग्राम–पंचायत की शिक्षा समिति विद्यालयों की सूची और छात्र/छात्राओं की संख्या की पात्रता के सम्बन्ध में जाँच करती है।

ग्राम–पंचायतों को छात्र वृत्तियों के लिये धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। तथा इस धनराशि को ग्राम निधि खाता–3 में जमा किया जाता है। ग्राम–पंचायत की शिक्षा समिति अपनी बैठक में उसके द्वारा की गई जाँच के पश्चात पात्र छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर छात्र वृत्ति का वितरण करती है।

शिक्षा मित्र योजना :–

प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार देने के लिये "शिक्षा मित्र" योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना की प्रमुख विशेषतायें निम्न लिखित हैं–

1. प्रदेश में अपेक्षित साक्षरता दर प्राप्त करने के लिये अध्यापकों की कमी को दूर करने की दिशा में "शिक्षा मित्र" योजना ग्राम–पंचायतों की देख–रेख में संचालित होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित व्यक्तियों को 2250 रू0 के नियत मानदेय पर शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर रखा जायेगा। यह व्यय–भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
3. संविदा पर नियुक्त ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र कहा जायेगा।
4. "शिक्षा मित्र" का चयन "ग्राम शिक्षा समिति" करेगी।

5. "शिक्षा मित्र" के लिये न्यूनतम योग्यता इन्टर मीडिएट होगी।
6. इस योजना में 50 प्रतिशत "शिक्षा मित्र" महिलायें होंगी।
7. इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अपेक्षित अध्यापक–छात्र अनुपात को मानक के अनुसार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शिक्षा गारन्टी योजना :–

उक्त "शिक्षा मित्र" योजना के साथ–साथ सबको शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से ग्राम–पंचायतों के ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्यालय नहीं हैं, वहाँ पर भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से सरकार द्वारा एक अभिनव योजना "शिक्षा गारण्टी योजना" के नाम से प्रारम्भ की गई है जिसकी प्रमुख विशेषतायें निम्न लिखित हैं –

1. शिक्षा गारण्टी योजना, ऐसे प्रत्येक गाँव अथवा मजरे में चलायी जायेगी, जहाँ एक कि0मी0 की दूरी तक कोई विद्यालय नहीं है तथा जहाँ 6 से 11 वर्ष आयु के कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्र में यह योजना केवल 20 बच्चों की उपलब्धता पर ही चलायी जा सकती है।
2. इस योजना का संचालन पूर्ण रूप से ग्राम–पंचायतों द्वारा किया जायेगा।
3. ग्राम–पंचायतें इस योजना के लिये कार्यस्थल का चयन करेंगी। अध्यापन कार्य हेतु 1000 रू0 प्रति माह मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। यह व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। चयनित व्यक्ति "आचार्य जी" कहलायेगा और वह अंशकालिक होगा।
4. आचार्य जी के चयन में महिलाओं को प्राथमिका दी जायेगी । इस योजना में संचालित विद्यालय को "विद्या केन्द्र" कहा जायेगा। विद्या केन्द्रों में पीने के पानी व शौचालयों की व्यवस्था ग्राम–पंचायतें करेंगी।
5. इस योजना के अनतर्गत शासन द्वारा पाठ्य–पुस्तकें निःशुल्क दी जायेगी तथा इन विद्यालयों के कक्षा 1 तथा 2 तक शिक्षा प्राप्त बच्चों को नियमित विद्यालयों की कक्षा 3 में प्रवेश अनुमन्य होगा।

किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों और पंचायत द्वारा नियुक्त शिक्षकों में कम से कम 3:2 का अनुपात होगा अर्थात यदि विद्यालय में कुल 5 शिक्षक हैं तो कम से कम 3 पूर्णकालिक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होगें और अधिकतम 2 शिक्षक पंचायतों द्वारा नियुक्त किये जा सकेगें।

विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिये की गई व्यवस्थायें :-

किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों व कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर देना ही पर्याप्त नही होता, अपितु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में धरातल की इकाईयां अपने दायित्वों का निर्वाह समुचित तरीके से कर सकें इसके लिये उन्हें अपेक्षित संसाधन भी प्रदान करने होते हैं। नयी पंचायती राज व्यवस्था में 11वीं अनुसूची के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं, उन्हें पूरा करने के लिये आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराये गये हैं। जैसे –

1. परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण एवं रख रखाव :-

ग्राम पंचायतों को जो कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं, उन कार्यों से सम्बन्धित ऐसी समस्त परिसम्पत्तियाँ, जो ग्राम पंचायत में स्थित है, पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गई हैं और इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर विभाग द्वारा जो धनराशि अब तक व्यय की जाती रही है, वह सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गई है। परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी सदस्य हैं तथा जिला पंचायत राज अधिकारी इस समिति का संयोजक है।

2. स्टॉफ की व्यवस्था :-

अभी तक गाँवों में कार्य करने के लिये विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता कार्यरत थे। अनेक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के अधीन 6 से 8 गाँवों का काम–काज होता था। इस प्रकार एक कार्यकर्ता के अधीन 6 से 8 गाँव होने से उसकी उपलब्धता और उत्तरदायित्व अनिश्चित बना रहता था। किन्तु विकेन्द्रीकरण की नई व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की गाँव में उपलब्धता

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बहुउद्देशीय कर्मी तैनात किया गया है जिसे "ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी" के नाम से पदनामित किया गया है। ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें पूर्णकालिक सचिव देना संभव नही है उनमें ग्राम सभा के प्रस्ताव पर एक वर्ष तक की अवधि जो बाद में बढ़ाई जा सकती है, सह–सचिव नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के जनपद एवं मण्डल स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय प्रशासनिक समन्वय समिति तथा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक मण्डल स्तरीय प्रशासनिक समन्वय समिति का गठन किया गया है।

यदि जनपद में पंचायत कर्मी उपलब्ध है तो बड़ी ग्राम–पंचायतों में दो ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी तैनात किये जायेगें। दूसरे ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी की तैनाती ग्राम–पंचायतों की जनसंख्या के वरीयता कम के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक न्याय पंचायत के केन्द्र में स्थित अधिक आबादी वाली ग्राम–पंचायत में किसान सहायक अवश्य तैनात किया जायेगा।

ग्राम–पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह प्रावधान है कि प्रारम्भ में इनकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को निर्देश है कि वे ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियन्त्रण में कार्य करेगें तथा जाबचार्ट[1] के अनुसार निर्धारित कार्यों को केवल अपने तैनाती की ग्राम पंचायत में ही सम्पादित करेंगे।

ऐसी ग्राम पंचायतों में जहाँ किन्ही कारणोवश ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति नही हो पाई है अथवा सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पदोन्नति त्याग–पत्र या सेवा से बर्खास्तगी की स्थिति में पद रिक्त हुआ है तो ग्राम–पंचायत द्वारा तत्काल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।[2] इस प्रकार की नियुक्ति पूरी तरह से ग्राम–पंचायत द्वारा की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट

---

1 *ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के जाब चार्ट के लिये देखें "परिशिष्ट"।*

2 *उ0प्र0 ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी भर्ती नियमावली 1999 (शासनादेश संख्या – 4880/ 33–1–99–455/ 99), लखनऊ दि0 30–07–1999*

व आयु सीमा 18 वर्ष से 32 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार देने की व्यवस्था है। ऐसी नियुक्तियाँ 2 वर्ष के लिये अनुबन्ध के आधार पर की जा सकेंगी। ऐसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को एक माह के प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्त किया जायेगा व 2250 रू0 प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा जिसका व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिये ग्राम–पंचायत में पंचायत कार्यालय के निकट आवास निर्माण का प्रावधान किया गया है।

3. धनराशि का आवंटन :–

किसी भी दायित्व के सम्पादन के लिये वित्तीय संसाधनों का होना अपरिहार्य है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्राम–पंचायतों को व्यापक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। ग्राम पंचायतों को निम्न स्रोतों से वित्तीय साधनों का आवंटन किया गया है –[1]

(क) सौपें गये कार्य को करने के लिये धन :–

ग्राम पंचायतों को जो कार्य सौपें गये हैं उनके लिये शासन द्वारा अलग से धन उपलब्ध कराया जाता है और यह धनराशि सीधे ग्राम–पंचायतों को दी जाती है।

(ख) हस्तान्तरित सम्पत्तियों के रख रखाव हेतु धन :–

जो सम्पत्तियाँ ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित की गयी है, उनके रख रखाव हेतु शासन द्वारा अलग से धन सीधे ग्राम–पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) पंचायत में कार्यरत कर्मियो का वेतन :–

पंचायत के अधीन किये गये सभी कर्मियों का वेतन शासन द्वारा राजकोष से दिया जाता है।

(घ) नई भर्ती के कर्मियों का वेतन :–

ग्राम पंचायतों द्वारा शिक्षकों तथा ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी की जो भी नई

---

1. *सत्ता जनता के हाथ और सरकार जनता के द्वारा, अगस्त 1999 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, पृ0 12–14*

भर्ती की जाती है उनके वेतन–मानदेय की धनराशि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

(ड.) ग्राम पंचायतों को धनराशि का सीधे अन्तरण :–

ग्राम पंचायतों को उन्हें सौपें गये कार्यों को सम्पादित करने के लिये दी जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त गाँव के विकास के लिये राज्य–सरकार की कुल 'कर–आय' का 4 प्रतिशत अंश सीधे ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। जैसे–जैसे राज्य की करों से आय बढ़ेगी, प्रतिवर्ष ग्राम–पंचायतों को मिलने वाली धनराशि भी बढ़ती जायेगी।

सम्पूर्ण देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1997–98 में राज्य के कुल करों की धनराशि का 4 प्रतिशत ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से ग्राम–पंचायतों को सीधे प्राप्त होने वाली धनराशि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है –[1]

वर्ष	धनराशि
1996–97	20 करोड़ रूपये
1997–98	255 करोड़ रूपये
1998–99	300 करोड़ रूपये
1999–2000	328 करोड़ रूपये
2000–2001	398 करोड़ रूपये

इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास की योजनाओं से भी ग्राम–पंचायतों को सीधे धनराशि दी जा रही है। दशम वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि भी ग्राम–पंचायतों को सीधे दी जा रही है।

ग्राम पंचायतों को सौंपे गये कार्यों को सम्पादित करने के लिये दी जाने वाली

---

1. *आज की आवाज, पंचायती राज, जनता को अधिकार, पूर्वोक्त, पृ0 10*

धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 1999–2000 में ग्राम–पंचायतों को सीधे प्राप्त होने वाली धनराशि इस प्रकार है –[1]

	धनराशि
राज्य के करों की प्राप्ति के 4 प्रतिशत अन्तरण से	328 करोड़ रूपये
ग्राम विकास योजनाओं से	583 करोड़ रूपये
दशम् वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार	189 करोड़ रूपये
इस प्रकार 1999–2000 में ग्राम पंचायतों को सीधे प्राप्त होने वाली कुल धनराशि	1100 करोड़ रूपये

1. ग्रामनिधि पर ग्राम पंचायत का नियन्त्रण :–

सौंपे गये कार्यों को करने के लिये अथवा अन्तरण से सीधे प्राप्त धनराशि को ग्रामनिधि में जमा किया जाता है और ग्राम निधि से धनराशि ग्राम–प्रधान एवं ग्राम–पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों के आहरित की जाती है।

2. सिंचाई कर से प्राप्त आय ग्राम पंचायतों को :–

ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजकीय नलकूपों के सिंचाई–कर को एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। इससे जो धनराशि प्राप्त होती है उसे "ग्राम निधि" में जमा किया जाता है।

3. भू–राजस्व पर सरचार्ज लगाने का अधिकार :–

भू–राजस्व पर सरचार्ज लगाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। ऐसे सरचार्ज को एकत्र करके प्राप्त आय को "ग्राम निधि" में जमा किया जाता है।

---

1. *सत्ता जनता के हाथ और सरकार जनता के द्वारा, पूर्वोक्त प्र0,13*

4. विकेन्द्रीकरण व्यवस्था का प्रशिक्षण :–

किसी भी व्यवस्था की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है, व्यवस्था के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित लोगों का यथोचित प्रशिक्षण। चूंकि ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी अभी तक केवल एक ही विभाग का कार्य देखते थे, किन्तु अब उन्हें एक ही ग्राम–पंचायत में 8 विभागों के कार्य देखने है, इस लिये इनके समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभूत की गई। साथ ही ग्राम–पंचायतों के ग्राम प्रधानों व सदस्यों की भूमिका में भी आधारभूत परिवर्तन आ गया है, इसलिये इनके लिये भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना अपरिहार्य हो गया। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खण्ड स्तर प्रशिक्षण हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये गये हैं, और आगे भी चलाये जाने की योजना है। इस उद्देश्य से एक विस्तृत मैनुअल भी तैयार किया गया है।

5. पारदर्शिता हेतु व्यवस्था :–

कोई भी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था कार्यों के कियान्वयन के सम्बन्ध में पारदर्शिता की माँग करती है, जिससे कार्यों का सही तरीके से सम्पादन हो सके, भ्रष्टाचार तथा अन्य गड़बड़ियों को रोका जा सके और व्यवस्था अपने समुचित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नयी पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम–पंचायतों को व्यापक अधिकार ही नही दिये गये, बल्कि उनके कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु प्रबन्ध भी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में निम्न उपाय किये गये हैं –

1. ग्राम पंचायतों की बैठकें प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेंगी। ग्राम पंचायतों की एक बैठक सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को अवश्य आयोजित की जायेंगी। यदि बैठक समय से आयोजित नही की जाती है तो यू0पी0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 व 96 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है।
2. जिन ग्राम पंचायतों में महिलायें प्रधान हैं, वहाँ ग्राम पंचायत के बैठकों की अध्यक्षता महिलायें ही करेंगी और महिला प्रधान के रिश्तेदारों का ऐसी बैठकों में प्रवेश वर्जित

होगा। निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के कार्यालयों में भी सामान्यतया उनके रिश्तेदारों का प्रवेश वर्जित होगा।

3. ग्राम पंचायतें विभिन्न विषयों पर कार्य के सम्बन्ध में 6 समितियों का गठन करेगीं और कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार किसी 'व्यक्ति' या 'पदाधिकारी' को न होकर समितियों को होगा।
4. ग्राम–पंचायत के प्रत्येक ग्रामवासी को ग्राम–पंचायत के किसी भी अभिलेख की प्रति लेने का अधिकार होगा। अभिलेख की प्रति सचिव से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकती है। अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम–पंचायत के सचिव का होगा। यदि अभिलेख की प्रति तीन दिन के अन्दर उपलब्ध नही करायी जाती है तो ग्राम–पंचायत के सचिव के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।[1]
5. ग्राम पंचायतों द्वारा अपने समस्त किया–कलापों, प्राप्त आय एवं प्राप्त धनराशि तथा समस्त व्ययों का विस्तृत हिसाब–किताब रखा जायेगा और इसे ग्राम सभा की छमाही बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम–पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण भी किया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत के सन्दर्भ के विकेन्द्रीकरण :–

यद्यपि नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण की सबसे आधार भूत व महत्वपूर्ण इकाई ग्राम–पंचायतें ही हैं, किन्तु पंचायती व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना के शेष दोनों स्तर – क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण की व्यवस्थाओं का संक्षिप्त उल्लेख भी अपरिहार्य है। इस सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायतों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं –[2]

---

1. *उत्तर प्रदेश पंचायती राज (अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ दिया जाना) नियमावली 1999*
2. *सत्ता जनता के हाथ और सरकार जनता के द्वारा पूर्वाक्त पृ0 21–22*

1. ग्राम्य विकास के कार्यक्रम :–

क्षेत्र पंचायत स्तर से चलाये जाने वाले ग्राम्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित कियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जायेगा। ग्राम्य विकास के कार्यों को सम्पादित करने वाले विकास खण्ड स्तर के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी क्षेत्र पंचायतके नियंत्रण में कार्य करेगें। विकास खण्ड स्तरीय ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये आवश्यक धनराशि सीधे क्षेत्र–पंचायतों को दी जायेगी।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :–

विकास खण्उ स्तर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द क्षेत्र–पंचायतों के स्वामित्व में होगें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र–पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगें। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि, दवाईयाँ तथा अन्य सामग्री क्षेत्र–पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3. पशु चिकित्सालय :–

विकास खण्ड स्तर पर स्थित पशु चिकित्सालय क्षेत्र पंचायतों के स्वामित्व में होगें। पशु चिकित्सालय का संचालन क्षेत्र–पंचायत द्वारा किया जायेगा। पशु चिकित्सालय के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र–पंचायत के नियन्त्रण में कार्य करेगें । पशु– चिकित्सालय से सम्बन्धित कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि, दवाइयाँ तथा अन्य सामग्री क्षेत्र–पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

4. बीज केन्द्र :–

विकास खण्ड स्तर पर स्थित बीज केन्द्र क्षेत्र–पंचायतों के स्वामित्व में होगें। बीज केन्द्र का संचालन क्षेत्र–पंचायत द्वारा किया जायेगा। बीज केन्द्र का समस्त स्टाफ क्षेत्र–पंचायत के नियंत्रण के कार्य करेगा। बीज केन्द्र से सम्बन्धित कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि तथा अन्य सामग्री क्षेत्र–पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी।

5. विपणन गोदाम :–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु विकास खण्ड स्तर पर स्थित विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का पूर्ण अधिकार क्षेत्र पंचायतों को होगा।

6. एक से अधिक ग्राम–पंचायतों को आच्छादित करने वाले कार्य :–

ऐसे कार्य जो एक से अधिक ग्राम–पंचायतों में किये जाने हैं, क्षेत्र–पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगें। ऐसे कार्यों को सम्पादित करने के लिये आवश्यक धनराशि शासन द्वारा क्षेत्र पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. सम्पत्तियों का रख–रखाव :–

क्षेत्र समितियों को हस्तान्तरित कार्यों से सम्बन्धित विभागीय परिसम्पत्तियाँ क्षेत्र पंचायतों को हस्तान्तरित की जायेंगी। इन परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का दायित्व क्षेत्र–पंचायतों का होगा। क्षेत्र पंचायतों के हस्तान्तरित विभागीय परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि शासन द्वारा क्षेत्र पंचायतों को दी जायेगी।

क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गये कार्य निम्न 6 समितियों के माध्यम से किये जायेंगे–

1. नियोजन एवं विकास समिति
2. शिक्षा समिति
3. निर्माण कार्य समिति
4. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
5. प्रशासनिक समिति
6. जल प्रबन्धन समिति

क्षेत्र पंचायतों के कार्यों के समबन्ध में निर्णय किसी ''व्यक्ति'' अथवा ''पदाधिकारी'' द्वारा नहीं लिये जायेंगे बल्कि इन्ही समितियों द्वारा सम्यक विचार विमर्श के उपरान्त सामूहिक रूप से लिया जायेगा।

क्षेत्र निधि का संचालन :–

क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र निधि का संचालन पहले खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता था। किन्तु अब उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष व खण्ड विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से इसके संचालन की वयवस्था की गई है।

जिला पंचायत के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण :–

नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत शीर्ष स्तर अर्थात जिला पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकरण हेतु निम्न प्रावधान किये गये हैं –

1. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का पुनर्गठन :–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0 आर0 डी0 ए0) का पुनर्गठन किया गया है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत डी0 आर0 डी0 ए0 का अध्यक्ष अब जिलाधिकारी के स्थान पर जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे। इसके शासी निकाय में वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त जिला पंचायत की पाँचों समितियों के अध्यक्ष तथा वर्ण ग्रमानुसार क्षेत्र–पंचायतों के 50 प्रतिशत प्रभुत्वों को एक–एक वर्ष के लिये सदस्य बनाया गया है।

2. मत्स्य विकास अभिकरण का पुनर्गठन :–

मत्स्य विकास अभिकरण का भी पुनर्गठन इस प्रकार किया गया गया है कि इसके अध्यक्ष अब जिलाधिकारी के स्थान पर जिला–पंचायत अध्यक्ष होंगे। मत्स्य विकास अभिकरण की शासी निकाय में वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त जिला–पंचायत की पाँचों स्थायी समितियों के अध्यक्ष तथा वर्णकमानुसार क्षेत्र–पंचायतों के 50 प्रतिशत प्रमुखों को एक–एक वर्ष के लिये सदस्य बनाया गया है।

3. सिंचाई बन्धु के अध्यक्ष अब समबन्धित जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे।

4. विधायक निधि/पूर्वांचल विकास निधि/बुन्देलखण्ड विकास निधि तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जिलाधिकारी के स्थान पर मुख्य अधिकारी द्वारा डी0 आर0 डी0 ए0 के माध्यम से संचालित की जायेगी।

5. चूँकि भारत सरकार द्वारा सांसद निधि के संचालन के लिये केवल जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है, अतः सांसद निधि पूर्ववत् जिलाधिकारी के नियन्त्रण में रहेगी।

6. जिला स्तरीय अधिकारियों का जिला पंचायत को हस्तान्तरण :–

प्रथम चरण में जिन कार्यो को ग्रामीण निकायों को हस्तान्तरित किया गया है, उन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जिला–पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगें। प्रथम चरण में निम्न लिखित विभागों के अधिकारी जिला पंचायत के अधीन कार्य करेंगें।[1]

1. मुख्य अधिकारी
2. जिला विकास अधिकारी
3. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4. जिला विद्यालय निरीक्षक
5. बेसिक शिक्षा अधिकारी
6. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप
7. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम
8. अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
10. जिला युवा कल्याण अधिकारी
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी
12. कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास परियोजना)
13. जिला पशुधन अधिकारी
14. जिला कृषि अधिकारी
15. सहायक निबनधक, सहकारिता
16. जिला भूमि संरक्षण अधिकारी
17. जिला उद्यान अधिकारी

---

1. *वही प्र0 26*

18. सहायक निदेशक, मत्स्य
19. जिला गन्ना विकास अधिकारी
20. जिला दुग्ध विकास अधिकरी
21. जिला पंचायती राज अधिकारी

7. जिला पंचायत के सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी :–

निम्न अधिकारियों को जिला पंचायत का सलाहकार बनाया गया है।[1]–

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2. जिला पूर्ति अधिकारी
3. उप क्षेत्रीय विपणन अधिकारी
4. जिला वन अधिकारी
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत
8. सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
9. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी

8. कार्य सम्पादन समितियों द्वारा :–

ग्राम–पंचायत तथा क्षेत्र पंचायतों की ही भाँति जिला–पंचायत के सन्दर्भ में भी व्यवस्था की गई है कि इसके कार्यो का सम्पादन निम्न स्थायी समितियों द्वारा किया जायेगा। –

1. कार्यकारी समिति
2. नियोजन एवं वित्त समिति

---

1. *वही, पृ0 27*

3. उद्योग एवं निर्माण कार्य समिति
4. शिक्षा समिति
5. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
6. जल प्रबन्धन समिति

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित स्टाफ की स्थिति :-

विकेन्द्रीकरण की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम-पंचायतों, क्षेत्र-पंचायतों तथा जिला-पंचायतों को जो स्टाफ हस्तान्तरित होगा, वह पूर्ण रूप से सम्बन्धित पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा। इस हस्तान्तरित स्टाफ की विभिन्न सन्दर्भों में स्थिति निम्न प्रकार से होगी[1] -

वेतन वितरण :-

ग्राम-पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला-पंचायत के नियंत्रण में कार्यरत समस्त स्टाफ का वेतन वितरण फिलहाल सम्बन्धित विभागों द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार इस समय किया जा रहा है। यह वेतन राजकोष से दिया जायेगा। यह आवश्यक है कि विभागों द्वारा वेतन भुगतान ग्राम-पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला-पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा उपस्थिति सत्यापन की मासिक आख्या के आधार पर किया जायेगा।

राजकीय कर्मचारी :-

ग्राम-पंचायत, क्षेत्र-पंचायत तथा जिला-पंचायत को हस्तान्तरित राजकीय स्टाफ "राजकीय सेवक" ही बना रहेगा।

सेवा शर्तें :-

हस्तान्तरित स्टाफ के वेतन मान, वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रोन्नति के अवसर, नियोक्ता अधिकारी सम्बन्ध तथा सेवा निवृत्ति के लाभ की शर्तें पूर्ववत बनी रहेंगीं।

---

1. *वही, पृ0 33-34*

छँटनी नहीं :–

विकेन्द्रीकरण की नई व्यवस्था में किसी कर्मचारी की छँटनी नहीं की जायेगी।

मृतक आश्रित को सेवा योजन :–

यदि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किसी स्टॉफ की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को राजकीय नौकरी देन की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। हस्तान्तरित स्टाफ के मृतक आश्रित को राजकीय नौकरी देन के लिये जिलाधिकरी को अधिकृत किया गया है । जिलाधिकरी द्वारा मृतक आश्रित को उनकी शैक्षिणक योगयता के अनुसार कलेक्ट्रेट अथवा जनपद की किसी तहसील अथवा जनपद के किसी विकास खण्ड में रिक्त पद पर नौकरी दी जायेगी। यदि पद रिक्त नहीं है तो कलेक्ट्रेट या तहसील या विकास खण्ड में अतिरिक्त पद स्वतः ही सृजित मानकर नियुक्ति कर दी जायगी।

अवकाश स्वीकृति :–

हस्तान्तरित स्टॉफ को आकस्मिक अवकाश, अल्प–अवधि अवकाश व अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार–ग्राम पंचायत/क्षेत्र–पंचायत/जिला–पंचायत कोहोगा।

वार्षिक मूल्याकंन :–

हस्तान्तरित स्टाफ का वार्षिक मूल्यांकन ग्राम–पंचायत/क्षेत्र, पंचायत / जिला–पंचायत स्तर की प्रशासनिक समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

विभागीय कार्यवाही :–

हस्तान्तरित स्टाफ को लघु दण्ड के लिये ग्राम–पंचायत/क्षेत्र–पंचायत/जिला – पंचायत की प्रशासनिक समिति अपनी आख्या सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को भेजेगी तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उसका परीक्षण करके 15 दिन में नियमानुसार कार्यवाही करेंगें

तथा कृत कार्यवाही से ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला–पंचायत को अवगत करायेंगे किन्तु वृहद दण्ड की कार्यवाही सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप पूर्ववत् की जायेगी।

सेवा नियमावली के प्रावधान यथावत :–

हस्तान्तरित स्टाफ जिस सेवा नियमावली से आच्छादित होता है, वह यथावत लागू रहेगा। कैडर, वरिष्ठता, प्रोन्नति के अवसर सेवा शर्तें अदि यथावत रहेंगे। इस प्रकार उन्हे विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में सेवा के सम्बन्ध में पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है।

विकेन्द्रीकरण और जन सहभागिता : व्यवहारिक सच :–

स्वशासन को राजनीतिक चिन्तकों ने लोक तंत्र का पर्याय माना है। लोकतंत्र का वास्तविक सार यह है कि निरीह से निरीह व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी प्राप्त हो। जनता ही शासकीय सत्ता का श्रोत है और वही इससे लाभान्वित होती है। गणतंत्र का मूल आधार यह है कि प्रत्येक छोटे–से छोटे नागरिक को भी प्रशासन को प्रभावित करने तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में किसी न किसी स्तर पर भागीदारी का प्राप्त हो ताकि वे स्वशासन के निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें।

भारत में स्थानीय शासन को प्रायः स्थानीय स्वशासन के नाम से पुकारा जाता रहा है। स्थानीय स्वशासन उस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसके द्वारा उसकी रचना की जाती है। विलियम ए0 रात्सन के अनुसार सामान्यतया स्थानीय शासन में एक ऐसे प्रभुत्व हीन समुदाय की धारणा निहित होती है जिसके पास अपने मामलों का नियमन करने का विधिक अधिकार तथा आवश्यक संगठन हुआ करता है। इसके लिये ऐसी सत्ता का होना आवश्यक है जो वाह्य नियंत्रण से मुक्त रहकर काम कर सके और यह भी जरूरी है कि स्थानीय समुदाय का अपने मामलों के प्रशासन में साझा हो।[1]

---

1. *मधु राठोड़, पंचायती राज और महिला विकास पोइंन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2002 के पृ 72 पर उद्धृत।*

भारत में स्थानीय शासन की संस्थायें ग्राम पंचायतों के रूप में पुरातन काल से रही हैं किन्तु 73 वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा व विभिन्न शासनादेशों तथा नियमावलियों द्वारा जिस प्रकार के विधिक स्वरूप वाले अधिकार सम्पन्न पंचायती राज संस्थाओं का संघटन किया गया है, उसके स्वरूप व रचना से ही उसके शुभ संकेतों एवं प्राप्त हो सकने वाले व्यापक परिणामों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। किन्तु 1995 से 2000 के प्रथम कार्यकाल के दौरान जिस तरह से पंचायत संस्थाओं द्वारा कार्य किया गया है, अथवा किया जा रहा है उससे बहुत सकारात्मक तस्वीर नहीं उभरती।

इस सम्बन्ध में मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश के बुन्देल खण्ड क्षेत्र के हमीरपुर जनपद को अध्ययन हेतु चयनित किया गया। तत्पश्चात जनपद के सात विकास खण्डों में से प्रत्येक विकास खण्ड से दस–दस ग्राम पंचायतों अर्थात पूरे जनपद से 70 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। ग्राम पंचायत का चयन करते वक्त इस बात को ध्यान में रखा गया कि आरक्षित वर्ग, यथा अनुसूचित जाति, पिछडे. वर्ग व महिलाओं के लिये आरक्षित गाँवों का यथोचित अनुपात, अध्ययन में सम्मिलित रहे। साथ ही जन संख्या वार ऐसे गाँवों को भी समुचित अनुपात में चयनित किया गया जिनकी आबादी में अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़ी जातियों का प्रतिशत अधिक हो। इन गाँवों के ग्राम–पंचायत प्रधानों, सदस्यों एवं ग्राम सभा के कुछ सदस्यों को समलित करते हुए लगभग 1000 व्यक्तियों का साक्षात्कार अनुसूची, विधि से साक्षात्कार लिया गया व शोधार्थिनी द्वारा स्वयं इन गाँवों में जाकर ग्राम–पंचायतों की कार्यप्रणाली तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण व परीक्षण किया गया। इस प्रकार के सर्वेक्षण से जो परिणाम व सूचनायें प्राप्त हुई है, वे चौकाने वाले हैं।

विकेन्द्रीकरण : सौंपे गये दायित्वों की स्थिति :–

शोधार्थिनी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में विकन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम–पंचायतों को सौंपे गये दायित्वों के विषय में जब जानकारी की गयी तो जो तथ्य प्रकाश में आये अथवा बताये गये, वे सकारात्मक थे। इस सम्बन्ध में जानकारी देने में मात्र 30 प्रतिशत गाँवों के प्रधानों ने अपेक्षित सहयोग किया शेष ने अधूरी जानकारी दी या पूछे गये

प्रश्नों के सम्बन्ध में टाल–मटोल की नीति अपनायी ऐसे गाँवों के सम्बन्ध में शोधार्थिनी ने स्वयं पर्यवेक्षण कर तथा अन्य लागों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की।

पेय जल जीवन की एक अपरिहार्य आवश्यक्ता है और वह भी स्वच्छ व प्रदूषण हीन पेयजल की उपलब्धता भारत में गाँवों ही नहीं शहरों के लिये भी एक विकट समस्या बनी हुई है। नयी पंचायत व्यवस्था में गाँवों में हैण्ड पम्प लगवाने व उनके रख–रखाव का अधिकार व कार्य ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर इस दिशा में गाँवों की एक बहुत बड़ी समस्या हल करने में मदद् मिली है। विशेष रूप से कमजोर वर्गों की बस्तियों में इस प्रकार की व्यवस्था के व्यापक लाभ हुए है। इससे स्थानीय ग्राम पंचायत के निर्णय पर अपेक्षित स्थानों पर हैण्ड पम्प लगवाने व उनके खराब हो जाने की स्थिति में यथा शीघ्र मरम्मत करवा लेना सुगम हो गया है। हमीरपुर के कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा व मुस्करा क्षेत्र पंचायतों तथा शेष तीन राठ, गोहाण्ड व सरीला में जहाँ हैण्ड पम्प के लिये बोरिंग सफल है– क्षेत्र पंचायतों के गाँवों में ग्राम प्रधानों व स्थानीय लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि 1995 से 2000 के बीच हैण्ड पम्पों की स्थापना और उनके रख–रखाव का कार्य पहले की तुलना में अधिक क्रियाशील व गत्यात्मक है। राठ, गोहाण्ड व सरीला क्षेत्र पंचायतों में जहाँ जमीन पथरीली है अथवा जलस्तर बहुत नीचे है, अवश्य इस दिशा में अधिक सफलता नहीं मिली है, किन्तु जहाँ कहीं भी यह व्यवस्था सफल है वहाँ जल के लिये लोगों की कठिनाइयों का अन्त हुआ है। पूरे जनपद में वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 में प्रतिवर्ष 511 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों द्वारा ग्रामीण जनता को जल सम्पूर्ति की जाती रही है।

ग्राम पंचायत में स्थिति प्राथिमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उनके स्टाफ ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये है। अपेक्षा की गई है कि इससे गाँव के लोगों को समयानुसार प्राथमिक उपचार प्राप्त हो सकेगा किन्तु चयनित 70 ग्राम पंचायतों में से 22 ग्राम पंचायतों के स्वाथ्य कर्मी नियमित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित मिलते है, और प्राथमिक उपचार हेतु कुछ दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध है किन्तु शेष के सम्बन्ध में या तो प्रमाणिक जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी अथवा उनके विषय में हर पक्ष में नकारात्मक सूचनायें प्राप्त हुई।

राशन की दुकानों के ग्राम–पंचायतों के नियंत्रण में आ जाने से ग्रामीण लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति) के लोगो के लिये आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सहज और सुगम हो गया। 1000 लोगों के सर्वेक्षण में लगभग 836 अर्थात 83.6 प्रतिशत लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। एक सीमा तक इससे काला बाजारी रोकने में भी मदद मिली है। किन्तु इस सम्बन्ध में लगभग 66 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि राशन की दुकानों से मिलने वाली वस्तुओं में, विशेश रूप से चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण में, कुछ प्रभाव शाली लोगों ने अपने लिये निर्धारित कोटे से अधिक लाभ लिया।

सभी प्रकार की पेन्शन के स्वीकृति व वितरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को मिलने से इस कार्य में होने वाले अनावश्यक भाग दौड़ व विलम्ब से लाभार्थियों को निश्चय ही राहत मिली है। 90 प्रतिशत लाभार्थी इस व्यवस्था से राहत महसूस कर रहें है, जबकि 10 प्रतिशत लाभार्थी इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रस्तुत कर पाने में असमंजता अथवा अनिश्चितता का अनुभव कर रहे थे।

नयी पंचायत व्यवस्था में शिक्षा के समबन्ध में ग्राम पंचायतो को व्यापक अधिकार दिये जाने से इस क्षेत्र में पर्याप्त सकारात्मक परिणाम उभर कर सामने आये हैं। प्रायः यह देखा जाता रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रही है। किसी विद्यालय में एक तो किसी विद्यालय में दो शिक्षक कक्षा एक से पाँच तक के सभी शिक्षार्थियों का अध्यापन करते थे और इनमें भी प्रायः उपस्थित रहने की दर कम ही होती थी। यद्यपि पिछले कुछ वर्ष में राज्य सरकार ने अधिक से अधिक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया है फिर भी शिक्षार्थी और शिक्षक के उचित अनुपात का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका। इस कमी को दूर करने के लिये शिक्षा मित्र योजना प्रारम्भा की गई। इस योजना के अन्तर्गत 2250 रू0 के मानदेय पर संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम–पंचायतों द्वारा की जाती है इस व्यवस्था से निश्चय ही, प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी दूर हुई है। इतना ही नहीं हमीरपुर जनपद में गाँव प्रायः काफी दूरी पर स्थित है कई गाँव ऐसे है जहाँ एक भी प्राथमिक पाठशाला नहीं है, व निकटतम पाठशाला दो अथवा तीन कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ऐसे स्थानों पर शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत ग्रम पंचायतों द्वारा 1000 रूपये के मानदेय पर ''आयार्च जी'' पद नाम से शिक्षकों की नियुक्ति की

गई है जिससे सबको शिक्षा सहज सुलभ हो सके। साथ ही प्राथमिक पाठशालाओं पर ग्राम–पंचायतों का नियंत्रण स्थापित होने से नियमित अध्यापकों की उपस्थिति में भी अपेक्षित सुधार संभव हुआ है।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में दो तरह के निर्माण कार्यों से ग्रामीण जनता को अत्यधिक राहत व लाभ मिला है– एक सम्पर्क मार्ग और दूसरी जल निकासी हेतु पक्की नालियाँ। हमीरपुर जनपद के अधिकाँश गाँवों से मुख्य सड़कों तक सम्पर्क मार्गों की स्थिति बहुत ही शोचनीय रही है। बहुत से गाँव आज भी खेल केवल कच्चे मार्गों से ही मुख्य मार्गों से जुड़े हुए हैं। बरसात के दिनों में इन कच्चे मार्गों की स्थिति कभी–कभी इतनी दयनीय हो जाती है कि कई गाँव तो बरसात भर शेष क्षेत्रों से कट से जाते हैं। ऐसे में गाँवों तक, मूलभूत सुविधाओं का पहुच पाना व गाँव से चिकित्सा तथा अन्य कार्यों के लिये बाहर निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है, नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रख–रखाव का दायित्व ग्राम पंचायतों को मिलने से इस क्षेत्र में गाँवो की तस्वीर बदलने लगी है। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले धन व राज्य सरकार से सीधे अन्तरित धन की उपलबधता से ग्राम पंचायतों का काम और आसान हो गया है।

पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया गया है कि चयनित 30 गाँवों की लगभग 70 प्रतिशत सड़कों पर ईंटें बिछायी गई हैं और शेष पर या तो काम चल रहा है अथवा काम किया जाना है ।[1] इसी प्रकार शेष बचे 40 गाँवों में सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक तैयारियाँ कर ली गई हैं। गाँवों में सड़क निर्माण कार्य हेतु यत्र–तत्र निर्माण सामग्री का होना इस बात का संकेत देता है कि अगले दो या तीन वर्षो के काल में सभी गाँवों के सम्पर्क मार्ग पूरी तरह व्यवस्थित कर लिये जायेंगे और हर गाँव मुख्य मार्गों से पूरी तरह व्यवस्थित ढ़ंग से जुड़ जायेंगें,[2] इससे ग्रामीण जनता का आवागमन सरल व सुलभ होगा।

---

1. ग्राम प्रधानों के प्राप्त जानकारी के आधार पर।

2. गाँवों के पर्यवेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

जहाँ तक जल निकासी हेतु पक्की नालियों का प्रश्न है, यह भी गाँवों की स्वच्छता व स्वस्थ्यकर परिस्थितियों के लिये नितान्त आवश्यक है। गाँवों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिये ग्राम–पंचायतों को धन उपलब्ध करा दिया गया है किन्तु यह कार्य गिने चुने गाँवों में ही सम्पन्न किया जा चुका है, अथवा प्रारम्भ किया जा सका है। इस कार्य की अपूर्णता के लिये ग्रामवासी स्वयं जिम्मेदार हैं। जानकारी करने पर यह बताया गया कि अधिकांश स्थानों पर नालियों के लिये जमीन देने अथवा न देने के सम्बन्ध में उठे विवादों के कारण, इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। गाँव में गुटबन्दी ने इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रगति को बाधित किया है और ग्राम–पंचायते अपनी भूमिका निभाने में विफल रही है।[1]

व्यवहारिक सच का दूसरा पहलू :–

विकेन्द्री करण का मूल निहितार्थ यह है कि स्थानीय स्तर के बिषयों के सम्बन्ध में निर्णय लेने व कार्य करने का अधिकार स्थानीय लोगों को दिया जाय क्योंकि स्थानीय मामलों, आवश्यकताओं, समस्याओं और उनके समाधान के लिये स्थानीय संसाधनों के विषय में उनसे बेहतर जानकारी शीर्ष राजनेताओं और प्रशासकों को नहीं हो सकती। स्थानीय स्तर के कार्यों का निबटारा, स्थानीय लोग अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस प्रकार से कार्याधिकार मिलने से उनमें आत्म विश्वास और शासन में सहभागी होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी । उनमें राजनीतिक अभिरूचि व सहभागिता की प्रवृत्ति के बढ़ने से निचले स्तर पर न केवल राजनीतिक सामाजीकरण की प्रकिया को गति मिलेगी बल्कि नेतृत्व व राजकार्यकर्त्ताओं की एक प्राथमिक नर्सरी इन संस्थाओं में तैयार हो सकेगी। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील राज्य में इस प्रक्रिया का होना आवश्यक है।

वास्तव में भारत जैसे देश में जहाँ गाँव प्रशासन की प्राकृतिक प्रारम्भिक इकाई के रूप में विद्यमान है, ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर जन–सहयोग एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिये, किन्तु अब तक मुख्य रूप से देखा यह गया कि सरकारी तौर पर एक समान्यीकृत कार्यक्रम बना लिया जाता रहा और

---

1. *ग्राम प्रधानों व सदस्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर।*

उसी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गाँव में विकास योजनायें चलायी जाती रही।[1] ऐसी योजनायें कालान्तर में सफल नहीं हो पाती। इसका मुख्य कारण यह है कि योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं होते। इसी कारण ऐसे कार्यक्रमों में गाँव के लोगों का आपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पाता। वस्तुतः जन सहयोग तभी सम्भव है जब गाँव के लोगों को यह विश्वास हो कि जो भी विकास कार्य गाँवों में होंगे, वे वहाँ के लोगो के सामाजिक, अर्थिक विकास से सम्बन्धित होंगे और परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वे ही उनसे लाभान्वित होंगे। इस प्रकार की भावना न होने के कारण अब तक इन्हें प्रायः विभागीय औपचारिकताओं के रूप में देखा जाता रहा है। स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किये गये कार्य न तो स्थायी रहे और न ही वांछित लाभ उत्पन्न कर पाये। इस प्रकार की परियोजनाओं पर किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक धन का अंश होता है, अतः इसे सुविचारित ढंग से व्यय किया जाना चाहिये। सम्भवतः यही कारण है कि नई पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के माध्यम से सजन–सहभागिता प्रोत्साहन करने तथा प्राथमिकताओं की पहचान करने की नीति सुझाई गई और ग्राम–पंचायतों को पूर्ण पारदर्शिता युक्त रचनात्मक लोकतांत्रिक कार्यात्मक ढाँचा प्रदान किया गया है।

यदि ग्राम पंचायतें अपने लिये सुनिर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्य करें तो ये विकेन्द्रीकरण से मिलने वाले समस्त लाभों को समेट विकास की नई मंजिल तय कर सकती हैं, किन्तु जिस तरह से अब तक ग्राम–पंचायतों के द्वारा कार्य किया गया है, निश्चय ही यह वह तरीका नहीं है, जो हमारे विधि निर्माताओं ने सुझाया है। विकेन्द्रीकरण से जुड़ा हुआ तथ्य है जन–सहभागिता और हमीरपुर में ग्राम–पंचायतों के क्रियान्वयन (1995 से 2000 के बीच) से इस सन्दर्भ में अध्ययन से जो तथ्य उभर कर सामने आये हैं, वे निम्नलिखित हैं –

1. अनुभव का अभाव :–

विकेन्द्रीकरण की योजनाओं का सार्थक लाभ तब मिलेगा और जन–सहभागिता तब क्रियाशील होगी जब विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत कार्य का दायित्व संभालने वाले पात्र

---

1. *राजमणि त्रिपाठी व सुनीता सिंह, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का भविष्य, योजना, अक्टूबर 1999 पृ0 39।*

सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी रखते हों, परिपक्व हों और योजनाओं के कियान्वयन का पर्याप्त अनुभव हो। किन्तु हमीरपुर जनपद में 1995 से 2000 के बीच चुने गये ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों के अध्ययन से इसके विपरीत स्थिति उभर कर सामने आयी है। चुने गये प्रधानों में अधिक संख्या अपेक्षाकृत युवा वर्ग की थी, जिन्हें नियोजन व प्रशासनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव न था। इसी प्रकार बहुसंख्यक प्रधान ऐसे थे जिनकी शिक्षा का स्तर बहुत उच्च नही था। यह बात निम्न दो सारणियों के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगी –

सारणी– 1 (ग्राम प्रधानों की आयु)[1]

आयुवर्ग	संख्या	प्रतिशत	पुरूष		महिला	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
21 से 30 वर्ष	10	14.28	06	13.04	04	16.67
31 से 40 वर्ष	36	51.42	23	50	13	54.17
41 से 50 वर्ष	18	25.71	13	28.26	05	20.83
51 से ऊपर	06	08.57	04	8.70	02	8.33

सारणी – 2 (ग्राम प्रधानों के शिक्षा का स्तर)[2]

शिक्षा	संख्या	प्रतिशत	पुरूष		महिला	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक	39	55.71	20	43.48	19	79.17
हाईस्कूल पास	07	10	05	18.87	02	8.33
इण्टरमीडिएट	07	10	07	15.22	–	–
उच्च शिक्षा	17	14	14	30.43	03	12.50

---

1. *साक्षात्कार अनुसूची से सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर ।*
2. *वही*

इतना ही नहीं जब ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों से यह पूँछा गया कि नई पंचायती राज व्यवस्था, इसके नियमों व प्राविधानों के बारे में उन्हें कैसी जानकारी है तो मात्र 14 प्रतिशत प्रधानों/सदस्यों ने अच्छी जानकारी होने की बात स्वीकार की जबकि 64 प्रतिशत लोगोंने औसत जानकारी व 22 प्रतिशत लोगों ने बहुत कम जानकारी होने की बात स्वीकार की।[1] ऐसे में ग्रामीण विकास के स्वरूप का निर्धारण एक गम्भीर चिन्तन का विषय बन जाता है। पंचायती राज की नयी व्यवस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि ग्राम पंचायतें अंपने विकास कार्यक्रम स्वयं बनायेंगी तथा उनका संचालन भी स्वयं ही करेंगी। यह व्यवस्था लागू करते समय यह मान लिया गया था कि जो पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आयेंगें वे विकास सम्बन्धी विषयों की पहचान करने तथा उनसे सम्बन्धित योजनायें बनाने में सक्षम होगें किन्तु काफी बड़ी संख्या में चुने गये ग्राम–प्रधानों, उपप्रधानों तथा सदस्यो की पृष्ठ भूमि ऐसी नही लगती कि वे इस गुरूतर दायित्व का निर्वाह समग्र रूप से सफलता पूर्वक कर सकें क्योंकि यह आवश्यक नही है कि चुने गये पंचायत प्रतिनिधियों को नियोजन तथा क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से किसी भी स्तर पर पूर्व में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ हो। ऐसी स्थिति में संसाधनों के आधार पर प्राथमिकता निर्धारण के ज्ञान से अनभिज्ञता स्वाभाविक है। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं को, विशेष रूप से ग्राम स्तर पर नौकरशाही सरकारी कर्मचारी के अधीन हो जाने की विवशता प्रकाश में आयी है। परिणामस्वरूप गाँवों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य न होकर सरकारी अधिकारियों की सोच तथा लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के मूल लक्ष्य से अभी बहुत दूर है।

2. ग्राम प्रधानों की अलोकतांत्रिक कार्य पद्धति :–

नवगठित ग्राम–पंचायतों के विकेन्द्रीकरण और जन–सहभागिता के आदर्शों को प्राप्त न कर पाने का एक कारण ग्राम–प्रधानों की निरंकुश व अलोकतांत्रिक कार्य पद्धति है। नई पंचायत व्यवस्था में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी निर्णय कोई व्यक्ति या पदाधिकारी अकेले नही लेगा। निर्णय ग्राम–पंचायत की बैठक में बहुमत से लिया जायेगा। विभिन्न विषयों के कार्यों के सम्बन्ध में कार्य हेतु निर्णय सम्बन्धित समितियों द्वारा लिया जायेगा। किन्तु अध्ययन से जो तथ्य प्रकाश में आयें हैं, उनसे यह पता चला है कि अधिकांश निर्णय ग्राम प्रधानों द्वारा अकेले

---

1. *वही*

ले लिये जाते हैं और बाद में अन्य कागजी औपचारितायें पूरी कर ली जाती है। लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिमाह बैठक होनी चाहिये। किन्तु इस सम्बन्ध में अध्ययन के निष्कर्ष बहुत ही विरोधाभासी थे। एक तरफ जहाँ 76 प्रतिशत ग्राम प्रधानों ने नियमित रूप से बैठकों का होना स्वीकार किया वहीं केवल 12 प्रतिशत सदस्यों नें ग्राम–पंचायत की बैठकों के नियमित रूप से होने की बात स्वीकार की।[1] 90 प्रतिशत प्रधान जहाँ यह मानते है कि उनके ग्राम पंचायतों में ग्राम समितियों का गठन हुआ है, वहीं 90 प्रतिशत पंचायत सदस्यों ने इस विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की।[2] यह स्थिति निश्चय ही विकेन्द्रीकरण और जनसहभागिता की आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। बहुत संभव है, ऐसा जानकारी के अभाव व पर्याप्त प्रशिक्षण व अनुभव की कमी के कारण हो रहा है, फिर भी इस स्थिति में सुधार किये बिना ग्राम–पंचायतें व पंचायती राज व्यवस्था अपना सही स्वरूप नही प्राप्त कर सकतीं।

३. **उपेक्षित ग्राम सभा** :–

ग्राम सभा सम्पूर्ण पंचायती राज व्यवस्थाा का दिल और दिमाग है क्योकि यह सभा गाँव के सभी मतदाताओं को गाँव के विकास में निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती है। किन्तु 1995 से 2000 के प्रथम कार्यकाल और पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि कुछ अपवादों को छोड़कर ग्राम सभा निष्प्रभावी ही रही है। अधिकांश गाँवों में ग्राम–सभा की बैठक ही नही होती। साथ ही लगभग 88 प्रतिशत लोगों ने सर्वेक्षण के दौरान यह स्वीकार किया कि उन्हें ग्राम सभा के संगठन व भूमिका के विषय में जानकारी नहीं है।[3]

ग्राम सभा के प्रभावहीन होने का मुख्य कारण 73 वें संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं को शक्ति प्रदान करने के मामले में लिखित रूप से परिभाषित नही किया जाना है। यही कारण है कि इन सभाओं को जैसा कि योजना आयोग का मूल्यांकन कहता है कि राज्य

---

1. *साक्षात्कार अनुसूची से सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष ।*
2. *वहीं*
3. *वहीं*

के कानूनों ने ग्राम सभा के कार्यों को एकदम कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान जैसा बना दिया है।[3] इनका कार्य सुझाव देना, सिफारिश करना, वार्षिक लेखों और प्रशासनिक रिपोर्टों, लेखा परीक्षक की टिप्पणियों आदि पर विचार करना मात्र है। ग्राम पंचायत के लिये यह आवश्यक नही है कि वह उनको माने। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलें, पंचायती राज प्रतिनिधि इसके प्रति उत्तरदायी हो, योजनाओं को बनाने, उन्हें लागू करने तथा सामाजिक लेखा परीक्षक के रूप में इनकी भूमिका को स्वीकार किया जाय अन्यथा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकेन्द्रीकरण और जन–सहभागिता वृद्धि का लक्ष्य अधूरा रह जायेंगा।

विकेन्द्रीकरण और जन–सहभागिता के सन्दर्भ में इस अध्ययन का निचोड़ यह है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की माँग से प्रारम्भ होकर नई पंचायती राज व्यवस्था लागू होने तक के क्रम में ग्राम–पंचायतों का जो स्वरूप विकसित हुआ है उससे यह कहने में कोई संकोच नही होता कि ग्राम–पंचायतें ग्रामवासियों की जनतांत्रिक संस्था न होकर निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन कर रह गई हैं। ग्राम–पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करते समय इस बात की प्रबल सम्भावना रहती है कि निहित स्वार्थ वाली अनेक संस्थाओं द्वारा अनेक तरीकों से अवैधानिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाय। किन्तु यदि सुदृढ एवं सुव्यवास्थित ग्राम–पंचायतें विकसित कर ली जायें तो ऐसे निहित स्वार्थी तत्वों के माध्यम से होने वाले वित्तीय दुरूपयोग पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

नई पंचायत व्यवस्था में ग्राम–पंचायतों को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया और इन्हें अधिक अधिकार तथा दायित्व सौंपे गये। ऐसा प्रशासनिक व कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण और निर्णय प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को सहभागी बनाने के उद्देश्य से किया गया किन्तु हमीरपुर जनपद के सन्दर्भ में ग्राम–पंचायतों की कार्य प्रक्रिया के अध्ययन से जो तथ्य उभरे है उनके अनुसार ग्राम–पंचायते ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली सरकारी एजेन्सी

---

1. *डॉ0 महीपाल, पंचायतों के माध्यम से विकेन्द्रीकरण : एक मूल्यांकन, कुरुक्षेत्र, मई 2001, पृ0 18*

के रूप में अधिक दिखी, जन प्रतिनिधित्व वाली संस्था के रूप में कम/ग्राम प्रधान जन प्रतिनिधि कम लगे सरकारी एजेन्ट अधिक, क्योंकि ग्राम विकास के सम्बन्ध में जब उनसे छानबीन की गई तो पहले तो अधिकाँश ग्राम प्रधान ने कोई जानकारी देने से इन्कार कर दिया, फिर बाद में कुछ प्रधानों ने सचिवों की सहायता से सीमित सूचनायें प्रदान की। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत गाँव में ग्राम–प्रधानों के रूप में एक नये अभिजन का उदय हो रहा है जिससे प्रधानों में निरंकुशता और भ्रष्ट आचरण की प्रवृत्ति बढ़ रहीं है और ग्राम प्रधान तथा ग्राम सभा में सदस्यों के बीच अन्तराल बढ़ा है।

ग्राम पंचायतों को नई वयवस्था में विस्तृत अधिकार इस आशा के साथ सौंपे गये हैं कि वे गाँव के विकास के लिये सुगठित, सामूहिक तथा पारस्परिक सद्भाव के साथ निर्णय लेकर योजनायें तैयार करेंगी तथा उन्हें स्थानीय प्राथमिकताओं के आधारपर क्रियान्वित करेंगी। किन्तु ग्राम–प्रधान अभी भी निरंकुश प्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत पसंदगीं के साथ कार्य कर रहें हैं। ग्राम–पंचायत के अन्य सदस्य इस मामले में प्रायः उपेक्षित ही रहते हैं। उप–प्रधान, प्रधान समर्थक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि कुछ गाँवों में ग्राम–प्रधान अपने सदस्यों का समर्थन नहीं पा रहे हैं। एक वर्ष की अवधि बीतते ही कुछ स्थानों पर अविश्वास प्रस्ताव की माँग उठने लगती है। इसलिये प्रायः कई गाँवों में ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य आमने–सामने दिखाई देते हैं और सामंजस्य व सद्भाव के स्थान पर संघर्ष को प्रोत्साहन अधिक मिल रहा है। कई ग्राम प्रधानों ने मौखिक रूप से यह स्वीकार किया कि ग्राम–पंचायत सदस्यों की बैठक न बुलाये जाने का एक कारण सदस्यों का विरोध, गुटबन्दी व इस कारण उत्पन्न हो सकने वाले संघर्ष को रोकना है। किन्तु वास्तव में इस प्रकार की सफाई एक भुलावा है, आवश्यकता है ईमानदारी पूर्वक पंचायत प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने की। ग्राम पंचायतों का जिस तरह से क्रियान्वयन किया गया है (1995 से 2000) व किया जा रहा है उससे ग्राम–पंचायतें सामूहिक निर्णय, सामूहिक उत्तरदायित्व, या जन सहभागिता प्रोत्साहित कर सकेगीं, यह सन्देहास्पद है।

इतना ही नहीं ग्राम–पंचायतों के सफल एवं कुशल क्रियान्वयन में सरकारी बाधा भी कम नहीं है जो वस्तुतः विकेन्द्रीकरण और सहभागिता के मूल तथ्य पर भी आवरण डाल देती है। नयी पंचायती राज व्यवस्था से यह अपेक्षा की गयी थी कि स्थानीय प्राथमिकताओं को

ध्यान में रख कर विकास सम्बन्धी कार्ययोजना वे स्वयं बनायेगीं तथा उनहें क्रियान्वित करने का दायित्व भी उन्हीं का होगा। इस दृष्टि से ग्राम–पंचायतों को अनेक कार्य सौंपें गये थे। समस्या यह है कि जो कार्य पंचायतों को सौंपे गये, उन्हीं कार्यों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्य स्तरीय विभिन्न प्रशासनिक विभाग भी सक्रिय रहे। ऐसे में किसी कार्य के लिये ग्राम–पंचायतों के प्रस्ताव तथा उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रस्ताव में सामंजस्य हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रायः यह देखा गया है कि जिला–स्तरीय कार्य योजना तैयार करने के पूर्व समस्त ग्राम–पंचायतों से पारित प्रस्तावों के प्राथमिकतानुसार संकलन की प्रणाली का अभाव है। परिणामस्वरूप ग्राम–पंचायतों के प्रस्तावों पर पहले तो विचार ही नहीं किया जाता और यदि विचार हुआ भी तो अनेक तकनीकी कारणों का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक विभागों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी घटनायें ग्राम–पंचायतों की सत्ता के लिये चुनौती हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जब तक पंचायतें सुनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करती, प्रधान अपने अलोकतांत्रिक पद्धति का परित्याग नहीं करते, पंचायत सदस्यों व ग्राम सभा को निर्णय प्रक्रिया में सही अर्थों में भागीदार नहीं बनाया जाता, समितियों को सक्रिय नहीं बनाया जाता, पंचायत प्रतिनिधियों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती, सरकारी हस्तक्षेप व नियन्त्रण कम नहीं किया जाता, तब तक पंचायतें विकेन्द्रीकरण व जन–सहभागिता के अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर ही रहेंगी और पंचायतें अपना सही स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकेंगी।

अध्याय-पाँच

सामाजिक परिवर्तन का परिप्रेक्ष्य

अध्याय :- पाँच

सामाजिक परिवर्तन का परिप्रेक्ष्य

किसी भी समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को सामाजिक विकलांगता की संज्ञा दी जा सकती है। समाज और राष्ट्र का विकास समरूप समाज के आधार पर ही संभव है। इस सम्बन्ध में भारतीय समाज में दो तरह की सामाजिक असमानताओं को उल्लेख किया जा सकता है, जिनका दंश हमारे समाज को लम्बे समय तक कष्ट देता रहा है –

1. जातिगत असमानता, व
2. लिंग पर आधारित असमानता (स्त्री–पुरूष)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन दोनो ही प्रकार की असमानताओं को दूर कर सामाजिक परिवर्तन के रास्ते ढूँढने के प्रयत्न किये जाते रहे हैं। नई पंचायत व्यवस्था निश्चय ही इस दिशा में एक सकारात्मक पहल साबित होगी। प्रस्तुत अध्याय में, इन दोनों प्रकार की असमानताओं के सन्दर्भ में सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं का विश्लेषण दो अलग–अलग शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है –

1. कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन।
2. महिला सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन।

कमजोर वर्गो का सशक्तीकरण

भारतीय समाज में लम्बे समय तक जाति पर आधारित असमानता और जातीय स्तरीकरण के कारण समाज का पिछड़ा वर्ग न केवल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रहा बल्कि हर प्रकार के शोषण का शिकार रहा। यह विषमता और शोषण ग्रामीण समाज में अधिक था। पिछड़े अथवा कमजोर वर्गो में निम्न तीन वर्गो को सम्मिलित किया जाता है –

1. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति

3. अन्य पिछड़ी जातियाँ

स्वतंत्रता से पूर्व राजा राम मोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती व राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान महात्मा गाँधी ने इन वर्गो के उत्थान के लिये पहल की। किन्तु ठोस और सार्थक कदम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही उठाये जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछड़े वर्गो की स्थिति में सुधार व सामाजिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से जो उपाय किये गये वे निम्न है –

स्थायी संवैधानिक उपाय :-

पिछड़े शक्तिहीन वर्गो, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आयोग्यताओं को समाप्त कर उनका स्तर सुधारने और उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से संविधान की प्रस्तावना में प्रख्यापित तथ्य कि समग्र प्रगति तभी संभव है, जब पूरा राष्ट्र यथासंभव एक स्तर पर आ जाय, को ध्यान में रखते हुए समानता के मूल भाव पर आधारित हमारे संविधान में कई उपाय किये गये है, जैसे –

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि **(I)** राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा उनमें किसी भी आधार पर विभेद नही करेगा। **(II)** केवल धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई नागरिक –

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिये किसी प्रकार के शर्त या प्रतिबन्ध के अधीन नही होगा।

(ख) पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के लिये समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानाघरों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के लिये किसी भी निर्योग्यता अथवा शर्त के अधीन नही होगा।

2. इसी प्रकार अनु0 16 के अनुसार राज्याधीन नौकरी या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।
3. अनु0 17 के द्वारा अस्पृश्यता को संज्ञेय दण्डनीय अपराध घोषित किया गया।

4. इसी प्रकार अनु0 29 में राज्य निधि द्वारा पोषित अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित किया गया।
5. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इन वर्गों के कल्याण के लिये विशेष निर्देश दिये गये।

संविधान के अनु0 15 में उल्लिखित अधिकारों को विस्तार से लागू करने के लिये 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित कर उचित व्यवस्था की गई।

अस्थायी व्यवस्था :–

इसके अन्तर्गत सीमित समय के लिये निम्नलिखित अध्योपाय पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिये किये गये –

1. संविधान के अनु0 330, 332 तथा 334 के अनुसार विधान मण्डलों में पिछड़े वर्गो का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये इनकी जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिये लोक सभा तथा विधान मण्डलों में सुरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। प्रारम्भ में यह केवल 20 वर्षो के लिये थी किन्तु बाद में हर 10 वर्ष बाद इसे बढ़ाया जाता रहा।
2. अनु0 16 (ख) में पिछड़े वर्गो के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई।

पंचायत व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन :–

चूँकि सामाजिक विषमता का मुख्य गढ़ ग्रामीण समाज था इसलिये संविधान निर्माण के दौरान जब पंचायती राज का सन्दर्भ आया तब डा0 अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि हमारे गॉव अज्ञानता, मानसिक संकीर्णता, समुदाय तथा जातिवादिता तथा स्थानीयता के संकुचित विचारों से ग्रसित हैं। उन्हें भय था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से ग्रामीण समाज का प्रभावशाली वर्ग ही लाभान्वित होगा तथा कमजोर वर्गो का शोषण और बढ़ेगा। इसीलिये उन्होने प्रारूप संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को कोई

स्थान नही दिया था किन्तु गॉधी जी के प्रभाव के चलते संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया तथा इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण विकास में जन सहभागिता बढ़ाना ही नही वरन पारम्परिक सामंतवादी तथा सत्ता संरचना को तोड़कर समता वादी सत्ता संरचना की रचना करना था।

प्रारम्भिक उपाय :-

भारत में पंचायत व्यवस्था के स्वरूप के निर्धारिण के लिये 1956 में सर्वप्रथम बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते वक्त इस अध्ययन दल को इस बात का अहसास था कि सामान्य तरीके से कमजोर वर्गो के लोगों को पंचायतों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही मिल सकता इसलिये इस अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में ग्राम पंचायतों में दो महिला सदस्यों तथा एक-एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के अनुमेलित किये जाने की सिफारिश की।[1] किन्तु इन प्रावधानों के बावजूद पारंपरिक सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण कमजोर वर्गो को पंचायतों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका।

पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकरण की समीक्षा के लिये 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने इन्ही वर्गो की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिवेदन के एक अलग अध्याय में इस विषय पर अलग से चर्चा की और कुछ सुझाव दिये। समिति का मानना था कि विभिन्न वर्गो के हितो का समावेश करने में पंचायती राज संस्थाये विफल रही हैं। प्रायः प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्गो द्वारा कमजोर वर्गो को पंचायत चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये जोर जबरदस्ती तथा प्रभाव का प्रयोग किया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सहयोजन नामांकन के लिये प्रायः ऐसे व्यक्ति चयनित किये गये जो सम्पन्न वर्गो के प्रति सहानुभूति रखते थे या उनकी इच्छा के

---

1. *रिपोर्ट ऑफ दी स्टडी टीम ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एण्ड नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस, वाल्यूम-1, नई दिल्ली 1957, पृ0 15*

प्रतिकूल जाने का साहस नही जुटा पाते थे। वस्तुतः ऐसे लोगों ने कमजोर वर्गो का प्रतिनिधित्व किया ही नही।

समिति ने कमजोर वर्गो की स्थिति को बहुआयामी तरीकों से हल करने पर बल दिया। किन्तु समिति का विचार था कि दूसरे विभिन्न प्रयासों के साथ, पंचायती राज संस्थाये कमजोर वर्गो को, अपने लिये उपयुक्त कार्यक्रमों तथा उनके क्रियान्वयन पर विचार–विमर्श हेतु प्रभावकारी भागीदारी के लिये स्थान प्रदान कर सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समिति ने चुनाव सुधार, स्थानों के आरक्षण, पदों के आरक्षण, विशेष समितियों के गठन तथा सामाजिक लेखा–परीक्षण आदि के सुझाव दिये। किन्तु अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन के बाद भी पंचायती राज की मूलभूत वास्तविकता में कोई खास परिवर्तन नही आया।

नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत अपनाये गये उपाय :–

समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए संविधान और विधान निर्माताओं ने इन वर्गो के लिये आरक्षण समेत अनेक कल्याणकारी योजनायें चलाई जिससे इन वर्गो में शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सुविधाओं से लाभ उठाने की दिशा में अच्छी पहल हुई तथा सामाजिक समानता का लक्ष्य मन्द गति से आगे बढ़ रहा था।किन्तु सामाजिक संरचना–परिवर्तन का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता था जब ये प्रयास आधार तल से प्रारम्भ किये जॉय। चुंकि भारत की अधिकांश आबादी गाँवों में बसती है और गाँवों में ही इस वर्ग के लोगों को सर्वाधिक सामाजिक दंश झेलने पड़े है और कुछ हद तक आज भी असमानता की पीड़ा विद्यमान है इसलिये यह तय था कि जब तक ग्रामीण स्तर पर इनके उत्थान को प्रेरित नही किया जायेगा, परिवर्तन की गति मन्द ही रहेगी। संभवतः यही कारण है कि 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा न केवल पंचायत संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया बल्कि कमजोर वर्गो की स्थिति में सुधार के लिये उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यद्यपि इनके लिये आरक्षण की व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख तीसरे अध्याय में किया जा चुका है, किन्तु यहॉ इसका संक्षित उल्लेख प्रासंगिक होगा।

73 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया गया व इस सम्बन्ध

में अनेक नियमों का निर्माण किया गया जिससें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों के लोगों को पंचायत संस्थाओं के हर स्तर पर, आरक्षण की व्यवस्था की गई।

1. ग्राम पंचायत प्रधान के पदो में अनुसूचित जनजातियों, अनूसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित प्रधानों के पदों में अनुसूचित जनजातियों, अनूसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात राज्य में प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो इन जातियों की अलग–अलग जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक नही होगा। इन पदों को विभिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम में आवंटित किया जायेगा।

2. इसी प्रकार ग्रम पंचायत के सदस्यों हेतु अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो के लिये स्थान इस प्रकार आरक्षित किये गये है कि आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में होगा। किन्तु पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या 27 प्रतिशत से अधिक नही होगी। आरक्षित स्थानों का आवंटन निम्नलिखित चकानुकम में होगा –

(क) अनुसूचित जनजाति की महिलायें।
(ख) अनुसूचित जन जातियॉ।
(ग) अनुसूचित जाति की महिलायें।
(घ) अनुसूचित जातियॉ।
(च) पिछड़े वर्ग की महिलायें।
(छ) पिछड़ी जातियॉ।
(ज) महिलायें।

ध्यान रहे कि इन आरक्षित पदों में कुल 1/3 स्थान इन्ही वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों व सदस्यों तथा जिला–पंचायत अध्यक्षों व सदस्यों के पदों पर भी निर्वाचन हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

पंचायती संस्थाओं में इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निहितार्थ यह था कि कमजोर वर्गो के उन लोगों को शासन व विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाय जो अब तक असमानता अभाव व वंचित होने की पीड़ा भोगते आये हैं। सामान्य उपायों से यह लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नही था। बिना आरक्षण के इन वर्गो की पंचायत संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व व सहभागिता संभव नही थी।

साथ ही इस सम्बन्ध में एक अवधारणा यह भी थी कि आरक्षण की इस व्यवस्था से समाज में व्याप्त जातिगत भेद–भावों को दूर करने में मदद तो मिलेगी ही साथ में इन वर्गो की समुचित संख्या के प्रतिनिधित्व से युक्त पंचायतें इन वर्गो के कल्याण व उत्थान हेतु अधिक सजग होंगी।

आरक्षण के उक्त प्रावधानों के चलते कमजोर वर्गो के सशक्तीकण के बारे में काफी आशावादी माहौल बना है। आम मान्यता यह है कि पहले सामन्तवादी प्रवृत्तियों के कारण सामाजिक रूप से शोषित लोग पंचायतों में नहीं आ पाते थे किन्तु अब जब उनके लिये स्थान आरक्षित कर दिये गये है तथा उन्हें चक्रानुक्रम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बॉट दिया गया है तो स्वतः ही पंचायतों में इन वर्गो के लोगों में से नेतृत्व उभरेगा तथा उनमें राजीतिक गतिशीलता आयेगी जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार आयेगा।

हमीरपुर जनपद के सन्दर्भ में व्यावहारिक स्थिति :–

हमीरपुर जनपद में नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत पहले चुनाव अप्रैल–मई 1995 तथा दूसरे चुनाव मई–जून 2000 में सम्पन्न हुए जिनमें पहली बार बड़ी संख्या में आबादी के अनुपात के आधार पर मिले आरक्षण से अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें। यहॉ तक कि इन वर्गो के कुछ लोगों ने सामान्य स्थानों से विजय प्राप्त की। किन्तु क्या वास्तव में इन वर्गो के लोगों को सच्चे अर्थो में पंचायतों

में सहभागिता मिली है? प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों की व्यावहारिक स्थिति हेतु अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है क्योकि इन जातियों का शोषण सर्वाधिक हुआ है और पंचायतों के माध्यम से इनमें सहभागिता, जागरूकता लाने की आवश्यकता अधिक है। हमीरपुर की सम्पूर्ण आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 23.8 है। इस सन्दर्भ में हमीरपुर जनपद में खण्डवार अनुसूचित जातियों की संख्या का अवलोकन प्रासंगिक होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर के विभिन्न क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जातियों का विवरण निम्नवत है –

तालिका–1

हमीरपुर में क्षेत्र पंचायत वार अनुसूचित जातियों की संख्या[1]

क0 सं0	क्षेत्र पंचायत	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या	कुल आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत
1	कुरारा	75,883	18,209	24.01
2	सुमेरपुर	1,27,867	26,546	20.8
3	मुस्करा	10,46,47	22,248	21.3
4	मौदहा	1,77,628	38,692	22.5
5	राठ	82,325	25,643	31.1
6	सरीला	90,153	22,766	25.3
7	गोहाण्ड	95,052	26,651	28.3

जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नही के बराबर है।

प्रस्तुत अध्ययन में सात विकास खण्डों से दस–दस ग्राम पंचायतों का चयन कर जब उनके सभी वर्गो के (सामान्य व आरक्षित) ग्राम प्रधानों व सदस्यों को सम्मिलित करते हुए

---

1. *सांख्यिकी पत्रिका, जिला हमीरपुर, वर्ष 2000 कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी पृ0 20*

उनसे साक्षात्कार अनुसूची विधि से सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में नयी पंचायत व्यवस्था के भूमिका के विविध पक्षों के बारे में जानकारी की गई तो इस सम्बन्ध में जो तथ्य उभर कर सामने आये वे सकारात्मक थे। लगभग 93 प्रतिशत लोगो ने यह स्वीकार किया कि पंचायत संस्थाओं में कमजोर वर्गो को आरक्षण देने से सामाजिक परिवर्तन की प्रकिया तेज होगी।[1] इसी तरह 81 प्रतशत लोगों ने स्वीकार किया कि इससे जातीय भेदभाव में कमी आयेगी, किन्तु अभी भी इस भेदभाव की पीड़ा के भुक्तभोगी 8 प्रतिशत लोग यह मानने को तैयार नही है कि इससे किसी प्रकार का बदलाव होगा, 11 प्रतिशत लोग इस सम्बन्ध में अनिश्चय की स्थिति में नजर आये[2] इस मुद्दे पर शत–प्रतिशत लोग एकमत नजर आये कि सामाजिक समानता के लिये कमजोर वर्गो का उत्थान भी आवश्यक है, बिना इसके सामाजिक समानता का लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकता।[3]

किन्तु इस सम्बन्ध में जब केवल दलित वर्ग व पिछड़े वर्ग के प्रधानों व सदस्यों से कुछ अलग तरह के प्रश्न पूछे गये तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू उभर का सामने आया। इन वर्गो के 70 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि आरक्षण की व्यवस्था नही होती तो वे ग्राम पंचायत के पदाधिकारी नही होते अथवा चुनाव में उम्मीदावार ही नही होते।[4] इस वर्ग के लोगों में लगभग 88 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि पंचायत के सदस्य अथवा प्रधान के रूप में कार्य करते वक्त उन पर कोई दबाव नही होता, किन्तु अब भी 12 प्रतिशत लोग यह स्वीकार करते है कि उन पर किसी न किसी प्रकार का दबाव होता है।[5] लगभग सभी उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि आरक्षण से पद मिलने पर उनके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। किन्तु इस सम्बन्ध में सबसे नकारात्मक तथ्य यह था कि लगभग 88 प्रतिशत सदस्यों/प्रधानों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ग्राम पंचायतों के कार्यकरण पर प्रभावशाली लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव बना हुआ है।

---

1. *साक्षात्कार अनुसूची पद्धति से किये गये साक्षात्कार के आधार पर*
2. *वही।*
3. *वही।*
4. *वही।*
5. *वही।*

उपर्युक्त अध्ययन के निष्कर्षो से यह स्पष्ट है कि इस बात में कोई सन्देह नही है कि पंचायती राज संस्थाओं में, विशेष रूप से ग्राम–पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने से इन वर्गो के उत्थान, सामाजिक समानता लाने, जातीय भेदभाव समाप्त करने, और इन वर्गो को समानता के आधार पर सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनाने में अपेक्षित मदद मिलेगी। किन्तु इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। क्योकि अभी भी इन वर्गो से चुनकर आने वाले अधिकांश ग्राम प्रधान व सदस्य स्वतंत्र रूप से, दबाव मुक्त कार्य कर सकने की स्थिति में नही हैं।

आरक्षण की इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के स्तर पर बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि चुने गये जिन्हें अपने क्षेत्र में विकास योजनायें बनाने ओर उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व सौपा गया है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में कमजोर वर्गो के लिये संचालित की जाने वाली योजनायें भी हैं। अपेक्षा की जाती है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के पंचायत प्रतिनिधि इन योजनाओं पर अधिक ध्यान दे सकेगें। किन्तु 1995–2000 के कार्यकाल एवं पिछले 2 वर्ष (2000 से 2002) तक के बीच इस नयी व्यवस्था के होने के बावजूद दलित और पिछड़े वर्गो की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नही आया है। यह सत्य है कि नयी पंचायत व्यवस्था के प्रावधान भी कोई जादू की छड़ी नही है जिसके स्पर्श मात्र से सदियों की जटिलतायें एक झटके में समाप्त हो जायेगी और एक नये संसार की रचना हो जायेगी । इस प्रक्रिया में बदलाव में समय–दर–समय विकास की रेखा अंकित होगी। जैसा कि देखा गया है कि पहले पॉच वर्ष के कार्यकाल की तुलना में 2000 में हुए चुनावों में और उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन हुए हैं । जागरूकता बढ़ी है, किन्तु पूर्ण रूप से नहीं ।

वस्तुतः पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में इनके समुचित रूप से कार्य करने के मार्ग में कुछ बाधायें है, इनमें स्वयं में कुछ अपर्याप्ततायें हैं जब तक इनकी पहचान कर इनका निराकरण नही होता तब तक पंचायत व्यवस्था कमजोर वर्गो के सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को तीव्र गति से प्राप्त नही कर सकती। कमजोर वर्गो के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सशक्त भूमिका निभाने के मार्ग में निम्नलिखित बाधायें अथवा अपर्याप्ततायें है जिनके निराकरण की आवश्यकता है –

1. शिक्षा का निम्न स्तर :-

आजादी के 55 वर्षो बाद भी विकास के तमाम दावों–प्रतिदावों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद ग्रामीण समाज में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नही है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और महिलाओं की शिक्षा की दशा तो और भी खराब है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत अध्ययन हेतु हमीरपुर के चयनित ग्राम पंचायतों के पिछड़े वर्गो व अनुसूचित जाति के पुरूष एवं महिला ग्राम प्रधानों के शिक्षा स्तर को दर्शाने वाली निम्न तालिका से उक्त तथ्य की पुष्टि हो जाती है –

तालिका –2

पिछड़े वर्ग / अनु0 जाति के ग्राम प्रधानों का शिक्षा स्तर[1]

शिक्षा स्तर	पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति			
	संख्या		प्रतिशत		संख्या		प्रतिशत	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
जूनियर हाई स्कूल पास	11	11	47.83	100	7	3	58.33	75.00
हाई स्कूल पास	02	–	8.70	–	–	–	–	–
इण्टर पास	02	–	8.70	–	3	–	25.00	–
उच्च शिक्षा	08	–	34.78	–	2	1	16.67	25.00
योग	23	11			12	4		

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के पुरूष ग्राम प्रधानों में अधिकांश मात्र जूनियर हाईस्कूल पास हैं। इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त प्रधानों का औसत कम है। इसी प्रकार इन्ही वर्गो की महिला प्रधानों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो स्थिति और भी खराब दिखायी देती है। पिछड़ी जाति की सभी महिलायें मात्र कक्षा 8 पास थीं। तो अनुसूचित जाति की 75 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान केवल कक्षा 8 पास थीं।

---

1. *सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर।*

वस्तुतः ग्राम–पंचायतों को ग्रामीण शिक्षा के विकास से संबन्धित अनेक अधिकार प्राप्त हैं। पंचायतें ही अब शिक्षा समितियों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था तथा उनसे संबन्धित कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। ग्राम–पंचायतों के लिये चुने गये कमजोर वर्गो के प्रतिनिधि–ग्रामीण अशिक्षा और निरक्षरता को कम करने की दिशा में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किन्तु ये सभी कार्य तभी कुशलता पूर्वक सम्पादित किये जो सकते हैं जब इनके सम्बन्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाले व योजनाकार स्वयं शिक्षित और समझदार हों। यहाँ शिक्षित होने का अर्थ साक्षर होना मात्र नही है बल्कि उनमें पंचायतों के कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक समझदारी होनी चाहिये साथ ही विकास कार्यो से संबन्धित अभिलेखों को पढ़ने व समझने की क्षमता भी होनी चाहिये।[1] चुँकि विकास कार्यो के संबन्ध में योजनाओं के निर्धारण में इनकी महती भूमिका होती है, इसलिये इनका अनपढ होना या कम पढ़ा होना इन्हें विभिन्न कार्यो के सम्बन्ध में परनिर्भर बना देगा, जो कि वास्तविक अपेक्षाओं के विपरीत होगा। स्पष्ट है शिक्षित समाज और शिक्षित प्रतिनिधि के इस लक्ष्य को अचानक और तत्काल तो नही प्राप्त किया जा सकता किन्तु इसके लिये व्यापक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के माध्यम से इन वर्गो से शिक्षा से सम्बन्धित निर्योग्यता को दूर किया जा सकता है।

2. विकास कार्यक्रमों के सम्यक जानकारी का अभाव :–

पंचायत संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का निर्धारण और कियान्वयन एक गंभीर चिन्तन का विषय है। नयी पंचायत व्यवस्था का विधि संयोजन करते समय यह अपेक्षा की गई थी कि ग्राम पंचायते अपने क्षेत्र के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्वयं तैयार करेंगी और उनका क्रियान्वयन भी स्वयं तैयार करेंगी। यह व्यवस्था लागू करते वक्त यह मान लिया गया था कि जो प्रतिनिधि चुनकर आयेंगे वे विकास से संबन्धित विषयों की पहचान करने तथा उनके विषय में कार्यक्रम बनाने में सक्षम होंगें। किन्तु बड़ी संख्या में चुनकर आये प्रधानो, उपप्रधानों एवं पंचायत सदस्यों के पास ऐसी पृष्ठभूमि नही है कि वे इन कार्यो को सही तरीके से समझ सकें और कर सकें। यह स्थिति केवल पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के ही सदस्यों की नही है, बल्कि सभी वर्गो के अधिकांश प्रधानों व सदस्यों में इस विषय में अनभिज्ञता

---

1. *डा0 राजमणि त्रिपाठी, ''पंचायती राज व्यवस्था में दलितों का सशक्तीकरण'', कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2001, पृ0 7*

की स्थिति देखने को मिली। यही कारण है कि शोधार्थिनी द्वारा तैयार साक्षात्कार अनुसूची में विकास के विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर व जानकारी 70 में से मात्र 12 प्रधानों ने उपलब्ध करायी अथवा इस विषय में स्वयं प्रश्नों के उत्तर दिये। शेष ने कुछ बताने से इंकार किया, अथवा सचिव के होने पर जानकारी देने का आवश्वासन देकर टाल दिया।[1]

इस प्रकार की स्थिति में स्वाभाविक रूप से पंचायतों के काम काज और निर्णय प्रक्रिया पर गॉव के प्रभावशाली लोगों व सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है और विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य अधूरा रह जाता है। परिणाम यह होता है कि गॉव का विकास गॉव की आवश्यकतानुसार न होकर प्रभावशाली व सरकारी अधिकारियों के निहित स्वार्थों के अनुसार होने लगता है। पंचायतें अपने लक्ष्य को तभी समुचित ढंग से प्राप्त कर सकती हैं जब इनका संचालन करने वाले शिक्षित हो और उन्हें विकास कार्यक्रमों की सम्यक जानकारी हो, जिससे वे अपने ग्राम–पंचायत की आवश्यकताओं की सही–सही पहचान करते हुए उनकी पूर्ति के लिये योजनाओं का निर्धारण कर सकें। इसके लिये पंचायत प्रतिनिधियों के समुचित व्यापक प्रशिक्षण का कार्यकम चलाया जाना चाहिये। शोध सर्वेक्षण के दौरान 95 प्रतिशत ग्राम प्रधानों/सदस्यों ने प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।[2]

3. पंचायत व्यवस्था के नियमों के बारे में अनभिज्ञता :–

आरक्षण की इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बहुत से ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य पहली बार पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आये। साथ ही नयी पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप व इससे जुड़ी संस्थाओं के अधिकारों, व कर्तव्यों में भी भारी परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसे में पंचायत व्यवस्था के विधि–विधानों की सम्यक जानकारी का न होना स्वाभाविक है। यह अनभिज्ञता भी सभी वर्गो के प्रधानों व पंचायत सदस्यों में देखी गई। इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर केवल 14 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पंचायती व्यवस्था के नियमों की अच्छी जानकारी है, जबकि 64 प्रतिशत लोगों ने सामान्य जानकारी और

---

1. *साक्षात्कार अनुसूची से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर।*
2. *वही*

22 प्रतिशत लोगों ने बहुत कम जानकारी होने की बात स्वीकार की।[1] यह अनभिज्ञता भी पंचायत संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम–पंचायतों के कार्यकरण को प्रभावित कर रही है। अस्तु इस सम्बन्ध में भी पंचायत प्रतिनिधियों के व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं।

4. आर्थिक विषमता :–

गॉवों में व्याप्त आर्थिक विषमता कमजोर वर्गो के उत्थान एवं सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है ओर कृषि योग्य भूमि सीमित लोगों के हाथों सिमटी हुई है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्तर पर कमजोर वर्गो से जुड़े लोग या तो अपने पुश्तैनी शिल्प से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं अथवा मजदूरी से। दोनों ही स्थितियों में इनकी प्रभावशाली लोगों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिस कारण ये पंचायतों में चुन लिये जाने के बाद भी इन्ही प्रभावशाली तत्वों के दबाव में काम करने को विवश होते हैं। अपने आर्थिक हितों के चलते ये पंचायत के कार्यो को न तो पूरा समय दे पाते हैं और न ही अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता। यही कारण है कि कमजोर वर्गो के शत–प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकार किया कि बिना उनके आर्थिक उत्थान के उनका सामाजिक उत्थान संभव ही नहीं है।[2] वास्तव में यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि जब तक पिछडे और अनूसूचित वर्गो के लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नही बना लिया जाता तब तक पंचायत व्यवस्था के माध्यम से स्वावलम्बन, स्वराज्य, विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता व सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य अधूरे रहेंगें। अतः पहले इस दिशा में सार्थक पहल की महती आवश्यकता है।

5. सामाजिक पिछड़ापन :–

ग्रामीण राजनीति में नेतृत्व की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठ भूमि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ग्रामीण नेता का महत्व उसके व्यक्तिगत गुणों से कम और पारिवारिक ख्याति से अधिक होता है। जिस नेता का परिवार गॉव में प्रभावशाली होता है वह नेता ग्रामीण राजनीति में शक्तिशाली होता है। यदि नेता का परिवार गॉव में शक्तिशाली तथा

---

1. *वही*
2. *वही*

महत्वपूर्ण स्थान नही रखता है तो उस नेता को अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त होगा।[1] प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण सामाजिक परिवेश व कमजोर वर्गो के प्रधानों/सदस्यों की स्थिति एवं प्रतिक्रिया के अध्ययन से उपरोक्त तथ्य की पुष्टि होती है। वास्तव में सामाजिक पिछड़ापन इन वर्गो के पचांयत प्रतिनिधियों की सफलता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। यद्यपि क्रमिक रूप से यह पिछड़ापन दूर हो रहा है किन्तु समग्र सामाजिक समानता लाने में समय लगेगा। किन्तु यह सत्य है कि आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में लागू कर देने से इस लक्ष्य के प्राप्ति की प्रतीक्षा का समय घटेगा अर्थात इस प्रकिया से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आयेगी। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 93 प्रतिशत लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार किया।[2]

पंचायती राज की परिकल्पना मे ही कमजोर वर्गो की भागीदारी बढ़ाने और उनकी सामाजिक स्थिति में तीव्र परिवर्तन की सोच निहित थी। प्रारम्भ से ही इस दिशा में प्रयास भी किये गये किन्तु ग्रामीण समाज में व्याप्त विषमता और इस विषमता के प्रति व्यापक उदासीनता के कारण अपेक्षित सफलता हासिल नही हो सकी। इस लिये नयी पंचायत राज व्यवस्था में इस दिशा में विशेष ध्यान दिया गया तथा इस क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा गया। इसी उद्‌देश्य से पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गो, अनु0 जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, किन्तु अशिक्षा, व्यवस्था के बारे में अनभिज्ञता, आर्थिक विषमता, सामाजिक असमानता आदि के चलते इस दिशा में प्रारम्भिक अनुभव बहुत उत्साहजनक नही रहें हैं। किन्तु इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि नयी पंचायत प्रणाली की आरक्षण व्यवस्था से कमजोर वर्गो की स्थिति सुधारने व सामाजिक परिवर्तन का कार्य तेज होगा। समय बीतने के साथ बढ़ती जागरूकता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है।

---

2. *डा0 राजमणि त्रिपाठी, "पंचायती राज व्यवस्था में दलितों का सशक्तीकरण", कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2001, पृ0 7*
3. *साक्षात्कार अनुसूची से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर।*

महिला सशक्तीकरण :–

प्राचीन भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियाँ का स्थान पूज्यनीय था। स्त्रियॉ कुलदेवी मानी जाती थी। जहॉ अनेक विदुषी महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं की रचना की वहीं क्षत्रिय कुलोत्पन्न स्त्रियों ने युद्ध में सारथी के रूप में कार्य किया। किन्तु लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों और सदियों की गुलामी ने प्राचीन आदर्शो और मान्यताओं को खोखला कर दिया। परिणामस्वरूप नारी लाज के रक्षा, की आवश्यकता ने उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दिया। वह देवी से दासी बनती चली गई। उसका समग्र व्यक्तित्व ही तिरोहित हो गया और उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक अधिकार कमजोर पड़ गये।

भारतीय पुनर्जागरण के साथ उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध से ही पुनः नारी प्रतिस्थिति पर विचार प्रारम्भ होता है। राजा राम मोहन राय घृणित सती प्रथा के विरूद्ध आन्दोलन का संचालन करते हैं और इस पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में कानून बनवाने में भी सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त विधवा विवाह, व स्त्री उत्तराधिकार का समर्थन तथा बाल विवाह का विरोध कर उन्होने इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया। इनके अतिरिक्त स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द व महात्मा गॉधी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् जब भारत का संविधान बनाया गया तब उन्हें समाज के हर क्षेत्र में समानता का दर्जा प्रदान किया। मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुछेद 15 में कहा गया कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा। इस प्रकार संविधान द्वारा स्त्री–पुरूष समानता के आधार को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार इसी अनुच्छेद के उपखण्ड 3 में कहा गया कि "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नही करेगी।" इस प्रकार समानता के साथ–साथ विशेष सुविधा एवं संरक्षण प्राप्त करने का भी अधिकार मिला। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसी प्रकार के प्रावधान किये गये –

1. अनु0 39 में कहा गया कि राज्य प्रत्येक स्त्री पुरूष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा।

2. इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि पुरूषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाये।

3. अनु0 42 में व्यवस्था है कि राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये तथा प्रसूति सहायता के लिये उपबन्ध करेगा।

उक्त प्रावधानों के चलते यह कहना गलत न होगा कि भारत विश्व का वह पहला देश है जहाँ महिला हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। छठे दशक के आते–आते उन्हें सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये। सातवे दशक के प्रारम्भ में महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने की पहल की गई जिसके अन्तर्गत कार्यशील महिलाओं को तीन माह के प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही दहेज प्रतिबन्ध कानून, समान वेतन कानून तथा महिलाओं के सुरक्षा व संरक्षण से संबन्धित अनेक कानून परित किये हैं। किन्तु इन संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के होते हुए भी भारत में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नही हुआ। उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नही मिला और उनका उत्पीड़न नही रूका। संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के मामले को येन केन प्रकारेण टाला जाता रहा।

73वाँ संविधान संशोधन और महिला सशक्तीकरण :–

प्रारम्भ से ही यह स्वीकार किया जाता रहा है कि महिलायें देश में कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उनकी पूर्ण तथा सकिय भागेदारी के बिना गरीबी उपशमन और राष्ट्र विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन होगा। समाज के विकास की प्रक्रिया में में महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तथा महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर अनेक नीतियों, कार्यक्रमों आदि का निर्माण किया जाता रहा है। किन्तु इस दिशा में 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सन्दर्भ में किये गये उपाय विशेष उल्लेखनीय है।

वस्तुतः स्वतंत्रता के 55 वर्षों बाद नगरों में तो महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है ओर महिलायें हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। किन्तु ग्रामीण परिवेश में, जहाँ भारत की अधिकांश आबादी निवास करती है, यह लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किये गये प्रावधान इस दिशा में नई रौशनी का प्रबन्ध करते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 8 के बाद एक नया भाग 9 अन्तः स्थापित किया गया। इस ने अन्तःस्थापित भाग के अनुच्छेद 243 (घ) के पैरा तीन में कहा गया है कि, ''प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेगें और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेगें।'' इसी प्रकार पंचायत के अध्यक्ष पद के लिये हर स्तर पर (ग्राम–प्रधान क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष) भी एक तिहाई स्थान उनके लिये आरक्षित होगें।

पुरूष प्रधान समाज में लम्बे समय से उपेक्षा की शिकार तथा उन्ही के निर्देशों पर चलने वाली उपेक्षित महिलाओं के लिये पंचायत संस्थाओं में आरक्षण मिलना और अपने लिये आरक्षित पदों के माध्यम से निर्वाचित होना एक सुखद आश्चर्य है। निश्चय ही यह कदम देश की आधी आबादी को देश को देश के विकास प्रशासन में सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस सन्दर्भ में 73 वे संविधान संशोधन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई महिलायें चुनकर आयी और अपने कार्य सम्पादन में संलग्न हैं।

किन्तु यह भूमिका उनके लिये नई है। क्या ये महिला प्रतिनिधि पद प्राप्त करने के बाद अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सशक्त भूमिका का निर्वाह कर पायी हैं? क्या इनके माध्यम से महिला सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है? क्या सम्बन्धित दायित्वों के सम्बन्ध में इनमें अपेक्षित चेतना और जागरूकता है? इन्हे अपने कार्यकरण के मार्ग में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इनकी भूमिका को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है? आदि प्रश्न इस सम्बन्ध में प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य बिन्दु है।

महिला प्रतिनिधियों से अपेक्षायें :–

उक्त प्रश्नों के सन्दर्भ तलाशने की दिशा में हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि पंचायत व्यवस्था के हर स्तर पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देते वक्त इनसे क्या अपेक्षायें की गई –

1. महिला प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे महिलाओं को साक्षर बनाने, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने, सामाजिक कुरीतियों का निवारण और महिला उत्पीड़न तथा शोषण समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठायेंगी।
2. अपने क्षेत्र की महिलाओं से सम्पर्क करके उनकी समस्योओं को समझेंगी तथा उन्हें पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही हेतु निर्णय करवाने का प्रयास करेंगी।
3. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के विषय में महिलाओं तक आवश्यक जानकारी सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी।
4. गॉवों में महिलाओं को स्वास्थ्य विषयक तथा जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व व उपायों के विषय में जानकारी व जागरूकता सुनिश्चित करेंगी।
5. महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिये व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन।
6. ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने का प्रयास तथा उनकी जानकारी प्रत्येक को उपलब्ध कराना।
7. प्रशासनिक कार्यो की पूर्ति हेतु पंचायतों की बैठकों में भाग लेना।
8. शासन द्वारा दिये गये कार्यो को निष्ठापूर्वक करने का दायित्व।
9. ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति तथा सहयोग को बढ़ावा देना।
10. बच्चों के लिये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने तथा उनके लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना।
11. महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता तथा चेतना के प्रसार हेतु व्यापक कार्यक्रमों का संचालन।

महिलाओं को आरक्षण देने का उद्देश्य मात्र उन्हें पद प्रदान करना नहीं है, बल्कि इन्हें समाज में समान रूप से सहभागी बनाना है। उनके स्तर में सुधार करना है व उन्हें इस प्रकार सशक्त बनाना है कि उनकी क्षमता का राष्ट्र व समाज हित में सदुपयोग हो सके। कार्यशील व कुशल नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो सके। साथ ही महिलायें अनेक माध्यमों से स्वयं को छोटे–छोटे व्यवसायों में सम्बद्ध कर अपनी परिवार की व अन्ततः राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं।

किन्तु प्रस्तुत शोध हेतु किये गये सर्वेक्षणों से जो तथ्य उभरकर आये हैं वे बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है। सदियों से पुरूष प्रधान समाज में बन्धन में जीने की अभ्यस्त ग्रामीण महिलाओं से एक झटके में कुशल प्रशिक्षित राजनीतिक–प्रशासनिक कार्यकर्ता के रूप में दायित्व निर्वहन की तो अपेक्षा नही की जा सकती, किन्तु उन्हें जो पद और पदभार दिया गया है उसके अनुरूप कार्य हेतु पहल और प्रयास की तो अपेक्षा की ही जा सकती है। किन्तु नयी पंचायत व्यवस्था के पहले पॉच वर्षो के पंचायत प्रतिनिधियों और पिछले दो वर्षो के पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यो से इतना तो स्पष्ट हुआ है कि उनमें राजनीतिक चेतना का संचार तो हुआ है, किन्तु की गई अपेक्षाओं की दिशा में ठोस कार्य नही किये जा सकें हैं। अधिकांश महिलायें पद पर होते हुए भी निर्णय की प्रक्रिया से दूर केवल हस्ताक्षर करने व मुहर लगाने का कार्य कर रही है, जबकि शेष महत्वपूर्ण कार्य उनके रक्त संबंधियों (पुत्र या पति) द्वारा किये जा रहें हैं। ऐसे में महिलाओ को आरक्षण देने की योजना के निहितार्थ नहीं पूरे हो सकते। अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों पर पुरूषों का ही कब्जा बना हुआ है और महिलायें केवल नाम के लिये पंचायत प्रमुख या सदस्य होती हैं।

वास्तव में, महिलाओं के कार्य व्यवहार की उक्त स्थिति का कारण महिलाओं की अपनी कुछ समस्यायें और कठिनाइयॉ है जो उनके कार्य–मार्ग में बाधक बन रही है और पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की प्रकिया को बाधित कर रही है। अस्तु यहॉ उन समस्याओं का उल्लेख अपरिहार्य होगा।

महिला प्रतिनिधियों की समस्यायें :-

पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर, विशेष रूप से ग्राम–पंचायतों में, महिला प्रतिनिधियों को अपने कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है –

1. जागरूकता का अभाव :-

गॉवों के विकास का कार्य महिला ग्राम–प्रधानों अथवा सदस्यों द्वारा तभी समुचित ढंग से सम्पादित किया जा सकता है, जब उन्हें इस सम्बन्ध में व्यापक जानकारी हो। वे इनकी बारीकियों से परिचित हो तथा उनके अन्दर जिम्मेदारी से काम करने की तत्परता हो। किन्तु सर्वेक्षण हेतु चुने गये गॉवों के महिला प्रधानों व सदस्यों से जब यह पूछा गया कि विकास कार्यो के सम्बन्ध में चलायी जाने वाली योजनाओं की उन्हें जानकारी है? तो केवल 12 प्रतिशत महिलाओं ने हॉ में उत्तर दिया और वह भी अपने परिवर के पुरूष सदस्य की उपस्थिति व परामर्श के आधार पर।[1]

2. अशिक्षा या अल्प शिक्षा :-

ग्रामीण महिलाओं में अशिक्षा अथवा अल्पशिक्षा उनके कार्य मार्ग में दूसरी महत्वपूर्ण बाधा है। पंचायतों के माध्यम से किये जाने वाले विकास कार्यो के सन्दर्भ में योजना बनाने व उन्हें संचालित करने हेतु प्रधानों व प्रतिनिधियों को अच्छी तरह शिक्षित होना चाहिये। अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित होने की दशा में वे सम्बन्धित समस्याओं की पहचान करने व उनके निराकरण में असमर्थ होंगी। जिससे समूचा तंत्र प्रभावित होगा और लक्ष्य दिशा हीन होगा। हमीरपुर जनपद में साक्षरता दर विशेष रूप से महिलाओं में, बहुत कम हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार 57.8 प्रतिशत पुरूष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता मात्र 22.0 प्रतिशत है । यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कम हैं। यह महज संयोग है कि अध्ययन हेतु चुने गये 70 गॉवों में महिला ग्राम प्रधानों के जिन 24 ग्राम पंचायतों को चुना गया उनमें कोई भी ग्राम प्रधान निरक्षर नही थी। किन्तु 24 मे से 19 अर्थात 79.17 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान

---

1. साक्षात्कार अनुसूची विधि से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर।

मात्र जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ी थी।[1] केवल 3 महिला प्रधान उच्च शिक्षा प्राप्त थी जिनमें दो सामान्य वर्ग की व एक अनुसूचित जाति की महिला थी। पिछड़े वर्ग की कोई भी महिला उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं थी। केवल दो महिला प्रधान हाईस्कूल पास थी जबकि कोई भी इण्टरमीडिएट पास नही थी। ऐसे में अल्पशिक्षित प्रधानों द्वारा पूर्ण समझ व जानकारी के साथ काम करना कठिन हो जाता है। सहायता के नाम पर बाह्य प्रभाव उन पर काम करने लगते हैं और आरक्षण दिये जाने का सही उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इस सम्बन्ध में शत–प्रतिशत प्रधानों ने सर्वेक्षणके दौरान शिक्षित होने की आवश्यकता स्वीकार की।[2]

3. <u>आर्थिक पराधीनता</u> :–

ग्रामीण परिवेश में, विशेष रूप से हमीरपुर जनपद में, महिलायें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नही हैं। इस सम्बन्ध में वे परिवार पालक मुखिया पर निर्भर करती हैं। पिछड़े व अनूसूचित जाति की अधिकांश महिला प्रधान अथवा सदस्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और मजदूरी करके गुजारा किया जा रहा है। ऐसे में आर्थिक प्रभाव पंचायतों में उनके क्षमता के पराभव का कारण बनता है। अतः उनके आर्थिक उन्नयन के लिये विशेष उपाय किये बिना उन्हे आरक्षण दिये जाने के लाभ प्राप्त कर पाना सम्भव नही है।

4. <u>जातीय भेदभाव</u> :–

ग्रामीण समाज में जातीय भेदभाव अभी भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है जिसके चलते अनुसूचित जाति के ग्राम–प्रधानों विशेष रूप से महिला प्रधानों को अपने कार्य सम्पादन में तरह–तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

5. <u>पारिवारिक दबाव</u> :–

नयी पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को पद तो मिल

---

1. *सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के आधार पर*
2. *वही*

गये किन्तु उन्हें वास्तविक भागीदारी नहीं मिली। चाहे इसका कारण अशिक्षा हो, व्यवस्था के बारे में अनभिज्ञता हो, असुरक्षा का कारण हो, पर्दाप्रथा हो या कोई अन्य कारण, चुने जाने के बाद महिलायें पंचायत कार्यो में बहुत कम ही भाग लेती थी। किसी भी बैठक में वे स्वयं नही उपस्थिति होती बल्कि उनके पति या पुत्र वहाँ पहुँचते थे। इस विचित्र स्थिति के निराकरण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर आरक्षण द्वारा चुनकर आयी महिला प्रधानों/सदस्यों को बैठकों में स्वयं उपस्थित होने तथा उनके रिश्तेदारों के कार्यालय में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया।[1] किन्तु फिर भी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किसी बैठक में, जिसमें जनपद स्तर का कोई अधिकारी हो तो अवश्य ये महिलायें अब बैठकों में पहुँच जाती हैं, पर ग्राम–सभा व ग्राम–पंचायत की बैठको में अब भी महिला–प्रधानों/सदस्यों के पति अथवा पुत्र ही पहुँचते हैं। ग्राम–पंचायत में विकास योजनाओं के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही होती है वह प्रायः पुरूषों द्वारा ही की जाती हैं। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि शोधार्थिनी के स्वयं महिला होने के बावजूद उसे सीधे महिला प्रतिनिधियों से नहीं मिलने दिया गया। प्रश्नों के उत्तर परिवार के पुरूषों ने ही दिये। इस सम्बन्ध में यह पूछे जाने पर कि ग्राम–पंचायत के प्रधान पद पर चुनाव लड़ने का निर्णय उनका स्वयं का था अथवा परिवार प्रमुख का तो लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं ने (पुरूष सम्बन्धी के परामर्श पर) स्वीकार किया कि चुनाव में प्रत्याशी होने का निर्णय उनका स्वयं का था जबकि 70 प्रतिशत महिलायें (यहाँ भी पुरूष सदस्यों के परामर्श पर) यह मानती हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने हेतु परिवार के प्रमुख ने प्रेरित किया।[2] इसी प्रकार 33 प्रतिशत प्रधानों ने यह स्वीकार किया कि वे बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं जबकि 67 प्रतिशत महिलायें परिवार प्रमुख/अथवा अन्य किसी प्रकार के दबाव में कार्य करने की बात स्वीकार करती हैं।[3] इन दोनों ही उत्तरों में सत्य का अंश कितना है यह खोज पाना बड़ा कठिन है क्योंकि अधिकाँश महिला प्रधानों ने अपने पति अथवा पुत्र के निर्देशन में शोधार्थिनी के प्रश्नों के उत्तर दिये। जब तक महिलायें स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और कार्य करने में सक्षम नहीं होती तब तक पंचायत के माध्यम से स्वराज और फिर सुराज का सपना अधूरा ही रहेगा।

---

1. *शासनादेश संख्या 879/ 33–127/ 98, दि0 10 मार्च 1998*
2. *साक्षात्कार अनुसूची विधि से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर।*
3. *वही।*

6. चरित्र हनन :–

महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से बाहर निकल कर कार्य न कर पाने का एक कारण, जो निजी बातचीत में अधिकॉश महिलाओं ने बतायी, वह थी रूढ़िवादी–परम्परावादी ग्रामीण समाज के संकीर्ण मानसिकता की सोच। अधिकाँश महिला प्रधानों व सदस्यों ने यह बताया कि अगर वे सार्वजनिक रूप से बिना परिवार के किसी सदस्य को साथ लिये, बाहर काम के लिये निकलती हैं तो उन पर तरह–तरह के आरोप लगाये जाते हैं। ऐसे में परिवार के पुरूष (पति अथवा पुत्र) पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है।

7. अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता :–

अध्ययन के दौरान एक तथ्य सामान्य रूप से उभर कर सामने आया कि महिलाओं में पंचायत के प्रधान अथवा सदस्य के रूप में उनके क्या अधिकार तथा कर्तव्य हैं, प्रायः इसकी जानकारी अधिकाँश महिलाओं को नहीं है। इस सम्बन्ध में भी अधिकांश महिलाओं ने पति अथवा पुत्र के परामर्श से जवाब दिये। कुछ स्थानों पर तो स्थिति तब और विचित्र हो गई जब इस विषय पर उत्तरदाता महिला के सहायक पुरूष को भी इस सम्बन्ध में जानकारी नही थी । इस प्रकार सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चला कि मात्र 17 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की जानकारी है। 67 प्रतिशत को जानकारी नहीं है और शेष इस सम्बन्ध में अनिश्चय की स्थिति में नजर आये।[1]

प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के कार्यो का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि उपर्युक्त बाधाओं के चलते अभी सभी महिलाये स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। इस सम्बन्ध में उनके परिवार के पुरूष, विशेष रूप से पति ही सक्रिय हैं। ये महिलायें बिना किसी परिजन के बैठकों में नहीं जाती। केवल कुछ महिलायें ही अपनी स्वतंत्र उपस्थिति का, पश्चिय दे पाई हैं। ग्राम–पंचायत की बैठकों में भी अधिकाँश महिलायें नहीं जाती। पूछे जाने पर उन्होने बताया कि जाने की आवश्यकता ही नहीं होती क्योकि घर पर ही रजिस्टर भेज कर

---

1. *वही*

उनकी उपस्थिति दर्ज करवा ली जाती हैं। कुछ प्रतिनिधियों के अनुसार उन्हें समय से बैठक की सूचना ही नहीं होती हैं। प्रायः प्रभावशाली व्यक्ति निर्णय ले लेते हैं।

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि नयी पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिये जाने के बाद भी इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार की पहल हुई हैं और उन्होने अपनी शक्ति पहचाननी प्रारम्भ कर दी हैं। इस दिशा में महिलाओं के सशक्तीकरण के सन्दर्भ में निम्नलिखित उपलब्धियाँ फलीभूत हुई हैं–

1. पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व होने से ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ है। राजनीतिक प्रक्रिया में चुने जाने की संभावना ने राजनीति के प्रति उन्हें उन्मुख किया हैं। सन 2000 में हुए पंचायत चुनावों में 1995 की तुलना में अधिक जागरूकता देखने को मिली।
2. पंचायतों में चुने जाने के बाद कार्य करते हुए क्रमिक रूप से महिलाओं में आत्म विश्वास बढ़ रहा है।
3. पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से महिलाओं में आत्म सम्मान और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।
4. महिला प्रतिनिधित्व के कारण सार्वजनिक विषयों तथा निर्णयों पर चर्चा का दायरा चौपाल से रसोई घरों तक पहुँच गया है। महिलाओं के कार्यप्रणाली में अपेक्षाकृत अधिक खुलापन व स्पष्टवादिता देखने को मिली हैं।

महिला सशक्तीकरण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम :–

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की दशा में सुधार ला कर उनके सशक्तीकरण हेतु अनेक योजनायें तथा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं–

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :–

यह योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारम्भ की गई।[1] यह एक व्यापक कार्यक्रम है

---

1. *विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनायें – एक परिचय, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ0 33*

जिसमें स्वरोजगार के सभी विषयों, जैसे– गरीबों को स्वसहायता समूह में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, ढाँचा तथा विपणन जैसे पहलू शामिल हैं। इसके अन्तर्गत स्वसहायता समूहों के निर्माण पर बल दिया जाता हैं तथा इसका उद्देश्य तीन वर्षो के अन्दर स्वरोजगारियों को गरीबी रेखा से उपर लाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लघु उद्योगों की स्थापना करना हैं। इस योजना में व्यवस्था है कि प्रत्येक खण्ड में गठित समूहों का 50 प्रतिशत विशेष रूप से मलिाओं का होना चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को बचत तथा जमा के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे आत्म निर्भर बन सकें। योजना के अन्तर्गत आवर्ती निधि, बैंक ऋण ताकिं सब्सिडी के रूप में सहायता देकर महिलाओं को रोजगारके अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समेकित करने का प्रयास किया गया है।

2. इन्दिरा आवास योजना :–

इन्दिरा आवास योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करना हैं।[1] इस योजना के अन्तर्गत नये आवासों हेतु पहाड़ी एवं कठिनाई वाले क्षेत्रों में 22 हजार रू0 तथा मैदानी क्षेत्रों में 20 हजार रू0 प्रति आवास ताकि कच्चे आवासों के उच्चीकरण हेतु 10 हजार रू0 प्रति आवास सहायता दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में वार्षिक परिव्यय का 80 प्रतिशत नये आवासों के निर्माण हेतु तथा 20 प्रतिशत कच्चे आवासों के उच्चीकरण हेतु व्यय करने की व्यवस्था हैं। इस योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये तथा 3 प्रतिशत विकलांगो को लाभान्वित किया जाना है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत आवास महिलाओं के नाम आवंटित किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में पति–पत्नी दोनों के नाम से आवंटित किये जा सकते हैं। वर्ष 1999–2000 में हमीरपुर जनपद में नये इन्दिरा आवासों के 434 के लक्ष्य के समक्ष 631 आवासों हेतु व 219 उच्चीरकण आवासों हेतु सहायता उपलब्ध करायी गई।[2]

---

1. *वही, पृ0 35*
2. *जिला ग्राम्य अभिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर*

3. ग्रामीण पेय जल योजना :–

यह योजना 1981–82 में प्रारम्भ की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सहज स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।[1] इसके अन्तर्गत हैण्डपम्पों, कुओं आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ भी महिलाओ को अधिक हुआ है क्योकि व्यावहारिक रूप से जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यवस्था महिलाओं के दायित्वों के अन्तर्गत आता है।

4. उन्नत चूल्हा कार्यक्रम :–

1983–84 में प्रारम्भ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त चूल्हा उपलबध कराना। इससे न केवल प्रदूषण की रोकथाम होगी, वन सम्पदा की बचत होगी बल्कि महिलाओं के समय की भी बचत होगी।[2]

5. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम :–

यह कार्यक्रम 1981–82 में प्रारम्भ किया गया था। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध कराकर प्रदूषण पर नियंत्रण, जैविक खाद की प्राप्ति व स्त्रियों के स्वास्थ्य में सुधार का लक्ष्य प्राप्त किया जाता हैं।[3]

6. वृद्धावस्था पेंशन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के वृद्ध पुरूष/महिलाओं को 125 रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन देने की योजना हैं। किन्तु यह पेंशन पति या पत्नी में से केवल एक को मिलेगी। शर्त यह है कि उसके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी

---

1. *विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनायें, एक परिचय, पंचायती राज विभाग, लखनऊ*
2. *वही, पृ0 38*
3. *वही, पृ0 39*

चाहिये, लाभार्थी का पुत्र अथवा पौत्र सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिये तथा लाभार्थी को अन्य किसी विभाग से पेंशन न मिल रही हो।[1]

7. पारिवारिक लाभ योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को एक मुश्त 10,000 रू0 की सहायता प्रदान की जाती है। मृतक की उम्र 18 वर्ष से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिये।[2]

8. मातृत्व लाभ योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के प्रथम दो जीवित बच्चों के जन्म पर 500 रू0 एक मुश्त सहयता दिये जाने की व्यवस्था है।[3]

9. निराश्रित विधवाओं के लिये पेंशन :–

निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु सहायक अनुदान के रूप में मासिक पेंशन दिये जाने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी की विधवायें पात्र हैं–[4]

1. जिनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के न हो अथवा यदि हो तो सम्बन्धित महिला का भरण पोषण करने में असमर्थ हों या न करते हों।
2. जिनके पास सभी स्रोतों से होने वाली आये कुल मिलाकर 225 रू0 मासिक से अधिक न हो।

---

1. *वही, पृ0 108*
2. *वही, पृ0 109*
3. *वही, पृ0 107*
4. *वही, पृ0 175*

3. जो किसी ऐसी संस्था की संचालिनी न हों, जहाँ उनका भरण पोषण निःशुल्क किया जा रहा है।
4. जिनको शासन के किसी विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन न मिल रही हो।

10. पुनर्गठित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम :–

यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण परिवारों के लिये स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। जहाँ पर व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण संभव नहीं है, वहाँ केवल महिलाओं के लिये ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों का परिसर बनाने का सुझाव है। महिलाओं के लिये सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रख–रखाव के लिये आवंटित निधियों का 5 प्रतिशत तक प्रयोग किया जा सकता हैं।[1]

यहाँ कुछ ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार किया जा सकता है अथवा उन्हें कुछ मूलभुत सुविधायें प्रदान कर उनकी कठिनाइयाँ दूर की जा सकती हैं। ये कार्यक्रम ग्राम–पचांयतों में 1/3 महिला सदस्यों की उपस्थिति से प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं, यदि महिलाओं में जागरूकता हो और कार्य के प्रति निष्ठा।

महिलाओं में जागरूकता व सक्रियता के आभाव में ये कार्यक्रम महिलाओं के होते हुए भी पुरूषों द्वारा संचालित किये गये हैं अथवा किये जा रहे है, जिससे इनका सम्पादन महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप कम ही हो पाया है। अतः महिलाओं में जागरूकता लाने हेतु विशेष उपाय करने होगें। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते है–

1. महिलाओं में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिये उन्हें उनके अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में यथोचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। महिला

---

1. *केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पुनर्निमित मार्ग दर्शिका, उ0 प्र0 पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ 2000, पृ0 24*

जन–प्रतिनिधियों के लिये ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र लगाकर इन्हें विकास के विभिन्न पक्षों से भी परिचित कराया जाना चाहिये। प्रशिक्षण छोटे–छोटे ग्रुप में स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिये।

2. अशिक्षित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम स्तर पर ही महिला शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।
3. पंचायत प्रतिनिधि विशेष रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष एवं महिलायें कार्यशील हैं। अतः प्रशिक्षण देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि उनके जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान न आवे।
4. बाल विवाह रोकने हेतु कठोर कदम उठाये जायें जिससे बालिकाओं को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त हो।
5. बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय।
6. हाईस्कूल से ऊपर की बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
7. निर्धनता निवारण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जाय।
8. गाँव में महिला उद्यम शीलता को प्रोत्साहित किया जाय।
9. ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाय जिससे उन्हें विकास योजनाओं की निरंतर जानकारी मिलती रहे।
10. लघु एवं कुटीर उद्योगों में महिलाओं को लगाया जाय जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ पारिवारिक रोजगार एवं आय में वृद्धि की जा सके।
11. वानिकी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।
12. महिलाओं को स्वयं संगठित होकर पुरूष प्रधान मानसिकता को बदलना होगा।
13. उन्हें समझौता वादी नीति का परित्याग कर अपने विचार को महत्व देना होगा।
14. अपनी क्षमता को पहचान कर स्वयं निर्णय करने व कार्य करने का साहस व आत्म बल पैदा करना होगा।

वस्तुतः सरकार ने पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी कागजों पर सुनिश्चित कर दी तथा महिला प्रधानों तथा सदस्यों को पुरूष प्रधान राजनीतिक–सामाजिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिये खड़ा कर दिया

किन्तु इस भूमिका के सफल निर्वाह हेतु आधार प्रदान नही किया गया। पुरूष राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को शून्य तक रखने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी महिलायें अनपढ़ तथा प्रशासनिक दृष्टि से अल्पज्ञ हैं किन्तु उनके परिवार जन उन्हें "रबर स्टैम्प" बनाकर उनके अधिकारों का दुरूपयोग कर रहे है तथा अपनी राजनीतिक लिप्साओं की पूर्ति कर रहें हैं। जब तक उपर्युक्त उपायों द्वारा इस स्थिति में बदलाव नहीं लाया जाता और महिलायें स्वयं अपने विवेक से अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करती तब तक ग्राम–पंचायतों के माध्यम से उनके सशक्तीकरण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी।

अध्याय-छः

पंचायती राज व ग्रामीण विकास-स्वावलम्बन व स्वराज

अध्याय :- छः

पंचायती राज व ग्रामीण विकास

स्वावलम्बन व स्वराज :–

उत्तर प्रदेश कि आत्मा वहाँ के 97,134 गाँवों में बसती है।[1] राज्य की आबादी का कुल 70 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने के लिये जो रास्ता चुना है, वह ग्राम पंचायतों से होकर गुजरता है। किसान, मजदूर और गरीब कारीगरों के जो सपने वक्त के पाँव तले रौदें जा चुके थे उन्हें ग्राम–पंचायतों के माध्यम से साकार करने की योजना बनी है। ग्राम–पंचायतो को सत्ता के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से विकास योजनाओं में सहभागी बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 17 मण्डल, 70 जनपद[2], 298 तहसीले, 809 विकास खण्ड तथा 51,826 ग्राम सभायें हैं। ग्राम–पंचायतों की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अधिक से अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्व पूर्ण निर्णय लिये गये है, जिनके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहें हैं। प्रस्तुत अध्याय में ग्राम–पंचायतों के द्वारा किये जा रहे इन्हीं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी है।

ग्राम पंचायतों कि वित्त व्यवस्था :–

किसी भी विकास कार्य का मुख्य आधार वित्तीय व्यवस्था होती है। विकेन्द्रीकरण की योजना में अगर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता न सुनिश्चत की गयी हो तो सम्भवतः ग्राम–पंचायतें अपेक्षित लक्ष्यप्राप्ति से दूर ही रहती। इस सम्बन्ध में 73 वें संबिधान संशोधन द्वारा पंचायतों को न केवल सम्वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है बल्कि विकास कार्यों के सम्पादन हेतु उचित वित्तीय व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी है। इस सम्बन्ध में संविधान के अनु0 243 (एच) प्राधिकृत करता है कि राज्य विधान मण्डल कानून द्वारा –

---

1. *ममता भारती "उत्तर प्रदेश : नये युग की ओर ग्राम पंचायतें", कुरक्षेत्र मार्च 2002, पृ0 21*
2. *अमेठी को दिसम्बर 2002 में जिला बनाने की घोषणा के बाद यह संख्या 71 हो गयी है।*

कः— एक पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्‌गृहीत, संग्रहीत और विनयोजित करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

खः— ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुये राज्य सरकार द्वारा उदग्रहीत और संग्रहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को समनुदेशित कर सकता है।

गः— पंचायतों के लिये राज्य कि संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिये उपबन्ध कर सकता है। और

घः— पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियों के जमा करने के लिये ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिये उपबन्ध कर सकता है जो विधि में विनिर्दिष्ट किये जायें।

इसी प्रकार अनुच्छेद 243 (आई) में राज्य वित्त आयोग के गठन कि व्यवस्था है —

1. राज्य का राज्यपाल संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ होने से 1 वर्ष के भीतर यथा शम्य शीघ्र और उसके पश्चात 5 वें वर्ष के अवसान पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये, और

कः— उन सिद्धान्तों, जो निम्न लिखित को शासित करेंगे, अर्थात —

1. राज्य द्वारा उदग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसो के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच विचरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित किये जा सकेंगे तथा पंचायतों के बीच स्तरों पर ऐसे ऑगमों के अपने—अपने अन्शों का आवण्टन,
2. ऐसे करों, शुल्को, पथकरों और फीसों का अवधारण जो पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगें या उसके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे,
3. राज्य कि संचित निधि में पंचायतों को सहायता अनुदान।

खः— पंचायतों कि वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये अध्युपाय,

गः— किसी अन्य विषय, जो राज्पाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग

को निर्दिष्ट किया जाय, के बाबत राज्पाल को सिफारिशें करने के लिये एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

2. राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना, अर्हता, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होगी, औरी रीति, जिससे उसका चयन किया जायेगा, का उपबन्ध कर सकेगा।

3. आयोग अपनी प्रकिया अवधारित करेगा और, उसे अपने कृत्यों के पालन के लिये ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्यों का विधान मण्डल, विधि द्वारा उसे प्रदान करे।

राज्य वित्त आयोग :–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन हेतु गठित प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायतों को राज्य की कुल शुद्ध आय का 3 प्रतिशत देने की संस्तुति की थी किन्तु पंचायतों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की शुद्ध आय का 4 प्रतिशत पंचायतों को देने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2000–2001 तक इसी आधार पर प्रतिवर्ष पंचायतों को धनराशि अवमुक्त की गई।[1] इस प्रकार अवमुक्त धनराशि निम्नलिखित मदों में व्यय होगी –

1. सार्वजनिक लैम्प पोस्टरों के रख–रखाव के कार्य हेतु।
2. गाँवों में स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु।
3. ग्राम पंचायतों में स्थापित परिसम्पत्तियों जैसे प्राथमिक पाठशाला, पंचायत भवन, ए0एन0एम0 सेन्टर तथा अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु।
4. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित मार्ग/खड़ण्जा नाली के रख–रखाव हेतु।
5. जल निकासी, स्वच्छता कार्यक्रम एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु।

---

1. *विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनाये, एक परिचय, पंचायती राज विभाग, लखनऊ 2001, पृ0 12*

6. केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि के मैचिंग ग्रान्ट के रूप में

वस्तुतः ग्राम पंचायतों की आय के कई स्रोत होते है, जैसे –

1. आरोपित करों से आय,
2. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान,
3. क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये प्राप्त धनराशि,
4. निर्माण की गई सम्पत्ति से,
5. अन्य स्रोतो से।

1995 में नयी पंचायत व्यवस्था के लागू होने व निर्वाचित होने के बाद से हमीरपुर जनपद में ग्राम पंचायतों को विभिन्न वित्तीय वर्षों में उपर्युक्त मदों से प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है–

तालिका :– 1

हमीरपुर जनपद में ग्राम–पंचायतों की आय[1]

क्र0सं0	मद	आय रू0 में				
		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00
1.	करों से	337000	445612	453095	449367	328971
2.	राज्य सरकार के अनुदान से	15239199	26472291	38340436	38912044	35424129
3.	क्षेत्र पंचायत /जिला पंचायत के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये प्राप्त धनराशि	831887	2613582	1908694	1368281	876580

---

1. *सांख्यिकी पत्रिका, जिला–हमीरपुर, वर्ष 2000, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, पृ0 94*

4	निर्माण की गई सम्पत्ति से	—	15678	31320	35400	39300
5	अन्य स्रोतों से	153958	394888	4720803	2571803	265754
	योग	16561948	33636173	45454348	43336895	36934734

ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनायें :–

भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र तथा स्थायी विकास लाने को कटिबद्ध है। भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक ऐसी योजनायें कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाना हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी का पूर्ण उन्मूलन तथा तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास करना तथा आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव बढ़ाने के लिये 4 सूत्री कार्य–नीति लागू की है। इस कार्य–नीति के चार सूत्र निम्न है–[1]

2. कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना,
3. कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना,
4. जनता की भागीदारी बढ़ाना, एवं
5. ग्राम सभा को सुदृढ़ बनाकर जबाबदेही व सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना।

इन्ही उद्देश्यों और सूत्रों के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ग्राम–पंचायत के माध्यम से उक्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये योजनायें और कार्यक्रम हमीरपुर जनपद में भी संचालित हो रही हैं। इस सम्बन्ध में जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है वे निम्न है–

1. सुनिश्चित रोजगार योजना :–

सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को 257 जिलों की चुनी हुयी 1778

---

1. *मधु राठौड़, पंचायती राज और महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ0 30*

पिछड़ी पंचायत समितियों में प्रारम्भ की गयी थी।[1] ये पंचायत समितियाँ सूखे की आशंका वाले इलाकों, मरू भूमि क्षेत्रों में, जन जातीय क्षेत्रो तथा पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित थी जहाँ पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू थी। बाद में इस योजना को चरण बद्ध तरीके से देश के बाँकी पंचायत समितियों में लागू किया गया और अन्ततः 1997–98 में यह देश की समस्त पंचायत समितियों में लागू कर दिया गया।

उद्देश्य :–

सुनिश्चित रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीबो के लिये शारीरिक श्रम के जरिये मजदूरी, रोजगार की अत्यधिक कमीं के दौरान अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। योजना का गौण उद्देश्य स्थायी रोजगार तथा विकास के लिये टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।[2]

वित्त पोषण :–

इस कार्यक्रम कों केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और लागत को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाता है।[3]

लक्ष्य समूह :–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा खतर नाक कार्यों से निकाले गये श्रमिकों के अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाती है।[4]

---

1. *वही, पृ0 32*
2. *विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनायें, एक परिचय, पंचायती राज विभाग लखनऊ, 2001, पृ 34*
3. *वही*
4. *वही*

कार्यक्रम नीति :-

इस कार्यक्रम को जिला पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जिले के लिये आवण्टित राशि का 70 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को आवण्टित किया जाता है तथा 30 प्रतिशत जिला पंचायत को हस्तान्तरित किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना 70 प्रतिशत अंश के लिये क्षेत्र पंचायतों के द्वारा बनाई जाती है तथा 30 प्रतिशत अंश के लिये जिला पंचायत द्वारा बनाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान नकद किया जाता है।[1] योजनान्तर्गत कार्य के लिये ठेकेदारों का लगाया जाना प्रतिबन्धित है। कार्य मस्टर रोल के आधार पर कराये जाते हैं।

यदि मजदूरी रोजगार की माँग को अन्य योजना अथवा गैर-योजना कार्यो के अन्तर्गत पूरा किया जा सकता है तो कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ करने कि आवश्यकता नहीं है। स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करने वाले उत्पाद स्वरूप के केवल गहन श्रम कार्यो को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत कार्यो को सामान्यतया अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिये तभी प्रारम्भ किया जाता है जब अत्यधिक कमी हो तथा माँग की पूर्ती के लिये मजदूरी रोजगार के पर्याप्त अवसरो का सृजन करने हेतु सामान्य योजना/गैर-योजनागत योजनाओं के अन्तर्गत संसाधन उपलब्ध न हों। इस योजना की कुछ अन्य विषेशतायें निम्न लिखित हैं-

1. जिले को 80 प्रतिशत निधियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जारी की जायेंगी और यदि राज्य में निर्वाचित तथा सर्व शक्तिमान पंचायती संस्थायें हैं तो शेष 20 प्रतिशत को केवल प्रोत्साहन के रूप में जारी किया जायेगा।
2. राज्य सरकार केन्द्र सरकार की सहायता के अवमुक्ति के बाद 15 दिन के अन्दर जिला ग्रामीण ऐजेन्सियों का अपना मैचिंग अंश जारी करेगें।
3. एक जनपद से दूसरे जनपद को तथा इसी प्रकार एक क्षेत्र पंचायत से दूसरी पंचायत के लिये निधियों के अन्यत्र उपयोग की अनुमति नहीं है।
4. निधियाँ जिला ग्राम्य अभिकरण/जिला पंचायतों को दी जायेंगी और यदि इन

---

1. *वही*

निधियों का उपयोग नहीं किया गया तो ये रद्द की जा सकेंगीं और केवल 15 प्रतिशत को आगामी वर्ष में अवशेष के रूप में ले जाने की अनुमति होगी।

2. इसके अन्तर्गत कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता जब तक कि वह वार्षिक कार्य योजना का एक भाग नहीं बन जाता।

3. इसके अन्तर्गत मृदा एवं नमीं संरक्षण, लघु सिंचाई एवं पेय जल श्रोतों का नवीनी करण तथा जल के भूतल को बढ़ाना, परम्परागत जल एकत्र करने वाले ढ़ाँचों, वाटरशेड योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों, गाँवों को अन्य गाँवों/ब्लाक मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़को तथा गाँवों को कृषि क्षेत्रो से जोड़ने वाली सड़को के निर्माण, निकासी कार्यों तथा वानकी को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

4. इस योजना के अन्तर्गत निम्न लिखित निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सकते–

कः– धार्मिक प्रयोजनों के लिये भवन,

खः– स्मारक, स्मृति स्थल, प्रतिभा, मेहराब द्वारा, स्वागत द्वार आदि,

गः– बड़े पुल,

घः– सरकारी कार्यालय के भवन, पंचायत भवन, परिसर की दीवारें,

चः– उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कालेजों के लिये भवन।

5. योजना के अन्तर्गत कार्यों के विवरण को प्रकाशित किया जायेगा और ग्राम सभा को इससे अवगत कराया जायेगा ताकि पारदर्शिता और उत्तर दायित्व सुनिश्चित हो सके।

6. जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायतों को योजना के अन्तर्गत सृजित परि सम्पत्तियों के रख–रखाव पर अधिकतम 15 प्रतिशत व्यय करने की अनुमति है।

7. मजदूरी–सामग्री के 60 : 40 अनुपात को सख्ती से कार्यान्वित किया जायेगा।

8. मजदूरी का भुगतान निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर के अनुसार होगा।

9. राज्य, सतर्कता एवं निगरानी समितियों के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की निगरानी करेगा।

2. इन्दिरा आवास योजना :–

यह योजना वर्ष 1985 में प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास हीन ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत केन्द्र का अंश 75 प्रतिशत तथा राज्यांश 25 प्रतिशत है।

आवासों की इकाई लागत :–

इस योजना के अन्तर्गत नये आवासों के निर्माण तथा पुराने कच्चे मकानों का उच्चीकरण हेतु सहायता प्रदान की जाती है–

क:– नये आवासों हेतु पहाड़ी एवं कठिनाई वाले क्षेत्रों में 22,000 रूपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रूपये प्रति आवास दिये जाते है।

ख:– कच्चे आवासों के उच्चीकरण हेतु 10,000 रू0 प्रति आवास सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

विशेषतायें :–

इस योजना की अन्य महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्न है–[1]

1. आवासों का निर्माण लाभार्थियों के स्वयं के भूखण्ड पर या क्लस्टर में एक स्थान पर बनाये जायेंगे।
2. आवासों की कोई डिजाइन निर्धारित नहीं है। शर्त मात्र यह है कि आवास कुर्सी क्षेत्र कम से कम 20 वर्ग मीटर हो।
3. वार्षिक परिव्यय का 80 प्रतिशत नये आवासों के निर्माण हेतु तथा 20 प्रतिशत कच्चे आवासों के उच्चीकरण हेतु व्यय होगा।
4. कुल लाभार्थियों में कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के तथा 3 प्रतिशत लाभार्थी विकलांग होने आवश्यक है।
5. आवास महिलाओं के नाम से आवंटित किये जायेंगें। विशेष परिस्थितियों में पति/पत्नी दोनो के नाम से आवास आवंटित किये जा सकते है।
6. लाभार्थियों का चयन ग्राम–सभा की खुली बैठक में होगा।
7. आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं कराया जायेगा।
8. लाभार्थियों को दो किश्तों में धन उपलब्ध कराया जायेगा, जो सीधे उनके बैंक खातों में हस्तान्तरित किया जायेगा।
9. स्वच्छ शौचालय एवं धूम्र रहित चूल्हा इस योजना का अभिन्न अंग होगा।

---

1. *विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनायें, एक परिचय, पंचायती राज विभाग लखनऊ, 2001, पृ 35*

हमीरपुर जनपद में विभिन्न वर्षों में अद्यतन इस योजनान्तर्गत निर्मित अथवा उच्चीकृत, इन्दिरा आवासों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका–2

हमीरपुर जनपद में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों की संख्या[1]

कम सं0	वित्तीय वर्ष	नये इन्दिरा आवास		उच्चीकृत इन्दिरा आवास		योग	योग
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1999–2000	434	631	219	219	643	850
2.	2000–2001	434	352	219	184	643	530
3.	2001–2002	442	442	221	221	663	663
4.	2002–2003	452	अप्राप्त	227	अप्राप्त	679	अप्राप्त

3. ग्रामीण पेयजल योजना :–

यह योजना 1981–82 में प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों को तथा प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है।

संसाधन :–

ग्रामीण पेयजल योजना का संचालन निम्न योजनाओं के माध्यम से कराया जाता है–[2]

---

1. *जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर*
2. *विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनायें, एक परिचय, पंचायती राज विभाग लखनऊ, 2001, पृ 37*

1. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम– इसके अन्तर्गत शत प्रतिशत अंश दान राज्य का होता है।
2. त्वरित कार्यक्रम– इसमें शत प्रतिशत अंश दान केन्द्र का होता है।
3. गुणवत्ता प्रभावी कार्यक्रम– इसमें 25 प्रतिशत अंश राज्य का तथा 75 प्रतिशत केन्द्र का होता है।
4. डच कार्यक्रम– इसमें शत प्रतिशत अंश बाह्य श्रोतों से प्राप्त किया जाता है।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति – इसके लिये शत प्रतिशत अंश राज्य सरकार का होता है।

ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 250 की आबादी अथवा 30 से 40 परिवारों पर इण्डिया मार्का–ए हैण्डपम्प की स्थापना की जाती है/हैण्डपम्प की स्थापना हेतु ग्राम–पंचायत की खुली बैठक में सार्वजनिक उपभोग स्थल का चयन किया जाता है। हैण्ड पम्प अधिष्ठापन का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम निर्माण शाखा द्वारा सम्पन्न किया जाता है। हमीरपुर जनपद में विभिन्न वर्षों में लगाये गये इण्डिया मार्का– ए हैण्ड पम्पों की संख्या निम्नवत है–[1]

तालिका–3

वर्ष	हैण्ड पम्पों कि संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
1997–98	511	747555
1998–99	511	747555
1999–2000	511	747555

वर्ष 1999–2000 में खण्ड वार हैण्ड पम्पों का वितरण निम्न प्रकार से था–[2]

---

1. *सांख्किी पत्रिका, पूर्वाक्त, पृ0 91*
2. *वही*

तालिका–4

क्रम सं0	विकास खण्ड	हैण्ड पम्पों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
1.	कुरारा	62	75883
2.	सुमेरपुर	82	127867
3.	सरीला	65	90153
4.	गोहाण्ड	73	95052
5.	राठ	63	82325
6.	मुस्करा	57	104647
7.	मौदहा	109	171628
	योग	511	747555

4.स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :–

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से एक नयी स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारम्भ की गयी। इसके साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यकम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजारों कि आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना तथा 10,00000 कूप योजनायें समाप्त कर दी गयीं। स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना को पिछले कार्यक्रमों के सकारात्मक पहलुओं तथा कमियों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। पहले के कार्यक्रमों में सभी कार्यक्रम गरीबी उपशमन के लक्ष्य से बनाये गये थे, किन्तु कुछ वर्षों से प्रत्येक ने अलग–अलग स्वतन्त्र कार्यक्रम बनाकर उनका कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया था। अपने–अपने कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने कि प्रतिस्पर्धा सी होने लगी थी और कार्यक्रमों के बीच सम्पर्क, समन्वय और महत्वपूर्ण मुद्दो पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता गौड़ हो गयी थी। इस लिये इन समस्त कार्यक्रमों को पुनर्गठित कर स्वर्णजयन्ती ग्रांम स्वरोजगार योजना लागू की गयी।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का सुस्पष्ट उद्देश्य ग्रामीण निर्धन लोगों की पारिवारिक आय को सुधारना तथा इसी समय स्थानीय आवश्यकताओं तथा संसाधनों के अनुकूल निचले स्तर पर डिजाइन की लोचशीलता उपलब्ध कराना है। इसके पुनर्गठन का

उद्देश्य छोटे–छोटे उद्यमों के विकास के माध्यम से सतत् आय सृजन कि सुविधा उपलब्ध कराकर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाना है। ऐसा करके गरीबों कि कार्यक्षमता बढ़ानें, ऋण प्रद्योगिकी, विपणन तथा बुनियादी ढाँचे जैसे विभिन्न घटको के बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित किया गया है। इस योजना कि प्रमुख विशेषतायें निम्न है–

1. सहायता प्राप्त परिवार (जिन्हें अब स्वरोजगारी के नाम से जाना जायेगा) या कोई अकेला व्यक्ति अथवा कोई समूह स्व–सहायता समूह हो सकता है।
2. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।
3. प्रत्येक स्वरोजगारी परिवार को प्रतिमाह कम से कम 2000 रू0 आय सृजन हेतु सक्षम बनाना है।
4. इस योजना के अन्तर्गत निधियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अंश 75 : 25 के अनुपात में है।
5. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना लघुउद्योगों का एक व्यापक कार्यक्रम होगा जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल होंगे, जैसे– ग्रामीण गरीबो के स्वसहायता समूहों का गठन तथा उनकी क्षमता का विकास, सामूहिक किया कलापों की योजना, ढ़ाँचा निर्माण, तकनीकी ऋण तथा विपणन।
6. इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों कि स्थापना में समूह गत दृष्टिकोण पर जोर दिया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक खण्ड के लिये वहाँ उपलब्ध संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक दक्षता तथा बाजारों कि उपलब्धता पर आधारित 4–5 प्रमुख गति विधियों की पहचान की जायेगी। इन प्रमुख गतिविधियों का खण्ड स्तर पर चयन क्षेत्र पंचायत द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की सहायता का बड़ा हिस्सा गतिविधि समूहों के लिये होगा।
7. ग्राम सभा गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना में चिन्हित किये गये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रमाणित करती हैं। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिये उचित वैयक्तिक परिवारों की पहचान एक सहभागी प्रक्रिया द्वारा की जाती है।
8. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ऋण सह सब्सिडी कार्यक्रम है। ऋण इसके अन्तर्गत निर्णायक अवयव है जबकि सब्सिडी एक लघु तथा सामर्थ्य प्रदान

करने वाला घटक है। इस लिये इसमें बैंकों की वृहत्तर भागीदारी होगी।

9. इसके अन्तर्गत ऋण की समग्र राशि एक बार के बजाय अनेक चरणो में दी जायेगी।

10. इसके अन्तर्गत एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से दक्षता विकास पर जोर दिया जाता है। जिला ग्राम विकास अभिकरण को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के आवण्टन का 10 प्रतिशत प्रशिक्षण के लिये निर्धारित करने की अनुमति है।

11. इस योजना कि और से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित सामानो के विपणन को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें बाजार आसूचना, बाजारो का विकास, परामर्श सेवायें तथा निर्यात सहित सामानों के विपणन के लिये संस्थागत व्यवस्था सम्मिलित है।

12. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा पहचान की गयी सामूहिक गतिविधि के लिये तकनीकी उन्नयन को सुनिश्चित किया जाता है।

13. इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों में से बहुत कमजोर समूहों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इसके बाद स्वरोजगारियों में से 50 प्रतिशत महिलाओं के समूह होंगे।

14. अनुदान की अधिकतम सीमा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिये 7500 रू0 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये 10,000 रू0 तथा समूह के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.25 लाख रूपये होगा।

15. स्वरोजगार समूहों के गठन के 6 माह के पश्चात उनका क्षेत्रीय करण करके कार्यशील समूहों को रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराना। रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराने के 6 माह बाद पुनः श्रेणी करण करके कार्यशील एवं अच्छे समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।

16. इस योजना में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

हमीरपुर जनपद के सभी विकास खण्डों में इस योजना द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों को लाभान्वित कराया जा रहा है। विभिन्न विकास खण्डों में वर्ष 2000–01 व 2001–02

में गठित स्वसहायता समूहों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वालो की सख्यां में वृद्धि हो रही है–

तालिका–5[1]

क्रमांक	विकास खण्डों के नाम	वर्ष 2000–2001	2001–2002
1.	सरीला	40	75
2.	सुमेरपुर	46	95
3.	मुस्करा	45	54
4.	मौदहा	45	98
5.	गोहाण्ड	40	70
6.	राठ	40	56
7.	कुरारा	45	78

इन स्वसहायता समूहों द्वारा अथवा व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रो में अगर बत्ती, मोमबत्ती, पिसे मसालें, दरी निर्माण, भैस पालन, बकरी पालन, सुअर पालन तथा साबुन बनाने के कार्यों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के महात्व पूर्ण प्रयास किये जा रहें है।

कृषि विकास :–

निर्धन वर्गो के लिये गाम्य विकास अभिकरण विभाग के अन्तर्गत चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के अलावा कृषि विभाग सिंचाई विभाग व गन्ना विभाग कृषि की बेहतरी के लिये ग्राम पंचायतों के माध्यम से अनेक योजनाओं का संचालन कर रहे है जिससे कृषि की उन्नत व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के साथ–साथ राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को भी व्यापक सम्बल प्रदान किया जा सके। वास्तव में भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और गाँवों के विकास का

---

1. *जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर*

आधार कृषि है, इस लिये इसकी उन्नति के लिये कार्य करना अपरिहार्य है। इस उद्देश्य से किसानों के बीच कुछ प्रदर्शन कार्यक्रमों तथा आयोजन कर उन्हें नयी कृषि तकनीको के बारे में जानकारी दी जाती है। इन प्रदर्शनों में खण्ड प्रदर्शन, मिनीकिट प्रदर्शन, फसल तकनीक प्रदर्शन, एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रशिक्षण आदि प्रमुख है। कृषि कार्य में सिंचाई की अहम् भूमिका होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजकीय नलकूपों को ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। राजकीय नलकूप अब ग्राम पंचायत के स्वामित्व में होंगें। इनके रख–रखाव व मरम्मत की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों को है। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा शासन को अलग से धनराशि दी जाती है। इस समय हमीरपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 493 नलकूप कार्यरत हैं जिनका विकास खण्ड वार विवरण निम्नवत है–[1]

1. कुरारा – 108
2. सुमेरपुर – 155
3. सरीला – 114
4. गोहाण्ड – 31
5. राठ – –
6. मुस्करा – 13
7. मौदहा – 72

अनुसूचित जातियों के विकास हेतु विशेष योजनायें :–

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों के सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य से 1975 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (अनुगम) की स्थापना की गई। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति जिनके पास स्वयं का रोजगार करने के लिये धन नहीं है, उनके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न योजनायें चलाई जा रही है–

---

1. *सांख्यिकी पत्रिका, हमीरपुर, पूर्वाक्त, पृ0 47*

1. स्वतः रोजगार योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये निम्न व्यक्ति पात्र होगें–

1. वह अनुसूचित जाति का हो।
2. वह गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहा हो, गरीबी की रेखा हेतु सरकार द्वारा आमदनी निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्रों में रूपया 11,000 तथा शहरी क्षेत्रों में 11850 निर्धारित है। इस संबंध में आय प्रमाण पत्र का आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ग्राम–पंचायत के प्रधान तथा ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
3. जाति प्रमाण पत्र समक्ष राजस्व अधिकारी जिसमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगनाधिकारी एवं तहसीलदार सम्मिलित है द्वारा निर्गत किया जायेगा।

अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि उल्लिखित शर्तों को पूरी करता हो, तो वह अपना उद्योग व्यवसाय, सेवा, लघु सिंचाई, पशुपालन आदि योजनायें प्रारम्भ करने हेतु अपने आवेदन पत्र ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी को देगा। उसके बाद लाभार्थी का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आर्थिक रजिस्टर के आधार पर किया जायेगा। सबसे गरीब व्यक्ति सबसे पहले सुविधा का पात्र होगा।

यह योजना बैंक के सहयोग से संचालित है। इसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति रू 10,000 से रू 7,00000 तक की योजनाओं में बैंक से ऋण प्राप्त कर अनुगम से मर्जिन मनी ऋण एवं अनुदान की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अनुगम द्वारा योजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू 6,000, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिया जाता है। योजना लागत का 25 प्रतिशत भाग मर्जिन मनी ऋण के रूप में 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है तथा शेष धनराशि बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जाती है। प्राप्त ऋण की वापसी लाभार्थियो को 3 से 5 वर्ष की अवधि के बीच करनी है। मर्जिन मनी ऋण की वापसी अनुगम को तथा बैंक ऋण की वापसी बैक को करनी होती है।

2. स्वच्छकार विमुक्ति पुनर्वास योजना :-

वित्तीय वर्ष 1992–93 से भारत सरकार द्वारा मैला ढोंने वाले स्वच्छकारों को इस पेशे से मुक्ति दिलाकर साफ सुथरे पेशे में लगाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जाति, आयु तथा धर्म का कोई बन्धन नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जो कमाऊ शौचालयों में मैला उठाने का कार्य कर रहे हैं, इस योजनान्तर्गत ऋण व अनुदान लेने हेतु पात्र है, इनके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के परिवार के बालिग सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में जिलाधिकारियों के मार्ग–दर्शन में स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों की पहचान हेतु सर्वे कराया गया है, जिसकी सूचना प्रत्येक जनपद के मुख्यालय स्तर पर अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)/जिला प्रबन्धक, अनुगम के पास मौजूद है। सर्वे की सूची ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी (समाज कल्याण) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। सामान्यतः वह व्यक्ति जिसका नाम सर्वे सूची में सम्मिलित है, योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु पांत्र है, तथापि यदि पंचायत की खुली बैठक में यह स्वीकार किया जाय कि कोई व्यक्ति सूची में छूट गया है तथा शुल्क शौचालय के संबंध में मैला ढोने का कार्य करता है तो उसे पात्र मानकर उसकी पुष्टि ग्राम प्रधान तथा ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र द्वारा निपटाने की स्थित में उसे भी लाभान्वित किया जा सकता है। अनुगम द्वारा यह योजना बैंको के सहयोग से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षित पात्र व्यक्ति रू 50,000 तक की सुविधा लघु उद्योग, सेवा व्यवसाय, परिवहन क्षेत्र तथा कृषि विभाग की सभी योजनायें अपनी रूचि के आधार पर ले सकता है। इस योजना के अन्तर्गत योजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू 10,000 अनुदान के रूप मे योजना लागत का 15 प्रतिशत मर्जिन मनी ऋण के रूप में 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में बैंक ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जाती है। ऋण प्राप्ति की अदायगी लाभार्थी को 3 से 5 वर्ष के मध्य की

जानी होती है। मर्जिन मनी ऋण अनुगम को तथा बैंक ऋण की राशि बैंक को अदा करनी होती है।[1]

3. नि:शुल्क बोरिंग योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले मैदानी क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषको के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा बुन्देलखण्ड में बोरिंग की वास्तविक लागत या अधिकतम रू 7,500 जो भी कम हो तथा अन्य जनपदों में रू 6,000 निर्धारित है। अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक लागत आने की दशा में अतिरिक्त व्यय भार लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं वहन किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कृषकों के खेतों में बोरिंग कराया जाता है, उन्हें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वत: रोजगार योजना/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तपोषित पम्पसेट योजना के अन्तर्गत पम्पसेटों के क्रम हेतु वित्त पोषित भी किया जाता है।[2]

समाज कल्याण विभाग की योजनायें :-

उपर्युक्त विकास योजनाओ के अतिरिक्त कमजोर एवं असहाय लोगों को आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के लिये समाज कल्याण द्वारा अनेक योजनाओ का संचालन किया जा रहा है जिनका विस्तृत उल्लेख पिछले अध्याय में महिला सशक्तीकरण के सन्दर्भ में दिया जा चुका है। यहाँ इनका नामोल्लेख किया जाना पर्याप्त होगा-

1. वृद्धवस्था किसान पेन्शन योजना,
2. पारिवारिक लाभ योजना,
3. मातृत्व लाभ योजना,
4. निराश्रित विधवा पेन्शन योजना।

---

1. *विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी गई योजनायें, एक परिचय, पंचायती राज विभाग लखनऊ, 2001, पृ 104-105*
2. *वही, पृ0 107*

मूल्यांकन :–

वस्तुतः उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक–आर्थिक असमानता दूर करते हुऐ सबको न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा की गारंटी उपलब्ध कराना है। इस सम्बन्ध में कार्य करने हेतु किसी बाह्य ऐजेन्सी अथवा सरकारी तन्त्र को लगाने की दशा में न तो सही पात्रों की पहचान सम्भव थी और न ही कार्य में शीघ्रता। इन योजनाओं को ग्राम–पंचायतों के माध्यम से लागू करने का निर्णय करके दोहरे लक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगें। एक तो स्थानीय प्रशासन स्थानीय समस्या बिन्दुओं की सहज पहचान कर उनके समयोचित निराकरण का प्रयास करेगा दूसरे विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से जनसहभागिता और राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि होगी। शोध सर्वेक्षण के दौरान 87 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि इन विकास कार्यों का सम्पादन सरकारी तन्त्र की तुलना में ग्राम–पंचायतें अधिक अच्छी तरह से कर सकती है।[1] और पहले कि तुलना में यह कार्य अच्छी तरह किया भी जा रहा है। नयी पंचायत व्यवस्था लागू होने से पूर्व भी विकास कार्यक्रम संचालित किये जाते थे किन्तु ग्राम पंचायतो कि प्रभावी भूमिका न होने के कारण कार्य दिशा हीन व विलम्बित होते थे। शोधार्थिनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से गाँवों का, गाँवों में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पर यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि इस व्यवस्था से जगह–जगह विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्य चल रहें हैं। लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ नकारात्मक तथ्य भी उभर कर सामने आये हैं, जिनका निराकरण पंचायती राज व्यवस्था के सफल भविष्य के लिये आवश्यक है। शोधार्थिनी ने जिन समस्याओं और नकारात्मक बिन्दुओं पर गौर किया वे निम्नलिखित हैं–

1. विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम–पंचायतों को सौंपी गयी जिम्मेदारियों के निर्वाह हेतु और उनमें निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने हेतु नयी पंचायत व्यवस्था में पर्याप्त उपाय किये गये हैं। यदि इन उपायों का पालन किया जाय तो विकास कार्यों में पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना न्यून हो जायगी। इस सम्बन्ध में व्यवस्था है कि किसी योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जायेगा तथा निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा न लिया जाकर ग्राम–पंचायत द्वारा बहुमत से किया

---

1. *साक्षात्कार अनुसूची के किये गये साक्षात्कार के आधार पर*

जायेगा। अलग–अलग विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन सम्बन्धित समितियों की देख–रेख में किया जायगा। किन्तु व्यवहार में देखा गया कि ग्राम सभा और ग्राम–पंचायतों की प्रायः बैठकें ही नहीं होतीं। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण के नतीजे ग्राम–पंचायत प्रधानों तथा पंचायत सदस्यों के सम्बन्ध में विरोधाभासी हैं। जहाँ अधिकाँश प्रधान यह स्वीकार करते हैं कि ग्राम–सभा, ग्राम पंचायत की बैठकें नियमित होती हैं वहीं ठीक इसके उलट, अधिकाँश पंचायत सदस्यों का कहना है कि बैठकें नहीं होती है, केवल उनसे हस्ताक्षर कराया जाता है।[1] इस सम्बन्ध में कमजोर वर्गों की व महिला सदस्यों की स्थिति और भी निष्प्रभावी है। कुछ स्थानों को छोड़ कर अधिकाँश महिला प्रधानों की स्थिति किसी न किसी दबाव में कार्य करने वाले प्रधान की थी।

2. अधिकाँश कार्यों के सम्बन्ध में देखा गया कि ग्राम प्रधानों ने स्वयं अकेले प्राथमिकतायें तय कर लीं और कार्य हेतु निर्णय ले लिया।[2] प्रधानों का यह निरंकुश आचरण वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना के विरूद्ध है।
3. पारदर्शिता लाने के लिये एक उपाय यह किया गया है कि माँगे जाने पर, ग्राम–पंचायत के कार्यों के सम्बन्ध में, अभिलब्ध कराये जायेंगें। किन्तु इस सम्बन्ध में भी ग्राम प्रधान अपेक्षित सहयोग नहीं करते। शोधार्थिनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस बात का अनुभव किया गया। अधिकाँश प्रधानों ने, कारण चाहे जो रहा हो– जाँच का भय या जानकारी का अभाव– विकास कार्यों के बारे में सूचना देने में आनाकानी की।[3]
4. इस सम्बन्ध में एक प्रमुख समस्या है बहुत से ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों को विकास योजनाओं व कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी व अनुभव का न होना। ऐसी स्थिति उनके स्वतंत्र निर्णय की क्षमता को प्रभावित करती है और वे किसी दबाव में कार्य करते हैं।
5. पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों का अशिक्षित होना विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।

---

1. *साक्षात्कार अनुसूची के किये गये साक्षात्कार के आधार पर*
2. *वही*
3. *व्यक्तिगत निरीक्षण के आधार पर*

कुल मिलाकर इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जब तक पर्याप्त प्रशिक्षण द्वारा दीक्षित प्रधान व पंचायत प्रतिनिधि पूर्णतया पंचायत व्यवस्था के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन नही करते तब तक पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा किये जाने वाले स्वावलम्बन के प्रयास अधूरे होंगे और स्वराज का स्वप्न दूर की चीज होगी।

अध्याय-सात

निष्कर्ष

अध्याय :- सात

निष्कर्ष

भारत में ग्राम स्थानीय शासन की परम्परागत प्राकृतिक इकाई के रूप में प्राचीन काल से ही विद्यमान रहे हैं। वैदिक काल से ही हिन्दूराज व्यवस्था के प्रत्येक युग में इनकी भूमिका व अस्तित्व के प्रमाण समकालीन ग्रन्थो में प्राप्त होते है, विशेष रूप से चोल शासन काल में इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया था। किन्तु भारत में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित होने के साथ ही गाँव स्थानीय शासन की प्रारम्भिक इकाई के रूप में अपना महत्व खोने लगते है। ब्रिट्रिश काल के प्रारम्भ तक भारत के अधिकांश भागो में ग्रामीण प्रशासन निर्जीव व निष्क्रिय हो गया। ब्रिट्रिश काल के प्रारम्भ में प्रशासन के अत्यधिक केन्द्रीकरण के कारण प्रशासन में गाँव की भूमिका व महत्व विलुप्त से हो गये।

कालान्तर में अत्यधिक केन्द्रीकरण के दुर्गुणो और दुष्परिणामों से परिचित होने के उपरान्त ब्रिट्रिस शासकों ने विकेन्द्रीकरण और इस दिशा में गाँव की भूमिका के विषय में पुनर्विचार प्रारम्भ किया। इस सम्बन्ध में विकेन्द्री करण के सम्बन्ध में 1870 में लार्ड मेयो का प्रस्ताव व स्वशासन के सम्बन्ध में 1882 का लार्ड रिपन का प्रस्ताव उल्लेखनीय है। इस दृष्टि से 1907 में चार्ल्स हांबहाउस कि अध्यक्षता में गठित शाही विकेन्द्रीकरण आयोग की सिफारिशें और सुझाव 1909 ग्राम प्रतिष्ठा के पुनः स्थापन का मार्ग प्रशस्त करते है। इसी प्रकार 1915 के भारत सरकार के प्रस्ताव, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम व 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत के भावी राजनीतिक स्वरूप का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जा रहा था तब अनेक वैचारिक भिन्नताओं–मतभेदों के बावजूद ग्राम–पंचायतों का गाँधी वादी मॉडल संविधान में "राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वों" के अनुच्छेद 40 में स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाता है। संविधान की 7 वीं अनुसूची में इसे राज्य सूची के अन्तर्गत स्थान मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास के उद्देश्य से तथा विकास

की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारम्भ किया गया। किन्तु जन सामान्य कि अपेक्षित सहभागिता, इन कार्यक्रमों के सन्दर्भ में नहीं प्राप्त की जा सकी।

कालान्तर में पंचायत संस्थाओं की सक्रियता और प्रभावशील सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1956 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें 1957 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें त्रिस्तरीय–ग्राम स्तर, खण्ड स्तर और जिला स्तर–पंचायती व्यवस्था की स्थापना का अनुमोदन किया गया था इस प्रतिवेदन के आने के बाद 2 अक्टूबर 1959 को सर्व प्रथम राजस्थान ने और 1 नवम्बर 1959 को मध्यप्रदेश ने विकेन्द्रीकरण की नयी पंचायत व्यवस्था का प्रयोग प्रारम्भ किया। तत्पश्चात अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया।

इसके बाद समय–समय पर पंचायतों को और अधिक सक्रिय व प्रभावशाली बनाने के उपायों का अन्वेषण, गवेषण किया जाता रहा। इस सम्बन्ध में 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जी0 वी0 के राव उप समिति, 1986 में लक्ष्मी मल सिंधवी समिति व 1988 मे पी0 के0 थुगंन उप समिति के प्रतिवेदन व अनुशंसायें उल्लेखनीय है। इन समस्त अनुशंसाओं व अध्यनों के परिणाम स्वरूप भारतीय संसद ने दिसम्बर 1992 में 73 वाँ संविधान संशोधन पारित किया जो 24 अपैल 1993 को प्रवृत्त हुआ जिसके द्वारा न केवल समूचे देश में पंचायत व्यवस्था में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया बल्कि पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत संस्थाओं के नियत कालिक चुनावों के नियमितता की व्यवस्था की गयी साथ ही यह भी उपबन्धित किया गया कि यदि कोई पंचायत संस्था समय से पूर्व विघटित होती है, अथवा पद रिक्त होता है तो 6 माह के अन्दर उसका पुनर्निर्वाचन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वतन्त्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का सुझाव है। पंचायतो की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिये राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी तथा ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का प्रशासन पंचायत संस्थाओं को सौंप कर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान किया गया। इस संशोधन अधिनियम कि सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है समाज के कमजोर वर्गों व महिलाओं की विकास प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायतों के तीनों स्तरों

पर सदस्यों व अध्यक्षों के पदो पर आरक्षण का प्रावधान किया जाना। अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों को जहाँ उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया गया है (पिछड़े वर्ग को आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा) वहीं महिलाओं के लिये कुल पदों का एक तिहाई पद आरक्षित किया गया है।

73 वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा प्रदेश में नयी पंचायत व्यवस्था प्रवृत्त हुई। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य की तीनो स्तर की पंचायतों में एकरूपता लाने, पंचायतों का संगठन, संरचना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग व महिलाओं के लिये आरक्षण पंचायतों के निश्चित कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कृत्य, शक्तियाँ और उत्तर दायित्व के सम्बन्ध में व्यापक व्यवस्था की गई। इस नूतन व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश में पहले पंचायत चुनाव अप्रैल–मई 1995 में सम्पन्न हुयें। पहली बार चुनी पंचायतों ने पूरे प्रदेश में 2000 में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और 2000 में ही दूसरे चुनाव सम्पन्न हो चुके है। ऐसे में नयी पंचायती व्यवस्था के पाँच वर्ष के एक कार्यकाल का मूल्यांकन कर, विशेष रूप से ग्राम–पंचायतों का जो कि इस समूची व्यवस्था की धुरी है, पंचायतों से की गयी अपेक्षाओं के सन्दर्भ में इसकी समस्याओं और सम्भावनाओं का विश्लेषण अपरिहार्य हो गया था। प्रस्तुत अध्ययन में इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े हुये जनपद "हमीरपुर" में पंचायत संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम–पंचायतों, के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया।

इस नवीन व्यवस्थाओं से नीति निर्माताओं को अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के प्राप्ति की अपेक्षा है। इन अपेक्षाओं में प्रथम महत्वपूर्ण लक्ष्य है सत्ता का विकेन्द्रीकरण और शासन–प्रशासन में जन सहभागिता की वृद्धि। यह एक सर्व सिद्ध तथ्य है कि स्थानीय समस्याओं, आवश्यकताओं और संसाधनों की जितनी अच्छी पहचान स्थानीय लोगो को होती है, उतनी दूरस्थ केन्द्र के प्रशासको को नहीं। अतः स्थानीय समस्याओं व विकास के सन्दर्भ स्थानीय लोगों को ही सौंप दिये जाये तो दोहरे लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते है– एक तो प्रशासन का कार्यभार हल्का होगा और दूसरे स्थानीय लोग स्थानीय समस्याओं और

आवश्यकताओं का बेहतर समाधान खोज सकेगें। इस समूची प्रक्रिया से एक तीसरा लाभ स्वतः उभरता है– स्थानीय मामलो के प्रबन्धन से शासन और प्रशासन में जन सहभागिता वृद्धि। इसी उद्देश्य से नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशासन के अनेक विषय ग्राम–पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये जैसे– शिक्षा, राजकीय नलकूप, हैण्ड पम्प अथवा पेयजल व्यवस्था, युवा कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बालविकास, पशुधन विभाग, राशन की दूकान, कृषि कार्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग व सड़कों का रख–रखाव आदि। हमीरपुर जनपद के सन्दर्भ में किये गये अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि इस दिशा में ग्राम पंचायतों को अधिकार मिलने से पहले की तुलना में अधिक सुधार हुआ है। शिक्षा मित्र और शिक्षा गारन्टी योजना से न केवल अध्यापकों की कमी दूर की जा सकी है बल्कि कुछ शिक्षित युवकों को रोजगार मिला है और सबके लिये शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसी तरह नलकूपों और हैण्डपम्पों के संस्थापन, संरक्षण और मरम्मत में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सका है। पर्यवेक्षण के दौरान यह देखा गया कि गाँवों में सम्पर्क मार्गो को प्रत्येक ऋतु में प्रयोग योग्य बनाने के कार्य तेजी से चलाये जा रहे हैं। अधिकांश ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि ये कार्य पंचायतों के नियंत्रण में होने से अधिक कारगर व तेजी से हो रहे हैं।

नई पंचायत व्यवस्था से दूसरी महत्वपूर्ण अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन के परिपेक्ष्य में है। समाज के कमजोर वर्गों–अनुसूचित जन जातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायत के तीनो स्तरों पर अध्यक्षों व सदस्यों के पदों पर आबादी के अनुपात में आरक्षण देकर सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सामाजिक परिवर्तन की मन्द प्रक्रिया को त्वरित करने की पूर्वापेक्षा है। वास्तव में सहभागिता और सामाजिक समानता परस्पर समबृहद् प्रक्रियाऐं हैं। सहभागिता को तभी मूर्त रूप दिया जा सकता है जब सामाजिक समानता स्थापित हो। सामाजिक समानता के अभाव में संचालन व निर्णय व्यवस्था में एकाधिकार की सम्भावना बढ़ जाती है। नयी आरक्षित व्यवस्था में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोग पंचायत संस्थाओं में चुने गये है निश्चय ही निकट भविष्य में यह आधार सामाजिक समरक्षता का प्रमुख कारक बन सकेगा।

महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था भी इसी उद्देश्य से प्रेरित है। उन्हें संकीर्णता के सीमित दायरे से निकाल कर राष्ट्र निर्माण में अपनी क्षमताओं के

प्रदर्शन का अवसर दिया गया है। अपेक्षा है कि महिलायें निर्वाचित होने के बाद महिलाओं को साक्षर बनाने, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने, सामाजिक कुरीतियों के निवारण और महिला उत्पीड़न तथा शोषण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगीं, महिलाओं के सम्पर्क में जाकर उनकी समस्याओं को समझने व उनके आपेक्षित समाधान का प्रयास करेगी। साथ ही गाँव में व्यवसायिक कार्यक्रमों का संचालन कर आर्थिक स्वावलम्बन और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगीं।

पंचायत के अस्तित्व का तीसरा पक्ष है आर्थिक विकास/विकास के वातावरण में ही सहभागिता और समानता पनप सकती है। जबतक आर्थिक समानता और स्वावलम्बन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता, विकेन्द्रीकरण, जन सहभागिता व सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य अछूते रहेगें। गाँवों में व्याप्त बेरोजगारी और निर्धनता एक अभिशाप है। जब तक इनका निराकरण नहीं हो जाता तब तक समाजगत राजनीतिक जागरूकता के उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है, और न हीं सामाजिक परिवर्तन में अपेक्षित गति ला पाना सम्भव होगा। अस्तु इस नवीन व्यवस्था में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्वापेक्षा यह है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यक्रमों के क्रियानवयन से सहीं पात्रो का सही चयन सम्भव होगा और लाभ प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्रामीण पेयजल योजना आदि कुछ ऐसे कार्यक्रम है जिनके माध्यम से ग्रामीण बेरोजगारी, निर्धनता व पेयजल जैसी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना व मातृत्व लाभ योजना के माध्यम से जरूरत मन्द लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रहीं है।

ग्राम पंचायत के कार्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि, पानी के व्यवहारिक व वैज्ञानिक प्रबन्धन द्वारा सिचाई साधन कि उपलब्धता, अच्छे बीज और अच्छे खाद की व्यवस्था, स्थानीय संसाधनों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन, पशु

पालन व बागवानी आदि में उन्नति, गाँव के तालाबों और कुंओं को आपेक्षित रूप में गहरा करना, बाँधों को बरसात के पहले ठीक समय पर मरम्मत कर सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग कर अच्छे बीजों को उपयोगी रख स्थानीय और रासायनिक खादों का उचित मात्रा में प्रयोग कर खेतों की उत्पादकता बढ़ाना महत्वपूर्ण कार्य है। निश्चय ही ग्राम पंचायतों ने विकास की दिशा में अपने कदम निर्धारित योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ाये है।

प्रस्तुत अध्ययन में हमीरपुर जनपद में ग्राम–पंचायतों के पहले पाँच वर्ष के कार्यकाल का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि यद्यपि नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम–पंचायतों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार हस्तान्तरित किये जाने व विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को अपनाने से जन–जागृति और सहभागिता बढ़ी है, सामाजिक समानता व सामाजिक परिवर्तन की ओर कदम बढ़े हैं और विकास तथा स्वावलम्बन का चक्र घूमना प्रारम्भ हुआ हैं किन्तु इसे अपेक्षित गति और सफलता नहीं मिली है। इसके लिये पंचायतों के क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली कतिपय बाधायें व समस्यायें उत्तरदायी हैं जिन्होने ग्राम–पंचायतों को निहित स्वार्थों की जंजीरों में जकड़ रखा है। जब तक इन जंजीरों की श्रृंखला नहीं टूटती तब तक पंचायतों से की गई अपेक्षाओं के पूर्ण होने की आशा नहीं की जानी चाहिये।

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के लिये प्रतिनिधियों का शिक्षित होना अनिवार्य है, तभी वे समस्याओं के सही पहचान व समुचित समाधान में सक्षम होंगें। किन्तु अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चला है कि जनपद के अधिकाँश प्रधान अल्प–शिक्षित हैं। यह स्थिति अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग व महिलाओं के सन्दर्भ में और भी विकट हैं। पंचायत सदस्यों में तो अनेक निरक्षर भी है। जब तक सतह से शिक्षा के उन्नयन के प्रयास नहीं किये जाते और शिक्षित लोग पंचायतों में प्रधान और प्रतिनिधियों के रूप में नहीं आते तब तक पंचायतों के कार्यान्वयन में पूर्ण शुद्धता की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

निर्धनता व आर्थिक असमानता इसकी प्रमुख समस्या है जिसने पंचायतों के स्वतन्त्र कार्यकरण को बाधित किया है। वस्तुतः निर्धन प्रधान व सदस्यों की आर्थिक पर निर्भरता उनके स्वतत्रता पूर्वक कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा साबित हुई है। मजदूरी करके निर्वाह

करने वाले प्रधान व पंचायत सदस्य वैसे भी पंचायत के कार्यों में कम समय दे पाते हैं। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक उन्नयन हेतु कारगर उपाय किये जाने चाहियें।

सामाजिक असमानता और जातीय स्तरीकरण भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या रही है। यद्यपि यह समस्या धीरे–धीरे समापन की ओर बढ़ रही है, किन्तु बचे हुए अवशेष व इस पर आधारित मानसिकता पंचायतों के क्रियान्वयन को प्रभावित कर रही है। जातिगत भेदभाव दूर करने के लिये कारगर प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये दीर्घकालिक रणनीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के स्तर से भावनात्मक परिवर्तन पर विश्वास किया जा सकता है।

महिला प्रधानों व सदस्यों के सम्बन्ध में जो नकारात्मक तथ्य देखने को मिला वह था पंचायत कार्यों में विशेष रूचि न होना, ग्राम–पंचायत, ग्राम सभा व अन्य बैठकों में अनुपस्थित रहना व परिवार के दबाव में काम करना। सामाजिक रूढ़ियाँ व रूढ़िगत मर्यादा बन्धन उनके लिये बेड़ियाँ बने हुए है। क्रमशः उन्हें इन बेड़ियों को तोड़कर आगे निकलना होगा तभी महिला आरक्षण का संकल्प पूरा होगा व महिलायें आत्म–सम्मान की हकदार होगी।

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि बहुत से प्रधानों को व अधिकाँश पंचायत सदस्यों को नयी पंचायती राज व्यवस्था की संरचना इसके नियमों, प्रावधानों व कार्यक्रमों की विशेष जानकारी नहीं है। स्पष्ट है जब तक किये जाने वाले कार्य के विषय का सम्यक ज्ञान न हो, कार्य में अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। इस अपर्याप्तता को दूर करने का एक ही उपाय है, ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों के लिये प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

पंचायती राज व्यवस्था विकेन्द्रीकरण की एक सुनियोजित योजना पर आधारित है, जिसमें निर्णय की एक सुनिश्चित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। निर्णय ग्राम–पंचायत द्वारा बहुमत से लिये जाने चाहिये, ग्राम पंचायतों की नियमित प्रतिमाह बैठक होनी चाहिये, ग्राम सभा की प्रति वर्ष दो बैठके होनी चाहिये किन्तु अध्ययन से पता चला कि ग्राम सभा के अस्तित्व के बारे में तो पंचायत सदस्यों को पता नहीं, ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें भी नहीं होती और

प्रायः ग्राम–प्रधान स्वतंत्र व निरंकुश निर्णय ले लेते हैं। पंचायत सदस्यों की स्थिति मात्र हस्ताक्षर करने वाले एजेन्टों की है। इस सम्बन्ध में जब तक निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर ग्राम–पंचायते कार्य नहीं करती, पंचायती राज की दशा और दिशा दोनों ही अपेक्षाओं से दूर रहेंगें।

पंचायती राज व्यवस्था के सफल व प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उपर्युक्त बाधाओं व समस्याओं का निराकरण अनिवार्य हो जाता है। हमीरपुर जनपद के ग्राम–पंचायतों के प्रस्तुत अध्ययन के अनुभवों के आधार पर पंचायत व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न सुझाव दिये जा सकते है–

1. ग्राम–प्रधानों व पंचायत सदस्यों के शिक्षा के अल्प स्तर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिये व्यापक प्रचार, प्रसार किये जाँय। साथ ही पंचायत गतिविधियों में शिक्षित लोगों की अग्रगामी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाय जिससे उपयुक्त पात्रों के हाथ में पंचायतों की बागडोर पहुँचे।
2. ग्रामीण विकास हेतु ग्राम प्रधानों की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक है कि ग्राम प्रधानों के साथ–साथ पंचायत सदस्यों को विकास से जुड़े कार्यक्रमों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाय व उन्हें पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों के विषय में सम्यक जानकारी प्रदान की जाय।
3. विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाय ताकि लोग प्रत्येक कार्यक्रम से जुड़ कर उनसे अपनत्व का अनुभव करें। इसके लिये पंचायत सदस्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्तियों को भी विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिये समितियों के माध्यम से शामिल किया जाना चाहियें। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि समिति के सदस्यों को न केवल दायित्व सौपें जायँ बल्कि उन्हें कुछ अधिकार भी दिये जायँ तथा सौंपे गये कार्य के सम्बन्ध में उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाय।
4. सरकारी विभागों से जुड़े तथा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहें कार्मिकों द्वारा अपनी–अपनी भूमिका को और प्रभावी ढ़ग से निभाने का प्रयास किया जाना चाहियें। वास्तव में इनकी भूमिका पथ प्रदर्शक और सहयोगी के रूप में होनी चाहिये।

5. ग्राम सभा को वैधानिक मान्यता मिले। इसे और अधिक अधिकार देकर पंचायती राज प्रतिनिधियों को इसके प्रति उत्तरदायी बनाया जाय। साथ ही योजनाओं के निर्माण उन्हें लागू करने तथा सामाजिक लेखा परीक्षक के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार किया जाय।
6. ग्राम–प्रधान निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करें इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। ग्राम–पंचायत व ग्राम सभा की नियमित बैठकें न बुलाने वाले प्रधानों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।
7. ग्राम–पंचायत की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाहीं अथवा उन्हें वापस बुलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
8. ग्राम–पंचायतों को और अधिक कार्यपालक अधिकार दिये जायँ।
9. राज्य के कुछ कार्यों को जिला पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाय।
10. ग्राम–पंचायतों को राजस्व तथा पुलिस विभाग का अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराया जाय।
11. ग्राम–पंचायतों को करा रोपण के व्यापक अधिकार दिये जायँ।
12. ग्राम–पंचायतों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराया जाय। साथ ही पंचायतों को स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि का प्रयास करना चाहिये।
13. वर्तमान समय में पंचायतों पर राज्य का नियंत्रण है। चूँकि अभी पंचायते अपने शैशवकाल में है, इस लिये इसप्रकार का मार्गदर्शक नियन्त्रण अपेक्षित भी है। किन्तु कालान्तर में इस उद्देश्य हेतु एक राज्य नियन्त्रण आयोग का गठन किया जाना चाहिये जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर का व्यक्ति करे। इस आयोग में पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। यह आयोग पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध आरोपों की जाँच व निर्णय करे। इस प्रकार ग्राम–पंचायत के उपर क्षेत्र में पंचायत, क्षेत्र–पंचायत के उपर जिला पंचायत व जिला पंचायत के ऊपर उक्त आयोग का नियंत्रण होना चाहिये।
14. भूमि सुधार कानूनों का कड़ाई से पालन कर निर्बल वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये। बिना आर्थिक विस्तार व विकास के राजनीति विस्तार व विकास का लक्ष्य नही प्राप्त किया जा सकता।

15. तीनो स्तर की पंचायतों को अपने स्तर पर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिये योजनायें बनायी जायें। इस सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है।

उपर्युक्त सुझाव अन्तिम नहीं हैं। इस प्रकिया को गतिशील बनाये रखने के लिये संवाद जारी रहने चाहिये। तभी अनुभवों के आलोक में ग्राम गणतंत्र के प्राचीन गौरव को प्राप्त किया जा सकता है।

चुनौतियां कहाँ नहीं होती। कोई कार्य प्रारम्भ करने पर ही आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का साक्षात होता है। पंचायती राज की नयी व्यवस्था अनेक अपर्याप्तताओं के बीच ग्रामीण जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। किसी भी नई व्यवस्था के प्रारम्भ पर तत्काल ही शत–प्रतिशत अथवा अधिकाँश प्रतिफल की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिये। वस्तुतः नयी पंचायत व्यवस्था को अभी एक ऐसे तन्त्र के रूप में देखा जाना चाहिये जो सर्व प्रथम तो अपने मार्ग में पड़ने वाले अशिक्षा, जातिवाद, अर्थिक असमानता, निर्धनता, अन्ध विश्वास, सामन्ती दबदबे आदि कण्टकों के निवारण का कार्य करेगा और साथ–साथ शनैः–शनैः अपने लक्ष्य की ओर भी अग्रसर होता रहेगा। इस प्रक्रिया द्वारा हम समूचे देश के राजनीतिक सामाजीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्ष्य को अधिक सहजता से प्राप्त करने में सफल होंगें।

नयी पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों ने राजनीतिक क्षेत्र में एक हलचल सी पैदा कर दी है। ग्रामीण मतदाताओं में इससे स्वतःस्फूर्त राजनीतिक चेतना का संचार हो रहा है जो उन्हें पंचायत की ही राजनीति नहीं बल्कि प्रदेश और देश की राजनीति में भी सक्रिय सुविचारित, सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करेगी। पंचायतो के पहले चुनावों की तुलना में दूसरे चुनावों (सन 2000) में 1999 के लोक सभा चुनावों में व 2002 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में यह जागरण स्पष्ट देखा गया है। मत की कीमत समझी जाने लगी है और विकेन्द्रीकरण की यह प्रक्रिया गाँव में नेतृत्व की पाठशाला का रूप ले रहा है। अब ग्रामीण आवश्यकताओं और आकांक्षाओ की उपेक्षा सरल नहीं है।

राजनीतिक चेतना के साथ–साथ इस नई वयवस्था से सामाजिक समरसता का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। अब तक उपेक्षा और असमानता के शिकार लोगों के धरातल के स्तर पर धरातल से उत्थान का प्रयास किया गया है और इसके भी परिणाम झलकने लगे हैं। यह अलग बात है कि समग्र सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ा समय लगेगा किन्तु प्रक्रिया तीब्र हो चुकी है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार महिलाओं के रूप में हम अपनी आधी आबादी के क्षमता की संभावनाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर नष्ट कर रहे थे। अब उनकी क्षमताओं को प्रस्फुटन का अवसर मिला है, निश्चय ही निकट भविष्य में राष्ट्र इनके अनुभवों और कार्यों से लाभान्वित अनुभव करेगा।

यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत निहित स्वार्थों के चलते भ्रष्टाचार, संकीर्णता एवं एक हद तक आपसी मन मुटाव भी उत्पन्न हुए है किन्तु इन्हें संक्रणकालीन उपज कहा जा सकता है। क्रमशः पंचायत व्यवस्था के लाभ स्वतः इनका निराकरण करने में सक्षम होंगे। किन्तु यह सब हमारी जागरूकता तथा समस्याओं का साहस एवं उत्साह से सामना करने की हमारी विवेकपूर्ण क्षमता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट

एक

दो

तीन

चार

पाँच

छः

सात

आठ

नौ

परिशिष्ट–1

उन कार्यों की सूची जिन्हें ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी या तो स्वयं करेगें अथवा जिनमें वे ग्राम– पंचायत व उसकी समितियों की सहायता करेगें।

	विभाग / कार्यक्रम का नाम	कार्य
वे कार्य जिन्हें ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी स्वयं करेगें।		1. ग्राम–पंचायत क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं सहकारी अवस्थापना सुविधाओं एवं परिसम्पत्तियों की सूची तैयार करना। 2. ग्राम–पंचायत क्षेत्र का परिवार एवं आर्थिक रजिस्टर बनाना एवं उसे अद्यतन रखना। 3. विभिन्न योजनाओं के बनाने, कियान्वयन करने, अनुश्रवण करने एवं मूल्यांकन में विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं से समन्वय एवं उनका सहयोग प्राप्त करना। 4. विभिन्न योजनाओं / कार्यकमों के निर्धारित ढंग से अभिलेख तैयार करना, ग्राम निधि का लेखा–जोखा रखना तथा अंकेक्षण (आडिट) कराना। 5. विभिन्न योजनाओं / कार्यकमों हेतु निर्धारित किये गये प्रगति प्रतिवेदनों का समय से क्षेत्र पंचायत स्तर पर प्रेषण सुनिश्चित करना। 6. विभिन्न कार्यकमों के कियान्वयन हेतु क्षेत्र–पंचायत स्तर से आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त करना। 7. खेती में कीट एवं बीमारियों के प्रकोप का

		सर्वेक्षण एवं नियन्त्रण हेतु कार्यवाही करना। 8. गन्ना सर्वेक्षण, बीज पौधशाला एवं क्षेत्र प्रदर्शन पंजिकाओं का अनुरक्षण तथा पारदर्शिता हेतु अन्तिम सर्वेक्षण व सट्टा सूची का प्रदर्शन एवं ग्राम–पंचायत की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। 9. ग्राम–सभा, ग्राम–पंचायत तथा इसकी समितियों की बैठकों का समय से आयोजन कराना, लिये गये निर्णयों के अभिलेख रखना, इन्हें कियान्वित तथा अनुश्रवित कराना। 10. ग्राम–सभा, ग्राम–पंचायत एवं उसकी समितियों की बैठकों में विभिन्न योजनाओ, उनके भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की सभी को जानकारी देना। 11. ग्राम–सभा, ग्राम–पंचायत के कर्मियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव करना। 12. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को सूचित करना। 13. जन्म एवं मृत्यु की जानकारी तथा इनका पंजीकरण करना। 14. विभिन्न योजनाओं/कार्यकमों एवं पंचायत से सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे में शासन द्वारा जारी आदेशों तथा मार्ग–निर्देशों की गार्ड फाइल बनाकर सुव्यवस्थित रूप से रखना। 15. संदर्भित विभागों से सम्बन्धित अन्य कोई कार्य जो ग्राम–पंचायत द्वारा सौपे जायें। 16. राज्य सरकार/विहित प्राधिकारी द्वारा सौपे गये अन्य कोई कार्य।

वे कार्य जिनमें ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभा, ग्राम–पंचायत एवं उसकी समितियों की सहायता करेगें।		1. ग्राम–पंचायत क्षेत्र के समेकित विकास के लिए स्थानीय समस्याओं, आवश्यकताओं एवं संसाधनों के अनुरूप वार्षिक योजना एवं बजट बनाना तथा यथावश्यक दीर्घकालीन योजनाएँ बनाने में सहायता करना। 2. विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों हेतु सम्बन्धित मार्ग–निर्देशों के अनुरूप पात्र व्यक्तियों का चयन कराने अथवा स्वयं सहायतित लाभार्थी समूहों का गठन करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाने में सहायता करना। 3. योजनाओं का समय से एवं गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने में सहायता करना। 4. विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन एवं सामूहिक परिसम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु सामुदायिक प्रयास को बढ़ावा देने में सहायक होना। 5. ग्राम–पंचायत में निहित परिसम्पत्तियों का यथोचित रख–रखाव सुनिश्चित करने में सहायता देना। 6. ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु हाट–बाजार, मेलों का आयोजन और उनमें अवस्थापकीय सुविधाओं का सृजन कराने में सहायता देना। **कृषि :–** 7. उन्नत बीज, रोपण सामग्री, उन्नत यंत्र, स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई एवं नई तकनीकी के प्रचार–प्रसार तथा उन्नत प्राविधिकी के प्रदर्शन में सहायता करना।
	2. कृषि उत्पादन	

	आयुक्त शाखा	प्रदर्शन में सहायता करना। 8. जल–प्रबन्धन, मृदा एवं नमी संरक्षण में सहायता करना। 9. समस्या ग्रस्त भूमि के विकास में सहायता करना। **पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध :–** 10. वर्तमान पशु–सम्पदा के नस्ल सुधार कार्यक्रम में सहायता करना। 11. पशुओं में महामारी व छुतहा रोगों के निवारण एवं नियन्त्रण में सहायता करना। 12. तालाबों का सघन विकास तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने में सहायता करना। 13. सघन मिनी डेयरी तथा महिला डेयरी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना। **ग्राम विकास :–** 14. विभिन्न कार्यक्रमों जैसे–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, बायोगैस, ग्रामीण पेयजल, रेशम विकास,. लघु सिंचाई, ग्रामीण स्वच्छता आदि के अन्तर्गत मार्ग– निर्देशों के अनुरूप योजना तैयार कर यथावश्यक ग्राम–सभा/ग्राम–पंचायत से अनुमोदन प्राप्त करना तथा तदनुरूप इन्हें क्रियान्वित करने में सहायता देना। 15. युवक मंगल दलों का गठन एवं उनके माध्यम से खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के

		आयोजन में सहायता करना।
	2. सिंचाई 3. समाज कल्याण 4. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग 5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	**राजकीय नलकूप :–** 16. ग्राम–पंचायत क्षेत्र में एक ही राजकीय नलकूप होने पर इसका स्वयं संचालन करना। इसके रख–रखाव में सहायक होना । 17. ओसराबंदी तैयार करना एवं उसके अनुसार जल–वितरण में सहायता करना। 18. जल–वितरण प्रणाली की देख–रेख और मरम्मत कराना तथा यदि आवश्यक हो तो वांछित संसाधन जुटाने में सहायता करना। 19. वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विमुक्त जाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्तियों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने में सहायता करना। 20. आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, महिला मंगल दल, मातृत्व एवं बाल कल्याण, बालिका समृद्धि योजना आदि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना। 21. स्कूल आहार एवं पूरक पुष्टाहार कार्यक्रमों के प्रबन्ध में सहायता करना। 22. स्वतः रोजगार एवं स्वच्छकार विमुक्ति योजना के क्रियान्वयन में सहायता करना। 23. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम के क्रियान्वयन में सहायता करना। 24. गन्ना समितियों के नये एवं वारिस सदस्य

		बनाना, सदस्यता का सत्यापन करना तथा ऋण सीमा निर्धारित करने में सहायता देना। 25. मिलो को नियन्त्रित ढंग से गन्ना आपूर्ति में सहायता करना। 26. गन्ने की नवीन प्रजातियों, कृषि निवेशों एवं उन्नतिशील शल्य क्रियाओं की जानकारी का कृषकों में प्रचार—प्रसार कार्य में सहायता करना। 27. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करना। 28. स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री, मलेरिया निरोधक औषधियों, जीवन रक्षक घोल तथा ब्लीचिंग पाउडर के वितरण में सहायता करना। 29. महामारी विषयक सूचना देना तथा उनकी रोकथाम में सहायता करना।

परिशिष्ट–2

ग्राम–पंचायतों की समितियाँ

क्र0 सं0	समिति का नाम	समिति के कार्य	समिति का गठन
1	नियोजन एवं विकास समिति	1. ग्राम–पंचायत की योजना तैयार करना। 2. कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन	1. प्रधान–सभापति 2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा) 3. विशेष आमंत्री
2	शिक्षा समिति	प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्य।	1. उप प्रधान–सभापति 2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा) 3. विशेष आमंत्री
3	निर्माण कार्य समिति	सभी निर्माण कार्य कराना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	1. ग्राम–पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा) 3. विशेष आमंत्री
4	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूप से	1. ग्राम–पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित

		महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गो की उन्नति एवं संरक्षण।	जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा) 3. विशेष आमंत्री
5	प्रशासनिक समिति	1. कर्मियों सम्बन्धी समस्त विषय 2. राशन की दुकान सम्बन्धी कार्य।	1. प्रधान–सभापति 2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा) 3. विशेष आमंत्री
6	जल प्रबन्धन समिति	1. राजकीय नलकूपों का संचालन 2. पेयजल सम्बन्धी कार्य	1. ग्राम–पंचायत द्वारा नामित सदस्य–सभापति 2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा) 3. विशेष आमंत्री

परिशिष्ट–3

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग–1

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26/1947) की धारा–110 की शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ दिया जाना) नियमावली, 1999

अध्याय – एक प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ दिया जाना) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

2. यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय – दो

अभिलेखों की अभिरक्षा — 2.ग्राम–पंचायत के सभी अभिलेख, सचिव ग्राम–पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेगें।

नकल देने हेतु प्रार्थना पत्र देना — 3.कोई भी व्यक्ति ग्राम–पंचायत या उसकीकिसी भी समिति के किसी भी अभिलेख की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सचिव, ग्राम–पंचायत को देगा। ऐसा प्रार्थना पत्र सादे कागज पर होगा और उसमें उन अभिलेखों का विवरण अंकित होगा जिनकी नकल चाही गयी है।

नकल की फीस

4. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सचिव, ग्राम–पंचायत द्वारा उसी दिन नकल माँगने वाले व्यक्ति से नकल की फीस जमा करायी जायेगी। नकल की फीस पाँच पृष्ठों तक पाँच रूपये होगी तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए एक रूपया प्रति पृष्ठ की दर से होगी।

नकल दिया जाना तथा उसका प्रभावीकरण

5. सचिव, ग्राम–पंचायत द्वारा यथा संभव उसीदिन ऐसे अभिलेख की नकल तैयार की जायेगी तथा उस पर ''प्रमाणित प्रति'' का उल्लेख किया जायेगा तथा वह उस पर अपने हस्ताक्षर करके, तिथि जिस दिन प्रति तैयार की गयी है, भी अंकित करेगा और इस प्रकार तैयार की गयी नकल आवेदक को यथा संभव उसी दिन उपलब्ध करा देगा। यदि आवेदन की तिथि से तीन दिन के भीतर सचिव नकल देने में असफल रहता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

नकल फीस आदि का हिसाब

6.नकल की ऐसी सभी फीस यथाशीघ्र ''ग्राम–निधि'' में जमा की जायेगी। ऐसी समस्त धनराशि ग्राम–पंचायत की आय समझी जायेगी।

नियम –81 का संशोधन

7.उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 81 से शब्द ''प्रधान के विवेक पर'' निकाल दिये जायेगे।

ह0 ....

डॉ0 ओम प्रकाश

सचिव

परिशिष्ट – 4

पत्र–सं0–879 / 3371–18–127 / 18

प्रेषक,

डॉ0 ओम प्रकाश

सचिव पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 10 मार्च 1998

विषय :– पंचायती राज विभाग की त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम–पंचायत, क्षेत्र–पंचायत एवं जिला पंचायत में आरक्षण के तहत चुनकर आयी हुई महिला सदस्यों को बैठकों में भाग न लिये जाने तथा उनके सम्बन्धियों द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि पंचायती राज विभाग की त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम–पंचायत, क्षेत्र–पंचायत एवं जिला–पंचायतों में जो 33 प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप महिला सदस्य निर्वाचित होकर आयी है उनके कार्यों का संचालन उनके पति एवं उनके परिवार जनों द्वारा किया जा रहा है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकों में महिला सदस्यों द्वारा भाग नही लिया जाता एवं उनके पति एवं सम्बन्धियों द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर उनके नामों के सामने कर दिये जाते हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया निम्न बिन्दुओं पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निम्न निर्देश प्राथमिकता के आधार पर देने का कष्ट करें :–

1. महिला निर्वाचित पदाधिकारियों के कार्यालयों में उनके सम्बन्धी कदापि प्रवेश नही करेगें और वह अपने विवेक से कार्य करेगीं और यदि अपरिहार्य कारणों वश उन्हें आना भी पड़े तो एक रजिस्टर में उनका नाम तथा आने का कारण अंकित किया जाये।

2. रजिस्टर का रखरखाव एवं आकस्मिक निरीक्षण जिला स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी जिला–पंचायत करेगें, जिसका आकस्मिक निरीक्षण, मण्डलायुक्त या उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह किया जायेगा।

3. क्षेत्र–पंचायत स्तर पर क्षेत्र–पंचायत अधिकारी अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी या उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह किया जायेगा।

3. उपरोक्त व्यवस्था लागू करने से यह लाभ होगा कि प्रशासन में पारदर्शिता और अनुशासन को बनाये रखने में काफी बल मिलेगा।

भवदीय,

ह0 ....

(डॉ0 ओम प्रकाश)

सचिव

परिशिष्ट – 5

पत्र–सं0– 1266 / 33–1–2001–696 / 2000 टी0सी0–1

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 06 जून, 2001

पंचायती राज अनुभाग–1

2001

विषय :– विकेन्द्रीकरण व्यवस्था–जिला एवं मण्डल स्तर पर प्रशासनिक समन्वय समिति का गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के विगत दो वर्षों के अनुभवों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के अलग–अलग विभागों के नियंत्रण में रहने के कारण, उनके ऊपर एक केन्द्रित प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं उनके कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था नही हो पायी है। साथ ही विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु, जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्तों की प्रभावी भूमिका की आवश्यकता भी अनुभव की गयी है। अतः जिला एवं मण्डल स्तर पर प्रशासनिक समन्वय समितियों के गठन की निम्नवत व्यवस्था की जाती है:–

(1) जिला स्तरीय प्रशासनिक समन्वय समिति :–

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3.	विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत, पंचायतों		

	को सौंपे गये कार्यों से सम्बन्धित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारीगण	–	सदस्य
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी	–	सदस्य–सचिव

(2) मण्डल स्तरीय समिति :–

1.	आयुक्त	–	अध्यक्ष
2.	विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत पंचायतों को सौंपे गये कार्यों से सम्बन्धित विभागीय मण्डल स्तरीय अधिकारीगण	–	सदस्य
3.	मण्डल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
4.	मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत)	–	सदस्य–सचिव

2. यह समितियाँ अपने–अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेंगी और इनके द्वारा लिये गये निर्णय अपने कार्य क्षेत्र में बाध्यकारी होगें :–

1. विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत शासन स्तर पर अथवा स्थानीय स्तर पर जो निर्णय लिये गये है, उनका कियान्वयन विभिन्न विभागीय अधिकारियों के माध्यम से समय से सुनिश्चित कराना।
2. पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का परीक्षण व पुष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित कराना। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरूद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनिक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराना। सम्बन्धित विभागीय अधिकारी समिति के निर्णय का अनिवार्यतः परिपालन कर समिति को सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगें।
3. पंचायतों के निरीक्षण व आडिट में पायी गयी कमियों को दूर कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही।
4. पंचायतों के नियामक कार्यों की समीक्षा समबद्धता से उनका सम्पादन सुनिश्चित कराना।
5. अन्य कार्य जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

3. समिति की बैठक माह में एक बार अनिवार्यतः होगी।

4. मण्डलीय एवं जनपद स्तर पर विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के विधिक एवं प्रशासनिक निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के अधीन पंचायती राज विभाग के विभागीय अधिकारी मुख्य समन्वयक की भूमिका निभायेगें।

3. जिला स्तर पर प्राप्त ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यों, विकेन्द्रीकरण से सम्बन्धित कार्यों एवं शिकायतों आदि को संकलित कर जिला पंचायत राज अधिकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगें।

4. मण्डल स्तर पर मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) जिला स्तरीय समिति की प्रगति रिपोर्ट तथा ऐसी शिकायतें, जो जिला स्तर पर निस्तारित न की जा सके, संकलित कर मण्डलीय समिति को प्रस्तुत करेगें।

कृपया उक्तवत जनपद स्तरीय व मण्डल स्तरीय समितियों के गठन की कार्यवाही तत्काल करते हुए उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0 ....

(भोला नाथ तिवारी)

मुख्य सचिव

संख्याः— 1266 (1)/33—1—2001— तद्दिनाँक :

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, समाज कल्याण, भूमि विकास एवं जल संसाधन, ग्राम्य विकास, कृषि, पशुधन, गन्ना विकास, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास, युवा कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, सिंचाई, समाज कल्याण, भूमि विकास एवं जल संसाधन (समादेश प्रक्षेत्र) ग्राम्य विकास, कृषि, पशुधन, मत्स्य, गन्ना विकास, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास, युवा कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0 प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0 प्र0।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0 प्र0।

आज्ञा से

ह0 ....

(नीरज कुमार गुप्ता)

सचिव

परिशिष्ट – 6

पत्र–सं0– 1268 / 33–1–2001–696 / 2000

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 06 जून, 2001

पंचायती राज अनुभाग–1

विषय :– ग्राम पंचायतों में सचिव एवं सह सचिवों की व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी दिया जाना।

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये दायित्वों के कुशल निर्वहन की दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित अनुभव एवं शैक्षिक योग्यता वाले कम से कम एक पूर्ण कालिक कर्मी की व्यवस्था की जाये। विभिन्न विभागों के उपलब्ध दक्ष पूर्णकालिक शासकीय कर्मियों को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के रूप में तैनात करने के उपरान्त भी यह सम्भव है कि सभी ग्राम पंचायतों में एक पूर्ण कालिक शासकीय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / सचिव तत्काल उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो, अतः संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों में सहसचिव की व्यवस्था करने के लिए निम्नांकित निर्देश दिये जाते है :–

1. जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसे सभी कर्मचारी, जिन्हें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के रूप में तैनात किया जाना निर्णीत है, को अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत में तैनात किया जाय, प्रतिबन्ध यह होगा कि किसान सहायक संवर्ग से उपलब्ध ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को न्याय पंचायत के केन्द्र में स्थित अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत में तैनात किया जाय, जिससे उनके कृषि ज्ञान एवं पर्यवेक्षण में

अच्छे कृषि प्रदर्शन का लाभ न्याय पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों के कृषकों को भी सुलभ हो सके।

2. शेष ग्राम पंचायतें, जिनमें पूर्ण कालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तत्काल तैनात किया जाना सम्भव न हो, में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर, एक वर्ष अथवा पूर्णकालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए संविदा पर इण्टरमीडिएट अथवा इससे अधिक शैक्षिक योग्यता वाले योग्य व्यक्ति को सह–सचिव के रूप में तैनात किया जायेगा। सह–सचिव के रूप में उसी ग्राम पंचायत में निवास करने वाले व्यक्ति को भी तैनात किया जा सकता है।

3. संविदा की अवधि समाप्त होने तथा पूर्ण कालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की तैनाती न होने की स्थिति में, सह–सचिव की संतोषजनक सेवा पर ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके एक पारित प्रस्ताव के आधार पर वर्षानुवर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए उसे संविदा पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है। सेवायें संतोषजन न पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकती है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को तैनात कर सकती है।

4. ग्राम पंचायतों में तैनात सहसचिव को ग्राम पंचायतें अपने राजस्व प्राप्तियों जिसका राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायत की संक्रमित धनराशि भी एक भाग है, से प्रतिमाह रू0 500/– मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायतें कर सकेंगी।

2. ग्राम पंचायतों को विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय, नियामक एवं विभागीय कार्यों के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के दायित्व सौंपे गये हैं एवं अधिनियम में ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव की व्यवस्था निर्धारित है अतः ग्राम पंचायतों में सचिव एवं सह–सचिव के द्वारा विभागीय कार्यों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

1. ग्राम पंचायत में तैनात किये गये सह–सचिव समस्त विकास कार्यों एवं योजनाओं के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिये ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करेगे।

2. ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनमें सहसचिव तैनात है, के सचिव के रूप में नियामक एवं वित्तीय दायित्वों का निर्वहन, इस ग्राम पंचायत के भौगोलिक दृष्टि से निकट स्थित किसी ग्राम पंचायत के पूर्णकालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस निमित्त पूर्णकालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो पूर्व निर्धारित कार्य दिवसों तथा ग्राम पंचायत की बैठक में इस ग्राम पंचायत में अवश्य उपलब्ध रहेगा।

3. ग्राम पंचायतों में तैनात सह सचिव ग्राम पंचायत के अधीन रहते हुए सचिव के सामान्य मार्ग निर्देश में कार्य करेगा।

3. विकेन्द्रीकरण व्यवस्था से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि तदनुसार कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में एक कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि यह व्यवस्था स्थायी एवं जनोपयोगी हो। यह समस्त कार्यवाही दिनाँक 30 जून 2001 तक अवश्य सम्पन्न कर ली जाए।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0 ....

(भोला नाथ तिवारी)

मुख्य सचिव

संख्या :– 1268(1)/33–1–2002–696/2000 तद्दिनाँक :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, समाज कल्याण, भूमि विकास एवं जल संसाधन, ग्राम्य विकास, कृषि, पशुधन, गन्ना विकास, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, सिंचाई, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि, पशुधन, मत्स्य, गन्ना विकास, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास, भूमि विकास एवं जल संसाधन (समादेश प्रक्षेत्र) विभाग उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0 प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0 प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0 प्र0।

आज्ञा से

ह0 ....

(नीरज कुमार गुप्ता)

सचिव

परिशिष्ट–7

ग्राम –पंचायत विकास अधिकारी भर्ती नियमावली

उत्तर प्रदेथ सरकार

पंचायती राज अनुभाग – 1

संख्या – 4880/33–1–99–455/99

लखनऊ : दिनाँक 30 जुलाई, 1999

संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26/1947) की धारा – 110 सहपठित धारा– 25 एवं 25–ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी के पद पर भर्ती एवं दण्ड के प्रावधान करने की दृष्टि से राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश ग्राम– पंचायत विकास अधिकारी नियमावली, 1999

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ	1. यह नियमावली उ0 प्र0 ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी भर्ती नियमावली, 1999 कहलायेगी। 2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. पदों का सृजन	1. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद का सृजन ग्राम–पंचायत द्वारा नियत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करके किया जायेगा। 2. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को नियत प्राधिकारी घोषित किया गया है। 3. यदि ग्राम–पंचायत में एक ही ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी तैनात हैं तो उनमें से एक को ग्राम–पंचायत के सचिव का कार्य ग्राम–पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके प्रदत्त किया जायेगा।

4. ग्राम–पंचायतों में ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी की सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, त्याग–पत्र मृत्यु , सेवा से हटाये जाने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त हो जाने पर सम्बन्धित ग्राम–पंचायत जहां रिक्ति हुयी हैं, आगे दी गयी व्यवस्थाओं के अधीन ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

3. अर्हतायें

1. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अन्य परीक्षा होगी।

2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा भूत पूर्व सैनिको के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3. ऐसा उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का होगा। यदि ग्राम पंचायत में कोई भी पात्र उम्मीदवार नहीं है तो निकटतम दूसरी ग्राम–पंचायत से उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।

4. चयन की प्रक्रिया

1. ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम–पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जायेगी। तथा यह सूचना ग्राम–पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जायेगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में करायी जायेगी।

2. सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र पंचायत कार्यालय में जमा किये जा सकेगें।

3. आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक योग्यता एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगें।

4. समस्त आवेदन पत्र ग्राम–पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेगें।

5. ग्राम–पंचायत की प्रशासनिक समिति उम्मीदवार के चयन के लिये हाईस्कूल तथा इण्टर मीडिएट के प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर औसत निकालेगी तथा समस्त उम्मीदवारों में जिसका औसत सबसे अधिक होगा उसका चयन ग्राम–पंचायत द्वारा किया जायेगा। यदि सर्वाधिक औसत अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।

6. ग्राम–पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से ऐसी नियुक्ति दो वर्ष की संविदा पर कर सकेगी। नियुक्त व्यक्ति को ग्राम–प्रधान द्वारा नियुक्ति–पत्र जारी किया जायेगा। इसकी प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकार्ड हेतु भेजी जायेगी।

5. आरक्षण

1. ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी के पदों के रिक्त होने पर उन पर की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति के लिए 2 प्रतिशत तथा पिछड़ी

जाति के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2. आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में जो पंचायतें जिस रूप में आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी का ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जाति के हैं उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जन जाति के उनमें अनुसूचित जन जाति का तथा जिन पंचायतों के प्रधान पिछड़ी जाति के हैं वहाँ पिछड़ी जाति का ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जिला–पंचायत राज अधिकारी द्वारा आरक्षण के प्राविधानों के पालन की पुष्टि के पश्चात ही उन कर्मियों का मानदेय शासन द्वारा दिया जायेगा।

6. मानदेय

1. इस प्रकार नियुक्त किये गये ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी को रूपये 2250 प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

2. ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी को देय मानदेय का व्यय–भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

3. ऐसे ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी ग्राम–पंचायत के सेवक होंगे और ग्राम–पंचायत उनकी नियुक्ति प्राधिकारी होगी।

7. प्रशिक्षण

ग्राम–पंचायत द्वारा चयनित ऐसे ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी को एक माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इस

तरह आयोजित होने प्रशिक्षण में ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी को निर्धारित अवधि का प्रशिक्षंण लेना अनिवार्य होगा।

8. अनुशासनिक कार्यवाही

ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी पर पूर्णतः प्रशासकीय नियंत्रण सम्बन्धित ग्राम–पंचायत का होगा। कर्तव्य की उपेक्षा, कर्तव्य का अपालन, अनियमितता आदि की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अधिकार, ग्राम पंचायत में निहित होंगे। ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी को कारण बताओ सूचना दिये जाने तथा यदि कोई उत्तर उनके द्वारा दिया गया हो तो उस पर विचार करने के उपरान्त ग्राम–पंचायत की प्रशासनिक समिति की कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई बहुमत से उसे पद से हटा सकेंगी।

9. कर्तव्य

1. ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी के वार्षिक कार्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक समिति द्वारा किया जायेगा तथा तदनुसार चरित्र पंजिका में इसकी प्रविष्टि गाम–प्रधान द्वारा की जायेगी।

2. यदि ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी एक माह से अधिक से लिए अवकाश पर जाता है तो उसके स्थान पर अवकाश की अवधि के लिए ग्राम–पंचायत द्वारा "एवजी" को नियुक्त करके वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। "एवजी" के रूप में रखे गये कर्मी को 2250 रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जायेगा और "एवजी" का चयन इसी नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

10. सम्बन्धियों की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति जो कि प्रधान, उपप्रधान, ग्राम–पंचायत का सदस्य अथवा ग्राम–पंचायत विकास अधिकारी का सम्बन्धी है, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, श्वसुर, (पितृ अथवा मातृ सम्बन्धी), पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से है।

11. नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति ग्राम–पचांयत विकास अधिकारी के पद पर नही की जायेगी जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षणिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत का दण्ड दिया गया हो अथवा जेल की सजा अथवा जो किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

आज्ञा से,

(डॉ0 ओम प्रकाश)

सचिव

परिशिष्ट – 8

ग्राम–पंचायतों और उनके पदाधिकारियों द्वारा पंचायत राज अधिनियम के अनुसार कार्य न करने पर राज्य सरकार के अधिकार निरीक्षण एवं कार्यवाही का अधिकार (धारा 95)

राज्य सरकार :–

(क) ऐसी अचल सम्पत्ति का, जो किसी ग्राम–पंचायत के स्वामित्व में हो, और जो उसके द्वारा प्रयुक्त की जा रही हो अथवा अध्यासित हो, का निरीक्षण करा सकती है। राज्य सरकार ग्राम–पंचायत के अधीन किये जा रहे किसी निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करा सकती है;

(ख) ग्राम–पंचायत के कब्जे में या नियंत्रणाधीन किसी बही अथवा अभिलेख को लिखित आदेश द्वारा मांग सकती है और उसका निरीक्षण कर सकती है;

(ग) ग्राम–पंचायत से लिखित आदेश द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण–पत्र, रिपोर्ट अथवा अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जिन्हें वह ठीक समझे;

(घ) ग्राम–पंचायत के विचारार्थ कोई ऐसा सुझाव प्रेषित कर सकती है जिसे वह ऐसी ग्राम–पंचायत के कार्यों तथ कर्तव्यों के सम्बन्ध में उचित समझे;

(ड.) ग्राम सभा या ग्राम–पंचायत से सम्बन्धित किसी भी विषय के सम्बन्ध मे कोई जाँच संस्थित करा सकती है; और

(च) किसी ग्राम–पंचायत को विघटित कर सकती है यदि राज्य सरकार की राय में ऐसी ग्राम–पंचायत ने अपने पद का दुरूपयोग किया हो, या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके

अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक की हो अथवा जिसका बना रहना जनहित में वांछनीय न समझा जाए।

(छ) ग्राम–पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या उसके किसी सदस्य को हटा सकती है यदि–

1. बिना पर्याप्त कारण के लगातार तीन से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थित रहे,
2. वह कार्य करने से इन्कार करे अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाये अथवा यदि उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो अथवा दोषारोपण किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता (Moral Turpitude) अन्तर्वलित हो,
3. उसने इस रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा उसने उस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों में उल्लिखित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की हो अथवा इस रूप में बना रहता जनहित में वांछनीय न हो।

जहाँ कोई प्रधान या उप प्रधान ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, की गई किसी जाँच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाय, वहाँ ऐसा प्रधान या उप प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नही करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जाँच में आरोपों से मुक्त न हो जाये, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम–पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।

<u>प्रतिबन्ध यह है कि</u> :–

1. खण्ड (च) या (छ) के अधीन कोई कार्यवाही सम्बद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नही,
2. इस धारा की उपराधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (3) के अधीन हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी पद पर 5 वर्ष की अवधि या इससेकम ऐसी अवधि के लिए जैसा कि राज्य सरकार किसी मामले में आदेश दे, पुनः निर्वाचित या पुनः नियुक्त किये जाने का हकदार न होगा;

3. इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नही की जायेगी;
4. यदि कोई ग्राम–पंचायत विघटित की जाये तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हे वह उचित समझे।

राज्य सरकार की शक्ति (धारा 95 क) :–

1. यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ग्राम सभा या ग्राम–पंचायत ने इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम में उल्लेख किये गये कर्तव्य का पालन करने मे चूक की है, तो राज्य सरकार उस कर्तव्य का पालन करने के लिए कोई अवधि लिखित आदेश द्वारा निश्चित कर सकती है।
2. यदि इस प्रकार निश्चित की गयी अवधि के भीतर कर्तव्य का पालन न किया जाये, तो राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, उसे पालन करने का निर्देश दे सकती है और अग्रेतर यह भी निर्देश दे सकती है कि कर्तव्य पालन के व्यय, यदि कोई हों, का भुगतान गाँव निधि से किया जायेगा और तदुपरान्त वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में वह निधि हो, उक्त धनराशि का भुगतान ऐसी निधि से करेगा।

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध (धारा 96) :–

1. नियत प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन पारित संकल्प या दिये गये आदेश का किसी ग्राम सभा,, ग्राम–पंचायत या उसके अधिकारी या सेवक द्वारा निष्पादित किये जाने या उसके अग्रेतर निष्पादन किये जाने का प्रतिषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि जिससे जनता या विधिसम्मत रूप से सेवायोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह को बाधा, क्षोभ अथवा चोट पहुँचे या पहुँचने की सम्भावना हो अथवा जिससे मानव जीवन, उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा

के लिए संकट उपस्थित हो या होने की सम्भावना हो, अथवा बलवा या दंगा हो या होने की सम्भावना हो। वह किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में अथवा उसकी आड़ में कोई कार्य किये जाने अथवा उसे जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

2. यदि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाये तो उसे दिये गये जाने के कारणो के विवरण सहित उसकी एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी अथवा उक्त अधिकारी द्वारा तत्क्षण राज्य सरकार को भेजी जायेगी, जो ग्राम सभा या ग्राम–पंचायत अथवा उसके अधिकारी या सेवक से स्पष्टीकरण माँगने और उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् आदेश को विखण्डित, परिष्कृत करेगी अथवा उसकी पुष्टि करेगी।

3. यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये और सतत् आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या उसके अग्रेतर निष्पादन का निषेध किया जाय तो ग्राम सभा अथवा ग्राम–पंचायत अथवा उसके किसी प्राधिकारी या सेवक का, यदि ऐसा आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये, यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे वह उस दशा में करने का हकदार होता हो, यदि उक्त संकल्प कभी पारित न किया गया होता या उक्त आदेश कभी दिया न गया होता।

राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिहित किया जाना (धारा 96 क) :–

राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्राधिकारी को ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रतिनिहित कर सकता है।

परिशिष्ट – 9

भारतीय संविधान के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था

संविधान (तिहत्तरवॉ संशोधन) अधिनियम, 1992[1]

भाग – 1 – पंचायतें

243 परिभाषाएं :–

इस भाग में। जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "जिला" से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;

(ख) "ग्राम सभा" से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है;

1. संविधान (तिहत्तरवॉ संशोधन) अधिनियम 1992 की धारा 2 द्वारा "भाग–9" अन्तः स्थापित किया गया (दिनाँक 24–4–1993 से प्रमावी)।

(ग) "मध्यवर्ती स्तर" से ग्राम सभा और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर विनिर्दिष्ट किया जाये;

(घ) "पंचायत" से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243–ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है;

(ड.) "पंचायत क्षेत्र" से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(च) "जनसंख्या" से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गये हैं;

(छ) "ग्राम" के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनो के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।

243–क. ग्राम सभा :–

ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी, जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा उपबन्धित किये जायें।

243–ख. पंचायतों का गठन :–

प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबन्धों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जायेगा।

1. खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नही किया जायेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है।

243–ग. पंचायतों की संरचना :–

1. इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबन्ध कर सकेगा :
   परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में, यथासाध्य, एक ही होगा।
2. पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवण्टित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य, एक ही हो।
3. राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा –

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ग) लोक सभा के सदस्यों और राज्य की विधान सभा के सदस्यों के, जो ऐसे निर्वाचन–क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में;

(घ) राज्य सभा के सदस्यों और राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों के, जहाँ वे–

1. मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में;
2. जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा।

4. किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या अन्यथा, चुने गये हैं।

5. (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा, उपबन्धित की जाये, किया जायेगा; और

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा।

243–घ. स्थानों का आरक्षण :–

1. प्रत्येक पंचायत में –

(क) अनुसूचित जातियों; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे गये स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनूसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चकानुकम से आंवण्टित किये जा सकेंगे।

2. खण्ड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

3. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन–क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवण्टित किये जा सकेंगे।

4. ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगा, जैसा कि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा उपबन्ध करें :

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे :

परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न–भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवण्टित की जायेगी।

5. खण्ड (1) एवं खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

6. इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान मण्डल को किसी स्तर पर किसी पंचायत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

243–ङ. पंचायतों का कार्यकाल, आदि :–

1. प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।
2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं करेगा, जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता।
3. किसी पंचायत का गठन करने के लिए, निर्वाचन–

(क) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा किया जायेगा :

परन्तु जहाँ वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

4. पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित पंचायत खण्ड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

243–च. सदस्या के लिए निरर्हताएँ :–

1. कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा–

(क) यदि वह सम्बन्धित राज्य के विधान–मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है :

परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

2. यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खण्ड (1) में वर्णित किन्हीं निरर्हताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रशन ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जैसा राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, उपबन्धित करे, विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा।

243–छ. पंचायतों को प्राप्त शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व :–

संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ, राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे–

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएँ जिसके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, क्रियान्वित करना।

243–ज. पंचायतों द्वारा कर अधिरापित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियाँ :–

राज्य का विधान–मण्डल विधि द्वारा –

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्‌गृहीत, संग्रहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तो तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संग्रहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को समनुदेशित कर सकेगा;

(ग) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध कर सकेगा; और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किये जायें या की जाएँ।

243–झ. वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन :–

1. राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर यथाशक्य–शीघ्र, और उसके पश्चात् प्रत्येक पाँचवें वर्ष के अवसान पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए, और

(क) उन सिद्धान्तों, जो निम्नलिखित को शासित करेंगे, अर्थात–

1. राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित किये जा सकेंगे तथा पंचायतों के बीच सभी स्तरों पर ऐसे आगमों के अपने–अपने अंशों का आवण्टन;
2. ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेगें या उसके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगें;
3. राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान;

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अद्युपाय;

(ग) किसी अन्य विषय, जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्तपोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाये, की बाबत राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा।

2. राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना, अर्हता, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी, और रीति, जिससे उसका चयन किया जायेगा, का उपबन्ध कर सकेगा।
3. आयोग अपनी प्रकिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्यों का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

4. राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण–ज्ञापन राज्य के विधान–मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

243–अ. पंचायतों के लेखाओं की सम्परीक्षा :–

राज्य का विधान–मण्डल, पंचायतों द्वारा लेखे बनाये रखने और ऐसे लेखाओं की सम्परीक्षा करने की बाबत, विधि द्वारा, उपबन्ध कर सकेगा।

243–ट. पंचायतों के लिए निर्वाचन :–

1. पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनो के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा जिसमें राज्य द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा।

2. राज्य के विधान–मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी विधि के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियमों द्वारा अवधारित करे :

   परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जायेगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब तक किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी–वृन्द उपलब्ध करायेगा जितने खण्ड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गये कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

4. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से सम्बन्धित या संसक्त सभी विषयों की बाबत उपबन्ध कर सकेगा।

243–ठ. संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना :–

इस भाग उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने से उनका यह प्रभाव होगा मानो राज्य के राज्यपाल के प्रति–निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किये गये संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश है, और राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निर्देश, उस संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हैं :

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना, द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबन्ध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होगें जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

243–ड. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना :–

1. इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खण्ड (2) में निर्दिष्ट जन–जाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

2. इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नही होगी–

(क) नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्य;

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ज़िला परिषदें विद्यमान हैं।

3. इस भाग की –

(क) कोई बात, जिला स्तर पर पंचायतों के सम्बन्ध में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नही होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् विद्यमान है;

(ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

4. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी –

(क) खण्ड (2) में उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान–मण्डल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, खण्ड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों, यदि कोई है, के सिवाय, उस राज्य पर कर सकेगा, यदि उस राज्य की विधान सभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन

की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है;

(ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार, खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जन–जाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किये जायें और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 कि प्रयोजनों के लिए, इस संविधान का संशोधन नही समझी जायेगी।

243–ढ. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना :–

इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से सम्बन्धित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, तब तक जब तक कि सक्षम विधान–मण्डल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता, या जब तक ऐसे प्रारम्भसे एक वर्ष का अवसान नही हो जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी, यदि उन्हें उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान–मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा, पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नही कर दिया जाता।

243–ण. निर्वाचन सम्बन्धी मामलों मे न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन :–

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी–

(क) अनुच्छेद 243–ट के अधीन बनाई गई या बनाये जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से सम्बन्धित है, विधिमान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नही की जोयेगी;

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जायेगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसे अधीन उपबन्ध है, अन्यथा नहीं।

3. अनुच्छेद 280 का संशोधन :–

संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात–

" (ख–ख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के साधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।"

4. **ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना :–**

संविधान की दसवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जायेगी, अर्थात्–

(ग्यारहवीं अनुसूची)

(अनुच्छेद 243–छ)

1	कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है।	16	गरीबी उपशमन कार्यक्रम।
2	भूमि–विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमिसंरक्षण।	17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है।
3	लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल–आच्छादन विकास।	18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा।
4	पशुपालन, दुग्ध–उद्योग और कुक्कुट पालन।	19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
5	मस्त्य उद्योग।	20	पुस्तकालय।
6	सामाजिक वनोद्योग ओर फार्म वनोद्योग।	21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
7	लघु वन उत्पाद।	22	बाजार और मेले।

8	लघु उद्योग, जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।	23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।	24	परिवार कल्याण।
10	ग्रामीण आवासन।	25	स्त्री और बाल विकास।
11	पेयजल।	26	समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
12	ईंधन और चारा।	27	दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों का कल्याण।
13	सड़कें, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन।	28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
14	ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है।	29	सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।
15	गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत।		

साक्षात्कार अनुसूची-

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

साक्षात्कार अनुसूची

"बुन्देलखण्ड में पंचायत राज संस्थाओं का क्रियान्वयन"
(हमीरपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

1. नाम
2. गाँव का नाम
3. विकास खण्ड
4. आयु
5. शिक्षा
6. वर्ग व धर्म
7. लिंग (स्त्री/पुरूष)

राजनीतिक सहभागिता व विकेन्द्रीकरण से सम्बन्धित प्रश्न

1. नई पंचायत व्यवस्था, इसके नियमों व प्रावधानों के बारे में आपको कैसी जानकारी है?

(अच्छी/औसत/बहुत कम)

2. क्या आप मानते हैं कि नई पंचायत व्यवस्था वास्तव में जनता को शासन में सहभागी बनाती है?

(हाँ/नहीं/कह नहीं सकता)

3. क्या नई पंचायत प्रणाली आने से पंचायत व्यवस्था में लोगों की भागेदारी बढ़ी है?

(हाँ/नहीं/कह नहीं सकता)

4. क्या नई पंचायत व्यवस्था के द्वारा ग्राम पंचायतों को दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं?

(हाँ/नहीं/कह नहीं सकता)

5. क्या आप किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं? (हाँ/नहीं)

6. क्या पंचायतों में हर स्तर पर महिलाओं को एक तिहाई सीटें आरक्षित करनें का निर्णय सही था? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

7. क्या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पंचायतों के हर स्तर पर 27 प्रतिशत आरक्षण उचित है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

8. क्या अनुसूचित जाति / जन जाति के लोगों को पंचायतों में आरक्षण देने का फैसला उचित था? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

9. पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से क्या लाभ हुए हैं?

1. महिलाओं में राजनीतिक चेतना बढ़ी है। 2. महिलाओं को समानता का दर्जा मिला है।

3. महिलाओं की स्थिति सुधरी है। 4. उन पर अत्याचार रूके हैं।

10. पंचायतों में दलितों / पिछड़ों को आरक्षण देने से क्या लाभ हुए हैं?

1. सामाजिक समानता 2. राजनीतिक भागीदारी

3. शोषण / उत्पीड़न में कमी 4. आर्थिक स्थिति में विकास

11. क्या आप मानते हैं कि पंचायतों को अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ देने से लोगों की राजनीति में रूचि व भागेदारी बढ़ी है? (हाँ / नहीं / मालुम नहीं)

12. क्या आप जानते हैं कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कुल कितनी बैठकें होनी चाहिएं? (हाँ / नहीं / मालुम नहीं)

13. क्या आपके गाँव में ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से होती हैं? (हाँ / नहीं / मालुम नहीं)

14. क्या आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक कितने समयान्तराल पर होते रहना चाहिए? (हाँ / नहीं)

15. क्या आपके गाँव में ग्राम पंचायत की बैठक प्रतिमाह होती है? (हाँ / नहीं / मालुम नहीं)

16. क्या ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठके नियमानुसार बुलाते रहते हैं? (हाँ / नहीं / मालुम नहीं)

17. क्या आप जानते हैं कि पंचायतों में महिला / दलित / पिछड़ा आरक्षण देने से राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ेगी? (हाँ / नहीं / मालुम नहीं)

18. क्या आप ग्राम प्रधान के अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में जानते हैं?(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

19. क्या आप ग्राम पंचायत को सौंपे गये सभी विषयों/कार्यों के विषय में जानते हैं?

(हाँ/नहीं/अनिश्चित)

20. क्या आपके गाँव में ग्राम पंचायत समितियों का गठन किया गया है? (हाँ/नहीं/अनिश्चित)

21. क्या आपके ग्राम पंचायत में पचायत कार्यों से सम्बन्धित सभी प्रमुख अभिलेखों (रजिस्टरों) का निर्माण किया गया है? (हाँ/नहीं/अनिश्चित)

आर्थिक विकास से सम्बन्धित प्रश्न

22. गाँव का विकास ग्राम पंचायतों की देख रेख में अधिक अच्छा हो सकता है अथवा प्रदेश सरकार की देख रेख में? (ग्राम पंचायत/प्रदेश सरकार/अनिश्चित)

23. क्या ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं? (हाँ/नहीं/अनिश्चित)

24. क्या ग्राम पंचायतों के पास आय के पर्याप्त साधन हैं? (हाँ/नहीं/अनिश्चित)

25. क्या आप मानते हैं कि ग्राम पंचायतों को और अधिक वित्तीय अधिकार मिलने चाहिये?

(हाँ/नहीं/अनिश्चित)

26. क्या आर्थिक विकास योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों को मिला है?

(हाँ/नहीं/अनिश्चित)

27. क्या आपके गाँव में कुछ लोगों के फर्जी तरीके से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है?

(हाँ/नहीं/अनिश्चित)

28. क्या आपके गाँव का बजट प्रतिवर्ष तैयार और पास किया जाता है?

(हाँ/नहीं/अनिश्चित)

29. क्या आपके ग्राम पंचायत ने ग्राम कोष (ग्राम निधि) की स्थापना की है?

(हाँ/नहीं/अनिश्चित)

30. क्या स्थानीय स्तर पर सरकार होने से स्थानीय समस्याओं का निराकरण अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

31. क्या ग्राम पंचायतों के द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो के सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम् होना चाहिए? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

32. क्या आप मानते हैं कि ग्राम पंचायतें समुचित तरीके से काम करती रहें इसलिए इन पर सरकारी नियंत्रण आवश्यक है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

33. आपके गाँव में विकास कार्यों से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ देने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

34. क्या विकास कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में केवल ग्राम प्रधान अपने स्तर से निर्णय ले लेते हैं ? इसमें अन्य सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

35. क्या ग्राम विकास के कार्यों की ग्राम सभा / ग्राम पंचायत के बैठकों में समीक्षा होती है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

36. क्या विकास से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय व कार्य स्थानीय स्तर पर होने से भ्रष्टाचार की आशंका कम होगी? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

37. क्या इस प्रक्रिया में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में लाल फीताशाही व नौकरशाही के प्रभाव में कमी आयेगी? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

38. क्या ग्राम प्रधानों व पंचायत के सदस्यों को निर्धारित मानदेय (पारिश्रमिक) दिया जाना चाहिये? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न

39. क्या मानते हैं कि पंचायत संस्थाओं में दलितों / पिछड़ों को आरक्षण देने से सामाजिक परिवर्तन तेज होगा? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

40. क्या आप मानते है कि इस आरक्षण से जातिगत भेदभाव व ऊँचनीच की भावना क्रमशः समाप्त हो जायेगी? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

41. क्या आप मानते हैं कि विधान सभाओं, संसद व नौकरियों में दिये गये आरक्षण की तुलना में पंचायत में दिया गया वर्तमान आरक्षण सामाजिक समानता स्थापित करने में अधिक कारगर सिद्ध होगा? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

42. क्या आप मानते हैं कि पंचायतों में आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से लोगों की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होगी? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

43. क्या सामाजिक समानता लाने के लिए राजनीतिक सहभागिता के साथ – साथ कमजोर वर्गों का आर्थिक उन्नयन भी आवश्यक है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

44. क्या कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारे बिना सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

45. क्या आप मानते हैं कि दलितों / पिछड़ों व महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने से इन वर्गों पर होने वाले उत्पीड़न व अत्याचारों में कमी आयेगी? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

46. क्या आप मानते हैं पंचायतीराज व्यवस्था के समग्र सफलता के लिए इससे जुड़े लोगों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

47. ग्रामीण लोगों को पंचायतराज व्यवस्था की जानकारी देने के लिए किस तरह का प्रशिक्षण अधिक कारगर सिद्ध होगा?

(औपचारिक / अनौपचारिक / दोनो / पुस्तकों व व्याख्यानों / मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा)

48. क्या आपके गाँव में प्राथमिक पाठशाला है? (हाँ / नहीं)

49. क्या आपके गाँव में प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम संचालित किया जाता है?

(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

केवल महिला सदस्यों/प्रधानों से पूछे गये प्रश्न

1. क्या ग्राम पंचायत, ग्राम सभा व अन्य बैठकों में आप स्वयं भाग लेती हैं? (हाँ / नहीं)
2. वर्तमान पद पर चुनाव लड़ने का निर्णय आपका स्वयं का था या परिवार प्रमुख का? (स्वयं का / परिवार प्रमुख का)
3. पंचायत से सम्बन्धित कार्य आप स्वयं करती हैं या परिवार के किसी सदस्य पर छोड़ देती हैं? (स्वयं / परिवार के सदस्य पर)
4. पंचायत से सम्बन्धित निर्णय आप स्वयं लेती हैं या परिवार के मुखिया के दबाव पर? (स्वयं / मुखिया के दबाव पर)
5. यदि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता तो भी क्या आप पंचायत चुनावों में किसी पद के लिए उम्मीदवार होतीं? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)
6. एक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते वक्त क्या आप पर किसी प्रकार का दबाव होता है? (हाँ / नहीं)
7. क्या आप मानती हैं कि पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से परिवार / समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)
8. क्या आप मानती हैं कि पंचायतों में अपनी इस सहभागिता से आपको देश / समाज / गाँव की सेवा करने का अवसर मिला है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)
9. क्या आप मानती हैं कि पंचायतों में सक्रिय साझेदारी से आपका आत्मविश्वास / आत्मसम्मान बढ़ा है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)
10. क्या आपको महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बनाये गये कानूनों की जानकारी है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)
11. क्या आप मानती हैं कि इस नई जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

12. क्या आपके गाँव में स्वयं समूहों / महिला मण्डलों का गठन किया गया है?

(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

केवल दलित/पिछड़े प्रधानों व सदस्यों से पूछे गये प्रश्न

1. यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या आप पंचायत चुनाव में उम्मीदवार होते?

(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

2. ग्राम प्रधान / सदस्य के रूप में कार्य करते वक्त आप पर किसी प्रकार का दबाव रहता है?

(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

3. क्या आरक्षण की इस व्यवस्था से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है?

(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

4. क्या आरक्षण की इस व्यवस्था से कमजोर वर्गों के शोषण में कमी आई है?

(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

5. क्या अपने अधिकारों के प्रति आप पहले से अधिक सचेत हुए हैं? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

6. क्या नई पंचायत व्यवस्था सामाजिक असमानता दूर कर सकेगी? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

7. क्या नई पंचायत व्यवस्था के बाद से ग्राम पंचायतों पर से प्रभावशाली लोगों का एकाधिकार टूटा है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

8. क्या नई व्यवस्था के लागू होने के बाद भी प्रभावशाली लोगों का पंचायतों पर अप्रत्यक्ष दबाव अभी भी बना हुआ हैं? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

9. एक पदाधिकारी के रूप में आप स्वतन्त्र निर्णय लेते हैं या किसी के दबाव में?

(स्वतन्त्र / दबाव में)

10. क्या आप ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं?

(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

11. क्या इन बैठकों में आप निडरता पूर्वक अपनी बात कहते हैं? (हाँ / नहीं / अनिश्चित)

केवल ग्राम प्रधानों से प्राप्त जानकारी

1. ग्राम प्रधान के रूप में आपने निम्न क्षेत्रों के विकास एवं सुव्यवस्था के लिए क्या प्रयत्न/कार्य किये?

   (क). सड़क

   (ख). पाठशाला

   (ग). प्रौढ़ शिक्षा

   (घ). प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था

   (च). ग्रामीण स्वच्छता (कितने व्यक्तिगत व कितने सामूहिक शौचालय बने)

   (छ). पेयजल व्यवस्था

   (ज). कृषि सुधार

   (झ). बेरोजगारी

   (ञ). सिंचाई

2. आपके ग्राम प्रधान होने से पूर्व उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में गाँव की स्थिति कैसी थी?

3. निम्न योजनाओं के अन्तर्गत गाँव के विभिन्न वर्गों के कितने लोग प्रतिवर्ष लाभान्वित हुए?

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष				
		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
1.	स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना					
2.	सुनिश्चित रोजगार योजना					
3.	इन्दिरा आवास योजना					
4.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना					
5.	ग्रामीण पेयजल योजना					
6.	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम					
7.	राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम					
8.	आई0 आर0 डी0 पी0					

4. क्या उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों का सही – सही चयन किया गया था?

(हाँ / नहीं / अनिश्चित)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

GOVERNMENT PUBLICATIONS

Government of India, Report of the Study for the Study of the Community Development and National Extension Service, (Chairman, Balwantrai Mehta), Planning Commission, New Dilhi, 1957.

Government of India, Report of the Study Team on Panchayati Raj Finances, Chairman, K. Santhanam, Planning Commission, New Delhi, 1963.

Government of India, Report of the U.T Krishnamachari Committee on Indian and State Administrative Services and Problems of District Administration, Planning Commission, New Delhi, 1962.

Government of India, Annual Reports on the Working of the Community Development and National Extension Service Blocks Programme, Evaluation Organisation, Planning Commission, New Delhi, 1958.

Government of India, Report on Indian Villages: A Study of Some Social and Economic Aspects, Cabinet Secretariat, New Delhi, 1961.

Government of India, Report of the Study Team on Nyaya Panchayats, New Delhi, 1962.

Government of India, Report of the Committee on Panchayati Raj Elections, Ministry of Community Development and Co-operation, New Delhi, 1965.

Government of India, Report of National Commission on Agriculture and Irrigation, New Delhi, Parts I to XV, 1976.

Government of India, A Digest on Panchayati Raj, Ministry of Community Development and Co-operation, Manager of Publications, 1962.

Government of India, Community Development through Panchayati Raj, (S.K. Dey), Ministry of Community Development and Co-operation.

Government of India, Panchayati Raj: A Symposium, Ministry of Community Development and Co-operation, Manager of Publications, Delhi, 1964.

Government of India, Panchayati Raj at a Glance 1988-89, Ministry of Agriculture, Department of Rural Development, New Delhi, 1989.

Government of India, Report of the Urban-Rural Relationship Committee, Manager of Publications, Delhi, 1966, 67, 68, (3 Vols.).

Government of India, Some Successful Pancahyats-Case Studies, Manager of Publications, Delhi, 1960.

Government of India, Report fo the Thugen Committee, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, New Delhi, 1988.

Government of India, Constitution of India, Ministry of Law and Justice, New Delhi, 1986.

Government of India, Report of the Committee on Panchayati Raj, (Chairman: Ashok Mehta), Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Rural Development, New Delhi, 1978.

Uttar Pradesh : Laws, Statutes etc, United Provincl Panchayati Raj Act 1947, (Uttar Pradesh Act No XXVI of 1947) Lucknow, 1947.

Uttar Pradesh : Laws, Statutes ets, Uttar Pradesh Kohetra Samitis and Zilla Parishad Act, 1961, Lucknow, 1962 (In Hindi).

Uttar Pradesh Zilla Parishad (Conduct of Proceedings) Rules 1962.

Uttar Pradesh Zilla Parishad (Election of Adhyaksha and Upadhayaksha and settlement of Election Disputes) Rules (as modified up to 27-12—1963) Lucnow, 1963.

Uttar Pradesh Kheshtra Samiti and Zilla Parishad Manual, Lucknow, 1976.

नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1947
- उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994
- उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994
- उत्तर प्रदेश पंचायत (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या की अवधारणा और प्रकाशन) नियमावली, 1994
- उत्तर प्रदेश पंचायती राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994

– उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994
– उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1994
– उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपलब्ध आदेश, 1999
– उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नियमावली, 1999
– उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन विवादों का निबटारा) नियमावली 1947

पुस्तकें (हिन्दी में)

1. भवानीदीन एवं स्वामी प्रसाद, "वैभव बहे बेतवा धार", साहित्य रत्नालय, कानपुर, 1998
2. अल्टेकर, अनन्त सदाशिव, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, इलाहाबाद, 1959
3. अग्निहोत्री, ए0एन0, हमीरपुर, महारानी लक्ष्मी बाई शिक्षा संस्थान, हमीरपुर 2000
4. उपाध्याय, देवेन्द्र (सम्पा), पंचायती राज व्यवस्था, नई दिल्ली, 1989
5. तिलक रघुकुल, लोकतंत्र स्वरूप एवं समस्यायें, लखनऊ, 1972
6. मधू राठौड़, पंचायती राज और महिला विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2002
7. माहेश्वरी श्रीराम, भारत में स्थानीय शासन, ओरिएण्ट लाँगमेन, मुम्बई, 1974
8. दूबे, अवध नारायण, नयी पंचायती राज व्यवस्था, मिश्रा ट्रेटिंग कार्पोरेशन, वाराणसी, 2002
9. मिश्र, देवेन्द्र, पंचायती राज का संगठन एवं कार्य प्रणाली, नई दिल्ली, 1990
10. सिंह, वी0 पी0, ग्राम पंचायत में जन सहभागिता, वाराणसी, 1992

II BOOKS (IN ENGLISH)

Abida Samiuddin, A Critique of Panchayati Raj with Special Reference to Uttar Pradesh, Sahitya Bhavan, Agra, 1976.

Alfred de Sauza (Ed.), The Politics of Change and Leadership Development- The New Headers in India and Africa, Manohar, New Delhi, 1978.

Barnabas, A.P., Social Change in a North Indian Village, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, 1969.

Bhargava , B.S., Politico- Administrative Dynamics in Panchayati Raj System, Ashish Publishing House, New Delhi, 1978.

Bhargava, B.S., Panchayati Raj Institutions: An Analysis of Issues, Problems and Recommendations of Ashok Committee, Ashish Publishing House, New Delhi, 1979.

Bhargava, B.S. Grass-roots Leadership: A Study of Leadership in Panchayati Raj Institutions, Ashish Publishing House, New Delhi, 1979.

Bhargava, B.S., Bada, C.R. and Torgal, V.N., Panchayati Raj System, Jackson Publications, New Delhi, 1982.

Bhattacharya, Vivek, Challenge of Village India, Metropolitan Book Co., Delhi, 1971.

Biju, M.R., Dynamics of New Panchayati Raj System Reflections Retrospection, Kanishka Publishers, New Delhi, 1998.

Chatterijee, B.B. (Ed.), Micro-Studies in Community Development, Panchayati Raj and Co.operation, Sterling Publishers, 1969.

Chaudhari, T.P.S. (Ed.), Selected Readings on Community Development, National Institute of Community Development, Hyderabad, 1967.

Dantwala, M.L. and Shah, C.H., Evaluation of Land Reforms, Department of Economics, University of Bombay, 1971.

Darshankar, A.Y., Leadership in PAnchayati Raj, Panchasheel Prakashan, Jaipur, 1979.

David, L. Sills (Ed.), International Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. 13, The Mac Millan and Co. and The Free Press, USA, 1968.

Dayal, Rajeshwar, Community Developpment Programme in India, Kitab Mahal, Allahabad, 1960.

Deb, P.C. and Agarwal, B.H., Rural Leadership in Green Revolution, Research Publications, Delhi, 1974.

Desai, Vasant, Panchayati Raj : Power to the People , Himalayan Publishing House, Bombay 1990.

Dey, S.K. Community Development, Kitab Mahal, Allahabad, 1960.

Dey, S.K. Community Development, Vol. II, Kitab Mahal, Allahabad, 1960.

Dey. S.K., Power to the People, Orient Longmans, New Delhi, 1969.

Dey. S.K., Community Development: A Bird's Eye View, Asia Publishing House, New York, 1964.

Dubashi, P.R., Rural Development Administration in India, Popular Prakashan, Bombay, 1970.

Dube, S.C., India's Changing Village, Allied Publishers, Bombay, 1967.

Duverger, Manrice, The Political Role of Women, United Nations, 1955.

Gaikwad, V.R., Panchayati Raj and Bureaucracy, National Institute of Community Development, Hyderabad.

Gail, Omvedt (Ed.), Land, Caste and Politics in Indian State, Authors Guild Publications, Delhi, 1982.

Gandhi, M.K., Panchayati Raj, Compiled by R.K. Prabhu, Navajeevan Publishing House, Ahmedabad, 1959.

Gandhi, M.K., Rebuilding Our Villages, Navajeevan Publishing House, Ahmedabad, 1952,

Ghosh, Ratna and Pramanik, Alok Kumar, Panchayat System in India, Historical Constitutional and financial Analysis, Kanishka Publishres and Distributers, New Delhi, 1999.

Gopalaswamy, R.A., Indian Polity, Nachiketa Publications Ltd., Bombay, 1970.

Haldipur, R.N. and Paramhamas, V.R.K. (Eds.), Local Government Institutions in Rural India, National Institute of Community Development, Hyderabad, 1970.

Halpen Joel, M., The Changing Village Community, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., Delhi.

Harichandran, C., Panchayati Raj and Rural Development: A Study of Tamil Nadu, Concept Publishing Company, New Delhi, 1983.

Hutton, J.H., Caste in India, Oxford University Press, 1969.

Inamdar, N.R. Functioning of Village Panchayats, Popular Prakashan, Bombay, 1970.

Jacob George (Ed.), Readings in Panchayati Raj N.I.C.D. Hyderabad, 1967.

Jather, R.V. Evolution of Panchayati Raj in India, Institute of Economic Research, Dhawsar, 1964.

Karunakaran, K.P., Continuity and Change in Indian Politics, People's Publishing House, New Delhi, 1966.

Karunakaran Pillai, G., Local Finance in a Developing Economy – A Study of Panchayat Finance, B.R. Publishing Corporation, Delhi, 1986.

Khan, Iltiga, H., Government in Rural India, Asia Publishing House, New Delhi.

Kothari, Rajni (Ed.), Caste in Indian Politics, Orient Longmans, New Delhi, 1970.

Kothari, Shanti and Ray, Ramesh, Relations between Politician and Administrator, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, 1969.

Maddic, Henry, Panchayati Raj, Longman Group Ltd., Londom, 1970.

Madan, G.R. Changing Pattern of Indian Villages, S. Chand and Co., New Delhi, 1964.

Maheshri, B., Studies in Panchayati Raj, Metropolitan Book Co., New Delhi, 1963.

Maheswari, S.R. Local Government in India, Lakshmi Narain Agarwal, Agra, 1996.

Mafumdar, A.K. and Bhanvar Singh, Panchayat Politics and Community Development, Dadha Pbblication, New Delhi, 1996.

Mathur, S.C. (Ed.), Agricultural Policy and Food Self Sufficiency, Associated Publishing House, New Delhi, 1970.

Mathur, Kuldeep, Bureaucratic Response to Development, National, Delhi, 1972.

Matskihlberg, The Panchayati Raj of India : Debate in a Developing Country, Young Asia Publications, New Delhi, 1970.

Malaviya, H.D., Village Panchayats in India, All-India Congress Committee, New Delhi, 1956.

Mehta, Sushila, Social Conflict in Village Communities, S. Chand and co. Pvt. Ltd., 1971.

Misra, R.P. and Sundram, K.V., Rural Area Development: Perspectives and Approaches, Sterling Publishers, New Delhi, 1979.

Moorthy. M.V.(Ed.), Sociology, Aspectof Community Development, Department of Sociology, Andhra University, Waltair, 1966.

Mukherjee, B. Community Development in India, Orient Longmans, Bombay, 1961.

Muthayya, B.C., and Guana Kannan, J., Development Personnel, National Institute of Community Development, Hyderabad, 1973.

Muthayya, B.C., Panchayat Taxes, N.I.C.D., Hyderabad, 1972.

Myron, Weiner (Ed.), State Politics in India, Princeton University Press, New Jersey, 1968.

Nair, Kusum, Blossoms in the Dust, G. Duckworths and Co., London. 1961.

Namboodiripad, E.M.S., Crisis into Chaos: Political India 1981, Orient Longman Ltd., New Delhi, 1981.

Nandedkar, V.G. , Local Government: Its Role in Development Administration, Concept Publishing Co., Delhi, 1977.

Narain, Iqbla and Others, Rural Elite and Elections in an Indian State: A Case Study of Rajasthan, Manohar Book Service, New Delhi, 1976.

Narain, Iqbal and Others, Panchayati Raj Administration, Indian Institute of Public Administration, New Delhi, 1970.

Narain, Iqbal (Ed.), Panchayati Raj Administration in Rajasthan, Laxmi Narayan, Agarwal, 1970.

Narayan, Jayaprakash (Ed.) Brahmand, Communitarian Society and Panchayati Raj, Navachetna Prakashan, Varanasi, 1970.

Narayan, Jayaprakash, A Plea for Reconstruction of Indian Polity, Akhil Bharat Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Kashi, 1959.

Niranjan Pant, The Politics of Panchayati Raj Administration: A Study of Official-non-official Relations, Concept Publishing Co., Delhi, 1979.

Padma Ramachandran (Ed.), Issues in Indian Public Administration: Thre Case of Kerala, Oxford and IBH, New Delhi.

Palmer Norman, D., The Indian Political System, Allen and Unwin, London, 1961.

Geraint, Political Elites, Allen and Umwin Ltd., London, 1969.

Prasad, R.C. Democracy and Development, Rachana Prakashan, New Delhi.

Raman Rao, A.V., Structure and Working of the Village Panchayats. Gokhale Institutr of Politics and Economics, Poona, 1954.

Ranganath, The Changing Pattren of Rural Leadership in Uttar Pradesh, Indian Academy of Social Sciences, New Delhi, 1971.

Ravindra Sharma, Village Panchayat in Rajasthan, Alekh Publishers, Jaipur, 1974.

Reddy, G.Ram (Ed.), Patterns of Panchayati Raj in India, The MacMillan Company of India Limited, New Delhi, 1977.

Rudramoorthy, B., Extension in Planned Social Change, Allied Publishers, Bombay, 1964.

Sadasivan, S.N., Case Studies in Public Administration, I.I.P.A., New Delhi, 1983.

Sahani, Raghubir, Panchayati Raj in India – A Study, Kitab Mahal, Allahabad, 1968.

Sahay, B.N., Dynamics of Leadership, Bookhive, New Delhi, 1969.

Samant, S.V., Village Panchayats, Local Self-government, Bombay, 1957.

Saradamoni, K., Divided Poor, Ajantha Publications, Delhi, 1981.

Seshadri, K. and Jain, S.P., Panchayati Raj and Political Perception of Electorate, National Institute of Community Development, Hyderabad, 1972.

Seshadri, K. and Ram Reddy, G., The Voter and Panchayati Raj, National Institute of Community Development, Hyderabad, 1972.

Singh, Avtar, Leadership Patterns and Village Structure, Sterling Publishers, Jullandar, 1973.

Singh, Dharm Raj, Panchayati Raj and Rural Organization, Chugh Publication, Allahabad, 1990.

Singh, Harjinder, Village Leadership, Sterling Publishing House, New Delhi, 1969.

Singer, Marshall R., The Emerging Elite, M.J.J. Press, Cambridge, 1967.

Sinha, Durganand, Indian Villages in Transition, Associatrd Publishing House, New Delhi, 1969.

Sirsikar, V.M., Sovereigns Without Crowns, Popular Prakashan, Bombay, 1973.

Sushil Kumar and Venkataraman, K. State and Panchayati Raj Relations, Asia Publishing House, Bombay, 1974.

Shah, B.C. and Pandya, J.N., Revival of Panchayati Raj: Trends and Problems, Sardar Patel University, Gujarat, 1989.

Somjee, A.H.(Ed.), Politics of Peri-urban Community in India, Asia Publishing House, Bombay. 1964.

Srinivas, M.N., India's Villages, Asia Publishing House, Bombay, 1963.

Srinivas, M.N., Caste in Modern India and other Essays, Asia Publishing House, Bombay, 1962.

Tead Ordway, The Art of Leadership, McGraw Hill Book Co., Inc., New York, 1935.

Uriwick, L.F., Leadership in Twentieth Century, Sri Issac Pitman and Sons Ltd., London, 1957.

Vidyarthi, L.P. (Ed.), Leadership in India, Asia Publishing House, Bombay, 1967.

Warren, C.E., Biology and Water Pollution Control, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1971.

लेख हिन्दी में

1. अग्रवाल, प्रमोद कुमार, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, कुरू क्षेत्र, वर्ष 47 अंक–7, मई 2002
2. भारद्वाज, देवेन्द्र, पंचायती राज प्रणाली का सुदृढ़ीकरण विकास का एक मात्र विकल्प, योजना, वर्ष 46, अंक 3, जून 2002
3. भारती, ममता, उत्तर प्रदेश : नये युग की ओर ग्राम पंचायतें, कुरूक्षेत्र, वर्ष 47, अंक–5, मार्च 2002

4. देवपुरी, प्रतापमल, पंचायत मेला, जागृति का एक भौरा, कुरक्षेत्र वर्ष 47, अंक–5, मार्च 2002

5. जोशी , संदीप, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, कुरक्षेत्र वर्ष 47, अंक–6 अप्रैल 2002

6. जैन, उर्मिला, पंचायत में निर्वाचित महिलायें और ग्रामीण विकारस कुरूक्षेत्र वर्ष 47, अंक–6 अप्रैल 2002

7. केलर, कुमुदिनी, पंचायती राज और महिला नेतृत्व, कुरूक्षेत्र वर्ष 47, अंक–6 अप्रैल 2002

8. कटारिया, सुरेन्द्र, ग्राम विकास में न्याय पंचायतों की भूमिका, कुरूक्षेत्र वर्ष 45, अंक–10 अगस्त 2000

9. महीपाल, महिलायें और ग्राम सभा, कुरूक्षेत्र वर्ष 45, अंक–10, अगस्त 2000

10. पाण्डेय, आलोक, उत्तर प्रदेश में जन जातीय क्षेत्रों के ग्रामीण विकास में ग्राम प्रधानों की भूमिका, वर्ष 45, अंक 10, अगस्त 2000

11. श्रीवास्तव, काशी गोपाल, पंचायती राज की सफलता, योजना वर्ष 44, अंक 9, दिसम्बर 2000

12. त्रिपाठी, बद्री विशाल, पंचायती राज, लोकतंत्र समीक्षा, वर्ष 27, अंक 1 से 4 जनवरी–दिसम्बर 1995 , संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली

13. त्रिपाठी, राजमणि, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का भविष्य, योजना, वर्ष43, अंक 7, अक्टूबर 1999

14. त्रिपाठी, राजमणि, पंचायती राज व्यवस्था में दलितों का सशक्तीकरण, कुरूक्षेत्र, वर्ष 47, अंक : 2, दिसम्बर 2001

15. त्यागी, ललित कुमार एवं सिन्हा, बी0पी0, पंचायतों में कमजोर वर्गों की स्थिति एक समीक्षा, कुरूक्षेत्र, वर्ष 47, अंक 5 मार्च 2002

16. त्रिपाठी, राजमणि, भागीदारी तो मिली पर सशक्तीरण अभी दूर, कुरूक्षेत्र, वर्ष 47, अंक 5, मार्च 2002

17. बल्लभ शरण, पंचायत के पाँच तत्व, कुरूक्षेत्र, वर्ष 47, अंक 5, मार्च 2002

III. ARTICLES (IN ENGLISH)

Abhojit Datta, Constitutional Strengthening of Government in Third World Federation, Indian Journal of Public Administration, Vol. XLII, No. 2, (April-June 1996).

Balwantrai Mehta, Panchayati Raj and Agricultural Production, Kurukshetra, Vol. XV, October 1969.

Balraj Puri, J. and K. Panchayati Raj Bill, A Critique, Economic and Political Weekly, 15 July, 1989.

Bhambri, C.P., Official-Non-Official Relationship in Panchayati Raj, Indian Journal of Political Science, July-September, 1967.

Bhargava, B.S., Political Parties and Rural Local Government, Quarterly Journal of Local Self-government, Vol. XLI, No. 1, July-September, 1970.

Biju, M.R. and Pandya J.N., Democratic Decentralisation in an Indian State, International Political Science Abstracts, Paris, Vol. 42, No. 3, August. 1992.

Biju, M.R.and Pandya J.N., Panchayat Polls in West Bengal and Kerala: A Comparative Appraisal, Journal of Political Studies, February, 1990. Vol. XXIII, No, 1.

Biju, M.R., Sarvodaya Approach to Democratic Decentralisations, Panchayat Sandesh, December 95-January 96, Vols. 9-10.

Biju, M.R., Democratic Decentralisations of Gandhian Perspective. Panchayat Sandesh, Vols. 3-4, July, 1995.

Biju, M.R., Jaya Prakash Narayan a Democratic Decentralisation. Panchayat Sandesh, February-April, 1996.

Biju, M.R., Gandhiji and Panchayati Raj, Indian Communicator, 5-6 October, 1995.

Bunker Roy, Role of Voluntary Groups, Indian Express, 26 August, 1996.

Chopra, R.N., Administrative Machinery for Agricultural Production at District Level, Indian Journal of Political Science, Vol. XIII, No. 3.

Dantwala, M.L, Agricultural Policy in India since Independence, Indian Journal of Agricultural Econonmixs, October-December, 1976.

Dube, Leela, Leadership in Community Development and Decentralised Democracy, Kurukshetra, 14 (9) April, 1966.

Gangrade, K.D. Gandhi and Rural Development, Yojana, 15 October, 1994.

George Mathew, Democracy Discriminated, The Hindu, 16 April, 1996.

George Mathew, A Tale of Two Panchayats, The Hindu, 6 and 7 July, 1995.

Hanumantha Rao, C.H. Decentralised Planning- An Overview of Experience and Prospects, Economic and Political Weekly, 25 February, 1989.

Indira Hirway, Panchayati Raj at Cross-roads, Economic and Political Weekly, July 22, 1989.

J. Prabash, Kerala-Civic Poll Results- Implication for the Ruling Front, Mainstream, 21 October, 1995.

Jose George, Towards Genuine Local Government, Economic and Political Weekly, 9 December, 1995.

Kalyan Chaudhari, CPI (M) Rides Left Front Squabbles, Economic and Political Weekly, 19 March, 1988.

Kalyan Chaudhari, Lessons in Development- Through Law Reforms and Panchayats, Frontline, 10 February, 1995.

Manikyamba, P., Women in Panchayati Raj: Promises and Performance, Teaching Politics, Vol. XIV, Nos 3 and 4, 1988.

Manoranjan Mohanty, On the Concept of Empowerment, Economic and Political Weekly, 17 June, 1995.

Mohit Bhattacharya, Administrative and Organisational Issues in Rural Development, Indian Journal of Public Administration, October-December, 1978. Vol. XXIV.

Morries Johnes, W.H., Democratic Decentralisation : Some Political Consequences, Economic Weekly, 14(1), 1963.

Narain Iqbal, Democratic Decentralisation : The Idea, the Image and the Reality, Indian Journal of Public Administration, January-March, 1963.

Narain Iqbal, Democratic Decentralisation and Rural Leadership in India : The Rajasthan Experiment, Asian Survey, August, 1964.

Oomen. M.A., Panchayati Raj: A New Challenge to Federal Finance, The Hindu, 14 November, 1995.

Raj, K.N., Planning from Below with Special Reference to District Development and State Planning, Economic and Political Weekly, Vol. VI, 1971.

Rajeev Dhavan, Implications of Panchayat Bill, Mainstream, 29 July, 1989.

Rajni Kothari, Panchayati Raj: A Reassessment, Economic Weekly, 13 (9), May 13, 1961.

Ramdas, N., Haldipur, Elected Bodies and Agricultural Development in India, Indian Journal of Public Administration, Vol. XXII, No. 4, October-December, 1976.

Rama Krishnan, M.V., Jawahar Rozgar Yojana, The Hindu, 8 November, 1995.

Rao, C.V.H., Emerging Leadership in Panchayati Raj, Kurukshetra, 13(4), January, 1965.

Rao, S.K. Conspectus of Rural Development, Kurukshetra, Vol. XXVIII, March 16, 1980.

Rudramurthy, B., Challenge of Agriculture, Kurukshetra, Vol. XIV. No. 7, April, 1966.

Rushikesh Maru, Planning for Failure in Agriculture, Economic and Political Weekly, Vol. III, No, 3.

Satya Murthi, T.V., Panchayati Raj and India's Two Societes, Economic and Political Weekly, Vol. XXX, No. 3, January 21, 1995.

Shah, B.C., Panchayat Poll of 1987 in Gujarat: An Overview, Indian Journal of Political Studies, Vol. 12, December, 1988.

Shashi, I.O.N., Role of Community Development and Panchayati Raj in Food Production, Indian Journal of Public Administration, Vol. XVII, No. 3, 1970.

Sindhu Shree Khuller, Local Government and Its Pitfalls, The Times of India, 17 August, 1995.

Subha Reddy, N., Saga of Deceptive Slogans and Broken Promises, Mainstream, 28, April 1990.

Sukhdev Singh et at., Panchayati Raj in Punjab: An Analysis, Journal of Rural Development, Vol. 14, No. 2, April-June 1995.

Susheela Kaushik, Democracy and Development at Local Level: Implications for Women, Teaching Politics, Vol. XIV, Nos, 3 and 4, 1988.

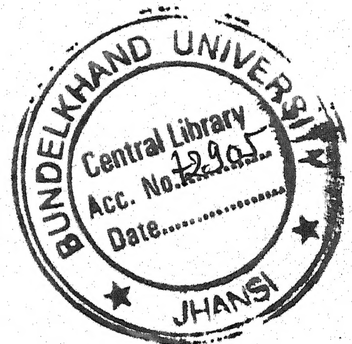
Usha Narayanan, Women in Panchayat: The Path Ahead, Mainstream, 16 November, 1966.

Vina Mazumdar, Panchayati Raj, Economic and Political Weekly, 29, October, 1994.

Venkatesan, V., Panchayati Blues, Frontline, 16 December, 1994.

V.S.R.K., 64th Constitution Amendment Bill, Bhavan's Journal, Vol. 35, No. 23, July 15, 1989.

Weiner, Myron, Political Parties and Panchayati Raj, Indian Journal of Public Administration 8(4), October-December, 1962.



IV <u>समाचार पत्र</u>

1- The Times of India (Lucknow)

2. दैनिक जागरण
3. अमर उजाला
4. आज
5. हिन्दुस्तान